खण्ड-429, अंक-5
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(8 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
श्री अध्यक्ष द्वारा सभी माननीय सदस्यों को होली की शुभकामनाएं ...	1
गणपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में श्री बी० आर० वर्मा द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	1
प्रश्नोत्तर...	1–74
अता० प्र० सं०–130 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	75
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	75
जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में फर्जी मुकदमें कर गरीबों की जमीन हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
इण्टर कालेज दुर्गागंज भदोही के पीड़ित सात अध्यापकों को माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	76
ग्राम सोरों और कांकड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर में पानी की टंकियों के निर्माण में एवं पाइप लाइन बिछाने में मानक के अनुरूप कार्य न करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	76
जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कसाणा बुकण्डी आदि को अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त होने के कारण अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76–77
आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
मेरठ महानगर में पेयजल संकट के निवारणार्थ पाइपलाइन विहीन क्षेत्रों में हैण्डपम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
स्वास्थ्य विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78–79
सत्रकाल में नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79–91
वर्तमान सत्र के दूसरे सोमवार की कार्यसूची के नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91
जिला योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में विधान सभा सदस्यों के अधिकारों का हनन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	92
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999–(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	92
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999–(पुरःस्थापित किया गया)	92–93

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999–(पुरःस्थापित किया गया) ...	93
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	93–107
श्री मुख्तार अंसारी सदस्य विधान सभा को केन्द्रीय कारागार आगरा स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी सदन को सूचना	107–108
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) अनुदान संख्या–33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34, चिकित्सा विभाग, (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या–35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	108–150
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	150–151
जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन क्षेत्र में चकबन्दी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	151–152
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा शासनादेशों के विपरीत लघु एवं सीमान्त कृषकों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री का केवल वक्तव्य	152–156
प्रदेश में बरसात के पानी को वैज्ञानिक विधि से रोक कर कृत्रिम रिचार्ज द्वारा भू-गर्भ जल स्तर को ऊपर लाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में डा० रामबादू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	156–158
प्रदेश के विकास कार्यों हेतु अवमुक्त विधायक निधि की धनराशि का वित्तीय वर्ष में ही विकास कार्यार्थ उपयोग सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन	158
नत्थियां	159–160

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अजय राय, श्री	वाराणसी	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
अमर मणि, श्री	महराजगंज	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अशोक कुमार, श्री	जौनपुर	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
ओंकार सिंह, श्री	एटा	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
के० सी० सिंह, "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
कैलाश, श्री	गाजीपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद

रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
समर पाल सिंह, श्री	मेरठ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 01 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही एक मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष द्वारा सभी माननीय सदस्यों को होली की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को होली की शुभकामनाएं ।

गणपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में श्री बी० आर० वर्मा द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री बी० आर० वर्मा–

आज पुनः मुझे उसी बात को दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन की भी अपनी गरिमा है और उस सदन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए । इसलिए मैं चाहूंगा कि उस दिन आपकी तरफ से निर्देश दिये गये थे चुटकी लेते हुए कि 100 मंत्री हैं यदि आधे भी उपस्थित हों तो कोरम की समस्या नहीं होगी । इस निर्देश के बावजूद भी आज कोरम के अभाव में इतनी देर तक घण्टी बजानी पड़ी । प्रश्न प्रहर भी बाधित हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कोरम पूरा है । कुछ क्षण की बात थी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विधायकों को प्रत्येक वर्ष हैण्ड पम्प लगवाने हेतु 25-25 इण्डिया मार्क–2 का कथित कोटा निर्धारण

**1–श्री राम औतार शाक्य, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सदस्य, विधान सभा द्वारा 25-25 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाये जाने का कोटा निर्धारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने उक्त हैण्ड पम्प लगवाये जाने हेतु धन भी आवंटित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जब आदरणीय श्री बी० आर० वर्मा जी संसदीय कार्य मंत्री थे उनकी तरफ से यह घोषणा हुई थी कि विधायकों के लिए 25-25 हैण्ड पम्प प्रत्येक वर्ष कोटा निर्धारित किया गया था । लेकिन मान्यवर,

वह कोटा काट दिया गया । हमने सवाल किया तो उत्तर आया कि जी नहीं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस घोषणा का क्या हुआ और उसमें दूसरी नीति क्या है सरकार की ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह वर्ष 97-98 के लिए था । प्रत्येक वर्ष के लिए नहीं था ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर प्रत्येक वर्ष के लिए नहीं था तो 25 इण्डिया मार्का की जो परम्परा बन गयी थी उसको कायम रखेंगे ? यह प्रत्येक वर्ष के लिए थी । बी० आर० वर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला योजना के अन्तर्गत जो हैण्ड पम्प लगते हैं वह माननीय विधायकों की राय से लगते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, 25 हैंडपम्पे वाला मामला सदन में 1996-97-98 में उठा था और आपके कक्ष में वार्ता हुई थी जिसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उस वक्त यह तय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 25 हैण्डपम्प लगाए जायेंगे आपने बताया कि जिला योजना से लगाए जाते हैं लेकिन कहीं नहीं लगाए जाते हैं, जो सदन की परम्परा है उसको माननीय मंत्री जी क्रियान्वित करेंगे या नहीं ? यदि नहीं, करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में कोई ऐसी बात तय हुई हो ? यह जो तय हुआ था यह 1997-98 के लिए था ।

प्रत्येक वर्ष के लिए नहीं था इसकी बेहतर जानकारी आपको होगी ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने क्या घोषणा की थी ?

प्रत्येक वर्ष के लिए घोषणा हुई थी या उसी वर्ष के लिए हुई थी इसको आप निकलवाकर देख लीजिएगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 25 हैण्डपम्प तो और बढ़ाने चाहिए थे उसको भी काट रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 24 दिसम्बर, 1998 को जी० ओ० जारी हुआ था उसमें हैं कि जिला योजना के अन्तर्गत जो हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाएं वहां स्थल चयन में माननीय विधायकगणों के विचार उसी आधार पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस प्रकार अन्य कार्यक्रमों में...(व्यवधान) विधायकगण रहते हैं लेकिन प्रत्येक हैण्डपम्प मानक के अनुसार स्थापित किए जाएं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने स्मरण दिलाया आपके कक्ष की बातों को कहना उचित नहीं है लेकिन आपकी अहम भूमिका रही है उसके चलते तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री और जो तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे सारे लोगों के प्रयास के बाद, परामर्श के बाद सदन में कहा गया था, सदन में घोषणा की थी कि 25 हैण्डपम्प जिला योजना या दूसरी योजना में जो हैण्डपम्प लगाए जाते हैं उसमें 25 हैण्डपम्प में स्थल चयन, इन 25 हैण्डपम्प के लिए, अतिरिक्त 25 हैण्डपम्प लगेंगे यह कहा गया था । "अतिरिक्त" शब्द उसमें है, जो स्कीमों के तहत हैण्डपम्प लग रहे हैं वह तो लगेंगे ही उसके अलावा माननीय विधायक के स्थल चयन पर 25 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे । उसमें वर्ष का जिक्र नहीं है, यह तो प्रत्येक वर्ष के लिए है मैं जानना चाहूंगा 25 हैण्डपम्प वो हैं उसके बारे में स्पष्ट कर दें क्या वह माननीय विधायकों के स्थल चयन पर नहीं लगेंगे ? अगर 25 हैण्डपम्प से बढ़ाकर 50 करना चाहते हैं तो अलग बात है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह तत्कालीन संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जहां तक मैंने देखा है जो घोषणा की थी वह 1997-98 के लिए की थी ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा करते हैं सदन में जो घोषणा हुई है मैं अपने यहां से कार्यवाही निकलवा लेता हूं इसको देख लेंगे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज देंगे सभी माननीय विधायकों से संबंधित प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है । सभी विधायकों को 25–25 हैण्डपम्प मिलने चाहिए । जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह अपूर्ण है । आपका सुझाव तो शिरोधार्य है लेकिन इनका जवाब ठीक नहीं है । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा शांत हो जायें । मैं कार्यवाही को निकलवाकर देख लूंगा । जो भी घोषणा हुई है, मैं देख लूंगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पच्चीस-पच्चीस हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गयी थी लेकिन आज वह काट दिये गये हैं । वह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने स्मरण दिलाया है यहां सदन में घोषणा हुई थी । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी उस बैठक में आये थे और उस दिन यह तय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष पच्चीस हैण्डपम्प दिये जायेंगे । आप यह नियम समिति को भेज देंगे तो यह मामला विलम्बित हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम समिति को नहीं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को कहा है । मैं पहले कार्यवाही निकलवाकर देख लूंगा क्योंकि जो सदन में घोषणा हुई थी उसी के अनुरूप होना चाहिए । या तो मैं चर्चा इस पर करा दूं या फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सवाल न तो चर्चा का है और न ही पक्ष और विपक्ष का है । यह उस परिस्थितियों में किया गया था, ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां शहरी क्षेत्रों में माननीय सदस्यगण है उनके यहां ओवर हैण्ड टैंक से पानी की सप्लाई होती है और उन्हें पानी नहीं मिल पाता है टैक्निकल कारण जो भी हों, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी स्कीम हैं लेकिन वह भी नहीं लग पाती हैं तो इन सारी चीजों पर चिन्तन करने के बाद पच्चीस हैण्डपम्प चाहे वह शहरी क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हो वह लगवा सकते हैं अपने मन से अपने क्षेत्र में । तो मैं चाहूंगा कि इसमें माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करने की आवश्यकता है, आप पुनर्विचार कर लें । 25 की जगह 50 आप करें लेकिन पच्चीस की बजाय जीरो न हों । यह चर्चा और परिचर्चा का सवाल नहीं है । मैं चाहूंगा कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो और यह हर साल के लिए हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा । इससे माननीय मंत्री जी को उत्तर देने में सुविधा हो जायेगी । माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में विधायक निधि की बात.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों के संज्ञान में यह बात है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विधायक निधि की चर्चा के दौरान पहले टोकन से पच्चीस-पच्चीस हैण्डपम्प दे दें फिर विकास निधि पर चर्चा होगी लेकिन यह उसको उलटने का काम कर रहे हैं । आपने जो स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यह नहीं दे रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 13-8-97 के उपवेशन में इस बात का जिक्र है । इसमें उल्लेख है–जितनी योजनाएं हैं जिनके अर्न्तगत हैंड पम्प लग रहे हैं उसके अतिरिक्त 25 हैंडपम्प माननीय सदस्य जो स्थल चयन करेंगे उसके अनुसार लगेंगे । और अधिक स्पष्ट करते हुए माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने यह भी कहा कि जितनी भी योजनाए पेयजल की वह नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उसके अतिरिक्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विधायक, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें पहले, वे स्थल चयन करके नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में 25 हैण्डपम्प लगवा सकते हैं । मान्यवर, यह सिर्फ एक वर्ष के लिए है । तत्कालीन संसदीय कार्य-मंत्री जी द्वारा इस बात की घोषणा नहीं की गयी कि 25 हैण्डपम्प प्रत्येक वर्ष माननीय विधायकों की एडवाइज पर लगेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब देखिये, यह कार्यवाही में जितना उल्लेख था माननीय मंत्री जी ने पढ़कर सुना दिया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह ग्राम्य विकास का बजट जब प्रस्तुत होगा तो माननीय विधायकों की आम राय को देखते हुए..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले पूरी बात तो सुन लीजिये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंनें बहुत स्पष्ट निवेदन किया कि जब ग्राम्य विकास के बजट पर चर्चा होगी उस दौरान माननीय विधायकों की भावना का आदर किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैं कार्यवाही देख लूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से बात कर लूंगा । आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों से भी परामर्श कर लूंगा, समस्या का समाधान कुछ निकलेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कहीं अगर इसमें प्रत्येक वर्ष का जिक्र नहीं आया है तो यह भी जिक्र नहीं है कि केवल इसी वर्ष लगेंगे । मंशा यही है कि यह चलता रहेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रदेश में भीषण पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ही यह घोषणा हुई थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । वैसे भी जो बात कक्ष में होती है, उसका यहां उल्लेख नहीं करते ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार विधायकों के अधिकारों का हनन कर रही है, जो बात पहले तय हो चुकी है, उससे पीछे हट रही है, यह सरकार प्रदेश की पेयजल समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का त्याग कर के चले गये)

न्यूयार्क पुलिस की कार्य प्रणाली के संबंध में सरकार को प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट एवं प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु लागू किये जाने की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क पुलिस की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु प्रदेश की कोई पुलिस टीम न्यूयार्क गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गयी

है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्या इसे अपराध नियंत्रण को बेहतर बनाने हेतु राज्य में लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य-मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष/सुझाव निम्नलिखित हैं :–

1–न्यूयार्क में प्रचलित विधिक व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका उत्तर प्रदेश के परिवेश से भिन्न है ।

2–प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिये दृढ़ राजनैतिक संकल्प आवश्यक है ।

3–पुलिस की कार्य-प्रणाली प्रतिक्रियात्मक न होकर अग्रिम उपचारात्मक होनी चाहिए ।

4–थाना प्रशासन सुदृढ़ और उच्च तकनीक से युक्त होना चाहिए ।

5–सामान्य पुलिस व्यवस्था में जन-सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाय ।

6–संगठित अपराधों की रोक-थाम हेतु संगठित प्रयास एवं प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाय ।

7– प्रभावी पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही अत्यन्त महत्वपूर्ण है !

8–कार्यात्मक इकाइयों की दक्षता में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाय ।

उच्च तकनीक के अनुप्रयोग और थाना प्रशासन को बेहतर बनाने सम्बन्धी उपाय लागू किये जा रहे हैं । विधिक बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस की टीम अध्ययन करने न्यूयार्क गई थी, निश्चित रूप से यह मानकर गई थी कि जो यहां अपराध की स्थिति है, उसको नियंत्रित करने में, जो न्यूयार्क की पुलिस की कार्य-प्रणाली है, वह ज्यादा बेहतर सिद्ध होगी । वहां से आने के बाद 8 बिन्दुओं के सुझाव/निष्कर्ष दिये गये हैं । पहले बिन्दु के संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि न्यूयार्क में प्रचलित विधिक व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका उत्तर प्रदेश के परिवेश से भिन्न है तो यह किन अर्थों में भिन्न है और वहां की व्यवस्था यहां लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं । दूसरा बिन्दु है, प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिये दृढ़ राजनीतिक संकल्प आवश्यक है तो क्या यह मानकर निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति/संकल्प शक्ति की कमी है और तीसरा मैं बिन्दु नं० 5 के बारे में जानना चाहता हूं, सामान्य पुलिस व्यवस्था में जन-सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाय, इसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सातवें बिन्दु को देखें प्रभावी पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके संबंध में कहना चाहूंगा कि पुलिस की अपराध नियंत्रण पर कोई भूमिका प्रभावी नहीं है और न कोई जवाबदेही है । इन सारे बिन्दुओं के बाद अन्तिम बात यह भी जानना चाहूंगा कि इस अध्ययन को करने कितने लोग गये, कौन-कौन लोग गये और इसमें कितना खर्च आया ?

श्री हुकुम सिंह––

मान्यवर, जो अन्तिम प्रश्न था, उसी से उत्तर की शुरूआत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूछा गया है कि क्या भिन्नता दोनों में है। स्थिति यह है कि कुछ वर्ष पूर्व न्यूयार्क, अमेरिका का सबसे ज्यादा अपराधग्रस्त क्षेत्र कहलाता था और वहां लोगों का जनजीवन असुरक्षित था, लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया था तो प्रश्न यह उठा कि इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाय।

आज अध्ययन के बाद पता चला है कि अगर कोई सर्वाधिक सुरक्षित स्थान है, तो वह न्यूयार्क है। इसमें दो स्थितियां हैं, एक तो यह कि पहले न्यूयार्क सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था और अब वह सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र हो गया है, तो कैसी तकनीक बनायी जाये। मान्यवर, इस अध्ययन दल का मैं सदस्य नहीं था, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां के मेयर ने संकल्प लिया था कि न्यूयार्क को दंगा मुक्त बनायेंगे, जो माफिया हैं उनको दबा देंगे और वह अपने लक्ष्य में कामयाब भी हुआ। पुलिस की जवाबदेही हो गयी, हमारे यहां पर जांच की कई एजेन्सियां हैं, थाना है, अगर उसकी जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो मामला सी०बी०सी०आई०डी० को दे दिया जाता है, वहां पर अगर डिटेक्टिव जायेंगे तो थाने की मदद के लिये जायेंगे, तो यह भिन्नता थी, इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम जब तक पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, बदमाशों पर कब्जा नहीं कर पायेंगे, उनके पास नये-नये किस्म के शस्त्र हैं और टेलीफोन हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यह चीज तो हर जगह है, केवल न्यूयार्क में ही नहीं है। जिन थाना क्षेत्रों में अपराध हुये हैं और अपराधियों के गिरफ्तार न होने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, अभी गृह विभाग की मांगे भी आनी हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्न में है कि क्या अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, तो मैंने उत्तर दिया है कि जी हां और उसके मुख्य अंश पढ़कर सुना दिये। अध्ययन दल ने कहा है कि जवाबदेही वहां पर है, घटना के बाद जवाबदेही यह होगी कि आप मुल्जिमान को गिरफ्तार कर पाये हैं या नहीं, आप तीसरी संस्तुति को देखें, घटना न घटित हो और उसके पहले क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी। वह की गयी है या नहीं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने उत्तर दिया है कि वहां पर आप अध्ययन करने गये थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये क्या पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे अपराधों की संख्या कम

हो सके । पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था न्यूयार्क में है और कई-कई अन्य स्थानों पर है, तो क्या आप उसे उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

यह नीतिगत प्रश्न है, इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो इस अध्ययन दल की रिपोर्ट के निष्कर्ष आये उसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है वहां की सामाजिक और विधिक व्यवस्था यहां से भिन्न है तो कोई भी व्यक्ति हो वह यहीं बैठकर निष्कर्ष निकाल सकता है । माननीय राय साहब ने जानना चाहा कि कितना पैसा लगा, इसका उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह क्या कारण थे, कौन सी परिस्थितियां थीं, वहां कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो वहां जाना पड़ा, वह बता दें ? इसमें साधारण बुद्धि की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो उन्होंने बताया कि पहले वह शहर सबसे ज्यादा असुरक्षित था और अब सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

वहां जाकर उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का अनावश्यक रूप से धन क्यों नष्ट किया गया ? यह चीजें जो आपने बतायीं सारी की सारी यहां बैठकर तय हो सकती थीं । यह कौन नहीं जानता है कि थाने की पुलिस अपराधियों से मिली रहती है और स्थान-स्थान पर भ्रष्टाचार है, यह कौन नहीं जानता है कि 25 साल की उम्र में पकड़े जाने पर 60 साल की उम्र तक कोई सजा होने वाली नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय क्यों किया गया और कितना पैसा इस पर खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह–

पहला प्रश्न जैसा डंग साहब ने कहा इसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है वह सही है । दूसरा प्रश्न कितना खर्च हुआ इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पोखरन परमाणु परीक्षण फलस्वरूप आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोखरन में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप विदेशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण अब तक प्रदेश में कौन-कौन सी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें प्रभावित हुई हैं ? उनको चालू रखने के लिये प्रदेश सरकार ने क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

पोखरन में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप अब तक प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त कोई परियोजना प्रभावित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब पोखरन बम विस्फोट हुआ उसके बाद तमाम देशों ने हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये। ऐसा नहीं हो सकता है कि उस प्रतिबन्ध से उत्तर प्रदेश प्रभावित न हुआ हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व बैंक की कौन-कौन सी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में परमाणु विस्फोट से पहले चल रही थीं और उनमें से कितनी बन्द हो गयीं ?

श्री अध्यक्ष–

अंधेरे में टटोलने से तो कोई लाभ नहीं है। अगर कोई आपकी जानकारी में योजना हो जो प्रभावित हुई हो तो प्रश्न कर लें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, डाइवरसीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट यह विश्व बैंक की परियोजना थी, जो प्रभावित हुई है।

श्री हुकुम सिंह–

जो आपने सवाल किया वह सितम्बर, 98 से शुरू हो चुकी है बजाय प्रभावित होने के इसमें 696 करोड़ रुपये की योजना की शुरूआत सितम्बर, 98 से हो चुकी है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इसी तरह मध्य गंगा कैनाल योजना पोखरन के बाद प्रभावित हुई है। इस पर धन आना था, वह प्रभावित हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

यह योजना पोखरन से पहले ही बन्द हो चुकी है। यह बम विस्फोट से कहीं प्रभावित नहीं हुई।

प्रदेश में सरकारी वाहनों के क्रय एवं उपयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये प्रदेश में सरकारी वाहनों की खरीद एवं उनके उपयोग पर समुचित नियंत्रण लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस बारे में कोई कार्यक्रम/नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 37,75,092 वाहन पंजीकृत हैं जिसमें सरकारी वाहनों की संख्या मात्र 33,722 है, जो कि कुल वाहनों की संख्या में एक प्रतिशत से भी कम है । इस प्रकार प्रदेश में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या में सरकारी वाहनों की संख्या अत्यन्त अल्प है । उक्त के अतिरिक्त सरकारी वाहन कार्यहित में अपरिहार्य आवश्यकता होने पर ही क्रय किये जाते हैं तथा इसे मितव्ययिता की मद के अन्तर्गत रखा गया है । सरकारी वाहनों के क्रय एवं उपयोग के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसका अनुपालन करते हुये ही वाहनों का क्रय/उपयोग किया जाता है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो मेरा प्रश्न था उससे हटकर उत्तर मिला है । मैंने पूछा था कि क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये प्रदेश में सरकारी वाहनों की खरीद एवं उपयोग पर समुचित नियंत्रण लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? इसका उत्तर आया है, जी नहीं । पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है । प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिये सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि नये वाहनों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण लगाया जाय । मान्यवर, वाहनों का क्रय, वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन क्रय किये जाते हैं । वाहनों के जरिये जो–प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिये उपाय किये गये हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

प्रदूषण रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, औद्योगिक इकाइयों के लिये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये व्यवस्था की गयी है । वाहनों से प्रदूषण रोकने के लिये मोटर वाहन अधिनियम अलग से बनाया गया है जिसके अधीन इन वाहनों के ऊपर अंकुश लगाया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सरकारी वाहनों द्वारा जो चाहे संख्या में कम हों या अधिक हों उनकी बराबर जांच करने की कोई व्यवस्था बनायी है यदि हां, तो कितने सरकारी वाहनों की जांच हुई है और कितनों की जांच होना बाकी है ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जो सरकारी वाहनों की संख्या है उसको देखते हुये चूंकि सरकारी वाहनों की संख्या कम है इसलिये अलग से कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 97-98 में सरकारी गाड़ियों की चेकिंग की गयी जिसमें 21629 गाड़ियों को ठीक करने के लिये निर्देशित किया गया है ।

*3–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश स्तर पर चिन्हित टाप टेन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं मैनपुरी के टाप टेन के विषय में जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश स्तर पर अभी तक कौन-कौन टाप टेन अपराधी चिन्हित किये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मैनपुरी जनपद के टाप टेन अपराधियों का नाम बतायेगी ? उनका आपराधिक इतिहास क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश स्तर पर टाप टेन अपराधी चिन्हित नहीं किये गये हैं । चिन्हीकरण एवं कार्रवाई जनपद स्तर पर ही होती है ।

मैनपुरी जनपद में टाप टेन के नामों को लिखित रूप में देना लोकहित में समीचीन नहीं प्रतीत होता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट द्वारा और अन्य अवसरों पर कानून व्यवस्था के संबंध में कहा है कि भयमुक्त समाज बनाया जायेगा प्रदेश स्तर पर, मण्डल स्तर पर और जिला स्तर पर । क्या टाप–10 अपराधियों की सूची बनायी गयी है ? इसका उत्तर दिया गया है कि प्रदेश स्तर पर टाप–10 अपराधियों को चिन्हित नहीं किया गया है । आप नाम न बताते लेकिन जो सरकार भयमुक्त समाज का नारा देती है तो उसको टाप–10 अपराधियों की सूची बनानी चाहिये थी और उनके विरुद्ध अपने हिसाब से कार्यवाही करनी चाहिये थी । क्या इस तरह की कोई नीति बनायी जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नीति को मैं स्पष्ट कर देता हूं । प्रदेश स्तर पर टाप–10 को चिन्हित करने के लिये नहीं बल्कि जिले स्तर पर चिन्हित करने का निर्देश था कि वहां जो माफिया हैं उनकी सूची बनायी जाय और चिन्हित किया जाय कि कौन उच्च कोटि का अपराधी है और टाप–10 है । और वह टाप-टेन हो गये । जनपद वाइज़ टाप-टेन तैयार कर लिए गये । प्रदेश स्तर पर न तो कोई निर्णय था, न नीति थी । जनपद स्तर पर टाप-टेन और थाने स्तर पर टाप-फाइव की बात थी, वह चिन्हित किये गये हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने जो पूछा, मैं उसी को माननीय मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कानून-व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिस तरह से थाने स्तर पर टाप-फाइव और जिले स्तर पर टाप-टेन अपराधी चिन्हित किये गये हैं । क्या उसी तरह से मण्डल स्तर और प्रदेश स्तर पर टाप-टेन अपराधी चिन्हित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रशासनिक इकाई जिला और जिले को प्रशासनिक इकाई मानकर वहां पर जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके कार्यवाही करना सम्भव हो पायेगा । मण्डल स्तर और प्रदेश स्तर पर इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रशासनिक इकाई जिला है और जिले स्तर पर चिन्हित करने का काम सरकार ने कर लिया है । मान्यवर, ऐसे अपराधी या माफिया जिनका कार्य क्षेत्र एक जिले से अधिक है और वह कई जिलों में टाप-टेन की सूची में हो सकते हैं । कुछ माफिया ऐसे हैं जिनके अपराध की काली छाया मड़राती रहती है तो क्या सरकार मण्डल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ऐसे माफियाओं को चिन्हित करने के लिए टाप-टेन की सूची बनायेगी ? इसी क्रम में जानना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी जिनके बारे में गर्व से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीना तानकर घोषणा की थी और अपनी पीठ थपथपायी थी कि श्रीप्रकाश शुक्ला को मार दिया गया, उस श्रीप्रकाश शुक्ला से इस कैबिनेट के कितने लोगों का सम्बन्ध रहा है, क्या इसका भी खुलासा करेंगे और क्या प्रदेश के कैबिनेट में भी सरकार टाप-टेन की सूची बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

केवल पहले अनुपूरक का उत्तर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने पहले ही उत्तर दिया कि प्रदेश स्तर और मण्डल स्तर पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोकहित में मैनपुरी जनपद में टाप-टेन के नामों को लिखित रूप में देना उचित नहीं होगा । हमारे भाई शाक्य जी बहुत चिन्तित हैं । माननीय मंत्री जी केवल इतना ही बताने का कष्ट करें कि उस टाप-टेन में माननीय शाक्य जी का नाम तो नहीं है, मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जनपद स्तर पर टाप-टेन एवं थाना स्तर पर टाप-फाइव के अपराधी चिन्हित किये गये हैं । क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि थाना स्तर पर टाप-फाइव और जनपद स्तर पर टाप-टेन अपराधियों की सूची बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के टाप-टेन अपराधियों की तैयार सूची में ऐसे लोगों के नाम हैं जो उत्तर प्रदेश की मंत्रि-मण्डल में शरीक हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, किसी भी माननीय मंत्री का नाम नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया कि मैनपुरी जनपद में टाप-टेन के नामों को लिखित रूप में देना लोकहित में समीचीन नहीं प्रतीत होता है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपके कक्ष में वह सूची ले आयें और हम वहीं उसको देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय मंत्री जी से मौखिक जानकारी प्राप्त कर लीजियेगा ।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को मकान भत्ता अनुमन्य करवाने की मांग

*2–श्री राम पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में केन्द्रीय कर्मचारियों से कम दर पर राजकीय कर्मचारियों को आवासीय भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या 1-1-1996 से संशोधित वेतनमान के आधार पर राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक राजकीय कर्मचारियों को किस तिथि से बढ़े हुए दर पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

राज्य सरकार इस प्रकार की कोई सूचना नहीं संकलित करती है ।

पंचम वेतन आयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति को भत्तों के सम्बन्ध में भी संस्तुतियां देनी थीं । मकान किराया भत्ता के विषय में समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी हैं । निर्णय होना शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जे०एल० बजाज की अध्यक्षता में गठित वेतन समिति की मकान किराया भत्ते में संशोधन विषयक संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं । इस पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तभी इसकी दर/प्रभावी तिथि बतायी जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*3–श्री अम्बरीष कुमार–

[4थे शुक्रवार में ता० प्र० सं०–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश में सिंचाई के प्रयोगार्थ डीजल इंजनों के क्रय पर व्यापार कर समाप्त करने की मांग

*4–श्री छोटे लाल गंगवार (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में सिंचाई के प्रयोग में आने वाले 5 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक के डीजल इंजनों पर कितना व्यापार कर लिया जाता है ? क्या यह अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई में प्रयोग आने वाले डीजल इंजनों पर व्यापार कर समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान समय में वाटर पम्प एवं पम्पिंग सेट के निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री करने पर साढ़े सात प्रतिशत कर देयता होती है । सभी अश्वशक्ति के डीजल इंजनों पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री करने पर 10 प्रतिशत की दर से कर देयता होती है । सिंचाई के प्रयोग में आने वाले पम्पिंग सेट, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प से संयोजित डीजल इंजन जिसे सामान्य रूप से पम्पिंग सेट के रूप में जाना जाता है, की बिक्री पर साढ़े सात प्रतिशत की दर से कर का दायित्व है ।

जी नहीं ।

सिंचाई के प्रयोग में आने वाले पम्पिंग सेटों/डीजल इंजनों की बिक्री पर कभी भी कर मुक्ति उपलब्ध नहीं रही है। अतः राजस्व के हित में पम्पिंग सेटों/डीजल इंजनों को व्यापार कर से मुक्ति किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वाटर पम्प व पम्पिंग सेट पर अन्य प्रान्तों बिहार, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में कर की दर क्रमशः 8 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत है। इस प्रकार पड़ोसी राज्यों की तुलना में वाटर पम्प व पम्पिंग सेट पर उत्तर प्रदेश में कर की दर अधिक नहीं है।

नोएडा में मनुष्य गुर्दा के अवैध धन्धे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*5–श्री श्यामदेव राय चौधरी

क्या सरकार को जानकारी है कि नोएडा में अवैध रूप से मनुष्य का गुर्दा निकालने और बेचे जाने के कई मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो इस अवैध धंधे में लिप्त व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने व दण्डित करने हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जी हां।

इस अवैध धन्धे में लिप्त पाये गये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये तथा विवेचना से जिन अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये गये उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जी हां, तो जी हां, में ऐसे कितने प्रकरण सरकार की जानकारी में आये हैं और उनके विरुद्ध कितनी संख्या में अपराध पंजीकृत हुआ है और इस पर क्या कार्यवाही हुई ? अब तक क्या स्थिति है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसे चार प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये। और इन चारों के विरुद्ध क्रमशः अभियोग संख्या 347/98, 249/98, 352/98, 369/98 पंजीकृत हुए। इन चारों में जो अभियुक्त जानकारी में आये उनमें से 21 अभियुक्तों में से सुभाष गुप्ता पर आरोप गलत पाया गया। 13 अभियुक्त नामजद थे और 8 अभियुक्त विवेचना के दौरान जानकारी में आये। इसमें से 11 अभियुक्त अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है शेष गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या यह जो प्रकरण जानकारी में आये थे उसमें कोई ऐसा भी प्रकरण है जिसमें नौकरी देने के बहाने ले जाकर वहां पर गुर्दा निकलवा लिया गया। इस पर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह चारों मामले ऐसे हैं जहां नौकरी का प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन देकर ले जाकर वहां पर गुर्दा निकलवा लिया। इसमें डाक्टर से लेकर जो रिक्शा पर बिठाकर ले गया वह भी इस साजिश में शामिल थे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अभी न्यूयार्क पैटर्न की बड़ी चर्चा की गयी । न्यूयार्क में एक व्यवस्था है वहां गुर्दे का जो भी डोनर है, वह पंजीकृत हो जाता है और उसका गुर्दा सुरक्षित रख दिया जाता है । प्रत्येक गुर्दे के डोनर का वहां पंजीकरण होता है बिना पंजीकृत कोई गुर्दा प्रत्यारोपित नहीं किया जाता है और अगर बिना पंजीकृत के गुर्दा प्रत्यारोपण की जानकारी प्रकाश में आती है तो डाक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है । इसके अलावा उस प्रकरण में जितने लोग शामिल होते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है । तो क्या गुर्दा प्रत्यारोपण के ऐसे मामलों में किसी प्रकार का सहयोग देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का प्राविधान बनाने की कोई योजना है व पंजीकरण के बारे में कोई योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह जो चार प्रकरण सामने आये थे उनमें धारा 308/326, 420/471, 468 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किये गये यह काफी कठोर धारायें हैं । जैसी स्थिति होगी उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

पंजीकरण के बारे में कोई योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

जब यह घटना सामने आयी उसके बाद प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि हर मण्डल में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाए जब तक कि समिति की अनुमति न मिले कोई भी गुर्दा प्रत्यारोपित नहीं होगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जो पंजीकृत गुर्दा हो उसी को प्रत्यारोपित किया जा सके बाकी गुर्दा प्रत्यारोपण को अवैधानिक माना जाए और इस अवैधानिक कार्य करने में जितने लोग सहयोगी हों उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो व्यवस्था वर्तमान में है, उसकी जानकारी मैंने दी है । यदि उस व्यवस्था का कोई उल्लंघन करता है तो उसका अपराध सीधा-सीधा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि यदि कोई अवैधानिक तरीके से गुर्दा लगा रहा है तो वह भी दोषी है ।

श्री हुकुम सिंह–

वह तो आज भी सीधे-सीधे भागीदार है ही ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गुर्दा निकाला गया और पुलिस में जब कम्पलेन्ट की गयी तो इन दोनों के बीच में कितने समय का अन्तराल है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका तो बहुत लम्बा विवरण देना होगा । आरोप-पत्र चला गया है, अब उसकी विवेचना होगी ।

प्रदेश में वैयक्तिक खाता लेखा मद में अवशेष धनराशि का नियमितीकरण न होने से विकास कार्य बाधित होने की शिकायत की जांच की मांग

*6–डा० धर्मज्ञ मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश भर में वैयक्तिक खाता लेखा के मद में छः हजार करोड़ रुपये की रकम अनियमित तरीके से पड़ी हुई है ? क्या सरकारी खातों में पड़ी रकम का नियमितीकरण न होने से कई विकास कार्य बाधित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में शीघ्र जांच कार्यवाही करके उचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वैयक्तिक खाता महालेखाकार की सहमति से वित्तीय नियमों के अधीन कोषागारों में खोला जाता है । धनराशियों के विधि अनुरूप जमा की जाती है तथा खाता प्रशासक द्वारा नियमानुसार संचालित होता है । 31 दिसम्बर, 1998 को पी०एल०ए० में 997.52 करोड़ रुपये धनराशि जमा थी ।

कोषागार में खाते नियमानुसार सतत् रूप व सीमित समय के लिये खोले जाते हैं और नियमानुसार संचालित होते हैं । कार्यों के बाधित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता । खाते नियमों के अधीन खोले गये हैं ।

अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

*7–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*8–श्री राजधारी–

[दिनांक 19-6-98 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित ।]

*9–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 17-2-99 को तारांकित प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेंस पत्रों का निर्धारण समय के अन्दर निस्तारण न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*10–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स के अन्तर्गत पत्रों के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त समय सीमा क्या है ? क्या जनपद अम्बेडकर नगर में उक्त समय सीमा के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन पत्र का निस्तारण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के आवेदन-पत्रों के निस्तारण हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी ।

व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद प्रार्थना-पत्रों को यथासम्भव तीन माह में निस्तारित करने के निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को दिये गये हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार शस्त्र लाइसेन्सों के आवेदन-पत्रों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर निस्तारण हो जाना चाहिए इसका औचित्य इसलिये यह था कि अनावश्यक रूप से जो विलम्ब हो रहा था और जगह-जगह पर शस्त्र के लाइसेंस चाहने वालों के साथ जो बारगनिंग की जाती थी उससे बचा जा सके, क्या उस शासनादेश का पालन हो रहा है इसके उत्तर में मंत्री जी ने लिखा है प्रयास किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर जनपद में शस्त्र लाइसेंस के कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने अम्बेडकर नगर के सारे प्रकरणों को विशेष रूप से देखा और वहां की स्थिति सबसे अच्छी है। 1998 में 773 लाइसेंस अम्बेडकर नगर में स्वीकृत किये गये। 58 मामले उत्तराधिकार के हैं, 24 मामले ट्रांसफार केसेज के थे, 211 स्वीकृत किये गये और 8-2-99 तक केवल 139 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। 52 मामलों में पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है और 83 मामलों में एस०डी०एम० की आख्या ठीक प्राप्त नहीं हुई है। इस शासनादेश के बाद तो स्थिति बहुत अच्छी हुई है। केवल 139 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं, उन पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? मान्यवर, आवेदन-पत्र प्राप्त होने के वर्षों बाद तक लाइसेंस जारी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में शासनादेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब शासनादेश में है कि तीन महीने के बाद जारी हो जाना समीचीन है तो जारी होगा अन्यथा रद्द हो जायेगा अर्थात् कार्यवाही तीन महीने में हो जानी चाहिए। तो मेरा कहना है माननीय मंत्री जी से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, औपचारिकतायें पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है। यह शासनादेश काफी प्रभावी रहा है। 98 में लाइसेंस दिये गये। 1999 में 211 स्वीकृत हैं जिसमें से 139 ऐसे हैं जिसमें प्रक्रिया चल रही है। 52 ऐसे हैं जिसमें पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं आयी। 83 ऐसे हैं जिसमें एस०डी०एम० और तहसीलदार की आख्या ठीक नहीं आयी। 4 मामले उत्तराधिकार के हैं। जो शासनादेश 3 जून, 1998 को जारी हुआ है उसके बाद में अपेक्षाकृत काफी सुधार हुआ है। एक मार्ग-निर्देशिका उनको दी गयी है। यह एक जूडिशियल पावर है कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उसके खिलाफ अपील का प्राविधान भी है। पीपुल एथोरिटी के रूप में सरकार यहां बैठी है। इसको मार्ग निर्देशिका देने का अधिकार है और मार्ग निर्देशिका इसीलिए दी है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, लाइसेंस देने की एक निश्चित प्रक्रिया है । तहसीलदार, एस०डी०एम० की रिपोर्ट होगी, जैसा मंत्री जी ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट होगी । मान्यवर, बहुत से मामले लम्बित हैं जिन पर पत्रावली कम्पलीट है । एस०डी०एम०, पुलिस की रिपोर्ट फेवर में है जिलाधिकारी महोदय के पास हम बार-बार जाते हैं तो भी उनका लाइसेंस स्वीकृत नहीं हो रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या कोई निश्चित मापदण्ड बनायेंगे जिससे लोगों को परेशानी न हो । शुरू में ही पुलिस रिकार्ड में कोई क्रिमिनल रिकार्ड होने पर रिजेक्ट हो जाय या फिर इस तरह से जो फाइल पूरी होने के बाद भी मामले लम्बित हैं उनके लिए कोई मापदण्ड निर्धारित करें ?

श्री हुकुम सिंह–

3 जून, 1998 के शासनादेश में निर्धारित किया गया है उसके बावजूद कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसका परीक्षण किया जाता है । गाइड लाइन दे दी गयी है और उसका प्रभाव अनुकूल हुआ है । कहीं कोई कमी रह जाती है तो देख लिया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां शस्त्र लाइसेंस के लिए सारी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भी मामले अभी लम्बित हैं । तहसीलदार स्तर पर आय का और पुलिस के माध्यम से अपराधिक इतिहास सम्बन्धित पूर्ण जानकारी होने के बाद भी हजारों की संख्या में पत्रावलियां लम्बित पड़ी हैं । माननीय मंत्री जी को चिन्ता हुई है इन्होंने शासनादेश जारी किया गया है, यह खुशी की बात है लेकिन इसमें जो समय सीमा निर्धारित की थी कि 3 माह के अन्दर निस्तारण किया जायेगा उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है फाइल पूरी होने के बाद केवल डी०एम० के हस्ताक्षर के लिए लम्बित हैं और उनका उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सारी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भी जो लम्बित हैं उनका तीन माह के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित हो सके । जैसा लालजी वर्मा जी ने कहा कि कितने लम्बित हैं तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 119 ही लम्बित रह गये हैं इसके लिए कोई दोषी नहीं है तो क्या अगर 1000 लम्बित होंगे तब कोई दोषी होगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब कोई प्रश्न का उत्तर दिया जाय तो उसका परिपेक्ष्य देखना पड़ता है । जब यह शासनादेश जारी किया गया था उस समय प्रार्थना-पत्र बहुत अधिक संख्या में लम्बित थे । वह लम्बित न रहें इसके लिए शासनादेश जारी किया गया । मैं कहना नहीं चाहता यदि कहूंगा तो फिर कहेंगे कि दोषारोपण कर रहे हैं । मान्यवर, ऐसी सरकार भी रही है जब लाखों की संख्या में उनके सामने लम्बित थे । कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर 25-30 हजार मामले लम्बित न रहे हों । जब यह शासनादेश जारी हुआ उस समय 2,500 मामले लम्बित थे और आज 139 हैं । बजाय इसके समझने के कि शासनादेश करके समस्या का समाधान किया है कार्यवाही की बात कह रहे हैं । सिर्फ हस्ताक्षर बनाने की ही बात नहीं है जितने शस्त्र उपलब्ध हो सकते हैं उसको भी देखना है जब से यह कार्यवाही चली है शस्त्रों के दाम कई-कई गुना बढ़ गये हैं ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हो रहे हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिन्हें विरासत में लाइसेंस मिलना है और लाइसेंस की सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी है, वह पुलिस विभाग में प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों के लाइसेंस

की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करायेंगे । दूसरी बात बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास बारूदी बन्दूक हैं और जो नील गाय भगाने का काम करते हैं उसी से उनकी जीविका चलती है तो क्या इसमें भी माननीय मंत्री जी आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा पहली श्रेणी वह है जो वृद्ध हो गये हैं तो उसके लिए शासनादेश स्पष्ट कर दिया गया है वह स्थानान्तरण की प्रक्रिया में आते हैं इसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि अगर कोई परिवार जिनके बारे में जानकारी हो कि वह अपराधी नहीं है तो उसका लाइसेंस न रोका जाए और उसे निर्गत किया जाए । दूसरी श्रेणी माननीय सदस्य ने वह बतायी जिनकी मृत्यु हो गयी है वह स्थानान्तरण के साथ उत्तराधिकार के केसेज हैं तो अगर उत्तराधिकारी के विरुद्ध पुलिस का रिकार्ड गलत नहीं है तो लाइसेंस तुरन्त निर्गत किया जाए । तीसरी श्रेणी नील गाय के बारे में बतायी वह भी इसी श्रेणी में आता है । जैसा मैंने बताया ।

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, सारी औपचारिकतायें पूरी होने के बाद हमारे यहां बिजनौर से लोगों को लखनऊ में नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आना पड़ता है लखनऊ में काफी समय लग जाता है तो हम माननीय मंत्री से चाहेंगे कि क्या नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट की पावर डी०एम० बिजनौर को डेलीगेट करने का कष्ट करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

यह जनपद विशेष की जानकारी चाहते हैं उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुत से प्रार्थना-पत्र तहसील स्तर पर, पुलिस स्तर पर लम्बित हैं मंत्री जी ने कहा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है कि पुलिस स्तर पर और तहसील स्तर पर लम्बित रहने के कारण कई महीने लग जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ऐसे निर्देश देंगे कि पुलिस स्तर पर या तहसील स्तर पर आवेदन-पत्र पंहुचने की समय सीमा निर्धारित हो जाए ताकि जल्दी निस्तारण हो सके ।

श्री हुकुम सिंह–

3 जून, 1998 में तहसील की समय सीमा निर्धारित है उसमें विलम्ब इसलिए होता है कि किसी व्यक्ति ने पता दिया और वह उपलब्ध नहीं है रहने वाला कहीं है और पता कहीं और का दिया हुआ है तो इसमें समय लगता है ।

जिला कारागार पीलीभीत में निरुद्ध टाडा बन्दियों पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार टाडा एक्ट हटाने की जानकारी

*11–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार पीलीभीत में निरुद्ध टाडा बन्दियों पर से टाडा ऐक्ट के अन्तर्गत लगायी गयी धाराओं को हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-10-98 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि समस्त वाद निर्णीत कर दिये जायें ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

आरोपों की गम्भीरता के कारण जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध श्री सुखदेव सिंह छीमा पर लगी टाडा की धाराएं नहीं हटायी गयी हैं और श्री प्रकट सिंह पर लगी टाडा की धाराएं हटा ली गयी हैं किन्तु मा० अभिहित न्यायालय, पीलीभीत द्वारा इस पर टाडा की धाराएं अभी समाप्त नहीं की गयी हैं जिसके कारण यह जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध है ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-10-98 से सम्बन्धित टाडा बन्दियों की कोई रिट याचिका शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में टाडा कानून हटाने और टाडा बन्दियों को रिहा करने के लिए लोक सभा में कोई कानून बनाया गया था और इसके अनुपालन में कितने कैदियों को रिहा कर दिया गया और कितने को निरुद्ध किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो इनका सवाल है वह यह है कि जिला कारागार पीलीभीत में निरुद्ध टाडा बन्दियों पर से टाडा ऐक्ट के अन्तर्गत लगायी गयी धाराओं को हटाया गया है या नहीं यह है । यह जो प्रश्न पूछा गया है उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से सूचना दे दीजिये ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, सुखदेव सिंह छीमा को 17 मुकदमों में निरुद्ध किया गया था । क्योंकि यह सुखदेव सिंह छीमा पंजाब का था तो क्या सरकार के पास सूचना है कि सुखदेव सिंह छीमा मार दिया गया है । इनको उनके नाम पर निरुद्ध किया गया है । जो 14 मुकदमें चले हैं उसमें कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ है । तीन मुकदमों में टाडा लगा रखी है...

श्री अध्यक्ष–

आपने जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि टाडा धाराओं को हटा दिया गया है या नहीं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान में टाडा कानून को समाप्त कर दिया गया है फिर सुखदेव सिंह छीमा पर क्यों लगायी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सुखदेव सिंह छीमा यह बी०टी०एफ० गैंग का कुख्यात अपराधी है और यह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था । यह पंजाब से पीलीभीत तक सारी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है । मान्यवर, जो इन्होंने कहा है कि एक्ट समाप्त कर दिया गया है तो यह 95 में समाप्त हो गया था । जो पुराने केसेज थे वह समाप्त नहीं हुए हैं । श्री प्रकट सिंह पर लगी धाराएं हटा ली गयी हैं किन्तु माननीय अभिहित न्यायालय, पीलीभीत द्वारा इस पर से टाडा की धाराएं अभी समाप्त नहीं की गयी हैं । जो पहले के अपराधी हैं यह इस एक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, हिन्दुस्तान में जो अलगाव वादी ताकतें हैं वह आज सिक्खों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिये ।

श्री गोपाल कृष्ण–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, 3-12-96 को इस तरह के आदेश हुए कि 26-12-98 तक यह सारे मुकदमें निर्णीत कर दिये जायें । लेकिन इसमें बार-बार तारीखें पड़ रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने इसमें निर्देश की तिथि 26-12-98 बतायी है ।

श्री गोपाल कृष्ण–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं सरकार के सिक्ख/अल्पसंख्यकों के प्रति अपनाये जा रहे रवैये के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री गोपाल कृष्ण सदन त्याग कर चले गये)

परिवहन विभाग में वर्तमान करों की दरों में कमी के प्रारूप की जानकारी

*12–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग में वर्तमान करों की दरों में कमी करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

सरकार द्वारा विचारोपरान्त उ० प्र० मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में आरोपित करों/अतिरिक्त करों में निम्नलिखित रूप में कमी करके उ० प्र० मोटर यान कराधान "संशोधन" अध्यादेश, 1999, दिनांक 20-1-99 को अधिसूचित कर दिया गया है :–

(1) (एक) ड्राइवर को छोड़कर 6 से अधिक किन्तु 12 से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाले परिवहन यानों पर वर्ग "ख" के मार्गों के लिए 250 रुपये त्रैमासिक कर (मार्गकर) को 201 रुपये कर दिया गया है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(दो) ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाले परिवहन यानों पर वर्ग "ख" के मार्गों के लिए प्रथम बारह सीटों के लिए त्रैमासिक कर (मार्गकर) को 250 रुपये के स्थान पर 201 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 25 रुपये के स्थान पर 8 रुपये कर दिया गया है ।

(तीन) ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाले परिवहन यानों पर वर्ग "ख" के मार्गों के लिए प्रथम 20 सीटों के लिए त्रैमासिक कर (मार्गकर) को 450 रुपये के स्थान पर 265 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 30 रुपये के स्थान पर 11 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है ।

(चार) ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाले परिवहन यानों पर वर्ग "ख" के मार्गों के लिए त्रैमासिक कर (मार्गकर) 900 रुपये के स्थान पर 438 रुपये और पैंतीस से अधिक प्रत्येक सीट के लिए 35 रुपये के स्थान पर 17 रुपये कर दिया गया है ।

(2) परिवहन यानों पर अतिरिक्त कर (यात्रीकर) प्रति सीट 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है ।

(3) आटो रिक्शा, टैम्पो, टैक्सी तथा अन्य टैक्सियों के लिए क्रमशः 225, 450 एवं 675 रुपये तिमाही अतिरिक्त कर दिया गया है ।

(4) माल वाहनों द्वारा कृषि, खनिज पदार्थ एवं पेट्रोलियम माल ढोने पर निर्धारित अतिरिक्त कर को आधा कर दिया गया है ।

(5) लाश के लिए प्रयुक्त होने वाली तथा शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों के लाने एवं भेजने में प्रयुक्त होने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न था उसका समुचित उत्तर आ गया है ।

*13–श्री रमेश राही

[दिनांक 16-2-99 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित]

नव सृजित जनपद महामायानगर में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की मांग

*14–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद महामायानगर में मानक के अनुसार पुलिस बल पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद महामायानगर में स्वीकृत 157 पुलिस बल के नियतन के सापेक्ष 147 पुलिस कर्मी तैनात हैं । अवशेष 10 रिक्त पदों को स्थानान्तरण व्यवस्था से भरे जाने का प्रयास जारी है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, महामायानगर अब हाथरस जनपद बन गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस बल तैनात किये जाने का मानक क्या है और जो संख्या दी है, वह नगर की दी है ? मैं पूरे जनपद की पूछ

रहा हूं। मैं जानना यह चाहता हूं कि निर्धारित मानक के अनुसार हाथरस जनपद में पुलिसकर्मी नियुक्त हैं अथवा नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिले की जनसंख्या के अनुसार मानक होता है। पूरे प्रदेश के बारे में जानना चाहें तो बता दूं कि एक लाख की जनसंख्या पर एक थाना होता है, एक थाने पर सब इंस्पेक्टरर्स की संख्या निर्धारित है। यह नव सृजित जनपद है और नया जनपद स्वीकृत होने के बाद 157 नये पद सृजित किये गये, शेष जो पहले से थे, वह तो हैं ही, इसके अलावा वहां थानों की संख्या भी बढ़ाई गयी है, चौकियों की संख्या भी बढ़ाई गयी। पूरे जनपद की जानकारी अगर चाहें तो बताना चाहूंगा कि कुल 1043 की संख्या वहां निर्धारित है, इसके सापेक्ष 1035 उपलब्ध हैं, केवल 10 का अन्तर है।

प्रदेश में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु कार्य योजना की जानकारी

*15–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनायें देश में सर्वाधिक हैं ? क्या वर्तमान शासन पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं को नियंत्रित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

अन्य प्रान्तों के तुलनात्मक आंकड़ों के अभाव में इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की जानी सम्भव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनायें देश में सर्वाधिक है।

पुलिस उत्पीड़न रोकने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर कड़े निर्देश निर्गत किये गये है, जिनके अनुपालन का अनुश्रवण जोन, रेन्ज, जनपद तथा थाना स्तर पर सुनिश्चित कराया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार के संज्ञान में है कि अब से 2 वर्ष पूर्व पुलिस उत्पीड़न के मामले में पी० यू० सी० एल० तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर था तो क्या वर्तमान सरकार ने पुलिस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये, पुलिस की कार्य-पद्धति में व्यवहारिक व्यवस्था परिवर्तन करने की कोई योजना बनाई है, यदि बनाई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक कार्य-योजना का प्रश्न है, वह बनाई गई है। कार्य योजना थाने से लेकर प्रदेश स्तर तक है, इसी के तहत थाना दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि वहां पर आम आदमी जा सके और वहां कोई गजटेड अफसर मौजूद हो और वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बराबर वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में समीक्षा की जाती है और उस पर कार्यवाही होती है। वर्ष 97-98 के आंकड़े मेरे पास हैं, उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि मुकदमें दर्ज कराये गये, विवेचना हुई है और कार्यवाही भी हुई है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा 1-12-98 का प्रश्न था और तब से अब तक अन्य प्रान्तों के तुलनात्मक आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जा सके। माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, मैं मेरठ जनपद की बात बताना चाहता हूं कि सप्ताह में एक बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

करते हैं, लेकिन वहां अब तक मई से केवल एक बार बैठक हुई है, क्या सरकार इस बात का संज्ञान लेकर इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनके जनपद में शासनादेश की अवहेलना हुई है और बैठक नहीं बुलाई गई है, निश्चित रूप से इसके बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के महानगरों में वाहन प्रदूषण के कारण उत्पन्न घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग

*16–श्री राम विशुन आजाद (अनुपस्थित)–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है जिससे जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से घातक बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

निर्धारित मानक से अधिक धुआं उत्सर्जन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और समय-समय पर वायु प्रदूषण की चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाये जाते है । सभी महानगरों में पेट्रोल–134 , डीजल–36 कुल 170 प्रदूषण जांच केन्द्र खुले हुए हैं । वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु पेट्रोल पम्पों पर प्रदूषण चेकिंग मशीनें लगायी गई हैं तथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी एक निर्धारित अवधि के लिये जारी किये जाते हैं ।

महानगरों में नगर बस सेवा संचालित किये जाने के बारे में भी शासन द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ में फैक्टरियों के दूषित पानी से काली नदी में जल प्रदूषण को रोकने के उपाय

*17–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मेरठ में बहने वाली काली नदी का पानी कई फैक्टरियों से निकलने वाले दूषित पानी से प्रदूषित हो गया है ? क्या यह भी सही है कि इस प्रदूषण से नदी के किनारे बसे लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जल प्रदूषण को रोकने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद मेरठ में बहने वाली काली नदी की जल गुणवत्ता की जांच की गई तथा जल मानकों से अधिक प्रदूषित है ।

जी नहीं । काली नदी का पानी पेयजल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है ।

जी हां । जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने भी माना है कि वहां का जल मानकों से ज्यादा प्रदूषित है । हैण्ड पम्पों का पानी भी पीने लायक नहीं है, तो जो विषाक्त पानी आ रहा है, उससे छुटकारा दिलाने की कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैंने कहा है कि काली नदी के पानी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और विषाक्त पानी की रोकथाम के लिये कार्यवाही की जायेगी । काली नदी के पानी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हैण्ड पम्प से भी जो पानी निकाला जाता है, वह भी दूषित होता है, इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के "जीवन रक्षक निधि" एवं "शिक्षा कोष" में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अंशदान की जानकारी

*18–श्री उदयराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों के परिवार के इलाज, शिक्षा आदि के नाम से वेतन में कटौती की जा रही है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यवस्था पर्याप्त न होने के बावजूद भी सुविधा शुल्क लिया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । पुलिस विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि" एवं "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष" में अंशदान दिये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[4 थे बुधवार में ता० प्र० सं० 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलरामपुर के उतरौला में पुराने राशन कार्डों पर वितरण एवं नवीन राशन कार्डों के वितरण की जानकारी

1–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला विधान सभा क्षेत्र जनपद बलरामपुर में राशन कार्ड न बनाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–एम–4/86–10/गोण्डा/97 दिनांक 30-9-97 प्राप्त हुआ है ? क्या वर्ष 1990–91 से वर्ष 1996-97 तक बिना राशन कार्ड के ही चीनी, चावल, मिट्टी तेल का वितरण किया जाता रहा है ? क्या नवीन राशन कार्ड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने राशन कार्ड नये बनाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

नोट :– नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । उतरौला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक 47,908 राशन कार्डों पर चीनी, चावल, मिट्टी के तेल का वितरण किया गया है ।

जी हां, इस विधान सभा क्षेत्र में 58,276 नवीन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री अजय भट्ट–

[दिनांक 26-2-99 को अता० प्रश्न संख्या–106 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० में स्टाम्प संबंधी लम्बित वाद निस्तारण की कार्य योजना की जानकारी

3–श्री राजधारी–

क्या वित्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टाम्प सम्बन्धी कितने विवाद उ० प्र० में लम्बित है और इनके शीघ्र निस्तारण के लिये शासन क्या कार्य योजना बना रही है ? क्या आवासीय रेट को कृषि रेट से कई गुना निर्धारण करने के कारण ये वाद हुए हैं ? क्या शासन इस रेट के अन्तर को संतुलित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

परिषद् में उपलब्ध विवरण के आधार पर जनवरी, 1999 तक कुल 97,984 वाद प्रदेश के जनपदों में लम्बित हैं ।

वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये शासन तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर निर्देश दिये जाते हैं ।

जी नहीं ।

रेट लिस्ट स्थानीय तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा तैयार की जाती है । जिसमें आवासीय दर तथा कृषि दर में यथा आवश्यक अन्तर रखा जाता है ।

जनपद महोबा डिपो के परिचालक बस नम्बर यू०पी० 93/3386 के विरुद्ध शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

4–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निकट संबंधियों को पास नं०–002210 को महोबा डिपो के परिचालक, बस नं०–यू०पी० 93/3386, ने पास को अवैध मानने व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र संख्या–378113, जो प्रमुख सचिव, परिवहन को 2 सितम्बर, 1998 को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई गई । जांच रिपोर्ट में चालक/परिचालक व परिवाद कर्ता से प्रतिपरीक्षण के आधार पर परिचालक को वैध पास को मान्यता प्रदान न करने एवं परिवाद कर्ता से वाद विवाद करने हेतु दोषी पाया गया ।

परिचालक को पाये गये दोषों हेतु एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने एवं चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के दण्ड के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके साथ ही वैध पास के विरुद्ध जारी टिकटों की धनराशि परिवादक को वापस करने के निर्देश भी निर्गत कर दिये गये हैं ?

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम में 1996-98 के मध्य अनियमित ढंग से नियुक्तियों के दोषी अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

5–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में अनियमित तरीके से हुई 1500 नियुक्तियों के दोषी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तत्कालीन परिवहन आयुक्त, प्रबन्ध निदेशक एवं प्रमुख सचिव को चार्जशीट दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चार्जशीट कब तक दे दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

परिवहन निगम में वर्ष 1996-97 में हुई नियुक्तियों पर कोई जांच नहीं हुई। वर्ष 1997-98 में चालकों की 447 रिक्तियों के विरुद्ध 750 चालकों की अनियमित तरीके से हुई नियुक्तियों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई गई है। प्राप्त जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परिवहन आयुक्त संगठन में वर्ष 1996-97 में अनियमित रूप से कोई नियुक्ति नहीं हुई। वर्ष 1997-98 में 109 तृतीय श्रेणी एवं 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की अनियमित रूप से नियुक्तियां की गई थी। ये अनियमित नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं। सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है।

परिवहन निगम में की गयी अनियमित नियुक्तियों के विषय में सतर्कता अधिष्ठान मे प्राप्त जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा परिवहन आयुक्त संगठन में हुई अनियमित नियुक्तियों के विषय में सी० बी० सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

6–श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

[दिनांक 24-2-99 को अता० प्रश्न संख्या–184 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर श्री कृष्ण किशोर बाजपेयी की मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा को समस्त महंगाई भत्ते का भुगतान न किये जाने के संबंध में जानकारी

7–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मृतक आरक्षी स्व० कृष्ण किशोर बाजपेयी जो वर्ष 1991 में जनपद सीतापुर के थाना रामकोट की पुलिस चौकी कटीली में तैनात थे, की मृत्यु के उपरान्त इनकी विधवा श्रीमती सुशीला देवी नि० ग्रा० अरसलिया पो० हरैया जिला हरदोई को समय-समय पर शासन द्वारा दिये जाने वाला महंगाई भत्ता आदि नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961/1975 के अंतर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन पर राहत की अनुमन्यता के संबंध में जारी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा-3–

ए–जी–41/दस–918–83 दिनांक 12-8-1983 में कतिपय शंकाओं के निराकरण हेतु प्रकरण शासन में विचाराधीन था जिसके कारण कोषागारों द्वारा असाधारण पेंशन पर राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

इस संबंध में शासनादेश संख्या 73 पी/छः–पु-6-96–1000(58)94 दिनांक 23-4-96 के अन्तर्गत असाधारण पेंशन में से केवल इसके मूल वेतन के अंश पर राहत का भुगतान कराये जाने के निर्देश जारी किये गये। तद्नुसार पंजाब नेशनल बैंक पिसावां, सीतापुर द्वारा दिनांक 15-2-99 को श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व० आरक्षी कृष्ण किशोर बाजपेई को 1-7-91 से जनवरी 99 तक की बकाया मंहगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

जनपद मथुरा थानाध्यक्ष गोवर्धन के विरुद्ध विधायक प्रकोष्ठ के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष गोवर्धन जिला मथुरा के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/11545/मथुरा/98, दिनांक 3-6-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के यहां प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

शिकायती-पत्र पर क्षेत्राधिकारी, गोवर्धन द्वारा जांच करायी गयी। जांच में थानाध्यक्ष पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस० टी० ए०) द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर को मार्गों हेतु जारी अस्थाई परमिटों को बढ़ाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

9–श्री राम ललित चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस०टी०ए०) द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक गोरखपुर को आगरा–अजमेर वाया भरतपुर मार्ग के लिये राजस्थान सीमा में प्रतिहस्ताक्षर शर्त के साथ 29 मई, 98 से 28 जून, 98 तक कोई अस्थाई परमिट जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी को नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में उन परमिटों को जनहित में आगे बढ़ाने के लिये जनपद बस्ती की जनता द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। दो अस्थाई परमिट जारी किये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन के प्रबन्धक श्री के० के० पाण्डेय को बिना आरोप पत्र के सेवामुक्त करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जवाहर भवन के पूर्व प्रबन्धक श्री के० के० पाण्डेय को अकारण बिना किसी आरोप-पत्र के सेवामुक्त कर दिये

जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक–ख–2–244899, दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 सं०–क–2–013320, दिनांक 16 जुलाई, 1998 एवं संख्या–क–2–029219, दिनांक 21 जुलाई, 1998 अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, 742 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार पूर्व प्रबन्धक को सेवा में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । पत्र प्राप्त हुए हैं । विचारोपरान्त श्री पाण्डेय के पुनर्नियुक्ति का औचित्य नहीं पाया गया । अतः श्री पाण्डेय को सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी की तहसीलों को समानुपात में तेल का आवंटन न होने संबंधी प्रकरण की जांच की मांग

11–श्री राम नक्षत्र–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कुल आवंटन का कितने प्रतिशत तेल तहसील हैदरगढ़ जाता है और कितने प्रतिशत तेल अन्य तहसीलों को ? क्या सभी तहसीलों को एक ही अनुपात में तेल का आवंटन नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार दिनांक 1-1-1996 से चल रहे इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बाराबंकी का मिट्टी तेल का कुल मासिक आवंटन 2067 कि० ली० निर्धारित है । कुल मासिक आवंटन के सापेक्ष 18.90 प्रतिशत तहसील हैदरगढ़ के लिये तथा शेष 81.10 प्रतिशत अन्य पांच तहसीलों एवं बाराबंकी नगर के लिये आवंटित किया जाता है ।

सभी तहसीलों को पूर्व से चले आ रहे ऐतिहासिक आधार पर मासिक आघंटन किया जाता है ।

दिनांक 1-1-96 से चले आ रहे किसी प्रकार के घोटाले का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, अपितु एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अपर आयुक्त, खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है ।

जनपद मथुरा, थाना बरसाना, ग्राम बझेड़ा के श्री भोजी पुत्र नन्दू को रिहा कराये जाने विषयक विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दी श्री भोजी पुत्र नन्दू गांव बझेड़ा, थाना बरसाना, जिला मथुरा, निरुद्ध सेन्ट्रल जेल, आगरा को रिहा कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/12590/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98 प्रमुख सचिव, गृह कारागार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां । बन्दी भोजी पुत्र नन्हू निवासी जिला मथुरा का जेल आचरण असंतोषजनक होने के कारण वह शासनादेश सं०– 2748/22-2-98-18(115)/98 दिनांक 12-8-98 में निर्धारित शर्तों के अधीन समय पूर्व मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस विभाग से संबंधित शिकायती-पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही के आदेश

13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं० 73 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत दोनों पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही के आदेश किसे दिये गये थे

और क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के विरुद्ध किन-किन स्तरों पर किन के द्वारा की गयी ? परिणाम क्या प्राप्त हुए ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत दोनों पत्रों के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

जनपद मेरठ, तहसील सरधना में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने की योजना

14–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जनपद की तहसील सरधना में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? उक्त मुंसिफ कोर्ट कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सरधना जनपद मेरठ में मुंसिफ न्यायालय अब सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय की स्थापना पर्यटक आवास गृह में किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उक्त मुंसिफ कोर्ट की शीघ्र स्थापना हेतु सरकार सक्रिय रूप से प्रयासरत है । वित्तीय व्यवस्था होने पर न्यायालय स्थापित किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम, नरौरा डिपो से विभिन्न मार्गों पर बस चलाने की प्रश्नकर्ता की मांग पर कार्यवाही की जानकारी

15–श्री नेतराम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह जून, 1998 के प्रथम सप्ताह में नरौरा डिपो से परि० निगम की बस अतरौली, कासगंज फर्रुखाबाद वाया कानपुर लखनऊ चलाने की मांग मा० मुख्य मंत्री से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त बस चलाई गयी ? यदि नहीं, तो बस न चलाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां, बस दिनांक 6-7-98 से चलाई गई थी किन्तु असंतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के कारण संचालन दिनांक 24-7-98 को बन्द कर दिया गया था । पुनः दिनांक 4-2-99 से बस संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने की मांग

16–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट खोलने के लिये किराये के भवन संबंधी जिलाधिकारी आजमगढ़ का प्रस्ताव पत्रांक सं० 386 दिनांकित 18-4-98 शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के आधार पर मुन्सिफ कोर्ट–लालगंज आजमगढ़ में कब से कार्य करने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उल्लिखित पत्र न्याय विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में धान क्रय केन्द्रों पर खरीद के विवरण की जानकारी

17–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में सन् 1998-99 में धान क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की गयी है ? यदि हां, तो उक्त तहसील के धान क्रय केन्द्रों से सत्र, 1998-99 में कुल कितने किसानों से कितना धान खरीदा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

तहसील लालगंज के धान क्रय केन्द्रों पर सन् 1998-99 में 40 किसानों से 71.25 मी० टन धान क्रय किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा भा० ज० पा० किसान मोर्चा के अध्यक्ष का सहकारी समितियों के धन का गठन विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

18–श्री नेतराम सिंह

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के भा० ज० पा० किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ठाकुर गुलाब सिंह, प्रवक्ता द्वारा श्री सुरेश चन्द्र शर्मा सहकारी पर्यवेक्षक जनपद–मथुरा का शिकायती-पत्र, जो सहकारी समितियों के धन का गबन व गंभीर वित्तीय मामलों से संबंधित है, दिनांक 18-9-98 को उन्हें, सचिव, सहकारिता तथा निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री "पटेल" रामकुमार वर्मा)–

जी हां ।

उपनिबन्धक, आगरा से जांच करायी गयी । उपनिबन्धक ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत शिकायती-पत्र को आंशिक रूप से सही पाया है । अतः दोषी चार अधिकारियों को चेतावनी देने, एक सहकारी पर्यवेक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि देने व एक वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश उपनिबन्धक,आगरा मण्डल द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में जारी शस्त्र लाइसेन्सधारियों का विवरण

19–श्रीमती माया प्रसाद

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1995 तथा 1996 में कितने व्यक्तियों को असलहा लाइसेन्स जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं ? उनके नाम एवं पते क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद खीरी में वर्ष 1995 में 693 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं तथा वर्ष 1996 में कोई शस्त्र लाइसेन्स निर्गत नहीं किया गया है ।

वर्ष 1995 में जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं उनके नाम एवं पते की सूची संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में देखी जा सकती है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में विगत वर्ष में सामान्य/आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को जारी शस्त्र लाइसेन्स का विवरण

20–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1997 तथा 1 जनवरी, 1998 से नवम्बर, 1998 तक कितने असलहा लाइसेन्स जिलाधिकारी द्वारा दिये गये ? उन लाइसेन्सदारों में कितने सामान्य तथा कितने आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं एवं उनके नाम एवं पते क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद खीरी में वर्ष 1997 में 1156 तथा जनवरी, 1998 से नवम्बर, 1998 तक 1500 नये व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ।

उ० प्र० आयुध नियमावली एवं आदेश 1935 (नियम–169) द्वारा निर्धारित अपेन्डेक्स–IX, प्रपत्र–जी (शस्त्र लाइसेन्स रजिस्टर) एवं शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र में जाति का कालम निर्धारित नहीं है । अतः वर्तमान में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपेक्षित सूचना दिया जाना संभव नहीं है । जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं उनके नाम एवं पते की सूची संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में देखी जा सकती है ।

जनपद मथुरा, थाना सुरीर में मृतका के मुल्जिमों को जेल भेजने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

21–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 126/95, धारा 498ए, 304बी, 209आई०पी०सी० थाना सुरीर, जिला मथुरा मृतका के मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/12586/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर नगर के प्रारम्भिक सहकारी बैंक में भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

22–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र संख्या 046486, दिनांक 31 जुलाई, 1998 जो ओ० ई० एफ० प्रारम्भिक सहकारी बैंक, कानपुर (नगर) में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई एवं जांचोपरान्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–68 (1) की कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली विकास खण्ड भदपुरा की साधन समितियों द्वारा कृषकों को खाद व बीज वितरण का प्रकरण

23–श्री छोंटे लाल गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली विकास खण्ड भदपुरा की साधन सहकारी समितियों द्वारा परसरामपुर-कुंवरपुर, तुलसी पट्टी, भौआ बाजार व सुन्नौर देश नगर के कृषकों को खाद व बीज हेतु ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कृषकों को ऋण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद बरेली विकास खण्ड भदपुरा की समिति परसरामपुर, कुंवरपुर, तुलसी पट्टी, भौआ बाजार एवं सुन्नौर देश नगर में खाद, बीज हेतु ऋण वितरण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली के श्री अकरम रजा खां को नौकरी के बहाने जालंधर शहर ले जाकर किडनी निकालने के विरुद्ध थाना नाका लखनऊ में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

24–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ के किसी युवक को नौकरी देने का धोखा देकर जालंधर ले जाने और उसकी दाहिनी ''किडनी'' निकाल लिए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिये जाने हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पीड़ित युवक श्री अकरम रजा खां पुत्र अहमद रजा खां, मूल निवासी बिहारी कला पीर धोड़ा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ने दिनांक 6-11-1998 को थाना कोतवाली नाका, लखनऊ में यह प्रार्थना-पत्र दिया कि वह लखनऊ शहर में रिक्शा चलाता है । दिनांक 13-3-1998 को श्री रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी 30–सी०, फ्लैट नं०–I अशोक बिहार दिल्ली ने उसको नौकरी का लालच देकर जालन्धर में 26-4-98 को उसका आपरेशन करवाया और उसकी किडनी निकलवाकर अपनी पत्नी श्रीमती उर्मिला गुप्ता को प्रत्यारोपित करवा दी ।

श्री अकरम की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली नाका में मुकदमा अपराध सं०–468/98 धारा 342/346/365/367/326/308/417 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग की विवेचना प्रभावी रूप से की जा रही है ।

इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को प्रदेश में भी लागू किया गया है । प्रत्येक मण्डल की प्रदेश में स्थित किसी न किसी मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किया गया है और मण्डल स्तर पर प्राधिकरण समिति का गठन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई कारागार में गर्मी से राहत हेतु बिजली पंखों की व्यवस्था

25–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कारागार मंत्री जनपद हरदोई में कारागार में बन्द बन्दियों की बैरकों में भीषण गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बिजली पंखे लगाये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं कारागारों में उपलब्ध स्वीकृत विद्युत भार को देखते हुए अभी शासन स्तर से प्रदेश की सभी कारागारों की पुरानी बैरकों में पंखे लगवाये जाने का निर्णय नहीं लिया गया। किन्तु अब जो नयी बैरकें विभिन्न योजनाओं मे बनेवाई जा रही है। उनमें बिजली के पंखों की व्यवस्था भी की जा रही है।

जिला कारागार, हरदोई में भी वर्ष 98-99 में 30-30 बन्दी क्षमता की 02 नयी बैरकों का निर्माण प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बंदियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कारागार विभाग द्वारा तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर बैरकों में पंखे लगवाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बैंक डकैती/लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना की जानकारी

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1998 में कितनी बैंक डकैती/लूट की घटनायें हुईं और कितनों में अभियुक्तगण पकड़े गये और कितनों में माल बरामद किया गया ? क्या सरकार प्रदेश में इस तरह की बढ़ रही घटनाओं की रोकथाम के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश में वर्ष 1998 के दौरान कुल 9 बैंक डकैती तथा 13 बैंक लूट की घटनाएं घटित हुई। बैंक डकैती की 6 घटनाओं एवं बैंक लूट की 8 घटनाओं में अभियुक्त पकड़े गये तथा लूटा गया माल बरामद किया गया।

जी नहीं। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर शासन एवं पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय परिवहन डिपो हरदोई की गाड़ियों की कमी से संचालन में बाधा को दूर करने की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि राजकीय परिवहन डिपो हरदोई में कुल 32 गाड़ियों के स्टाक में मात्र 20 संचालित हो रही हैं और अन्य गाड़ियां सामान के डिफेक्ट के कारण खड़ी रहती है ? क्या यह सही है कि दस से बारह गाड़ियां सामान के अभाव में प्रतिदिन डिपो में खड़ी रहती हैं व दो गाड़ी प्रति रोड पर खराब खड़ी रहती हैं तथा नौ गाड़ियां फर्रुखाबाद होकर दिल्ली एक पिहानी होकर दिल्ली मात्र दो गाड़ियां प्रतिदिन कानपुर एवं एक सीतापुर चल रही हैं हरदोई डिपो से कानपुर के लिये दस गाड़ियों का परमिट बना है, इसके विपरीत संचालित बसों की संख्या नाममात्र की है ? क्या यह सही

है कि इससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है ` क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर व्यवस्था में सुधार कर जनता को कष्टों से छुटकारा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अप्रैल, 98 से दिसम्बर, 98 तक हरदोई डिपो में औसतन 30 बसों का बेड़ा था । जनवरी, 1999 में 27 बसों का बेड़ा था । अप्रैल, 98 से दिसम्बर, 98 तक औसतन 25 बसों का संचालन प्रतिदिन किया गया । जनवरी, 99 में 21 बसें संचालित हुई । कोई बस डिफेक्टिव सामान के कारण खड़ी नहीं रही ।

हरदोई डिपो की अप्रैल से दिसम्बर माह तक औसतन 5 बसें प्रतिदिन आफ रोड रही हैं । अप्रैल, 98 से अक्टूबर, 98 की अवधि में औसतन प्रतिमाह 19 वाहनों का मार्ग में ब्रेकडाउन हुआ । नवम्बर, 98 में यह संख्या घटकर 14 तथा दिसम्बर में 10 रह गयी ।

हरदोई डिपो की 10 बसें प्रतिदिन हरदोई–दिल्ली–फर्रुखाबाद तथा दो बसें हरदोई–दिल्ली–पिहानी मार्ग पर संचालित हो रही है । 4 गाड़ियां प्रतिदिन कानपुर एवं एक गाड़ी प्रतिदिन सीतापुर चल रही है ।

लखनऊ क्षेत्र के हरदोई डिपो को हरदोई–उन्नाव अराष्ट्रीयकृत मार्ग के 10 परमिट स्वीकृत हैं । इन 10 परमिटों के आधार पर हरदोई–उन्नाव होते हुए कानपुर तक हरदोई डिपो की 4 बसें संचालित हैं ।

जी नहीं । उक्त मार्ग पर फजलगंज डिपो की दो (2) विकास नगर की 6 तथा हरदोई डिपो की 4 बसें अर्थात कुल 12 बसें संचालित हैं । इसके अतिरिक्त हरदोई–उन्नाव अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर बड़ी संख्या में निजी बसें भी संचालित हैं जिसके कारण राजस्व की हानि नहीं हो रही है ।

हरदोई–कानपुर मार्ग पर परिवहन निगम की बसों के संचालन की ऊपर अंकित स्थिति को देखते हुए एवं हरदोई–उन्नाव के बीच में प्राइवेट बसों के संचालन की स्थिति को देखते हुए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद चित्रकूट थाना मनिकापुर पुलिस दस्यु गिरोह मुठभेड़ सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

28–श्री ददू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-8-98 को थाना मनिकापुर जिला चित्रकूट की पुलिस ने किसी दस्यु गिरोह से मुठभेड़ की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मुठभेड़ के संबंध में विधायक श्री आर० के० पटेल व प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-8-98 पत्रांक 55/वि०मा०/98 प्रमुख सचिव, गृह व मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस प्रकरण की सी० बी० सी० आई० डी० जांच करवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 1-8-98 को थाना मनिकापुर जिला चित्रकूट की पुलिस की चमरोहा जंगल में ददुआ दस्यु गिरोह से मुठभेड़ हुई थी ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र के संबंध में क्षेत्राधिकारी मऊ से जांच करायी गयी । जांच से पाया गया कि प्रश्नगत पत्र में लगाये गये आरोपों में बल नहीं है । अतएव प्रकरण की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद चित्रकूट थाना राजापुर ग्राम खोंवा में सामूहिक बलात्कार की शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

29–श्री ददू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-10-98 को ग्राम खोंवा थाना राजापुर जिला चित्रकूट में एक अविवाहित बालिका के साथ दो लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार की शिकायत उन्हें प्राप्त

हुयी थी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–73/वि०मा–98 दिनांक 16-10-98 प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दिनांक 8-10-98 को आवेदिका की लिखित सूचना पर थाना राजापुर में अभियोग अपराध संख्या–114/98 धारा–354 भा०द०वि० बनाम श्याम सूरत व सूरजभान पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक श्री सूबेदार सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी । वादिनी और गवाहों के बयान के आधार पर उक्त अभियुक्तगण को जेल भेजा गया ।

वादिनी के मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई । इस अभियोग की निष्पक्ष विवेचना हेतु विवेचना थाना राजापुर से हटाकर थाना पहाड़ी को स्थानान्तरित कर दी गयी है ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, कल्याण निगम डिपो को सुचारु रूप से चलाये जाने की मांग

30–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सण्डीला तहसील जनपद हरदोई में स्थित कल्याण निगम डिपो में उपभोक्ताओं के क्रय हेतु भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जबकि वहां निगम के कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिपो में सभी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने एवं उक्त डिपो को सुचारु रूप से चलाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

तहसील डिपो सण्डीला जनपद हरदोई को लगातार हानि पर रहने के कारण निगम के आदेश दिनांक 28-11-98 द्वारा बन्द किया जा चुका है । वर्तमान में वहां पर कोई भी निगम कर्मचारी तैनात नहीं है । फलस्वरूप उक्त डिपो को चलाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा थाना गोवर्धन में पुलिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

31–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में मुकदमा अपराध संख्या–170/97 धारा 364 आई० पी० सी० में पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रार्थना-पत्र के संबंध में पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–3/12714/मथुरा/98, दिनांक 1-7-98 पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के कार्यालय में दिनांक 20-7-98 को प्राप्त हुआ था । इसके साथ संलग्न श्री राम बाबू के प्रार्थना-पत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक, मथुरा से जांच करायी गयी ।

घटना का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०–170/97 धारा 364 भा०द०वि० की विवेचना के दौरान अभियुक्त (गोपाल) प्रकाश में आया । जिसके विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही की गयी और वह दिनांक 19-6-98 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जेल गया तथा उसके विरुद्ध दिनांक 12-7-98 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है । नामित दो अभियुक्तों (दुली चन्द्र व रमन) को दिनांक 28-11-97 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दिनांक 11-2-98 को प्रेषित किया गया है । उक्त अभियोग की विवेचना

जारी है । अपहृत व्यक्ति व टैक्टर की बरामदगी शेष है । जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद मथुरा सहकारी समिति लि० रैपुरा जाट पूर्व सचिव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच/कार्यवाही की मांग

32–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित सहकारी समिति लि० रैपुरा जाट द्वारा पूर्व सचिव, श्री वीरपाल सिंह व आंकिक श्री रनवीर सिंह द्वारा की गयी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/12709/मथुरा/98, दिनांक 1-7-98, रजिस्टार, सहकारी समितियां को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच कराई गई । शिकायतकर्ता के खाते में अनुदान की धनराशि अनुदान दिये जाने की तिथि से प्रविष्टि की तिथि तक के ब्याज सहित प्रविष्टि करा दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति करने की मांग

33–श्रीमती गौरी देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य विभाग के हाट शाखा के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति विपणन निरीक्षक के पद पर लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के अनुसार की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम) संशोधन नियमावली, 1993 में निहित व्यवस्था के अनुसार पात्रता सूची तैयार किये जाने के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका सं०–1131/91 महमूद हसन व अन्य बनाम राज्य सरकार में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-1-97 के अनुपालन में तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर विपणन निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर थानाध्यक्ष खजनी द्वारा मंझरिया गांव के निरपराध लोगों को प्रताड़ित करने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34–श्रीमती गौरी देवी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष–खजनी, गोरखपुर द्वारा मंझरिया ग्राम के कुछ निरपराध लोगों को प्रताड़ित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-98, प्रमुख सचिव, गृह एवं डी० जी० पुलिस को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त उक्त पत्र में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई की जीर्ण-शीर्ण जेल बैरकों के स्थान पर नई बैरकें बनवाने की मांग

36–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की जेल की बैरक लगभग 100 वर्षों पूर्व बनाई गई थी ? क्या उक्त बैरक कैदियों की संख्या के हिसाब से काफी कम तथा जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर पुरानी बैरकों के स्थान पर नई तथा पर्याप्त बैरकें बनाई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

यह सही है कि जनपद हरदोई में जिला कारागार की बैरकें लगभग 100 वर्ष पुरानी हैं जिनकी बन्दी क्षमता 546 है । बैरकें सामान्यतः ठीक हालत में हैं और आवश्यकतानुसार इनकी मरम्मत धन की उपलब्धता के आधार पर कराई जाती है । यद्यपि कारागार में बन्दियों की वास्तविक संख्या उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक है । तथापि निर्माण के आकार को देखते हुए इस आधिक्य को कारागार में सुचारु रूप से समायोजित किया जाता है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में इस कारागार में 30-30 बन्दी क्षमता की दो अतिरिक्त बैरकें निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव है ।

जनपद गोण्डा तहसील मुख्यालय मनकापुर में बस डिपो खोलने की मांग

37–श्री राम विशुन आजाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय मनकापुर में बस डिपो खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बस डिपो कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मनकापुर से होकर संचालित परिवहन निगम की बसों की सीमित संख्या एवं यात्रीभार को देखते हुए मनकापुर में बस डिपो बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद जालौन की कोतवालियों में पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की मांग

38–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की कोतवाली जालौन उरई तथा कालपी में निरीक्षकों के पद रिक्त होने पर उप निरीक्षकों को कोतवाली प्रभारी बनाया गया है जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अपराधों में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

कोतवाली जालौन उरई तथा कालपी के प्रभारी निरीक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार सिंह व श्री सीताराम मधुकर के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । तीसरे निरीक्षक श्री डी०डी० चतुर्वेदी का स्थानान्तरण जालौन के लिए हुआ था जो संशोधित होकर अब जनपद

जौनपुर के लिए किया गया है । उनके स्थान पर अन्य निरीक्षक की तैनाती के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा–जसपुरा, ग्राम बरेहटा में मिट्टी के तेल वितरण में अनियमितता की शिकायत सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

39–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के जिला अधिकारी को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-9-98 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत ग्राम बरेहटा के मिट्टी के तेल के वितरण में विक्रेता द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । पत्र दिनांक 29-9-98 नहीं बल्कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित पत्र संख्या 335441, दिनांक 27-8-98 प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी, बांदा द्वारा किये जाने पर शिकायतें सही पायी गई । अतः ग्राम पंचायत बरेहटा के कोटेदार श्री बुद्धराज का फुटकर मिट्टी तेल का लाइसेन्स दिनांक 6-2-99 को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, जसपुरा, ग्राम बरेहटा, गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारकों को गेहूं वितरण में अनियमितता की जांच

40–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम बरेहटा को कुल कितने किलो गेहूं जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक विक्रेता को वितरण हेतु दिया गया ? कुल गेहूं में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को कितना गेहूं दिया गया ? ग्राम बरेहटा में गरीबी रेखा के कार्ड धारकों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि विक्रेता द्वारा गेहूं वितरण न करके बाजार में बेच दिया गया ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम बरेहटा के श्री भगवानदास उचित दर विक्रेता को माह जनवरी, 98 से दिसम्बर, 98 तक कुल 11,118 किलोग्राम (ग्यारह हजार एक सौ अट्ठारह कि० ग्रा०) गेहूं गोदाम प्रभारी उ० प्र० रा०ख०आ०व० निगम जसपुरा द्वारा निर्गत किया गया । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारकों को वितरण हेतु 6,930 कि०ग्रा० (छः हजार नौ सौ तीस कि०ग्रा०) गेहूं दिया गया है । बरेहटा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड धारकों की संख्या 90 (नब्बे) है । संबंधित विक्रेता के विरुद्ध गरीबी रेखा के गेहूं के वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी । जांच में पायी गयी अनियमितता के आधार पर उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया तथा विक्रेता के विरुद्ध दिनांक 13-2-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत थाने में दर्ज करा दी गयी है ।

जनपद चित्रकूट, सरधुवा तथा शिवरामपुर को नया थाना बनाने के प्रस्ताव की जानकारी

41–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में सरधुवा तथा शिवरामपुर को नया थाना बनाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा में सरधुवा में थाना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । अपितु वहां पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जो सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शिवरामपुर को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जो शासन में विचाराधीन है ।

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शिवरामपुर को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद चित्रकूट में, जनपद बांदा के थाना बदौसा/कमासिन से सम्बद्ध ग्रामों को चित्रकूट के थानों से सम्बद्ध करने की मांग

42–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में कितने ग्राम जिला बांदा के थाना बदौसा तथा थाना–कमासिन से सम्बद्ध हैं ? क्या इन ग्रामों को जिला चित्रकूट के थानों से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार चित्रकूट के 7 ग्राम जिला बांदा के थाना बदौसा से तथा 14 ग्राम थाना कमासिन से सम्बद्ध हैं ।

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण पाये जाने पर ।

नव सृजित जनपद हाथरस में जेल निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की मांग

43–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद हाथरस में जेल के निर्माण हेतु जमीन की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कहां और कितनी जमीन अधिग्रहीत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

नव सृजित जनपद हाथरस में कारागार निर्माण हेतु अभी स्थल चयन नहीं हुआ है । इस संबंध में जिलाधिकारी हाथरस से प्रस्ताव मांगा गया है ।

जनपद एटा कान्सटेबुल राजेन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह द्वारा अपहृत को मुक्त कराने एवं इस सराहनीय कार्य हेतु आउट आफ टर्न प्रमोशन दिलाने का प्रकरण

44–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-12-97 कां० 487 ना० पु० राजेन्द्र सिंह, कां० 386 ए० पी० वीरेन्द्र सिंह द्वारा जनपद एटा के थाना पिलुआ के अन्तर्गत बैंक मैनुअल को अपहरणकर्ताओं से अपनी जान पर खेलकर मुक्त कराया था ? क्या इस सराहनीय कार्य हेतु सरकार

द्वारा आउट आफ टर्न प्रमोशन हेतु आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या इनका प्रमोशन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनका प्रमोशन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उक्त घटना दिनांक 18-10-97 की है ।

जी नहीं ।

इस घटना में किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा अदम्य साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया गया बल्कि कान्स० राजेन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीणों व थाना पिलुआ जनपद एटा की पुलिस के साथ कौम्बिंग फायरिंग करके अपहरणकर्ताओं को खदेड़ दिया और अपहरणकर्ता अपहृत को छोड़कर फरार हो गये ।

अतएव गठित समिति द्वारा इस घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने की संस्तुति नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, कानपुर रोड पर कतिपय डिपो से परमिट के अनुसार सभी बसों को संचालित किए जाने की मांग

45–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई-कानपुर रोड पर फजलगंज कानपुर डिपो से बस चलाने हेतु सात परमिट दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या मात्र दो-तीन बसें चल रही हैं ? क्या परमिट के आधार पर सात बसें चलायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विकास नगर डिपो से चलने वाली बसों के नौ परमिट बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सभी बसें चलायी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक परमिट के आधार पर 9 (नौ) बसें संचालित की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

हरदोई–कानपुर मार्ग के लिए कोई परमिट स्वीकृत नहीं है, अपितु उन्नाव–हरदोई मार्ग के लिए कानपुर क्षेत्र को आठ परमिट स्वीकृत हुए ।

जी नहीं, प्रतिदिन आठ बसों से 15 डिपो का संचालन किया जा रहा है ।

स्वीकृत परमिट के आधार पर आठ बसें संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, विकास नगर डिपो के लिए अलग से कोई परमिट स्वीकृत नहीं है ।

उपरोक्त आठ परमिटों के आधार पर आठ बसें संचालित की जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत परमिटों के आधार पर बसें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, कोतवाली उरई थाना कोटरा में पंजीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त/केस डायरी के साथ न्यायालय में उपस्थित न होने पर कार्यवाही

46–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की कोतवाली उरई तथा थाना–कोटरा में पंजीकृत अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के वादों की सम्यक तफतीश व गवाहों

के बयानात न लिये जाने के कारण न्यायालय द्वारा जांचकर्ता अधिकारी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो जांचकर्ता अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

तथ्य यह है कि सम्बन्धित न्यायालय ने विवेचनाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और केस डायरी के साथ विवेचनाधिकारी स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अतः विवेचनाधिकारी द्वारा रिमाण्ड हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया ।

उक्त लापरवाही के कारण विवेचना अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत पत्रावली पर भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विगत वर्ष बैंक डकैतियों के विवरण की जानकारी

47–श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में कुल कितनी बैंक डकैतियां हुईं ? उन डकैतियों में कुल कितना धन लूटा गया ? क्या उक्त बैंक डकैतियों के अपराधियों को बन्दी बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1997 एवं 1998 में क्रमशः कुल 7 व 9 बैंक डकैती की घटनाएं घटित हुई ।

उन बैंक डकैतियों में क्रमशः कुल रु० 17,58,384/= एवं रु० 98,47,362/= लूटा गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक जगदीशपुर, सहकारी संघ पूरब गांव में खाद्य वितरण में धांधली हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक–जगदीशपुर के सहकारी संघ पूरब गांव (सरेसर) में उपलब्ध खाद को सदस्यों को न देकर गैर सदस्यों में ब्लैक करने की शिकायत जनपद की सिंचाई बन्धु की दि० 10-11-98 की बैठक में उपस्थित उप कृषि निदेशक को शिकायती-पत्र दिनांक 16-11-98 को मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर को पत्र लिखकर की गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब और किसके द्वारा जांच करायी गयी तथा जांच परिणाम क्या है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' रामकुमार वर्मा–

जी हां ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जगदीशपुर के गांव सरेसर में सहकारी संघ नहीं बरन साधन सहकारी समिति लि० पूरबगांव स्थित है । दिनांक 11-11-98 को उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी मुसाफिरखाना सुल्तानपुर द्वारा तथा दि० 26-11-98 को जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां सुल्तानपुर द्वारा जांच की गयी । जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री मूल चन्द–

[दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं० 187 द्वारा उत्तरित]

जनपद चित्रकूट, पुलिस संरक्षण में अवैध शराब बिक्री को रोकने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

50–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 77/ वि०मा०/98 दिनांक 23-10-98 जो जिला चित्रकूट में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के संबंध में था, पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत-पत्र दिनांक 23-10-98 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र द्वारा जांच करायी गयी । जांच में उक्त श्री मदन सिंह प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर उन्हें जनपद चित्रकूट से दिनांक 31-12-98 को सी०बी०सी०आई०डी०, लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चित्रकूट निरीक्षक कोतवाली कर्वी के विरुद्ध जांच आख्या की जानकारी

51–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निरीक्षक कोतवाली, कर्वी जिला चित्रकूट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की अक्टूबर, 1998 में मानवाधिकार प्रकोष्ठ, पुलिस महानिदेशक द्वारा जांच करवायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं तथा जांच आख्या के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रभारी निरीक्षक कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र द्वारा करायी गयी ।

कर्वी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के संबंध में प्रभारी निरीक्षक, कर्वी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा आबकारी अधिकारियों को कोई सहयोग नहीं दिया गया । शिकायतों की जांच से पुष्टि होने पर श्री मदन सिंह, निरीक्षक का स्थानान्तरण जनपदीय शाखा से अजनपदीय शाखा में कर दिया गया है ।

जनपद चित्रकूट, थाना बहिलपुरवा के पैरोल पर छूटे बन्दी द्वारा हाजिर न होने पर पुनः गिरफ्तारी की मांग

52–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–चित्रकूट के थाना–बहिलपुरवा अन्तर्गत वर्ष 1998 में एक आजीवन बन्दी पैरोल पर छूटा था ? यदि हां, तो उसका नाम व पता क्या है ? क्या वह बन्दी अपनी छुट्टी काटने के बाद पुनः जेल में हाजिर हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त बन्दी अपना गिरोह बनाकर लूटपाट व अपहरण कर रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त बन्दी को गिरफ्तार करके पुनः जेल में बन्द करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 23-6-98 से एक माह के लिए पैरोल पर छूटा था । बन्दी का नाम विष्णु यादव पुत्र श्री राम सजीवन यादव है ।वह ग्राम–रुकमा खुर्द डाड़ी हाल मुकाम बहिलपुरवा थाना–बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट का निवासी है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त बन्दी विष्णु यादव दिनांक 23-7-98 से फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए गम्भीर प्रयास किये गये । तद्नुसार इस बन्दी के दोनों जामिनदारों जिनके द्वारा बीस-बीस हजार रुपये की जमानत ली गई थी, इस जमानत को निरस्त कराते हुये कुल चालिस हजार रुपये वसूल करके जमा कराया जा चुका है । बन्दी की गिरफ्तारी हेतु एक हजार रुपये (1000/- रु०) का पुरस्कार भी घोषित किया गया है ।

जी नहीं । इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में नहीं आयी है ।

उक्त फरार बन्दी के गिरफ्तारी के सतत् सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, थाना विछवां के भवन निर्माण की जानकारी

53–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के थाना विछवां के भवन के निर्माण हेतु अब तक कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है और उसका पूर्ण निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शासनादेश संख्या–5664/6-7-509/98, दिनांक 8-9-98 द्वारा स्वीकृति धनराशि में से जनपद मैनपुरी के थाना विछवां के प्रशासनिक भवन हेतु रु० 13.94 लाख स्वीकृत किया गया है । निर्माण इकाई द्वारा थाने का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश में निगमों द्वारा वाहनों के क्रय एवं पेट्रोल व्यय कम करने हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन कराने की मांग

54–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन ने प्रमुख सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव को निगमों की चार पहिया वाहन न लेने एवं मितव्ययिता बरतने के साथ ही पेट्रोल व्यय का कम करने हेतु शासनादेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या उनका पालन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) मितव्ययिता के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के आदेश जारी किये जा रहे हैं । इन आदेशों पर वर्तमान वर्ष में 21 अगस्त, 1998 एवं 7 जनवरी, 1999 के आदेशों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु जोर दिया गया है ।

(ग) उक्त उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा शासनादेश में स्पष्ट है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया सहकारी बैंक में विगत वर्ष में भ्रष्टाचार की जांच विषयक जानकारी

55–श्री भरत सिंह–

क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में माह अप्रैल, 1998 में सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार के संबंध में शासन द्वारा जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच में श्री शिवनाथ सिंह, श्री रमाशंकर सिंह, श्री प्रेम शंकर अग्रवाल तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, शाखा प्रबन्धक दोषी पाये गये ।

दोषी शाखा प्रबन्धकों को निलम्बित किया गया, किन्तु बाद में श्री देवेन्द्र कुमार सिंह दोष मुक्त पाये जाने के कारण बहाल कर दिये गये ।

जनपद जालौन में मिनी बस मालिकों द्वारा किराये में वृद्धि का प्रकरण

56–श्री श्रीराम पाल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर, नवम्बर, 1998 में निजी बस आपरेटरों की लम्बे समय तक चली हड़ताल के कारण सरकार ने बढ़ाये गये करों को वापस लिया है ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन में हड़ताल के बाद पुनः बसें चलने पर निजी बस मालिकों ने किराये में 35% से लेकर 50% तक वृद्धि कर दी है ? यदि हां, तो क्या इसे रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद औरैया, थाना सायल, ग्राम पुरूवा के लालाराम की मृत्यु का प्रकरण

57–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लालाराम पुत्र श्री मुन्ना निवासी ग्राम–पुरुवा फकीरे, थाना–सायल जिला–औरैया की दिनांक 11-11-98 को हत्या करके उसी दिन हत्यारों ने उसकी लाश जला दी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक लालाराम की पत्नी श्रीमती नन्हीं देवी के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर थाना सायल में उक्त घटना की प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री लालाराम पुत्र श्री मुन्ना निवासी ग्राम पुर्वा फकीरे थाना सायल जिला औरैया की किसी व्यक्ति द्वारा हत्या नहीं की गयी बल्कि वह लकड़ी काटने का कार्य करता था । दिनांक 11-11-98 को वह अपने ही गांव के लकड़ी के ठेकेदार श्री वंश लाल पुत्र सरमन निवासी ग्राम पुर्वा फकीरे कुंवर सिंह पुत्र सोनेलाल तथा शिव करन सिंह पुत्र कल्लू के साथ मजदूरी पर लकड़ी काटने गया था । लकड़ी काटने के दौरान लकड़ी की पिन्डी असंतुलित होने के कारण उसके ऊपर गिर गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था । उसे तत्काल चिकित्सा हेतु डा० सुभाष निवासी दिबियापुर लाया गया परन्तु गम्भीर स्थिति होने के कारण डा० सुभाष द्वारा उसे कानपुर इलाज हेतु ले जाने की सलाह दी गयी । लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी । लालाराम की लाश का अन्तिम संस्कार परिवार वालों की सहमति एवं ग्राम प्रधान व गांव के अन्य लोगों के आपसी विचार विमर्श से किया गया था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

58–श्री नवाब सिंह नागर–

[दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं०–186 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर, ग्राम हरनाटायर के श्री छठ्ठी राम पुत्र माता प्रसाद द्वारा दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध दलित एत्पीड़न की रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

59–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम हरनाटायर, थाना–मनकापुर के श्री छठ्ठी राम पुत्र माता प्रसाद ने गांव के प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु 22-6-96 को डी० आई० जी० फैजाबाद, पुलिस अधीक्षक गोण्डा को रजिस्ट्री द्वारा और 10-8-98 को माननीय राज्य मंत्री होमगार्ड्स श्री विनय कुमार पाण्डेय को एवं तहसील दिवस को जारी कार्ड संख्या 48 दिनांक 2-12-97 को दिया था परन्तु अभी तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी ? सरकार कब तक रिपोर्ट दर्ज करवा कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री छठ्ठी राम के प्रार्थना पत्र पर जांचोपरान्त मु०अ०सं०–17/99 धारा 143/504/506/427 भा०द०वि० व 3(1) दस एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का अभियोग श्री राम तीरथ और पांच व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना सदर बाजार में मु०अ०सं०–123/98 की कथित धाराओं में विवेचना–कार्य में विलम्ब करने पर कार्यवाही की मांग

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना–सदर बाजार के अन्तर्गत मु०अ०सं०–123/98 धारा 392, 323, 504, 506 आई० पी० सी० के मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही क्या कोई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विवेचना कार्य में विलम्ब करने वाले के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मु०अ०सं० 123/98 धारा 392/323/504/506 आई०पी०सी० विवेचना के उपरान्त झूठा पाया गया तथा अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 9-6-98 को मय जूर्म खारिजा के लगायी जा चुकी है । विवेचना में कोई विलम्ब नहीं हुआ है अतएव अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, मु० कालूदुआ के निरीक्षण द्वारा पकड़े गये व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कार्यवाही

61–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-7-98 को मु० कालूदुआ, बांदा से कोतवाली कर्वी जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के निरीक्षक ने श्री रामकिशोर नामक व्यक्ति को पकड़ा था ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति को अभी तक पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है ? इस समय वह व्यक्ति कहां है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-98 जो पुलिस महानिदेशक को दिया गया था, उस पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस समय वह अपनी बुआ के लड़के श्री रामपाल, जो जनपद जजी, बांदा में ड्राइवर है, के साथ रह रहा है।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 25-7-98 पर पुलिस अधीक्षक, बांदा तथा पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से जांच कराई गयी। जांच से मा० विधायक द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, थाना रैपुरा मु०अ०सं० 33/98 वादी की तहरीर में धारा 120बी न लगाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

62–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 33/98 दिनांक 30-4-98 थाना रैपुरा जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में वादी की हिन्दी तहरीर शब्दशः क्या है ? वादी की इस तहरीर से भा० दं० वि० के अनुसार क्या-क्या धाराएं लगायी गयी हैं ? उपरोक्त मुकदमें में धारा 120 बी० क्यों नही लगायी गयी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-98 पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है। †

वादिनी श्रीमती मुन्नी देवी की लिखित तहरीर पर मु०अ०सं०–33/98 में धारा 302 भा०दं०वि० व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट धारायें लगायी गयी हैं।

प्रश्नगत घटना में षडयंत्रकारी के रूप में दर्शाये गये जगदीश, गणेश प्रसाद पुत्रगण इन्द्रपाल ब्राह्मण, राम बाबू पुत्र फूलचन्द्र ब्राह्मण, गोपी पुत्र ननकू चमार, निवासी इटवा थाना रैपुरा को विवेचनान्तर्गत धारा 120 भा०दं०वि० की श्रेणी में रखने की पुष्टि साक्ष्य के आधार पर नहीं हुई।

अतः प्रश्नगत मुकदमें में धारा 120 बी० की वृद्धि नहीं की गयी।

जी हां। उक्त पत्र, जो महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ था पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी कर्बी श्री दिवाकर कुमार से कराई गई जिसमें धारा 120 बी. भा०दं०वि० का औचित्य नहीं पाया गया।

† [देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 159 पर।]

जनपद आजमगढ़ में गत वर्ष में खोले गये धान केन्द्रों/धान क्रय के विवरण की जानकारी

63–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितने धान क्रय केन्द्र वर्ष 1998 में कार्य कर रहे हैं ? जनपद आजमगढ़ में लालगंज धान क्रय केन्द्र तथा तरवा धान क्रय केन्द्र से कुल कितना धान 31 दिसम्बर, 98 तक खरीदा गया ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनपद आजमगढ़ में 28 धान क्रय केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

लालगंज एवं तरवा धान क्रय केन्द्र पर दिनांक 31 दिसम्बर, 98 तक 34.4 मी० टन धान का क्रय किया गया है।

जनपद मथुरा, थाना गोवर्धन, अपराध सं० 161/97 धारा 302 आई०पी०सी० की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराने की मांग

64–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित थाना गोवर्धन में अपराध संख्या 161/97, धारा 302 आई० पी० सी० की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–3/ 8394/मथुरा/98, दिनांक 28-3-98 प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

थाना गोवर्धन में अंकित मु०अ०सं० 161/97 धारा 302 आई०पी०सी० की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को जारी किये जा चुके हैं । विवेचना अभी प्रचलित है ।

65–श्री अजय कुमार पोइया–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

कोषाधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारी के पद एकीकृत संवर्ग में घोषित एवं सेवा नियमावली में संशोधन कर पदोन्नति करने की मांग

66–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एस–3–2519/दस–94–100(563अ)/89, दिनांक 29-12-94 के द्वारा उप कोषाधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारी के पद एकीकृत संवर्ग में एक घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी सेवा नियमावली संशोधित हुई है ? यदि नहीं, तो कब तक संशोधित कर दी जायेगी ? क्या कोषाधिकारी के पदों पर कोषागार लिपिक वर्ग के उप/सहायक कोषाधिकारियों को नियमित रूप से पदोन्नति दी जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन मण्डलों में पदोन्नति का कार्य पूर्ण हो चुका है और किन मण्डलों में अपूर्ण है और उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस एकीकृत संवर्ग की सेवा नियमावली शासकीय अधिसूचना संख्या–एस०–3–2399/दस–98–14(46)/78, दिनांक 22-9-98 द्वारा प्रथम बार प्रख्यापित की गयी है ।

जी हां ।

कोषाधिकारी के पद पर उप/सहायक कोषाधिकारी से पदोन्नति का मण्डलवार कोई कोटा निर्धारित नहीं है बल्कि समस्त मण्डलों में कार्यरत उप/सहायक कोषाधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठ सूची में से श्रेष्ठता के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की जाती है । चयन वर्ष 98–99 की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

67–डा० ज्ञानवती सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज की कथित सोसाइटी द्वारा खाद वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था

68–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में सोसाइटी चेवार कंजहित सोसाइटी सिहुका, सोसाइटी बनगांव तथा सोसाइटी ओहनी के अन्तर्गत किसानों को वर्ष 1998 में खाद वितरित की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त सोसाइटी के किसानों के खाद वितरण के लिये क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

साधन सहकारी समिति लि० चेवार कंजहित में दिनांक 1-1-98 से 31-7-98 तक, साधन सहकारी समिति लि० सिहुका में 1-1-98 से 30-7-98 तक, साधन सहकारी समिति लि० बनगांव में 1-1-98 से

31-7-98 तक तथा साधन सहकारी समिति लि० ओधनी में दिनांक 1-1-98 से 30-6-98 तक खाद वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई ग्राम पंचायत गनीपुर के निवासी श्री सत्यपाल सिंह परिचालक उन्नाव डिपो की मृत्योपरान्त उनके आश्रित को नियुक्ति एवं समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

69–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के ग्राम पंचायत गनीपुर के निवासी–स्वर्गीय सत्यपाल सिंह परिचालक, उन्नाव डिपो की दिनांक 5-3-96 को मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी पत्नी मनोरमा को मृतक आश्रित में नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उसको ग्रेच्युटी, बीमा, कर्मचारी कल्याण कोष, ई० पी० एफ० आदि की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? समस्त देयों का भुगतान एवं सेवा लाभ कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, किन्तु अभिलेख के अनुसार मृत्यु की सही तिथि दिनांक 13-5-96 है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर को मुख्यालय के पत्र सं०–556 सीईएनटी/99, दिनांक 3-2-99 के द्वारा श्रीमती मनोरमा देवी को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व० श्री सत्यपाल सिंह परिचालक के ग्रेच्युटी एवं बीमा के भुगतान हेतु उनके आश्रितों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं, जिसके लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक को निर्देशित कर दिया गया है। कर्मचारी कल्याण कोष का भुगतान मार्च, 1995 तक के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को ही किया गया है। वरिष्ठताक्रम में आने पर इनको भी भुगतान किया जायेगा। भविष्य निधि आयुक्त द्वारा ई०पी०एफ० का भुगतान सीधे कर्मचारी को करने हेतु दावा प्रपत्र भेजे जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला बरेली, श्री नरेशपाल जाटव मो० परा, थाना फरीदपुर द्वारा उप निरीक्षक के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

70–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नरेशपाल जाटव, निवासी मो० परा, थाना फरीदपुर, जिला बरेली ने दिनांक 17-6-98 को थाना–फरीदपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–323, 504, 506 आई० पी० सी० टी० 3 (1) 10 एस० सी० एस० टी० एक्ट के अन्तर्गत उमेश चन्द्र तिवारी उप निरीक्षक, थाना–फरीदपुर, जनपद–बरेली के विरुद्ध दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त रिपोर्ट पर अपने स्तर से कार्यवाही करके उसमें दोषी उप निरीक्षक (पुलिस) के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

इस अभियोग की विवेचना श्री कृपाशंकर मिश्र, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी फरीदपुर द्वारा की गई । अभियोग में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्मखारिजा दिनांक 15-9-98 को प्रेषित की गई । उपनिरीक्षक, श्री उमेश चन्द्र तिवारी को थाना फरीदपुर से थाना आंवला स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा श्री सलीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद थाना व ग्राम फरह को सेन्ट्रल जेल आगरा से छोड़ने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या करागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दी सलीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद ग्राम व थाना फरह तह०–मथुरा सेन्ट्रल जेल आगरा को पैरोल पर छोड़ने हेतु विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–3/7467/मथुरा/98. दिनांक 30-1-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी का पैरोल प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी सूचना मा० विधायक को शासन के पत्र दिनांक 3-6-98 द्वारा दी जा चुकी है ।

जनपद फतेहपुर स्व० श्री शेष कुमार तिवारी के आश्रित को कथित भुगतान सम्बन्धी लोक शि० अनु०–4 के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक शिकायत अनुभाग–4 के पत्रांक–दर्ज–470/1998/17(39)/98/लो०शि०–4 दिनांक 13-11-98 द्वारा स्व० श्री शेष कुमार तिवारी कां० 198 जनपद फतेहगढ़ के आश्रित को पारिवारिक पेंशन, फण्ड, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ से मांगी गयी आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो बिन्दुवार आख्या क्या है ? क्या उक्त आश्रित को संदर्भित भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना-कितना ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपद फतेहगढ़ में नियुक्त स्व० कां० शेष कुमार तिवारी की विधवा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार निम्नवत् भुगतान किया जा चुका है :–

	धनराशि (रु० में)	भुगतान की तिथि
1–सामान्य भविष्य निधि	12,258.00	14-1-93
2–बीमा	31,418.00	18-6-93
3–अनन्तिम ग्रेच्युटी	9,360.00	13-1-93
4–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन	578.00	31-10-92

(प्रतिमाह लगातार दिया जा रहा है ।)

पुरस्कार सम्बन्धी कोई धनराशि देय नहीं है । मृतक की विधवा का मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने हेतु कोई अभ्वेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3031पी/छः–पु–6–98–1000(29)95 दिनांक 29-1-99 द्वारा मृतक की विधवा को दिनांक 31-10-92 से रु० 1885/- प्रतिमाह असाधारण पेंशन तथा गेच्युटी रु० 15080/- एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की गई है । विधवा को पूर्व में स्वीकृत पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि को बाद में स्वीकृत की गयी पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि में से समायोजित कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ, एक व्यक्ति को एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स देने के सरकार के निदेश की जानकारी

73–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में एक व्यक्ति को एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स देने का सरकार ने कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो जनपद मेरठ में ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ में अनुज्ञापी को द्वितीय शस्त्र अनुज्ञाप उसकी सुरक्षा को गम्भीर खतरा होने की दशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से सुस्पष्ट आख्या प्राप्त होने की दशा में ही दिया जाता है । वर्तमान में द्वितीय शस्त्र देने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है न ही स्थानीय स्तर पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है लेकिन द्वितीय शस्त्र लाइसेंस के औचित्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होने पर ही आवेदनकर्ता को दिया जाता है ।

जनपद आजमगढ़, सहकारिता क्षेत्र में गत वर्ष में धान के क्रय का विवरण

74–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सहकारिता क्षेत्र में कितने केन्द्रों से 31 दिसम्बर, 1998 तक कितने धान का क्रय सत्र, 1998-99 में किया गया है ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

वर्ष 98–99 में जनपद आजमगढ़ के एक केन्द्र (सहकारी संघ सिंहपुर) पर दिनांक 31-12-98 तक, 129 बोरे (96.75 कुन्तल) धान का क्रय किया गया ।

जनपद आजमगढ़ में खाद वितरण में वित्तीय अनियमितता की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

75–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वित्तीय अनियमितताओं के कारण कितनी सोसाइटी डिफाल्टर है जिनमें खाद वितरण नहीं किया गया है ? क्या जनपद में सोसाइटी के डिफाल्टर होने के कारणों की जांच करके दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन सोसाइटी के सचिवों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

14 (चौदह) सोसाइटियां डिफाल्टर हैं जिनमें खाद वितरण नहीं किया गया है ।

जी हां ।

9 समितियों के सचिवों के विरुद्ध एफ० आई० आर० तथा उनको सेवाच्युत तथा 5 समितियों के सचिवों को निलम्बित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में सोसाइटी संचालन हेतु सचिवों की नियुक्ति की मांग

76–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितनी न्याय पंचायतों में सोसाइटी कार्यरत है ? क्या जनपद आजमगढ़ में सचिवों की कमी के कारण न्याय पंचायत स्तर पर सोसाइटी के संचालन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद आजमगढ़ में सचिवों की नियुक्ति करके सोसाइटी का संचालन ठीक करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जनपद आजमगढ़ की 280 न्याय पंचायतों में 249 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां कार्यरत हैं।

जी नहीं। 125 समितियों में नियमित कैडर सचिव कार्यरत हैं तथा 124 समितियों में समिति कर्मचारी, सचिव पद का कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

77–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[दिनांक 26-2-99 को अता०प्र०सं०–179 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई, थाना इन्चार्जों एवं प्रभारी निरीक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों के पालन की जानकारी

78–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में वर्तमान में कितने थाना कोतवाली एवं थाना हैं ? क्या उनमें आरक्षण नियमों के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षकों एवं थाना इन्चार्जों की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितने थाना इन्चार्ज अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी नियुक्तियां कब तक करा दी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद हरदोई में 6 थाना कोतवाली (निरीक्षक स्तर के) तथा 18 थाने (उप निरीक्षक/थानाध्यक्ष स्तर के) हैं।

जी हां।

18 थानों में अनुसूचित जाति के 6 तथा अल्पसंख्यक वर्ग का 1 थाना इन्चार्ज नियुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में विगत वर्ष माह नवम्बर में चीनी वितरण न हो पाने का समायोजन आगामी माह में कर इसका वितरण बढ़ाकर कराने की जानकारी

79–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नवम्बर, 98 में चीनी का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो नवम्बर, 98 में चीनी वितरण न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार नवम्बर, 98 माह की चीनी का समायोजन आगामी किसी माह में चीनी का कोटा बढ़ाकर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जनपद आजमगढ़ का लेवी चीनी का मासिक आवंटन 940 मी०टन है । मासिक आवंटन के सापेक्ष 368 मी० टन लेवी चीनी का वितरण माह नवम्बर, 98 तथा 10.5 मी० टन चीनी का आवंटन माह दिसम्बर, 98 की विभिन्न तिथियों में किया गया । पूर्व के महिनों, जिसमें माह नवम्बर, 98 भी सम्मिलित है, की जो चीनी पी०सी०एफ० द्वारा चीनी मिलों से नहीं उठाई जा सकी थी, वह खाद्य विभाग द्वारा उठा ली गई है और अपने "बफर" में रख ली गई है । इसका वितरण अगले माह में स्केल बढ़ाकर कराया जायेगा ताकि इसका ब्लैक न होने पाये और चीनी उपभोक्ताओं को ही मिले ।

संयुक्त सचिव, गृह द्वारा जिलाधिकारी मैनपुरी को असमाजिक तत्वों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण हेतु जारी आदेश

80–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव, गृह श्री अतुल कुमार द्वारा कमिश्नर आगरा मण्डल, आगरा का पत्रांक 4852 आर/छः–3-545/98, दिनांक 2-11-98 जो असामाजिक तत्वों के असलहों के लाइसेंसों को निरस्त करने के सम्बन्ध में भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कतिपय लाइसेंसों के निरस्तीकरण की अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आयुध नियमावली, 1962 के अनुसार अनिषिद्ध बोर के प्रश्नगत आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों के लाइसेंन्सिग प्राधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट हैं । अतः सम्बन्धित मामलों की जांच गहराई से तत्काल कराकर उनके विरुद्ध तथा उनके आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के निलम्बन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी को दे दिये गये हैं ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर अपराध सं० 172/98 में अभियुक्तों के विरुद्ध लगाई गई चार्जशीट से पूर्व नियमों के पालन की जानकारी

81–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 172/98 थाना बेवर जनपद मैनपुरी में किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध कब-कब चार्जशीट लगाई गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चार्जशीट लगाने से पूर्व मुल्जिमान की गिरफ्तारी अथवा जाब्ता फौजदारी की धारा 82 एवं 83 की कार्यवाही सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में कानून एवं नियमों का चार्जशीट से पूर्व पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मु०अ०सं० 172/98 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 353, 224, 225 भा०दं०वि० व 7 क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट एक्ट थाना बेवर जनपद मैनपुरी में नामित 9 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–263/98 दिनांक 11-11-98 को प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तों के नाम हैं :–(1) शिवराज सिंह उर्फ पी०टी०आई० (2) सन्तोष सिंह (3) सुरेन्द्र सिंह (4) टीटू (5) पिस्सू (6) जनेश (7) मुनेश (8) देवेन्द्र (9) बृजेन्द्र ।

जी नहीं ।

उक्त प्रकरण की विवेचना जनपद एटा के डी०सी०आर०बी० द्वारा की गई ।

विवेचक द्वारा धारा 82/83 की कार्यवाही किये बिना दिनांक 11-11-98 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । विधिक समीक्षा के उपरान्त आरोप-पत्र में कुछ त्रुटियां पायी गई जिनके निराकरण की कार्यवाही चल रही है । वर्तमान में अभियोग में विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का जिलाधिकारी मैनपुरी को दिनांक 5-11-98 का प्राप्त पत्र का विवरण एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

82–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख सचिव गृह, उ० प्र० शासन लखनऊ का अर्द्ध शा०प०सं० बी०एस०–498आर/छः पु०–5–518/98, दिनांक 5-11-98 जिलाधिकारी मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? पत्र में वांछित सूचना के अनुसार वर्तमान जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा अब तक आग्नेयास्त्रों के कितने लाइसेंस स्वीकृत/निर्गत किये गये और उनमें से कितने अपराधी पाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कलराज सिंह–

जी हां ।

श्री अजीत कुमार [illegible] जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी को सम्बोधित उक्त पत्र में उनके कार्यालय में स्वीकृत/निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की सूची व अपराधिक इतिहास के मामलों की सूचना भी मांगी गई थी ।

सन्दर्भित पत्र में वांछित सूचना के अनुसार उक्त जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी, जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है, के कार्यकाल में 1548 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये जिनमें से 1429 निर्गत किये जा चुके हैं । प्राप्त सूचनानुसार जनपद में कुल 46 लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के पाये गये ।

जानकारी में आने पर उक्त 46 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को स्वीकृत लाइसेंसों में से 22 व्यक्तियों के लाइसेंस निर्गत नहीं किये गये हैं, अन्य 6 लाइसेंस निरस्त किये जा चुके हैं तथा शेष 18 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

जनपद मेरठ, जिला कारागार से गत वर्ष भागे बन्दी के प्रकरण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

83–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि मेरठ जिला कारागार से वर्ष 1998 में तीन बन्दी कारागार से भाग गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

वर्ष 1998 में जिला कारागार मेरठ से एक बन्दी के पलायन की घटना दिनांक 14-10-98 को घटी थी । उक्त तिथि को बन्दियों की एक कमान जो कारागार से बाहर रंगाई, पुताई व सफाई के कार्य हेतु निकाली गई थी, से एक विचाराधीन बन्दी अशोक पुत्र हवलदार पलायन कर गया ।

इस संबंध में प्रभारी कमान बन्दीरक्षक, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह व संतरी बन्दीरक्षक, श्री सुशील कुमार गुप्त को निलम्बित किया गया है और इनके साथ-साथ श्री दयाराम, रिजर्व हेड वार्डर, श्री राम सिंह राजपूत प्रभारी कमान चेकिंग हेड वार्डर व श्री विशम्भर दयाल, प्रधान बन्दीरक्षक को आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा इसी प्रकरण के संदर्भ में वरिष्ठ अधीक्षक, कारापाल एवं एक उप कारापाल के स्पष्टीकरण भी मांगे गये हैं।

जनपद आगरा, थाना कामरौला, श्रीमती मुन्द्रादेवी पत्नी लोहरे की हत्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मुन्द्रा देवी पत्नी लोहरे पुत्र छिदी की कथित दहेज न मिलने के कारण हत्या किये जाने एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/17782/मथुरा/98 दिनांक 2-11-98 पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रकरण में थाना कामोरौला जनपद आगरा में मु०अ०सं० 118/98 धारा 302 भा०द०वि० बनाम लोहरे पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्त लोहरे को गिरफ्तार किया गया तथा आरोप-पत्र संख्या 46 दिनांक 27-8-98 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद मथुरा कोतवाली में अभियुक्तों को बिना विवेचना जेल भेजे जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

85–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ०सं०–675/98, धारा 302आई०पी०सी० मथुरा कोतवाली में अभियुक्तों को बिना विवेचना के जेल भेजे जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/17779/मथुरा/98 दिनांक 2-11-98 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

श्री उमा शंकर दीक्षित पुत्र श्री गोपीनाथ दीक्षित की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली जनपद मथुरा पर मु०अ०सं० 657/98 धारा 302 भा०द०वि० बनाम भरत कुमार, सरिता रानी एवं श्वेता पुत्री भरत कुमार कायम किया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 25-9-98 को नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जांच में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा०द०वि० का साक्ष्य न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

जनपद मथुरा के कतिपय थानाध्यक्षों द्वारा गलत कार्यों के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

86–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन सहित विभिन्न थानों की कानून व्यवस्था एवं थानाध्यक्षों द्वारा किये गये गलत कार्यों के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/17789/मथुरा/98 दिनांक 2-11-98 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा थानों के कार्यों/थानाध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा हेतु अपराध गोष्ठी एवं अन्य गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं । जनपद की कानून-व्यवस्था वर्तमान में सन्तोषजनक है ।

प्रदेश में विगत वर्ष में पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये लोगों की शिनाख्त एवं आपराधिक इतिहास की जानकारी

87–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत एक वर्ष के दौरान पुलिस मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गये ? इसमें से कितने लोगों की शिनाख्त हुई ? शिनाख्त किये गये लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1998 में विभिन्न पुलिस मुठभेड़ों में कुल 246 अपराधी मारे गये ।

इनमें से 215 की शिनाख्त हुई ।

शिनाख्त किये गये लोगों में से 2 ऐसे हैं, जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ थाना मान्धाता ग्राम सराय भेड़ी में राजकुमारी विधवा बैजनाथ की भूमि जबरियन जोते जाने एवं मान्धाता थाना के दरोगा द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत

88–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधवा राजकुमारी पत्नी बैजनाथ, ग्राम–सरायभेड़ी, तहसील–सदन, थाना–मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ की जमीन नाबालिग पुत्र विनोद कुमार के नाम दर्ज होने के उपरान्त भी मायाराम, जगन्नाथ जबरिया जोत बो रहे हैं जिसके लिये 10-05-98 से विधान सभा के समक्ष धरनारत है ? क्या उसकी जमीन दबंगों से दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मान्धाता थाना में तैनात दरोगा गिरिवर गिरि जिसने राजकुमारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसकी जांच शुरु हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

श्रीमती राजकुमारी के हक की जमीन उनके नाबालिग पुत्र विनोद कुमार के नाम आ गई है । वह अपनी जमीन में जुताई-बुआई नहीं कराती हैं । यह सत्य नहीं है कि उसकी जमीन को मायाराम, जगन्नाथ जबरिया जोत-बो रहे हैं ।

दिनांक 15-6-98 से धरना चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती राजकुमारी के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी नगर से कराई गई, जांचोपरान्त उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई ।

अध्यक्ष, वीरांगना प्रेस क्लब झांसी के पत्र पर प्रमुख सचिव, गृह द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

89–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव गृह को सम्बोधित वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक (सेवा निवृत्त) अध्यक्ष, वीरांगना प्रेस क्लब, झांसी एवं मण्डलीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं शोषण निवारण समिति, झांसी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-5-98 पर पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी दिनांक 2-5-98 को कोई आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर सचिव, गृह एवं गोपन द्वारा 2-5-98 में पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को अब तक की गई कार्यवाही एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिये गये थे ।

उपरोक्त के संबंध में क्षेत्राधिकारी, सदर झांसी से जांच कराई गई ।

जांच से यह विदित हुआ कि उभयपक्ष के मध्य आवासीय फ्लाट को लेकर जूनियर डिवीजन सिविल जज झांसी के न्यायालय में वाद संख्या 479/97 विचाराधीन हैं । इसके अतिरिक्त 18-12-97 को प्राचार्य, विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी के कक्ष में श्री एम०के० द्विवेदी पर हुए हमले के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अ०सं०–668/97 में विवेचना के बाद आरोप संख्या 202 दिनांक 20-12-1997 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रार्थी की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दिये गये हैं ।

अनुदान सोलेशियम स्कीम, 1989 दुर्घटना मुआवजा स्वीकृत एवं भुगतान किये जाने विषयक शर्मावती पत्नी श्री सी०एल०रावत गोपालपुरी, आलमबाग, लखनऊ के पत्र पर कार्यवाही की मांग

90–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान सोलेशियम स्कीम 1989 दुर्घटना मुआवजा की स्वीकृति एवं भुगतान किये जाने से संबंधित शर्मावती पत्नी श्री सी० एल० रावत, गोपालपुरी, आलमबाग लखनऊ का प्रार्थना-पत्र माह जुलाई, 1997 में जिलाधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार जांच कराई गई ।

श्रीमती शर्मावती को रु० 12,500/–की धनराशि का भुगतान चेक द्वारा दिनांक 5-2-99 को कर दिया गया है ।

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती) सत्र 1991 में चयन की लम्बित प्रतीक्षा सूची के प्रकाशन हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

91–श्री गोमती यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 के उप-निरीक्षक, नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती) के चयन की लम्बित प्रतीक्षा सूची के प्रकाशन विषयक श्री संजय शुक्ला पुत्र श्री ओम प्रकाश शुक्ला निवासी

म० नं०–55 ख/26/10/3 अनुपम नगर, भोलाखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र सहकारिता मंत्री जी के पत्र सहित दिसम्बर, 1998 में पुलिस निदेशालय, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो पुलिस महानिदेशालय द्वारा उक्त संदर्भित प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उपनिरीक्षक नागरिक सुरक्षा की (सीधी भर्ती) सत्र 1991 की प्रतीक्षा सूची न बनाये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ।

जनपद लखनऊ के नागरिक सहकारी बैंक, राजाजीपुरम् में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

92–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न सं०–53 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम् लखनऊ की शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' रामकुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

धारा 68(2) की नोटिस जारी होने के उपरान्त बैंक को हुई क्षति की धनराशि उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा जमा कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी बैंक राजाजीपुरम् लखनऊ में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

93–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–63 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम् लखनऊ को वित्तीय अनियमितताओं के लिये बैंक के सचिव को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच के संबंध में भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं की पुनर्वृत्ति न होने के लिये सचेत कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड पिसावा, ग्राम सरोसा के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार द्वारा की गई कालाबाजारी के जांचोपरान्त गल्ले की रिकवरी की जानकारी

94–श्री उदयराज यादव, श्री जटाशंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश गुप्ता तथा श्री रमेश राही–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिख, विकास खंड–पिसावां के ग्राम सरोसा के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार अजय प्रकाश द्वारा मिट्टी का तेल, चीनी तथा स्कूली बच्चों के लिये आये गेहूं, चावल आदि की कालाबाजारी की गई, जिसकी जांच परगनाधिकारी, मिश्रिख द्वारा की गई ? क्या जांच में कालाबाजारी के तथ्य प्रकाश में आये थे तथा कोटा

निरस्त भी किया गया था और कालाबाजारी किये गये लगभग 300 कुन्तल अनाज की रिकवरी के लिये जिलापूर्ति अधिकारी, सीतापुर द्वारा आदेश भी किये गये ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिख विकास खण्ड पिसावां के ग्राम सरोसा के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार श्री अजय प्रकाश के विरुद्ध जांच में पाई गई अनियमितता के आधार पर दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्त करते हुये दुकानदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति रुपया 250/–शासन के पक्ष में दिनांक 12-10-98 जब्त कर ली गई तथा थाना कोतवाली महोली में श्री अजय प्रकाश के विरुद्ध दिनांक 18-10-98 को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गई थी । जांच में स्कूली बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले गेहूं के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । सम्बद्ध स्कूल के प्रधानाध्यापकों द्वारा वितरण संबंधी प्रमाण-पत्र दिया गया है । जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अनाज की रिकवरी के लिये कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।

जनपद मथुरा कारागार बन्दी रक्षक द्वारा अभद्रता किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

95–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा कारागार में बन्दी रक्षकों द्वारा कानून तोड़कर अभद्रता किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्राक : सी०एम०/वि०को०/ एम–3/16931/ मथुरा/98, दिनांक 7-10-98 प्रमुख सचिव, कारागार होमगार्ड, बीजा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) मथुरा द्वारा की जा रही है । जांच कार्यवाही प्रगति में है ।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि व्यवस्था मासिक गोष्ठी की जानकारी

96–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी मासिक गोष्ठी दिनांक 12-7-98 से आज तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी मासिक गोष्ठी प्रत्येक माह क्रमशः दिनांक 15-7-98, 3-8-98, 11-9-98, 13-10-98, 13-11-98, 24-12-98 तथा 11-1-99 को की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ थाना कोहडौर में पंजीकृत अपराधी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त न किये जाने की जानकारी

98–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोहडौर में पंजीकृत मु०अ०सं० 65 ए/89 के अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद उनके

शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पंजीकृत मु०अ०सं 65ए/89 शस्त्र लाइसेंसी श्री इन्द्रदेव तिवारी के ऊपर हमला करने वालों की ओर से क्रास केस दर्ज कराया गया है, जबकि शस्त्र लाइसेंस श्री इन्द्रदेव तिवारी को उनकी आत्मसुरक्षा हेतु दिया गया है ।

शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने हेतु मु०अ०सं० 65ए/89 क्रासकेस के अभियुक्त श्री इन्द्रदेव तिवारी को जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के अन्तर्गत नोटिस देकर उनका लाइसेंस निलम्बित किया गया था, परन्तु मुकदमें में सुनवाई करने के पश्चात् अंतिम आदेश दिनांक 28-8-98 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने श्री इन्द्रदेव तिवारी का लाइसेंस बहाल रखा है । इसलिये पुनः शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रत्येक थानों में शस्त्र लाइसेंस जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निरतारण की मांग

99–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 12-7-98 से 22-12-98 तक प्रत्येक पुलिस थाने को विभिन्न श्रेणी के शस्त्र लाइसेंसों के निस्तारण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 12-7-98 से 22-12-98 तक विभिन्न श्रेणी के शस्त्र लाइसेंस हेतु समस्त थानों में 1306 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी नहीं ।

पुलिस अधीक्षक एवं उप जिला मजिस्ट्रेट से आख्या प्राप्त की जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा ।

उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के नियमों को शिथिल करते हुये श्री कान्ती लाल पुत्र रमेश चन्द्र ताज डिपो, आगरा क्षेत्र को नियुक्ति के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

100–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित के स्थान पर नियमों को शिथिल करते हुये नियुक्ति के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–1/15522/ मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में श्री कान्तीलाल पुत्र स्व० रमेश चन्द्र परिचालक ताज डिपो, आगरा क्षेत्र की मृतक आश्रित के रूप में नियमों को शिथिल करके नियुक्ति देने का अनुरोध किया गया है । इस पत्र पर कार्यवाही हेतु नियमानुसार विचार करने पर पाया गया कि स्व० रमेश चन्द्र परिचालक ताज डिपो की मृत्यु दिनांक 6-9-89 को हुई थी किन्तु उनके आश्रित पुत्र श्री कांती लाल द्वारा सेवायोजन हेतु उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 द्वारा निर्धारित समय सीमा पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 30-7-96 को प्रार्थना-पत्र दिया गया । प्रकरण को पांच वर्ष की निर्धारित सीमा के शिथिलीकरण के योग्य नहीं पाया गया ।

जनपद सहारनपुर साधन सहकारी लि० धुन्ना के सचिव की न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति पर पुनः पदारूढ़ किये जाने की मांग

101–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की साधन सहकारी लि० धुन्ना के सचिव श्रीचन्द्र शर्मा के विरुद्ध जिन आरोपों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उन्हीं आरोपों में दिनांक 4-1-1989 को उनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिये जाने के बाद सेवा में पुनः पदारूढ़ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं । साधन सहकारी समिति लि० धुन्ना के तत्कालीन सचिव श्री श्रीचन्द्र शर्मा के विरुद्ध केवल वही आरोप नहीं थे जिनमें उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी । उन्हें समिति के धन/स्टाक के गबन के अलावा कर्मचारी आचरण संहिता के उल्लंघन और समिति का रिकार्ड चार्ज में न देने आदि का दोषी विभागीय कार्यवाही में पाया गया । इन सभी आरोपों के कारण श्री शर्मा को सेवाच्युत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर तहसील कसया के लेखपाल के विरुद्ध धारा 302 के मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के पश्चात् शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की जानकारी

102–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कसया जनपद कुशीनगर के लेखपाल मारकण्डेय मणि के विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इन्हें रिवाल्वर तथा बन्दूक का लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी पुत्र श्री सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी निवासी बरारी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के विरुद्ध मु०अ०सं० 122/98 धारा 147/148/302/307 भा०दं०वि० के अन्तर्गत माह मई, 1998 पंजीकृत है, जो सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारी की संस्तुति दिनांक 11-11-97 के आधार पर श्री त्रिपाठी को रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया है । श्री त्रिपाठी के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हैं वह लाइसेंस स्वीकृति दिनांक 12-11-97 के पश्चात् पंजीकृत हुआ है ।

जनपद कुशीनगर कप्तानगंज डिस्टेलरी मिल के गन्दे पानी से फसलों को क्षति होने की प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

103–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि डिस्टेलरी मिल कप्तानगंज जिला कुशीनगर के गंदे पानी से दर्जनों गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बरबाद हो रही है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र पर्यावरण राज्य मंत्री को माह जुलाई, 1998 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक–

जिला कृषि अधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक 29-1-99 में प्राप्त सूचना के अनुसार मेहड़ा गांव में निकास नाली के क्षतिग्रस्त होने के कारण गन्दा पानी इधर-उधर फैलकर फसल को क्षति पहुंचा रहा है, निकास नाली खराब होने के कारण छः से सात गांवों की लगभग 50 से 100 एकड़ फसल प्रभावित हो रही है । जी नहीं । इस संबंध में मा० सदस्य का पत्र दिनांक 19-6-98 प्राप्त हुआ है ।

उद्योग को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 27-5-98 एवं 30-6-98 के पत्र द्वारा चार कि०मी० तक पक्की एवं बन्द नाले की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे । इस संबंध में उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 9-7-98 द्वारा वर्षा ऋतु के उपरान्त छः माह की अवधि के अन्दर पक्की नाली के निर्माण का आश्वासन दिया था । यह अवधि मार्च, 1999 में समाप्त होगी । वर्तमान में लगभग 3.9 कि०मी० पक्की नाली का निर्माण हो चुका है । कार्य प्रगति पर है ।

जनपद उन्नाव के थानों को गत वर्ष भेजे गये आयुध प्रार्थना-पत्रों को निर्धारित अवधि में न भेजने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

104–श्री रामशंकर पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों में वर्ष 1998 में कितने आयुध प्रार्थना-पत्र भेजे गये तथा कितने संस्तुति के बाद वापस प्राप्त हुये ? निर्धारित समय के अन्दर थानाध्यक्षों द्वारा आयुध प्रार्थना-पत्र न लौटाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों में वर्ष 1998 में 2,184 प्रार्थना-पत्र जांच हेतु भेजे गये तथा 707 मामलों में जांच आख्यायें प्राप्त हुई ।

इस संबंध में अभी किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथापि ऐसे मामलों में पुनः समय सीमा निर्धारित करते हुये उसके अन्दर जांच आख्यायें उपलब्ध कराने हेतु कड़े निर्देश जिला मैजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा जारी किये गये हैं ।

जनपद मथुरा जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि० का व्यापार कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

105–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र सी०एम०/वि०को०/एम०–3/95-27/मथुरा–98 जो कि जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं० लि० मथुरा का पत्र व्यापार कर अधिकारी 11 मुगर्रा चौकी मथुरा के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस परिवाद की जांच डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) व्यापार कर अलीगढ़ सम्भाग अलीगढ़ से कराई गई । जांचोपरान्त श्री विधुभूषण दीक्षित, तत्कालीन व्यापार कर अधिकारी जांच चौकी मुगर्रा को दोषी पाये जाने के कारंण उन्हें चरित्र पंजिका के माध्यम से चेतावनी दे दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शिव नारायण मिश्र, पूर्व विधायक चांदा को जेल भेजने के कारणों की जानकारी

106–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव नारायण मिश्र, पूर्व विधायक, चांदा को दिनांक 11-10-98 को सी० ओ० नगर, इन्सपेक्टर कोतवाली नगर, थानाध्यक्ष कोतवाली देहात भारी संख्या में पुलिस दल के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था ? क्या इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो श्री मिश्र को किस धारा के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्री शिव नारायण मिश्र, पूर्व विधायक को धारा 147/148/323/427/380 भा०दं०वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

सचिव, साधन सहकारी समिति, उ०प्र० परिषद् के पदाधिकारियों की मा० मंत्री सहकारिता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही की मांग

107–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, सचिव परिषद् उ० प्र० की मांगों के संबंध में परिषद् पदाधिकारियों को दिनांक 20-9-1997 को सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में बैठक हुई थी ? क्या उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्णयों को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

दिनांक 20-9-97 को सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में बैठक नहीं, वरन् तत्कालीन मा० सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में साधन समिति सचिव परिषद् के पदाधिकारियों से वार्ता हुई थी, जिसमें सचिव, सहकारिता भी उपस्थित थे ।

जी हां ।

यथा निर्णय निबन्धक, सहकारी समितियां/शासन स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समय सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद अम्बेदकर नगर, जहांगीरगंज के पोखरू स्मारक का निर्माण कराये जाने की मांग

108–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के पोखरू स्मारक का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र के पोखरू भिट्टा ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में खाद्यान्न वितरण की प्रति यूनिट मात्रा बढ़ाने पर विचार

109–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के लिये वर्ष 1991-92 की तुलना में प्रति यूनिट गेहूं तथा चावल को कम कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 की जनगणना को आधार मानकर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्न वितरण प्रति यूनिट 8 कि० ग्राम चावल एवं 10 कि० ग्रा० गेहूं निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार 10 कि० ग्रा० खाद्यान्न (7 कि० ग्रा० गेहूं व 3 कि० ग्रा० चावल) दिये जाने की व्यवस्था है । यह व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा लागू नहीं की गई है । अतः खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि करना भारत सरकार द्वारा ही संभव है ।

श्री शशांक भूषण सिंह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर के खिलाफ पुलिस प्रशासन/जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को दिये गये शिकायती-पत्र

110–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शशांक भूषण सिंह ने दिनांक 23-4-98 को पुलिस महानिदेशक, मा० गृह मंत्री, उ० प्र० जिलाधिकारी प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को कोई प्रार्थना-पत्र तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री लाल बहादुर मौर्या के खिलाफ दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव में भूमि/भवन रजिस्ट्री निर्धारित स्टाम्प से कम स्टाम्प शुल्क देकर रजिस्ट्री कराने से सम्बन्धित लम्बित वाद की जानकारी

111–श्री राम शंकर पाल–

क्या स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्तमान में भूमि भवन रजिस्ट्री के दौरान निर्धारित स्टाम्प से कम स्टाम्प देकर रजिस्ट्री कराने से संबंधित कितने वाद धारा 33 तथा कितने वाद धारा 47 ए के तहत विचाराधीन है ? क्या इन धाराओं के अलावा भी स्टाम्प कमी के बाद किसी अन्य धारा में भी विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद उन्नाव में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–33 के अर्न्तगत 11 वाद एवं धारा–47ए के अर्न्तगत 379 वाद दिनांक 1 फरवरी, 1999 को लम्बित हैं।

जी नहीं।

जनपद मथुरा पोस्ट व गांव औरंगाबाद निवासी श्री बसन्त लाल द्वारा थाना सदर में मुकदमा कायम किये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बसन्त लाल पुत्र रतन लाल पो० गांव औरंगाबाद थाना सदर बाजार जिला मथुरा का प्रार्थना-पत्र थाना सदर में मुकदमा कायम किये जाने व मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्राक : सी० एम०/वि०को०/ एम०–3/16081/ मथुरा/98, दिनांक 14-9-98 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

इस प्रकरण में जांच से पाया गया है कि दिनांक 29-3-98 को गली में खरन्जा पड़ने में श्री बसन्त लाल आवेदक द्वारा रोक लगाये जाने पर श्री नवल, कमल एवं अन्य लोगों द्वारा हस्तक्षेप किया गया इसी बात को लेकर वाद-विवाद हुआ और खरन्जा डाले जाने का कार्य रोक दिया गया। बाद में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर खरन्जा पड़ने का कार्य पूर्ण हुआ। इसी मध्य श्री बसन्त लाल आवेदक की पुत्री अर्चना छत से गिर गई जिसके चोटे आई जिस पर बसन्त लाल ने इसे गलत ढंग से मामले को प्रस्तुत करते हुये उक्त खरन्जे के विवाद के कारण एक संज्ञेय रूप दे दिया। जांच से मेडिकल रिर्पोट आदि के आधार पर घटना की पुष्टि नहीं हुई हैं। आवेदक बसन्त लाल व उसके चचेरे भाई श्री कालीचरन के बीच पहले से ही रंजिश चल रही है और नवल, कमल आदि कालीचरन के खेत में कार्य करते हैं। इसी नीयत से परेशान करने के लिये प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया जाना पाया गया है। पुलिस द्वारा अपेक्षित वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद मथुरा परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने की विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर जांच/कार्यवाही

113–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्राक : एम०/वि०को०/ एम०-3/16064/

मथुरा/98, दिनांक 14-9-98 आयुक्त परिवहन, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी थी, पर जांच आख्या में कई बिन्दु स्पष्ट नहीं था, अतः पुनः जांच करायी जा रही है ।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है ।

जनपद बलिया में ब्लाक वार लाभ घाटे पर चल रही साधन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने/जांच कराने की मांग

114–श्री हरदेव सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में ब्लाक वार कितनी साधन सहकारी समितियां लाभ में चल रही हैं तथा कितनी घाटे में चल रही हैं ? क्या सरकार लाभ वाली समितियों को प्रोत्साहित करने और घाटे में चल रही समितियों के घाटे के कारणों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

बलिया जनपद में 70 साधन सहकारी समितियां लाभ पर चल रही हैं एवं 86 साधन सहकारी समितियां हानि पर चल रही हैं ।

जी हां । जांच हेतु आदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच अब्दुल हन्नान पुत्र शमशेर के पंजीकृत अपराधों का विवरण/अवैध गतिविधियों की जांच रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित किया जाना

115–श्री गोमती यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–83 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल हन्नान पुत्र शमशेर निवासी ग्राम मदरापाली भरथराय, थाना–रामपुर कारखाना, जनपद–देवरिया के शातिर अपराधी पुत्रों अलाउद्दीन एवं हकीम के विरुद्ध वर्तमान में जनपद कुशीनगर के दो थाना क्षेत्रों, थाना–कुबेरस्थान (मु० अ० सं०–107, 116 सी० आर० पी० सी० चालान) तथा थाना–कसया (मु०अ०स०–543/97 धारा–147, 323, 342) में क्या मुकदमा पंजीकृत है ? क्या उक्त हिस्ट्रीशीटर के तीसरे पुत्र अन्तर्राष्ट्रीय ठग रजा खान को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली अन्तर्गत आरिफ कैसल होटल में 21/22 जनवरी, 1997 को तत्कालीन इन्सपेक्टर द्वारा फर्जी ए० डी० एम० गाजियाबाद के रूप में गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त अन्तर्राष्ट्रीय ठग रजा खान के पास से बरामद महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक तथ्यों तथा उक्त कोतवाली में उसके विरुद्ध पंजीकृत अपराध से संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अभिलेखानुसार थाना–कुबेरस्थान में अलाउद्दीन एवं हकीम के विरुद्ध 107/116 ज० फौ० की कार्यवाही का होना नहीं पाया गया । थाना–कसया में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हैं ।

जी हां ।

आरिफ होटल के प्रबन्धक शेखर शर्मा की शिकायत पर रजा खान के विरूद्ध थाना–हजरतगंज में धोखाधड़ी का मुकदमा अपराध संख्या–49/97 धारा 420 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ । प्रकरण में समस्त अभिलेखों सहित आरोप पत्र संख्या–100 मा० सक्षम न्यायालय में दिनांक 21-3-97 को प्रेषित किया जा चुका हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के अब्दुल हन्नान पुत्र शमशेर के पंजीकृत अपराधों का विवरण तथा अवैध गतिविधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की जानकारी

116–श्री गोमती यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम सोमवार के अता० प्र० सं०–83 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुख्यात हिस्ट्रीशीटर श्री अब्दुल हन्नान पुत्र शमशेर निवासी ग्राम मदरापाली भरथराय, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के शातिर अपराधी पुत्र अलाउद्दीन के वर्तमान अपराधिक इतिहास एवं अवैध गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये हिस्ट्रीशीट खोलने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

अलाउद्दीन के विरूद्ध वर्ष 1977 के बाद स्थानीय पुलिस में कोई अपराध अंकित नहीं हैं ।

पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विजिलेन्स जांच का प्रकरण

117–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक श्रीयुत श्री राम अरुण द्वारा भ्रष्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की विजिलेंस जांच कराने हेतु कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तत्कालीन पुलिस महानिदेशक श्रीयुत श्री राम अरूण द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था । शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त एक अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच का औचित्य नहीं पाया गया तथा एक अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच के संबंध में निर्णय से पूर्व अभिसूचनात्मक जांच करायी जा रही है । शेष दो अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच पूर्ण हो चुकी है तथा एक अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है ।

118–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई थाना-कछौना, सण्डीला नवम्बर, दिसम्बर, 1997 में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर जांच आख्या न भेजने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119–डा० मुस्लिम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के थाना–कछौना, थाना–सण्डीला के अन्तर्गत माह नवम्बर,–दिसम्बर, 1997 में किन-किन व्यक्तियों द्वारा शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र भरे गये थे ? इनमें से किन-किन के संबंध में तहसील तथा थाना स्तर की जांच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो गई है ? क्या कुछ व्यक्तियों की जांच आख्या अभी तक नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या लम्बे समय तक जांच आख्या न भेजने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वांछित सूचना संलग्न है ।

जी हां ।

जिला मैजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा उक्त मामलों में विलम्ब के कारणों सहित वांछित जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । जिला मैजिस्ट्रेट से आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

(संलग्नक के लिये कृपया देखिये नत्थी (ख) पृष्ठ 160 पर ।)

प्रदेश के थानों में विगत वर्षों से प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने की सूचना की जानकारी

120–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

'क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने की शिकायतें निरन्तर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ रही है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बस्ती में एक जुलाई 1996 से 6 अक्टूबर, 1996 तक कितने मामलों में संबंधित थानों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की सूचना प्राप्त हुई थी ?

श्री कल्याण सिंह–

पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में शत प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु शासन व पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं । यदि कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत पायी जाती है तो उस पर तत्काल जांच कराकर दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित किया जाता है और साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाती है ।

जनपद बस्ती में 1 जुलाई, 1996 से 6 अक्टूबर, 1996 तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद–उन्नाव, थाना–औरास, ग्राम–नारायणपुर के श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री राम कृपाल को एस० आई० द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

121–श्री बिजेन्द्र आर्य–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री राम कृपाल ग्राम नरायणपुर थाना औरास, जनपद उन्नाव का एस० आई० धर्मवीर शर्मा के द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के संबंध में विधायक श्री राजधारी का पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1998 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भगत पत्र के संबंध में वर्णित शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकारी, हसनगंज, जनपद उन्नाव से जांच करायी गयी ।

जांच आख्या से यह विदित होता है कि दोनों पक्ष एक ही खानदान के है और इनके मध्य मकान तथा खंडहर के पानी के निकासी हेतु बनी नाली को लेकर विवाद है । पत्र में वर्णित अन्य आरोप जांच में सही नहीं पाये गये । उपनिरीक्षक धर्मवीर शर्मा द्वारा सर्वेश कुमार अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को प्रताड़ित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में आई० एस० आई० गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष बल गठित कर पूर्व सैनिकों के नियोजन की जानकारी

122–कुंवर चन्द्र पनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में आई० एस० आई० एवं विध्वंसात्मक गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष बल गठित करने एवं भू० पू० सैनिकों को उसमें नियोजित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षण एवं स्थापना के लागत में मितव्ययिता को देखते हुये पूर्व में गठित भारत नेपाल सीमा पुलिस में ही पूर्व सैनिकों को नियोजित कर उक्त बल को मूर्त रूप देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव के पूर्व सचिव/प्रबन्धक के विरुद्ध जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

123–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव के पूर्व सचिव/महाप्रबन्धक ने सी–128/अधि० लखनऊ दिनांक जनवरी 19/1996 का परिपालन न करने की जांच जिला सहायक निबन्धक उन्नाव ने की है और जांच में पूर्व सचिव/महाप्रबन्धक को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

सचिव जिला सहकारी बैंक उन्नाव को जांच में निबन्धक के परिपत्र संख्या–सी–128 दिनांक 19 जनवरी, 1996 का अनुपालन न करने का आंशिक दोषी पाया गया हैं .

जी हां ।

सचिव का स्थानान्तरण उन्नाव जनपद से अन्यत्र कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, जिला सहकारी बैंक लि० शाखा बीघापुर के शाखा प्रबन्धक द्वारा आर्थिक गड़बड़ियों की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

124–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि [illegible] मा० प्रमुख क्षेत्र पंचायत बीघापुर जनपद उन्नाव ने जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव [illegible] शाखा प्रबन्धक द्वारा बीघापुर समिति में किये गये आर्थिक गड़बड़ियों की जांच कराने [illegible] सहायक निबन्धक को दिनांक 2-11-98 को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही [illegible] हैं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक को जांच [illegible] दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय उप निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० लखनऊ के पत्र पर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

125–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय उप निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र०, लखनऊ ने अपने पत्रांक अ० सा० पत्रांक 5050-52/स्था०/दिनांक सितम्बर, 21/1998 द्वारा श्री राकेश कुमार शुक्ला निरीक्षक वर्ग–2 सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति पत्र अपर निबन्धक प्रशासन को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

सी० सी० ए० रूल्स के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ महिला थाना, हजरतगंज में सितम्बर, 1997 में दर्ज मुकदमें पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश पर कार्यवाही की जानकारी

126–श्री हरवंश कपूर–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के महिला थाना (हजरतगंज) में सितम्बर, 1997 में दर्ज ऐसे कितने मुकदमें हैं जिसमें अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या यह सही है अपराध संख्या 25/97 धारा 498ए/506 आई० पी० सी० तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम महिला थाना हजरतगंज को मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उसके बाद भी स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आलोच्य अवधि में महिला थाना हजरतगंज में एक अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 27/97 धारा 498 ए/323/506 भादंवि० व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम सै० इन्तेखान आलम पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट सं० 17 प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की जा चुकी है ।

जी हां ।

मु० अ सं० 25/97 धारा 498ए/506 भा०दं०वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम बनाम अनुराग गुप्ता आदि में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक 16-1-1998 को, विवेचना के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेशों के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रीमती राजेन्द्र कौर एवं सुश्री अनुपमा गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया । इस अभियोग की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर इन दोनों अभियुक्तों का चालान आरोप पत्र सं० 11/98 दिनांक 29-8-98 द्वारा न्यायालय किया जा चुका है । इस अभियोग के अन्य अभियुक्त अनुराग गुप्ता के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती मीना पुत्री श्रीवली मोहम्मद निवासी परचूनी गली, कोतवाली मथुरा को झूठे मुकदमें में फंसाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

127–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बीना पुत्री श्रीवली मोहम्मद निवासी परचूनी गली मनोहरपुरा थाना कोतवाली मथुरा को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/16699/मथुरा 98. दिनांक 28-9-98 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, श्रीमती रामदेई, प्रधान ग्राम पाडल गोवर्धन की सुरक्षा विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

128–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के गोवर्धन, विधान सभा क्षेत्र की निवासी श्रीमती रामदेई प्रधान ग्राम पाडल, गोवर्धन की सुरक्षा किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक: सी० एम०/वि०को०/एम–3/18180/मथुरा/98. दिनांक 14-11-98. प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्रीमती रामदेई प्रधान ग्राम पाडल का प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ । प्रकरण की विवेचना से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । वर्तमान में कोई समस्या नहीं है । थानाध्यक्ष गोवर्धन को श्रीमती रामदेई प्रधान की उचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा बिना राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के शस्त्र लाइसेन्स निर्गत न करने का प्रकरण

129–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर बिना राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के कोई भी शस्त्र लाइसेन्स निर्गत नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थित शस्त्र लाइसेन्स जारी करने हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर मा० विधायक क्षेत्र जहांगीरगंज से संबंधित सभी लाइसेंस आवेदन पत्रों का निस्तारण कर लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है ।

राम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान कायम मुकदमों को वापस लिये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

130–श्री लाखीराम जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान कायम किये गये मुकदमों को वापस लिये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी का पत्र संख्या–क–2 नं 063477 दिनांक 2-1-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त मुकदमों को अविलम्ब वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विचार हुआ । परन्तु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है ।

विचार हो चुका है, परन्तु अनुमति नहीं मिली है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक के आवास में स्थित भूमि पर फसलों से आय के विवरण की जानकारी

131–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के आवास में स्थित भूमि से 12-7-98 से अब तक रबी, खरीफ की फसलों से होने वाली आय का विवरण क्या है ? क्या उसकी आय राजकीय कोष में जमा की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक के आवासीय परिसर में फलों का बगीचा, लान व छायादार वृक्ष है, तथा कुछ खाली भूमि है । फिलहाल में रबी एवं खरीफ की कोई फसल अब तक नहीं हुई है । जिसकी आय राजकीय कोष में जमा की जा सके ।

जनपद प्रतापगढ़ में थाना अध्यक्षों की नियुक्ति के मानक/कार्यान्वयन की जानकारी

132–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि [illegible] थाना अध्यक्षों को नियुक्त करने के क्या मानक हैं ? क्या उनका [illegible] नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

20% थानों पर [illegible] थानों पर अन्य [illegible] थानों पर अल्प संख्यक नियुक्ति [illegible] । कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हेतु जिले [illegible] एवं मजबूती को ध्यान रखते हुए [illegible] संयुक्त रूप से [illegible] के उपरान्त [illegible] ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर थानों में [illegible] को ध्यान में रखते हुए मेरिट पर थानाध्यक्ष पद

पर नियुक्ति की जाती है । जनपद प्रतापगढ़ में थानाध्यक्षों की नियुक्तियों में उक्त मानक का पालन किया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

133–श्री अजय कुमार पोइया–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

उत्तरांचल क्षेत्र में राजकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों के नई प्रक्रिया के कारण वेतन भुगतान में हो रही असुविधा को सुधाने पर विचार

134–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में राजकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान की नई प्रक्रिया के कारण दूरस्थ क्षेत्र के कर्मचारियों एवं उत्तरांचल क्षेत्र की विषम भौगोलिक विषमताओं के कारण वेतन भुगतान करने में व्यापक व विषम असुविधायें हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में व्यवहारिक रूप से सुधार करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सामान्यतया एक जनपद में एक ही कोषागार होता है । उत्तरांचल क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थतियों को देखते हुए पहाड़ी जिलों में एक से अधिक कोषागार पहले से ही सृजित है । कोषागार से ही आहरण वितरण अधिकारी सम्बद्ध होते हैं । शासन का यह निर्देश है कि आहरण वितरण अधिकारी समय से कोषागार में बिल प्रस्तुत कर समय से कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करें । अतः नई प्रक्रिया से असुविधा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता । जहां पर स्पष्ट रूप से कोई कठिनाई संज्ञान में आती है उस पर गुण-दोष के आधार पर तत्काल निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली, सेठ धनराज एग्रो लि० के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

135–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित सेठ धनराज एग्रो लि० के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/ एम–3/14229/मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जिलाधिकारी बरेली ने सूचित किया है कि विधायक कोष्ठक द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 28-7-98 उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु स्थानीय स्तर पर सेठ धनराज एग्रो लि० की कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर जांच उपरान्त थाना कोतवाली बरेली में मु० अ० सं० निल०/98 धारा 420/406 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया है ।

लखनऊ में लोहिया ट्रस्ट के न्यास निधि के विवरण कल्याणकारी योजनायें एवं ट्रस्ट में सरकार के सदस्यों की संख्या की जानकारी

136–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सन् 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा गठित "लोहिया ट्रस्ट" की कुल न्यास निधि क्या है ? इस निधि से क्या-क्या कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं ? उक्त ट्रस्ट में सरकार के कितने सदस्य न्यास संचालक हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

डा० राम मनोहर लेहिया ट्रस्ट इटावा कैम्प कार्यालय लखनऊ की न्यास निधि वर्ष 1993-94 की बैलेन्स शीट के अनुसार रु० 44,34,631.96 है ।

चलायी जा रही योजनाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । संस्था के स्मृति-पत्र में निम्न उद्देश्य अंकित हैं :–

(1) सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन ।

(2) नारी शिक्षा एवं उत्थान की योजनायें बनाना तथा उसका क्रियान्वयन ।

(3) विकलांगों के उत्थान तथा समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना ।

(4) पर्यावरण विकास एवं संतुलन हेतु जन-जागृति पैदा करना ।

(5) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं दलित लोगों के उत्थान हेतु कार्य करना ।

(6) सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधायें बनाने हेतु विभिन्न शीर्ष संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना ।

(7) समाज के हर वर्ग के आर्थिक रूप से विभिन्न लोगों के उत्थान हेतु योजनायें बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना ;

(8) महान समाजवादी चिन्तक डा० राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों एवं विचारों का प्रचार-प्रसार करना ।

(9) लाइब्रेरी श्रृंखला की स्थापना ।

(10) शैक्षिक रिसर्च तकनीकी एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रचार-प्रसार ।

(11) युवकों के मार्गदर्शन एवं जानकारी के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ।

(12) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य प्रोफेशनल संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबन्धन ।

वर्तमान में उक्त ट्रस्ट में सरकार का कोई न्यास संचालक नहीं है ।

जनपद लखनऊ, मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की न्यास निधि की सम्पत्ति का विवरण एवं लेखा परीक्षण की जानकारी

137–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में स्थित मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की कुल न्यास निधि व सम्पत्ति कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ट्रस्ट के न्यास संचालकों को न्यास निधि से प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है ? क्या उक्त ट्रस्ट के आय-व्यय का नियमित लेखा परीक्षण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के आधार पर मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट नहीं है, अपितु मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी है । जिसकी न्यास निधि दि० 31-3-1998 को रुपये 7,83,55,792-32 तथा सम्पत्ति का पुस्तक मूल्य रु० 7,04,93,405-00 है ।

सोसाइटी के न्यास संचालकों का न्यास निधि से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

अतारांकित प्रश्न संख्या–130 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं प्रश्न सं०–130 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मैंने प्रश्न किया था और उसके उत्तर में यह आया था कि राम जन्म भूमि के सम्बन्ध में जो भी मुकदमें हैं उनको वापस ले लिया जायेगा और कहा गया है कि सक्षम स्तर से अनुमति नहीं मिल रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन मुकदमों को कब तक वापस ले लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अतारांकित प्रश्नों में कोई अनुपूरक नहीं होता है । यह अनुमन्य नहीं है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 केअन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 6 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं ।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुयी मान ली गईं)

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में फर्जी मुकदमें कर गरीबों की जमीन हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर की तहसील-गौरीगंज में लेखपाल, तहसीलदार आदि मिलकर एक साजिश के तहत गरीबों की जमीन हड़पने का कुचक्र चलाया जा रहा है । उदाहरणार्थ श्री शमशेर सिंह निवासी–ग्राम–राजापुर कौहार सुल्तानपुर के बाबा माताबदल सिंह उर्फ बदलू सिंह, जिनकी लगभग 30–35 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की जमीन शमशेर बहादुर तथा सगे भाई राजबहादुर बतौर वारिस दर्ज होकर काबिज हुए । इसी गांव के सूबेदार पुत्र श्री नाथ पाल ने हल्का लेखपाल और तहसीलदार को गुमराह कर उक्त माताबदल सिंह का तीसरा पुत्र दिखाकर शमशेर सिंह जो इस समय बीमार हैं उनके भाई राजबहादुर सिंह जो बाहर रहते हैं के फर्जी हस्ताक्षर व बयान कराकर सहखातेदार दर्ज करा लिए, जबकि माताबदल सिंह जाति के ठाकुर हैं वहीं फर्जी भाई बने तथा कथित सहखातेदार और सूबेदार जाति के गड़रिया । इसकी कोई नोटिस प्रधान व पक्षों को न देकर गुपचुप तरीके से किया गया । इससे तहसील कर्मियों से जनता का विश्वास उठ गया है तथा शासन की छवि धूमिल हुई है । जनता में भारी असन्तोष एवं आक्रोश है । गरीब जनता भयग्रस्त हो गयी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त फर्जी खातेदार का नाम उक्त खाते से हटाकर फर्जी खातेदार एवं तहसीलदार और लेखपाल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इण्टर कालेज दुर्गागंज भदोही के पीड़ित सात अध्यापकों को माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद भदोही सन्तरविदास नगर विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत स्थित इण्टर कालेज दुर्गागंज के सात अध्यापकों 1. प्रेमचन्द्र पाण्डेय, 2. लालजी पाण्डेय, 3. संगम लाल शुक्ल, 4. ब्रह्मदेव पाण्डेय, 5. संकठा प्रसाद पाण्डेय, 6. श्रीनाथ पाण्डेय, 7. शंकर गिरि को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका संख्या–8194/94 एवं 8190/94 दिनांक 18-12-95 को अवशेष सहित वेतन भुगतान का आदेश दिया ।

जिसके विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एस०एल०पी० दाखिल किया था जो खारिज कर दी गयी । पुनः उ० प्र० शासन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० दाखिल किया था जो खारिज हो चुकी है । तत्पश्चात् उ० प्र० शासन ने मा० उच्चतम न्यायालय के रिब्यू याचिका दाखिल किया जो दिनांक 4-8-98 को खारिज हो चुकी है । किन्तु अभी तक वेतन का भुगतान न होने से अध्यापकों के समक्ष गम्भीर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः कृपया इण्टर कालेज दुर्गागंज भदोही से पीड़ित 7 अध्यापकों के शीघ्र वेतन भुगतान हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

ग्राम सोरों और कांकड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर में पानी की टंकियों के निर्माण में एवं पाइप लाइन बिछाने में मानक के अनुरूप कार्य न करने की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजपाल सिंह–

[ग्राम सोरों एवं ग्राम कांकड़ा विकास खण्ड–शाहपुर जनपद–मुजफ्फरनगर में जल निगम द्वारा पानी की टंकियां लगायी गयी हैं । इन टंकियों के निर्माण में तथा पाइप लाइन बिछाने में घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग की गयी है । कार्य मानक के अनुसार नहीं किया गया है पानी की जो पाइप लाइन बिछाई गयी है वह पानी की ऊपरी सतह के पास है निर्धारित गहराई पर नहीं बिछाई गयी है जो कभी भी फट सकती है । इस संबंध में अनेकों बार सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया है जिसके कारण इन टंकियों के द्वारा भविष्य में जल आपूर्ति होना लगभग असम्भव है ।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की तरफ आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कसाणा बुकण्डी आदि को अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त होने के कारण अन्यत्र बसाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कसाणा, बुकण्डी आदि 12 गांव अतिवृष्टि एवं भू–स्खलन से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं । यह गांव रहने योग्य नहीं है । बरसात में कसाणा गांव के

नोटः [ ] यहअंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गांव छोड़ने का निर्देश दिया था । यदि इन उक्त ग्रामों के ग्रामवासियों को अन्यत्र नहीं बसाया जाएगा तो मालपा व रुद्रप्रयाग की त्रासदी की पुनरावृत्ति हो सकती है । जानमाल की अपार क्षति की सम्भावना है ।

इस वर्ष भू-स्खलन एवं अतिवृष्टि से लोगों के मकान, गौशाला व अन्य क्षति हुई है । उसकी क्षतिपूर्ति शासन के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इन प्रकरणों को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।]

आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह बताना चाहता हूं कि ब्लाक तहबरपुर में आज तक इस प्रगतिशील युग में कोई राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना नहीं हो पायी है । उक्त क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । बालिकायें विद्यालय के अभाव में अपनी कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं । उच्च शिक्षा हेतु लड़की का अकेली दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना उचित न होने के कारण शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाती है । जिससे लड़की के न पढ़ पाने से लड़की के साथ तमाम प्रकार की परेशानियां पेश आती हैं । जैसाकि एक लड़की के पढ़ने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है परन्तु उक्त विद्यालय न होने से यह कहावत चरितार्थ नहीं होती दिखती है । यह ब्लाक पिछड़ा इलाका होने के कारण ज्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं जो अपनी लड़कियों को दूर भेजकर पढ़ाई नहीं करा सकते हैं ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि ब्लाक तहबरपुर विद्यालय पर एक राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर स्थापना कराया जाय ।]

मेरठ महानगर में पेयजल संकट के निवारणार्थ पाइप लाइन विहीन क्षेत्रों में हैण्डपम्पा की स्थापना के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[श्रीमन्, मेरठ महानगर में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्रों में अभी तक पाइप लाइन नहीं है । शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये हैण्ड पम्पों का सर्वथा अभाव है ।

गौतमनगर, गणेशपुरी, पुरानी मोहनपुरी, भगवतपुरा, इन्द्रानगर, शिवशक्तिनगर, मास्टर कालोनी, वंशीपुरा, लक्ष्मीनगर, हनुमान पुरी, देवीनगर, पुरवाशेखलाल, लोधीगली, शिवाजी रोड, ईश्वरपुरी, हरिनगर आदि मोहल्ले में हैण्ड पम्प की महती आवश्यकता है ।

सरकारी सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों, डिग्री कालेजों में विद्युत आपूर्ति बन्द हो जाने के कारण पेयजल का संकट हो जाता है । सम्पूर्ण मेरठ महानगर के इन विद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्रों एवं छात्राओं के समक्ष पेयजल की समस्या विभीषका के रूप में है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगामी ग्रीष्म ऋतु में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण आसन्न पेयजल संकट के निवारणार्थ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन को संज्ञान में लेते हुए 100 हैण्ड पम्पों की स्थापना हेतु राशि अवमुक्त करने की मांग करता हूं ।]

स्वास्थ्य विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के नियम–158 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें है कि विधान सभा के सदस्यों में वितरण हेतु जो साहित्य भेजा जाय उसकी 600 प्रतियां हिन्दी में आनी चाहिये । यह साहित्य कम से कम 4 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिये ।

लेकिन मान्यवर, आज जो बजट साहित्य दिया गया है वह हम लोगों को 9 बजकर 25 मिनट पर दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है । इसके संबंध में आप की पीठ से समय-समय पर निदेश दिये जाते रहे हैं । बजट साहित्य समय से न मिलने पर एक बार श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष के पास लिखित माफी नामा भेजा था कि समय से बजट साहित्य नहीं आया था । ऐसी लापरवाही के लिये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को सदन में बुलाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को तलब क्यों न किया जाय ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, वैसे जो भी आपके निर्देश होंगे वह शिरोधार्य है । लेकिन मान्यवर, बीच में होली की छुट्टी थी । मान्यवर, आज नौ बजे के पहले इसे पटल कार्यालय पर उपलब्ध करवा दिया जो विलम्ब हुआ उसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं । बीच में होली की छुट्टी पड़ गयी और उसके बाद मशीन खराब हो जाने से यह समय पर उपलब्ध नहीं हो पायी । आज नौ बजे के पहले पटल कार्यालय पर उपलब्ध करा दिया था बाकी जैसा आपका निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

अगर होली की छुट्टी थी तो उसके बाद भी तीन दिन पहले कार्यालय खुल गये थे ।

श्री अध्यक्ष–

आपने बताया कि मशीन खराब हो गयी थी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 4, 5, 6, बुद्धवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कार्यालय खुल गये थे केवल विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा था यह अधिकारियों का उपेक्षापूर्ण रवैया है । सदन की गरिमा बनाये रखना आवश्यक है । साहित्य आदि पटल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया । इसको गंभीरता से लेते हुए निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

यह महत्वपूर्ण मसला है । मान्यवर, इसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तलब करायें क्यों यह साहित्य विलम्ब से उपलब्ध कराया गया ?

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् यह गंभीर विषय है । आज भी यह प्रश्न नहीं उठा बल्कि पहले भी इस तरह के प्रश्न उठाये जा चुके हैं कि समय पर बजट साहित्य उपलब्ध नहीं होता है । जिससे कटौती के प्रस्ताव प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । आपके आदेशों के बावजूद इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती । अधिकारी निरंकुश हो गये हैं । केवल श्रीमन् आपका ही सहारा है । प्रमुख सचिव को तलब किया जाय तब कहीं कुछ कार्यवाही हो सकती है । यह एक उदाहरण बनेगा और इसमें आपकी गरिमा बढ़ेगी । संभवतः सरकार के कानों पर जूं रेंगेगी ।

श्री अध्यक्ष–

चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का जो बजट साहित्य है उसका एक अंक 9.20 बजे और दूसरा 9.30 बजे प्राप्त हुआ । बजट साहित्य नियमानुसार समय पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में इसी पीठ से और इससे पहले भी निर्देश दिये गये हैं । संबंधित विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिये गये हैं कि नियत तिथि के 4 दिन पूर्व मा० सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए । इसका पालन नहीं हो रहा है । थोड़ा बहुत कभी हो जाय तो वह अलग है । लेकिन निरन्तर जब इस प्रकार की बात हो रही है तो सदन के लिए चिन्ता का विषय है ।

क्योंकि कभी-कभी मन के अन्दर आशंका उठती है कि यहां के निर्देशों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है । स्वाभाविक है कि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है । इस सचिवालय द्वारा भी सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र भेजकर अनुरोध किया जा चुका है कि विभागीय साहित्य नियमों के अनुसार समय पर उपलब्ध करा दिया जाय । यह देखा जाता है कि विभिन्न विभागों द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों की अवहेलना होती है और समय से साहित्य उपलब्ध नहीं कराते । मैंने कहा था कि क्या प्रमुख सचिव को यहां उपस्थित कराकर उनसे स्पष्टीकरण किया जाय लेकिन मैं एक मौका और देना चाहता हूं और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और आवश्यक कार्यवाही की सूचना इस सदन को दे दें । इसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो जो भी इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव होंगे उनको यहां उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा कि समय पर बजट साहित्य क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ।

सत्रकाल में नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय कौकब हमीद और माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी यही चर्चा चल रही थी कि आपके निर्देशों को सरकार गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आपको और सदन को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है। बजट सत्र चल रहा है। बजट प्रस्तुत हुआ और विभागीय बजट पर मतदान हो रहा है और वह प्रतिदिन पारित हो रहा है। सरकार की तरफ से एक निश्चित रूपरेखा आयी लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि 2 दिन पूर्व बजट सत्र के चलते हुये कई चीजों पर नये कर लगा दिये गये। जिन चीजों पर नये कर लगाये गये हैं उनको आप देखें वह है डिब्बा बन्द फल, सब्जियां, कपड़ा, तम्बाकू, इन चीजों पर नये कर लगाये गये हैं। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और मात्र एक सप्ताह पूर्व ही बजट प्रस्तुत हुआ है तो सरकार ने इन चीजों पर पहले कर क्यों नहीं लगाये और एक सप्ताह में ही ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गयी कि सरकार को नये कर लगाने का प्रस्ताव लाना पड़ा। इसकी सूचना पहले सदन के अन्दर ही जाना चाहिये थी लेकिन सरकार सदन की अवमानना कर रही है और सम्मानित सदस्यों की अवमनना कर रही है।

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न तो है ही सदन की इससे ज्यादा गंभीर अवमानना नहीं हो सकती। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ–29 पर कहा है कि ओबरा और आनपरा तापीय विद्युत गृहों को उत्पादन निगम को सौंप दिया जायेगा। इस पर सदन ने विचार किया और मतदान कर दिया और वह पारित हो गया। उसके बाद मंत्रि-परिषद् में इसके प्रतिकूल निर्णय ले रहे हैं। घोषित नीति से अलग हटकर निर्णय कर रहे हैं।

संभवतः आज ऊर्जा मंत्री मंत्रि-परिषद् ने जो निर्णय लिया है उसके अनुरूप विधेयक लाने जा रहे हैं। जब सदन में एक चीज पारित हो गयी तो उसके विपरीत निर्णय कैसे लिया जा सकता है ? जब वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया तो उस समय नये करों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गयी ? सरकार को कम से कम इतनी शर्म और हया होनी चाहिये कि कम से कम बजट सत्र तो बीत जाता और उसके बाद कर लगाते। बजट लाने के एक सप्ताह के बाद नये कर लगाये गये। मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट करायें कि मैंने जिन चीजों का उल्लेख किया उन पर कर लगाये गये हैं। यदि नहीं; तो सरकार सदन में आश्वासन दे दें कि इन चीजों पर नये कर नहीं लगाये गये हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी 18 फरवरी, 1999 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1999–2000 के वित्तीय वर्ष का बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता जो 410 प्रमोद तिवारी जी ने कही है। बजट प्रस्तुत किये हुये अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि प्रदेश सरकार को अपनी गलतियों का भान हुआ कि बगैर उत्तर प्रदेश की जनता पर कर लादे सरकार चल नहीं सकती। आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में मा० मुख्य मंत्री ने यह घोषणा नहीं की कि अब उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जिनके पास गैस-कनेक्शन हैं उनको मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

मिट्टी का तेल उपलब्ध होने या न होने से बजट का क्या सम्बन्ध है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मा० मुख्य मंत्री जी के अपने बजट में जिन बातों का जिक्र किया है उसके विपरीत सरकार निर्णय ले रही है । मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि यह सरकार 4 प्रतिशत की दर से कुछ आवश्यक वस्तुओं पर व्यापार कर लगाने जा रही है । इस बात की व्यवस्था सरकार की अपने सालाना बजट में ही करनी चाहिए थी । अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार काले धन्धे में लिप्त व्यवसायियों की सरकार है । सरकार की इस सदन के प्रति जवाबदेही है लेकिन सरकार इसका उल्लंघन कर रही है । मान्यवर, यह गंभीर मामला है । यह स्पष्ट रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है । मैं आपसे बिनती करता हूं कि आप इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, बात कर लगाने और बढ़ाने की नहीं है । बात इस बात की है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी चन्द दिनों पहले यहां पर बजट प्रस्तुत किये और छाती पीट-पीट करके कहा कि मैं कर मुक्त बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । अभी हफ्ते-दस दिन भी नहीं बीता कि मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि कुछ आवश्यक सामग्रियों पर 4 प्रतिशत कर लगाया जाये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते वक्त तमाम भूल की थी और आपने माफ कर दिया था कि यह कम्प्यूटर की गलती है । लेकिन इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नीयत से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया और सदन के सामने झूठ बोलकर छाती पीटकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ढोंग हास्यास्पद है । यह केवल हास्यास्पद ही नहीं है अपुतु पीठ का उपहास है । सदन की गरिमा का उपहास है । इसलिए ऐसे औचित्यपूर्ण मामले पर आपकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे सरकार अफरा-तफरी में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डींगें न मारा करें ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय तिवारी जी और माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उसके अलावा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समय विधान सभा सत्र में है । विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है और जब हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि यह घाटा कैसे पूरा होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आने वाले सामानों पर 500 करोड़ का कर लगा रहे हैं जिससे घाटा पूरा करेंगे और कर वसूल करके पूरा करेंगे ।

अभी चार पांच उत्पादों पर चार प्रतिशत बिक्रीकर लगा दिया गया है । सदन चल रहा है । यह हाउस आफ कामन्स की परम्परा है और यहां की परम्परा है । संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि सदन के चलते हुए भी कर बढ़ाने की घोषणा बाहर कर दी गई । यह सदन की आवमानना तो है ही यह आपकी भी अवमानना है । सरकार ने सदन को गंभीरता से नहीं लिया । यह सरकार परम्पराओं को नहीं मानती है । समय-समय पर पीठ से भी निर्देश हुए हैं कि जब सदन चल रहा हो तो कर बढ़ाने की घोषणा सदन में करनी चाहिए ।

ऐसा गंभीर प्रस्ताव यह मंत्रि-परिषद् में ले आए लेकिन सदन में नहीं लाए इससे बड़ा परम्परा का हनन दूसरा नहीं हो सकता है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें कि जो प्रस्ताव यह सदन के बाहर लाए हैं वह प्रस्ताव इनको सदन में लाना चाहिए था । जो इन्होंने सदन के बाहर घोषणा की है उस पर इनकी भर्त्सना होनी चाहिए । यह मैं आपसे आग्रह करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री कौकब हमीद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन चल रहा हो तो सदन की एक परम्परा होती है । उसकी एक गंभीरता होती है । उसकी इज्जत होती है । 19 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बाकायदा यह कहा था कि हम कोई कर अपने प्रस्ताव में नहीं लाने जा रहे हैं । मैं कर मुक्त बजट पेश कर रहा हूं । जब होली की छुट्टी चल रही है उस समय बाकायदा यह निर्णय ले लिया जाय कि महत्वपूर्ण चीजों पर चार प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाए । यह अखबारों के द्वारा पता चले । यह उचित नहीं है । ऐसा कभी नहीं हुआ है । जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसी समय बाकायादा तय कर लिए होते कि हम टैक्स लगायेंगे । बजट में इन्होंने बाकायदा यह भी कहा कि हम इतने निगम बनाने जा रहे हैं । इसकी कापियां भी हमें दी गई थी बिजली में जनरेशने के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग-अलग निगम बनेंगे पुनः आप यह तय कर लें कि हम ओबरा और आनपरा को नहीं बनाने जा रहे हैं । तो पहले यह बताने की क्या जरूरत थी । उस समय इसके लिए हड़ताल भी हुई थी । उस समय सोच समझ कर बात कहनी चाहिए थी । आप सदन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । जो कहा जाता है वह कार्यवाही का भाग बनता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं जो पूर्व वक्ताओं ने कही हैं । मैं आपका ध्यान 10 फरवरी को शतरुद्र प्रकाश ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था उस पर आपकी पीठ से जो निर्णय लिया गया था उसकी ओर ले जाना चाहता हूं कि उसमें यह कहा गया था यदि सत्र आहूत होने के उपरान्त या सत्र के दौरान शासन के द्वारा कोई नीति गत घोषणा सदन के बाहर की जाय तो यह औचित्य का प्रश्न बन सकता है । यह इसी पीठ से दी गई व्यवस्था है इसी संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ने जो इस सदन की अवमानना की है । सदन की अवहेलना की है जिसके बारे में इस पीठ से स्पष्ट निर्णय दिया गया है जिस दृष्टान्त को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है इस पर आप व्यवस्था दें जिससे भविष्य में किसी सरकार में यह साहस न हो । यह प्रदेश के 16 करोड़ जनता की अवमानना है । इस पर आपकी पीठ से कोई व्यवस्था का निर्देश मैं चाहता हूं ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, जब बजट इस प्रदेश का प्रस्तुत हुआ था इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने अपनी बात कही थी और कहा था जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह एक छलावा है । मृगतृष्णा है और आंकड़ों का भ्रमजाल है । घाटा जो दर्शाया गया है उससे भी कहीं अधिक घाटा परिलक्षित हो रहा है । आज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हमने कर रहित बजट पेश किया है वह बिल्कुल मिथ्या है । मैंने उस समय यह भी कहा था कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैंने यह भी कहा था कि यदि आप नये कर नहीं लगाने जा रहे हैं तो बजट चर्चा समाप्त जब होगी तो उस समय आप अपना उत्तर दे दीजिये कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे । परन्तु उस समय कोई उत्तर नहीं दिया गया । मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी कोई आश्वासन नहीं मिला ।

अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये के हिसाब से कामकाज चला रही है और पूरी तरह से सदन को उपेक्षित कर रही है । मान्यवर, यही नहीं और भी नये कर यह सरकार जनता पर लगाने के लिए कटिबद्ध है । मैंने कहा था कि सारा प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोण से ध्वस्त हो चुका है और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गयी है । इसलिए निश्चित रूप से यह सरकार नये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर लगायेगी । आज यह बात स्पष्ट हो गयी है । मैं चाहूंगा कि विधान सभा का सत्र चल रहा है । सरकार ने नये कर लगाने की जो घोषणा की है इसके लिए आप इन्हें आदेश दें कि वह इन करों को वापस लें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार की भर्त्सना भी करता हूं । इसलिए कर रहा हूं कि ताकि सरकार यह आश्वासन दे सके कि भविष्य में इस तरह की उपेक्षा सदन की नहीं की जायेगी और प्रजातान्त्रिक तरीके से इस सदन को चलाया जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न में दो बातें कही गयी । एक बात तो यह कि बजट सत्र चल रहा है और बजट प्रस्तुत हो चुका है । अनुदानों पर चर्चा भी चल रही है तथा मतदान भी हो रहा है । ऐसी स्थिति में सदन को विश्वास में लिए बिना कर लगाये गये हैं । मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की तिथि तक कोई भी कर नहीं लगाया गया है । दूसरी बात जिस और माननीय श्री अम्बरीष कुमार जी ने इशारा किया कि कोई नीतिगत घोषणा बाहर नहीं करेंगे मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । कोई नीतिगत घोषणा सदन से बाहर नहीं की गयी है । मैंने आपसे अनुमति भी मांगी है । वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु और इसकी जानकारी भी दी है ।

श्री अध्यक्ष–

जब मद संख्या–7 आयेगा तब उस समय आप स्थिति स्पष्ट कर देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

5 तारीख में मंत्रि-परिषद् की बैठक में कुछ निर्णय लिए गये । जो निर्णय लिए गये उनकी घोषणा कहीं पर नहीं की गयी । इसलिए नहीं की गयी कि उस दिन विधान सभा का सत्र नहीं था जिससे कि आपको उन निर्णयों की जानकारी दे सकूं । जहां तक समाचार-पत्रों का सवाल है । समाचार-पत्र स्वतन्त्र हैं । समाचार छापने के लिए । मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से न कोई प्रेस ब्रीफिंग की गयी, न कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी और न ही इस बारे में कोई नोटीफिकेशन किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से जारी किया गया । कुछ निर्णय लिए गये । आज पहला दिन है विधान सभा का सत्र यहां पर चल रहा है । मैंने उपवेशन शुरू होने से पहले ही आपकी सेवा में लिखित रूप से अनुरोध कर दिया था कि मैं उन निर्णयों की जानकारी देना चाहता हूं ।

मान्यवर, दूसरी बात अगर आपकी अनुमति हो तो केरोसिन का मामला कहा गया । यह नीतिगत मामला था इसकी जानकारी कहीं पर नहीं की दी गयी । इसे सदन में करना चाहते थे इसकी प्रतिलिपि आपको भेज दी है और माननीय सदस्यों को भी बांटी जा रही है । आपकी अनुमति हो तो पढ़कर सुना दूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण, माननीय मंत्री जी को सुविधा हो जायेगी । जो जानकारी हमने दी वह नाम बता दिये गये कि इन-इन पर कर बढ़ाया जा रहा है । मान्यवर, मंत्री जी सदन को आश्वस्त कर दें कि इन पर कर नहीं बढ़ाया जायेगा । मान्यवर, जो राज्य मंत्रि-परिषद् के निर्णय हैं वह बाहर कैसे आ गये उनको बाहर किसने कह दिया । किसी न किसी ने तो गोपनीयता भंग की है । मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता भंग करना गम्भीर अपराध है । मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि यह कर बढ़ाये गये हैं या नहीं जिसके बारे में अभी बताया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् का यह निर्णय पूरे प्रदेश को कैसे मालूम हो गया जबकि अभी उसका उल्लेख नहीं किया है ? मंत्रि-परिषद् में गोपनीयता नहीं रह गयी है । आपसी मतभेद है जिस बात को गुप्त रखना चाहिए था वह सार्वजनिक हो गयी । गोपनीयता भंग हुई है तो मंत्रि-परिषद् को बने रहने का अधिकार नहीं है । इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

जो निर्णय लिया गया मंत्रि-परिषद् में उसमें कुछ कर से सम्बन्धित हैं और कुछ नीतिगत निर्णय लिए गये । इससे पहले कि इनकी बाहर घोषणा की जाय । मैं आपकी अनुमति से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के फलस्वरूप पैदा हुई कठिनाई को दूर करने हेतु एवं घरेलू उत्पादकों के हित की रक्षा करने हेतु दिनांक 5-3-99 को सरकार ने निर्णय लिया है कि व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत कर मुक्त ताजा फल व हरी सब्जियों की श्रेणी से डिब्बा बन्द सब्जी को हटा लिया जाय और देश के बाहर से आयातित चीनी- तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद तथा सभी प्रकार के टैक्सटाइल पर 4 प्रतिशत का कर लगाया जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान मत करिये । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सदन की अवमानना की है और आपकी पीठ की भी अवमानना की है । मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए । जिन चीजों का नाम लेकर हमने यहां पर कर बढ़ाने की बात की थी और आपके संज्ञान में लाये थे उन्हीं चीजों को माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किस कानून में ऐसा प्रतिबन्ध है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मंत्रि मण्डल में शपथ लेते हैं कि गोपनीयता भंग नहीं होगी इसका वायदा लिया था वह तो भंग हो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी को अपना वक्तव्य पढ़ लेने दीजिये । आपने अपनी बात कह दी । संसदीय कार्य मंत्री अपना उत्तर दे रहे हैं बीच में व्यवधान न करें ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

वक्तव्य सुन लें विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के फलस्वरूप पैदा हुई कठिनाई को दूर करने हेतु एवं घरेलू उत्पादनों के हित की रक्षा हेतु दिनांक 5-3-99 को सरकार ने निर्णय लिया है कि व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत कर मुक्त ताजा फल व हरी सब्जियों की श्रेणी से डिब्बा बन्द सब्जी को हटा लिया जाय और देश के बाहर से आयतित चीनी, तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद तथा सभी प्रकार के टेक्सटाइल पर 4 प्रतिशत का कर लगाया जाय।

डिब्बा बन्द सब्जी पर कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा कर आरोपित किया जाता था। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिकरण ने निर्णय दिया कि डिब्बा बन्द सब्जी भी ताजे फल और हरी सब्जी की श्रेणी में आती है इस निर्णय से हुई कठिनाई को दूर करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रसंस्कृत एवं ब्राण्ड नाम वाले ताजे फल और हरी सब्जियां, जो सील्ड कन्टेनर या सील्ड पैकेट में बेचे जायं, को ताजे फल और हरी सब्जियों की श्रेणी से हटा दिया जाय। पहले से ही चल रही नीति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। भारत वर्ष के बाहर से आयातित चीनी, तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद व टेक्सटाइल पर व्यापार कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। जबकि भारत वर्ष के अन्दर निर्मित इन वस्तुओं पर व्यापार कर के स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार भारत वर्ष के बाहर से आयातित ऐसी वस्तुएं भारत के अन्दर निर्मित वस्तुओं की तुलना में सस्ती बिकेंगी और देश के अन्दर स्थापित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योगों को असमान प्रतिस्पर्द्धा से बचाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत वर्ष के बाहर से आयातित चीनी, टेक्सटाइल, सिगार, सिगरेट, टुबैको तथा उनके उत्पाद पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर आरोपित कर दिया जाय। उक्त की कर मुक्ति संबंधित विज्ञप्ति में से इन्हें निकाल दिया जाय।

मान्यवर, दूसरा वक्तव्य है मार्च, 1998 तक उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1,26,236 किलो लीटर मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा था। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से अप्रैल, 1998 से भारत सरकार ने प्रदेश के मिट्टी के तेल के मासिक आवंटन में लगभग 18% की वृद्धि की और प्रदेश को अप्रैल 1998 से 1,48960 किलो लीटर मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है। इस वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 10 किलो ग्राम मिट्टी का तेल प्रति वर्ष कैपिटा प्राप्त हो रहा है जबकि राष्ट्रीय औसत 11.41 किलो ग्राम है। अतः राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश को कम से कम राष्ट्रीय औसत के अनुरूप 2,03,946 किलो लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह आवंटित किया जाय।

वर्तमान व्यवस्था में शहरी क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं को भी जिनके पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन है, राशन कार्ड पर 5 लीटर मिट्टी का तेल माह उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन नहीं है उन्हें 10 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता को केवल 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 44 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं के पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन हैं।

राज्य सरकार ने यह अनुभव किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता से कम मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा है। यह भी अनुभव किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन हैं उनकी मिट्टी के तेल की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता के मुकाबले काफी कम है। एल०पी०जी० गैस कनेक्शन वाले लोग सामान्यतया मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन तथा प्रकाश के लिये नहीं करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता को खाना पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था दोनों के लिये ही मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। एल०पी०जी० गैस कनेक्शन

वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बाजार में फ्री सेल का सफेद रंग का मिट्टी का तेल उपलब्ध है जिस पर कोई सब्सिडी नहीं है अतः इस श्रेणी के उपभोक्ता अपनी आवश्यकता खुले बाजार से फ्री सेल का मिट्टी का तेल खरीद कर, कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण के लिये जो मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है उस पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस लिये यह आवश्यक है कि इस सस्ते मिट्टी के तेल को उन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाय जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है।

अतः ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुये शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का आवंटन समाप्त कर दिया जाय जिनके पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन हैं तथा इससे जो मिट्टी का तेल बचेगा उसे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाय और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का मिट्टी के तेल का मासिक कोटा 5 लीटर से बढ़ाकर 10 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड कर दिया जाय।

मान्यवर, बस इतनी सी बात है। देखना यह पड़ेगा दो-दो सब्सिडी एक आदमी को देंगे तो कैसे चलेगा एक आदमी को एल०पी०जी० और मिट्टी का तेल मिल रहा है और एक व्यक्ति दोनों सब्सिडी से वंचित है यह सब देखते हुए कदम उठाए गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दस लीटर मिट्टी का तेल कर दिया जाए, और जिसके पास एल०पी०जी० कनेक्शन है उनके लिए सफेद रंग का मिट्टी का तेल उपलब्ध है।

(व्यवधान)

(कुंवर रेवती रमण सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे दूं। आज उपवेशन के प्रारम्भ होने के पूर्व ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का अनुरोध आया था वे इस सदन में नये करों के बारे में और मिट्टी के तेल के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं। एक सूचना मेरे पास 11.00 बजे के पूर्व आयी थी और दूसरी जब आयी जब प्रश्नकाल चल रहा था। तो मैंने यह कहा था कि हम मद संख्या–7 में इसको ले लेंगे। तो जहां तक वक्तव्य देने की बात है वह मेरी अनुमति से पढ़ा गया, यह साबित हो गया है। यह नियम–300 की सूचना है अगर आप कुछ इसमें और जोड़ना चाहें तो बता दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद् का होगा, वह गोपनीय होगा। सदन में वह प्रस्ताव आ जाय। 11.00 बजे सूचना दी लेकिन समाचार-पत्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को दो दिन पहले मालूम हो गया था कि किन-किन चीजों पर चार प्रतिशत बिक्री कर लगा रहे हैं। तो कैबिनेट की गोपनीयता को भंग किया गया। दूसरा, मान्यवर, एक मेरा आरोप है कि जब 19 तारीख को बजट प्रस्ताव रखा था तब लाना चाहिए था तब नहीं लाये और दूसरा आरोप यह है कि पूरे प्रदेश के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जानबूझकर लीक कर दिया।

जिससे व्यापारी खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकें। तो गोपनीयता भंग हुई है सरकार के बयान से यह साबित हो गया है और उसने कबूल कर लिया है। गोपनीयता भंग करना एक गम्भीर अपराध है इसमें सरकार की भर्त्सना होनी चाहिए और सरकार को बर्खास्त होना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब मैंने इसे उठाया था तो उस समय माननीय मंत्री जी का वक्तव्य नहीं आया था। मैं

का सहारा लिया गया है : तो क्या यह निर्णय 19 फरवरी के पहले के हैं या बाद के हैं । 19 तारीख को यह बजट प्रस्तुत हुआ था, यह निर्णय पहले आ चुका था तब 19 तारीख को यह घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि कर रहित बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं ? अगर 19 तारीख के बाद का है तब यह अलग बात है । दूसरा बिन्दु यह है, कि मेरी जानकारी समाचार-पत्रों पर आधारित नहीं है, मेरी निजी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूं कि सरकार ने व्यापारियों और पूंजीपतियों को उनके कहने पर टैक्स लगाकर फायदा दिया है । मुझको यह जानकारी प्राप्त है कि [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह आरोप है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सत्यता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रमाण दीजिये । विधान मण्डलों में जो वाक् स्वतंत्रता की संवैधानिक छूट मिली हुई है उसका लाभ उठाया जा रहा है ।

काल्पनिक आरोप लगाये जा रहे हैं । आप प्रमाण दे दीजिये मैं इसको विशेषाधिकार समिति को दे दूंगा । इस तरह के कथनों से वक्तव्य से कार्यवाही को हल्का किया जा रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह बाजारखोरों के दबाव में [x x x] बढ़ाया गया है । मुझे फोन पर सूचना दी गयी है । मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, इस सदन में कह रहा हूं और कौन सा साक्ष्य चाहिए । साक्ष्य चाहिए तो मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सदन की एक समिति बना दी जाये जो देख लेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रमाण दीजिये ताकि मैं उसका अवलोकन करें । मुझे अलग से नाम लिखकर दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बहुत भारी आरोप है ।

श्री अध्यक्ष–

किसने फोन किया था, सारे सदन को नाम बता दीजियें ?

श्री प्रमोद कुमार–

एक राम प्रकाश है, गाजियाबाद से फोन किया था ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो टेलीफोन दफ्तर से पता चल सकता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो काम सरकार का है वह आप करने लगते हैं ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कभी-कभी तो यह सब अच्छा लगता हैं, लेकिन कभी-कभी नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पूंजीपतियों के दबाव में यह बढ़ाया गया है, पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं । आप सदस्यों की एक समिति बना दीजिए वह इस बात पर विचार कर ले कि मेरे आरोप में दम है ।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाये जाते हैं, उनमें तो सदन से निष्कासित करने की कार्यवाही भी होनी चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मंत्री जी ने तो सरकार बचाने में [xxx] की भूमिका निभायी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर यह जो इस तरह की भाषा सदस्य इस्तेमाल करते हैं, उस पर कुछ रोक लगानी चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके विवेक को आन्दोलित करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि इसका आप संज्ञान लीजिए । पांच तारीख को मंत्रिपरिषद् का निर्णय होता है 6 तारीख को समाचार में कैसे छप जाता है ? मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप सदस्यों की एक समिति बना दीजिये, मंत्रिपरिषद की गोपनीयता भंग होने की वह जांच कर ले । इस गोपनीयता भंग के बाद इस सरकार को एक क्षण भी यहां बने रहने का अधिकार नहीं रह गया है ।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ घोषणा की यदि उसमें और समाचार-पत्रों में उल्लिखित बातों में कोई अन्तर है तब तो यह ठीक बात है तो लीकेज हुआ है । अगर अन्तर नहीं है तो लीकेज नही हुआ है । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जमाखोरों मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचाने की वजह से यह इस मंत्रिपरिषद् के कुछ सदस्यों ने लीकेज किया और लाभ भी अर्जित किया । मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता भंग हुई है, उसके लिये सरकार दोषी है । यह बात कैसे सड़क पर आई, कैसे आम जनता के सामने आई और कैसे समाचार-पत्र वालों ने यह बात लिख दी ? अब यह तो पूर्णतः सिद्ध है कि मंत्रि-परिषद् का निर्णय लीक हुआ है और उसके लिये मंत्रि-परिषद् दोषी है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, वह थोड़ी है । निश्चित रूप से इस सरकार को, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा बर्खास्त कर देना चाहिये । इस सरकार को नैतिक दृष्टिकोण से एक मिनट भी इस प्रदेश की सत्ता सम्भालने का अधिकार नही है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो लिखित वक्तव्य मैंने पढ़ा है और बंटा भी है। आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है लेकिन कम से कम आप यह तो देख लें कि आज की तिथि तक कोई भी कर नहीं लगाया गया है तो जब तक कर लगाया नहीं गया तो उसका प्रभाव क्या हो गया ? अब यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उन करों को कब से आरोपित करेगी अभी तो केवल निर्णय लिया गया है। ऐसी बात कह देना कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है, निराधार है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम ललित आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह केवल सैद्धान्तिक निर्णय है। सरकार अपने विवेक से तिथि निर्धारित करेगी, विज्ञप्ति का प्रकाशन करेगी, तभी यह प्रभावी होगा। इस सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, केवल चिल्लाने से सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो भी प्रमोद कुमार, माननीय सदस्य ने कहा है, मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसका खण्डन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अनर्गल आरोप जो लगाये गये हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदन की गोपनीयता भंग हुई है और सरकार ने ऊर्जा मंत्री के माध्यम से 5 करोड़ लिये हैं।

श्री हुकुम सिंह–

जो इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें। मैं निर्णय दे रहा हूं। नियम 300 की इस सूचना पर मैंने कई माननीय सदस्यों के विचार सुने। कर लगाने की भी एक प्रक्रिया होती है। कहीं अधिनियम में संशोधन करके कर लगाया जाता है कहीं नियमावली में संशोधन किया जाता है लेकिन वह जब तक इस सदन से पास नहीं होता, तब तक कराधान नहीं हो सकता। कुछ इस तरह के कर होते हैं, जिन्हें शासकीय विज्ञप्तियों के द्वारा लगाया जाता है। किस तरह मंत्रि-परिषद् के निर्णय की बात बाहर आई, नियम 300 की सूचना में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि समाचार-पत्रों की बात मान ली जाय तो संसदीय कार्य-मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उससे उसको संबंधित कर लिया जाय तो अभी तक कराधान हुआ ही नहीं है। यदि सरकार की पारदर्शिता के नाते किसी तरह बात आ गई और यदि कोई सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है तो ऐसा हो सकता है, अतः मैं औचित्य की इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया)

आप लोगों की बात आ गई और अब व्यवस्था भी आ गई। आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी, और उस पर जो व्यवस्था आपने दे दी है, वह शिरोधार्य है, उसमें मान्यवर, एक बात छूट गयी है कि जो कुछ कृत्य हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के कैबिनेट का जो फैसला है, वह लीक हुआ है और गोपनीयता भंग हुई है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियमावली के नियम 300(2) के प्राविधानों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं । उसमें है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा । तो मान्यवर, यह घटना तत्काल हुई है और उस पर आपकी व्यवस्था आयी है । मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर आपकी व्यवस्था आ जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1979–84) के पृष्ठ–214 पर यह है कि मंत्रिपरिषद् की गोपनीयता तथा मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों के मतभेद के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । मान्यवर, यह निर्णय आपकी पीठ से हो चुकी है । जिन लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था उसमें मैं भी एक था और निर्णय हुआ था कि गोपनीयता भंग करने का मामला अगर अखबारों में निकलता है तो उससे गोपनीयता भंग हुई नहीं मानी जायेगी इसलिये जो औचित्य का प्रश्न आज उठाया गया है वह नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको इस दृष्टि से भी देखे कि सदन के अन्दर किसी भी कराधान की घोषणा होनी चाहिए, जब बजट का सत्र चल रहा हो इसका आधार यह है कि सदन का यह विशेषाधिकार है कि जब सरकार कोई निर्णय ले, कर लगाने के सम्बन्ध में, तो सदन को विश्वास में लेकर सदन को जानकारी दे । नियम 300 के उपनियम 5 में यह व्यवस्था है कि औचित्य का जो प्रश्न है वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मंत्रिपरिषद् के कुछ सदस्यों ने गोपनीयता भंग की है इसलिए मैं और मेरा दल जनहित में सदन का बहिष्कार करता है ।

(माननीय नेता विरोधी दल तथा उनके दल के सभी मा० सदस्य सदन का त्याग करके चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कर लगाया गया है और सरकार की गोपनीयता भंग हुई है इसलिए इसके विरोध में मैं तथा मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन त्याग करके चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी जहां सरकार सदन के प्रति अपनी जवाबदेही से मुकर रही है वहीं प्रदेश मंत्रि-मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों को सार्वजनिक कर कुछ मंत्रीगण गोपनीयता भंग कर रहे है (व्यवधान) सरकार का यह कार्य पूर्णतः अनैतिक है इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(सदन से बहिर्गमन किया)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह सरकार सदन को गुमराह कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(सदन से बहिर्गमन किया)

वर्तमान सत्र के दूसरे सोमवार की कार्यसूची के नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आज के अतारांकित प्रश्न।

श्री अध्यक्ष–

शासन का अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर दे। (व्यवधान) कृपया शान्त रहें। दो मिनट में आगे की कार्यवाही ले रहा हूं।

* श्री राम औतार शाक्य–

नियम 300 के अन्तर्गत मैं सूचनायें दे रहा हूं कि आज मेरा एक तारांकित प्रश्न लगा हुआ है उसका जो उत्तर आया है इसको पढ़कर मैं समय नहीं लेना चाहता हूं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रदेश के टाप 10 और मैनपुरी के टाप 10 के सम्बन्ध में मैंने जानकारी चाही तो बताया गया कि प्रदेश की कोई सूची नहीं बनाई गयी है मैनपुरी के सम्बन्ध में टाप 10 के सम्बन्ध में उत्तर दिया है कि जनहित में नहीं बताया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि जनहित की कोई परिभाषा होगी ? कभी आप उधर बैठेंगे और कभी हम उधर बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

चूंकि टाप 10 में जो लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए लोकहित की परिभाषा में यह इन्टरप्रेट अपने हित में कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–300 में नहीं आती है। आप भाषण कर रहे हैं आपके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर आ गया है। शासन को अधिकार है कि वह उत्तर देने से इन्कार कर दे। यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें आप संरक्षण नहीं देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा ? मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।

जिला योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में विधान सभा सदस्यों के अधिकारों का हनन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आगे दूसरी सूचना माननीय राम ललित चौधरी जी की है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जिलों के अन्दर विकास कार्यों के जो प्रस्ताव किये जाते हैं उसमें बड़ी हौच-पौच होती है जैसे विधान परिषद् के सदस्य आठ जिलों से चुन कर आते हैं तो आठ जिलों से उनके प्रस्ताव आते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इससे विधान परिषद की कार्यवाही से क्या मतलब है (व्यवधान) वह शासन के संज्ञान में ला दिया है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इसका समाधान करा दें । इसके लिए शासनादेश अलग से हो जाय जैसे एक जिले में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें विकास कार्य बराबर चलना चाहिए । अब इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष भी अपना प्रस्ताव देने का हक मांगते हैं । एम०एल०सी० भी हक मांगते हैं एक ही विधान सभा क्षेत्र में अपनी योजनायें देते हैं इससे बहुत हौच-पौच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसको खत्म करने के लिये आप कोई स्पष्ट व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह एक व्यवहारिक समस्या है । मैं शासन के संज्ञान में यह समस्या लाये देता हूं, शासन इसका कोई निराकरण करने का उपाय करे ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999†

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 3 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4, 5 एवं 6 में कुछ नहीं है । मद संख्या–7 के संबंध में मंत्री जी का वक्तव्य हो गया है ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :–† छापा नहीं गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 †

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9–अ की एक अनुपूरक कार्यसूची जारी हुयी है। माननीय ऊर्जा मंत्री विधेयक पुरःस्थापित करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को पुरःस्थपित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8-3-99 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 311 में थी !

तीन सूचनायें जो श्री विनोद मणि तिवारी, श्री राजेन्द्र यादव व श्री पीतम राम, श्री प्रमोद तिवारी, श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद की थी इनको अस्वीकृत किया गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, विगत 1 माह से लखनऊ में पीलिया के प्रकोप ने महामारी का रूप ले लिया है। यह रोग लखनऊ में चौक से प्रारम्भ हुआ और किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में इतना जबरदस्त प्रकोप है कि वहां हास्टल खाली करा लिये गये और विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गयी। इस बीमारी से लगभग 2 दर्जन लोग काल कवलित हो गये हैं। सरकार इतनी असंवेदनशील है कि गंदा पानी जो पीने योग्य नहीं है वह पानी पूरे लखनऊ में सप्लाई कर रही है। मान्यवर, जो सर्वेक्षण हुआ है, मुख्य मंत्री आवास, कालीदास मार्ग में भी पानी का जब परीक्षण किया गया तो उसमें भी पानी पाजीटिव पाया गया, उसमें कीटाणु पाये गये। दो दर्जन लोग मर गये हैं। 217 लोग नगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। पीलिया, हेपेटाईटिस

नोट :– † दिनांक 15-3-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

"ए" और "बी" इतने खतरनाक मर्ज हैं, जिसका कोई इलाज अभी नहीं है । इस सरकार की संवेदनशीलता इसी से साबित होती है कि हेपेटाईटिस के वैक्सीन नहीं लगवाये गये, हेपेटाईटिस से लखनऊ शहर में लोग मर रहे हैं । पूरा लखनऊ ज्वाइन्डिस से ग्रसित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब इस तरह की स्थिति है तो आप अनुमान लगा सकते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में, ग्रामीण अंचलों में क्या स्थिति होगी ? अभी मैंने पढ़ा कि कुछ महाप्रबन्धकों को हटा दिया गया, इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा ।

सीवर लाईन के अन्दर पीने के पानी का पाइप पड़ा हुआ है । पाईप के लीक होने के कारण सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है । मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया है कि हेपेटाईटिस "ए" और "बी" का टीका पूरे प्रदेश और इस लखनऊ में लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया । मान्यवर, यह तात्कालिक है, दो दर्जन से ज्यादा लोग काल-कलवित हो चुके हैं, पूरे लखनऊ शहर से संबंधित है । इससे गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य कोई हो नहीं सकता । मेरा आग्रह है कि इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करें और चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय रेवती रमण सिंह जी ने आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । यह गम्भीर घटना इसलिये भी है कि यह भारत के प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की घटना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी की घटना है । जब इस सदन का सत्र चल रहा है और उपवेशन रोज हो रहे हैं । यह सरकार कितनी संवेदनशील है, यह इस बात से जाहिर है कि लगातार एक महीने से बीमारी फैल रही है पीने के पानी से । इसके बावजूद भी आज घोषणा की गयी कि हमने जो यहां के सामान्य प्रबन्धक जल संस्थान के थे उनको हटा दिया गया । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन्हीं सामान्य प्रबन्धक के खिलाफ नान-बेलएबुल वारण्ट जारी हुये थे और गिरफ्तारी के आदेश जारी हुये थे फिर भी उसे उसी पद पर बरकरार रखा गया ।

मान्यवर, 96 सैम्पुल पानी के लिये गये उसमें से 94 सैम्पुल पाजीटिव पाये गये और इसके साथ-साथ जो मेडिकल कालेज है, जिस विभाग के ऊपर इस प्रदेश को शुद्ध जल देने की जिम्मेदारी है, उस मेडिकल कालेज के छात्र भी प्रदूषित जल पीने से अस्पताल में भर्ती हैं । सरकार कह रही है कि सुपर क्लोरीनेशन कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या कोई नियम है कि पानी के नमूने की नियमित जांच हो । क्या कोई नियमित जांच पानी के नमूनों की गयी, अगर की गयी तो उसके परिणाम क्या रहे ? अगर पाजीटिव पाये गये तो सरकार ने लोगों के मरने के बाद ही कार्यवाही क्यों की ? इसके पहले कार्यवाही करने का काम सरकार ने क्यों नहीं किया ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है क्या उन पर सरकार कार्यवाही करेंगी । अब लीकेज ठीक करवाने का काम किया जा रहा है । यह कहा गया कि 80 लीकेज ठीक हो गये हैं । अधिकांश लीकेज डेरी वाले करते हैं । यह जो पूरे साल लीकेज करते रहते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है ? उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जब पानी का प्रेशर आता है तो सारी गन्दगी पानी में चली जाती है जिसके कारण लोगों को प्रदूषित पानी पीने को मिलता है । इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प जो प्रदूषित क्षेत्रों में लेते हैं वहां पम्प के अन्दर क्लोरीनेजेशन नहीं किया जा सकता है वहां पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? इससे पूरे प्रदेश की जनता में चिन्ता व्याप्त है कि जब राजधानी में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश के गांवों और दूसरे शहरों की क्या स्थिति होगी । यह तात्कालिक प्रश्न है, यह पूरे 16 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है अतः आपसे अनुरोध है कि कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि यह बीमारी जन-जन को प्रभावित करने वाली बीमारी है इसकी रोकथाम के लिये जो सरकार ने उपाय किये हैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। 27 फरवरी को विस्तृत शासनादेश जारी करके अधिकारियों को क्या करना चाहिये उनके लिये मार्ग दर्शन जारी किये गये और यह अपेक्षा की गई थी कि युद्ध स्तर पर स्थानीय निकाय के अधिकारी, जल निगम के अधिकारी और जल संस्थान के अधिकारी चिकित्सा विभाग के अधिकारी तीनों मिलकर ज्वाइंट टीम बनाकर ऐसे सेंस्टिव एरिया में जहां पानी के लीकेज हैं या सीवर लाइन हैं वहां दौरा करेंगे और पानी के नमूने लेंगे व उसका परीक्षण करेंगे। इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद चार मार्च को फिर बल दिया गया कि इस तरह की शिकायतें आई जो अपेक्षा की गई थी उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हो पा रही है इसी कारण एक अधिकारी को जिस पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इसलिये उसको पद से हटा दिया गया। जो माननीय सदस्य ने पशुओं के कारण गन्दे पानी की बात कही है यह पहली सरकार है जिसने लखनऊ में विशेष अभियान चलाकर जहां पर डेरी वाले निवास करते हैं व अनधिकृत रूप से रहकर लीकेज करते हैं उनको वहां से हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें काफी सफलता मिली है और उन डेरियों को लखनऊ से बाहर बसाने की कार्यवाही की जा रही है। बीमारी है इसे न मानने की बात नहीं है इसकी रोकथाम कैसे की जाय यह सरकार का दायित्व है और सरकार उस दायित्व को निभा रही है। सारी बातों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नियमित परीक्षण कराने की व्यवस्था है ? यदि व्यवस्था है, तो जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है।

श्री हुकुम सिंह–

पालन नहीं किया इसीलिये तो एक वरिष्ठ अधिकारी को पद से हटा दिया गया। सुपर क्लोरीनेशन की व्यवस्था कर दी गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हेपेटाईटिस ए व हेपेटाईटिस बी जिसके कारण काफी संख्या में लोग काल कवलित हो रहे हैं उसके लिये पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या सरकार ने की है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में पूरे प्रदेश के मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि जहां-जहां भी इस तरह के मामले जानकारी में आयें वहां भ्रमण करके इस पर कार्यवाही करें। दवाई की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(श्री रामललित चौधरी के अनुपस्थित होने पर)

श्री राम प्यारे सिंह–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो अभी भीषण बाढ़ आयी हुई थी उसमें आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में आप स्वयं उन स्थलों पर चले चलें। जो बाढ़ से प्रभावित लोग

हैं उनकी दीन-हीन दशा को देखकर मैं समझता हूं कि आप की आंखों में आंसू आ जायेंगे और आपका दिल कहीं न कहीं प्रभावित होगा । आज हजारों की संख्या में जो लोग बेघर हो गये हैं । जो लोग मडइवों के अन्दर रहते थे वह घर भी आज उनका नहीं रहा । आज खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लेकर वह लोग बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

(1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, जिस समय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ दौरे पर गये थे तो उन्होंने हम लोगों से वायदा दिया था कि 3 हजार रुपये प्रति परिवार को अहेतुक सहायता के रूप में दिया जायेगा परन्तु मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं कि मात्र 1500 रुपये लोगों को मुहैय्या करवाए गये । वह भी सबको नहीं । लोगों की स्वीकृत सूचियां आज भी तहसील कार्यालय में पड़ी हुई हैं जब वे लोग तहसील कार्यालय जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि धन नहीं है । इसलिये हम आपको सहायता नहीं देंगे । उस समय इस आशा में कि सरकार द्वारा धन मुहैय्या करवा दिया जायेगा लोगों ने कर्जा ले लिया । आज वह कर्जे का बोझ उन पर बढ़ता जा रहा है । हिन्दू धर्म में भी यह कहा गया है कि मजदूर की मजदूरी तुरन्त अदा कर देनी चाहिये और इस्लाम धर्म भी यह कहता है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिये । परन्तु मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि जिन नाविक श्रमिकों ने जान की बाजी लगाकर लोगों को पानी से बाहर निकालने का काम किया उनकी ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और नहीं उनकी मजदूरी दी गई ।

जो फसल का नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति भी नहीं दी गई और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने फर्जी चेक के माध्यम से भुगतान कर लिया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मान्यवर, बीज का वितरण हुआ । बड़े दुख की बात है यह उस समय किया गया जब उनके खेत की बुवाई हो चुकी थी । समय बीतने के बाद बीज का जो वितरण किया गया वह भी पीड़ित सभी परिवारों को नहीं दिया गया । ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर गरीबों के हित में सदन की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा करवाने का कष्ट करें तथा गृह अनुदान दिलाने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह बात सही है कि आजमगढ़ जनपद बाढ़ की विभीषिका से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है । पूरे जनपद में 369 गांव और आपके क्षेत्र में मान्यवर, करीब 106 गांव पूर्ण रूप से प्रभावित हुए और 16.863 परिवार ऐसे थे खाली आपके क्षेत्र में जो प्रभावित हुए थे । यह बात सही है कि 1500 रुपये प्रति परिवार कुल मिलाकर 2,52,94,500 रुपये की धनराशि सहायता के रूप में वितरित की गई । जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई भी परिवार जो प्रभावित था इस सहायता राशि से वंचित नहीं रहा । सरकार ने तत्परता के साथ सहायता वितरित की । सम्पर्क किया और दवाइयों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिये व्यवस्था की । मैं सोचता था कि माननीय सदस्य उसके बारे में दो शब्द प्रशंसा के कहेंगे । बाढ़ की विभीषिका थी । यही सही बात है आजमगढ़ और उनका क्षेत्र प्रभावित हुआ लेकिन सरकार ने अविलम्ब कार्यवाही की और जैसा कि मैंने बताया यहां पर सहायता वितरित की कोई प्रभावित परिवार अछूता नहीं रहा ।

श्री राम प्यारे सिंह–

हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वहां पर कोई भी प्रभावित परिवार अछूता नहीं रहा जिसे सहायता नहीं प्रदान की गई । मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तहसील में जाकर देख लें उन परिवारों की स्वीकृत सूची पड़ी है । लेकिन उन्हें सहायता प्रदान नहीं हुई है । मैं विश्वास के साथ कह

रहा हूं कि यदि मेरी बात गलत निकल जायेगी कि तहसील में सूची लम्बित न पड़ी हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और यदि वहां सूची पड़ी हो तो संसदीय कार्य मंत्री अपना पद त्याग दें।

श्री हुकुम सिंह–

मा० राम प्यारे जी बड़े सज्जन सदस्य हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो इस्तीफा दें। मैंने बताया कि इनके क्षेत्र में 16863 परिवार जो चिन्हित किये गये थे उनको 1500 रुपये की दर से कुल मिलाकर 2,52,94,500 रुपये सहायता वितरित की गई। यह जानकारी तो सबको है। किसी ने दो बार किसी ने तीन बार लिया हो। मैं यह जरूर कहूंगा कि सबको वितरित हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का कहना है कि कुछ लोगों की स्वीकृत हुई सूची पड़ी है जिनको सहायता मिलनी थी उनके संज्ञान में यह बात है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं यह कह रहा हूं कि 16863 परिवार चिन्हित किये गये थे उसके अतिरिक्त यदि कोई परिवार किसी कारणवश भूल से चिन्हित होने से रह गये हों उसके बारे में माननीय सदस्य सूचना दे दें हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम प्यारे और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है। अतः निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री अरविन्द गिरि की है।

* श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मेरी सूचना अविलम्बनीय इसलिये है कि एक वर्ष में स्वयं मुझ पर 3/4 झूठ मुकदमें कायम किये गये इसलिये इस परम्परा को रोकने का प्रश्न और न्याय मिलने का स्थान कहां सुनिश्चित होगा। अभी 25 दिसम्बर को ग्राम हैदराबाद में एक लोक महत्व की चीज, जनहित की चीज, अस्पताल का निर्माण हो रहा था और उस अस्पताल के निर्माण को वहां के प्रधान द्वारा सरकार से स्वीकृति होने के बाद कराया जा रहा था उसका फायदा किसी व्यक्ति विशेष को होगा इस मानसिकता के चलते वहां पर 40/50 लोगों ने एक साथ पहुंचकर प्रधान के घर पर व वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को थाने में बन्द करने का काम किया। यह उस क्षेत्र में आम चर्चा है कि अगर किसी प्रकार की घटना होगी हमारे कार्यकर्ता सताये जायेंगे तो मैं उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। एक सुनिश्चित सुनियोजित योजना के तहत वहां पर कार्यवाही करने का प्रयास किया गया। मेरे वहां पर पहुंचते ही 40/50 आदमियों ने मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। पूरी कोशिश की थी कि मेरी हत्या का प्रयास किया। मान्यवर, यह तो भगवान की कृपा है कि हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। मान्यवर, जब दूसरे दिन इस घटना का विरोध होता है और ढाई-तीन हजार आदमी प्रदर्शन करते हैं तो थाने पर जिलाधिकारी पहुंचते हैं कहते हैं हां यह गलत है और हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है और धरना समाप्त हो जाता है। शाम को मालूम होता है कि उपस्थित नहीं हुए और सरकार के इशारे पर मंत्रियों के इशारे पर झूठा मुकदमा कायम किया जाता है। मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं है। पिछले साल एम० एल० सी० का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से सैदपुर और हजरतपुर में जब किसानों को भूमि से बेदखल करने का काम हो रहा था जब इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो झूठा मुकदमा कायम किया गया । यह लोग तो समता ममता की बात करते हैं । न्याय की बात करते हैं लेकिन न्याय नहीं करते हैं । यह सदन 16 करोड़ जनता द्वारा चुना हुआ सदन है । आपकी गरिमामयी उपस्थिति भी यहां होती है और इस सदन के सदस्यों के ऊपर झूठे मुकदमें कायम किये जायें उनके लाइसेन्स निरस्त किये जाएं तो कैसे न्याय मिलेगा ?

मान्यवर, जिला प्रशासन द्वारा ऐसा काण्ड किया गया कि पूरा जिला ही छावनी के रूप में तब्दील हो गया कोने-कोने में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया । मान्यवर, 25 दिसम्बर को सहकारिता मंत्री जी के ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । मेरे ऊपर मान्यवर, झूठे मुकदमें कायम किये जा रहे हैं यह चौथा मुकदमा है इसमें कुछे अन्त होगा ? मैं बताना चाहता हूं सदन में 40-45 मुकदमों में एक तरह कार्यवाही करके निरस्तीकरण किया गया है और जिन पर बीसों मुकदमें कायम हैं उनको लाइसेन्स देने का काम किया है । हमारे मंत्री जी सत्ता के मद में चूर होकर क्या-क्या काम करना चाहते हैं । सत्ता के मद में चूर होकर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । चौथा मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया गया है । जिलाधिकारी ने कहा है कि झूठे मुकदमें जो कायम किये हैं इसको आधार मानकर एन० एस० ए० लगाने की तैयारी की जा रही है । मान्यवर, मै न्याय चाहता हूं और सूचना देना चाहता हूं । एक वर्ष में 6 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जनता ने विरोध किया है अगर किसी बात का विरोध किया जा रहा है तो आप सत्ता के बल पर उसे कुचलने का काम करते हैं । झूठे मुकदमें सत्ता के बल पर मेरे खिलाफ कायम किये जा रहे हैं । मैं चाहता हू कि सदन के किसी सदस्य के ऊपर झूठा मुकदमा कायम न हो । जो एक वर्ष में तीन-चार झूठे मुकदमें कायम हुये हैं यह निश्चित है कि आगे भी होंगे । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा । भविष्य में झूठा मुकदमा कायम न किया जाय । किसी सदस्य के ऊपर झूठा मुकदमा कायम न किया जाय । आजकल जो डकैती, कत्ल आदि करने वाले अपराधी खुले आम घूम रहे हैं । लेकिन मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया है और जब मान्यवर अधिकारियों के साथ यह तय हो जाता है कि कोई कार्यवाही नहीं होगी और उसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तो पी० ए० सी०, सी० ओ० घर पर धावा बोलते हैं यह सब क्या है ? यह राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है । तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यह चौथी घटना है । जब इस सदन के सदस्यों के साथ यह हालत होगी तो आम जनता की क्या हालत होगी ? हमारे क्षेत्र के सैकड़ों लोग निर्दोष बन्द हैं । मेरा लाइसेन्स जो दो माह पूर्व बेच चुका था उसको भी दिखा दिया गया । जो तीन-तीन माह पहले असलहे बेचे जा चुके थे उनको भी जिलाधिकारी ने नोटिस में दिया है कि फायरिंग में प्रयोग किया गया है । विश्वनाथ सिंह के शस्त्र की निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । खीरी गन हाउस में उसका गन जमा भी था लेकिन उसका भी इसमें नाम है । एक लिस्ट उठाकर दे दी और कार्यवाही होनी है । यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है । यह सत्ता के सम्बंध जब जमीन पर आयेंगे तब इनको पता चलेगा ।

मान्यवर, इसकी पुनरावृत्ति न होने दें और जिलाधिकारी महोदय को कड़े निर्देश दें कि जो झूठे मुकदमें लगाये गये हैं उसको वापस लें और जो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है वह भी नहीं होनी चाहिये । मान्यवर, एक समिति चली जाय वह यह जांच कर लें और अगर वह यह कह दें कि हां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ था । यह अरविन्द गिरि विधायक वहां पर उपस्थित थे तो जो सजा आप देना चाहें वह मैं स्वीकार करूंगा ।मान्यवर, यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक अवैध निर्माण को लेकर प्रकरण उठा । सरकारी अधिकारी नहीं चाहते थे कि वहां पर अवैध रूप से निर्माण हो । ग्राम प्रधान ने आश्वासन दिया था कि हम अवैध निर्माण नहीं करेंगे ।

इसके बावजूद भी किन्हीं लोगों के उकसाने पर अवैध निर्माण शुरू हुआ । प्रशासनिक अधिकारी वहां पर गये । उन्होंने यह देखा कि कम्यूनल हारमौनी पर प्रभाव न पड़े । इसलिये प्रशासनिक रूप से जो भी न्यूनतम समझा गया जरूरी वह कार्यवाही की गयी । इसमें जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच की जायेगी । यह मैं कहना चाहता हूं । यह मामला कार्य-स्थगन के रूप में नहीं आता है इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, अवैध निर्माण की बात कही गयी । एक यूनानी अस्पताल का निर्माण उस संस्था के द्वारा स्वीकृत फिर जिले की कार्यदायी संस्था का टेण्डर और सारी स्वीकृति उसके बाद निर्माण कार्य । अगर निर्माण कार्य अवैध था तो थानाध्यक्ष को, एस० डी० एम० को, तहसीलदार को रोकना चाहिये था । क्या यह तरीका है कि चालीस पचास गुण्डों को भेज दिया जाय । जो ग्राम प्रधान वहां पर 20 वर्षों से है उसको बेइज्जत कर उत्पीड़न करके कार्य को बन्द करायेंगे तो क्या यही तरीका है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अवैध था इसीलिये तो रोका गया और अगर अवैध न होता तो आश्वासन ग्राम प्रधान न देते । कुछ लोग वहां की फिजा को खराब करना चाहते हैं ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, बिल्कुल गलत रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे तो कैसे चलेगा ? वहां पर दस अधिकारी थे । हजारों आदमियों की तादाद में थाने को घेरा गया था । वहां पर प्रधान ने कहा जहां कहेंगे उसका विरोध करेंगे । वहां पर सारी स्वीकृतियों के बाद निर्माण हो रहा था । मान्यवर, उस पर आज तक 323 का भी कोई मुकदमा नहीं है । अल्पसंख्यक होने के नाते उनके यहां रोजा अफ्तार का समय था । अगर वह उनका समय न होता तो जो यह कृत्य हुआ था उसमें उल्टे उनको क्षति उठानी पड़ती । कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था ।

मान्यवर, आजाद अली ग्राम प्रधान हैदरावाद की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है ? यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं होगा ।

नोट :– [xxx] तत्पश्चात श्री अधिष्ठाता ने [illegible] निकाल दिया गया ।

श्री अरविन्द गिरि–

यह बताया जाये कि क्या आजाद अली की रिपोर्ट लिखी गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

निर्माण के बारे में ग्रामवासियों की शिकायत थी कि वह प्रधान आश्वासन के बावजूद दुबारा निर्माण कार्य कर रहे हैं । इसमें नरेन्द्र वर्मा की सूचना थी कि अपराध संख्या–214/98 व अन्य धाराओं में अंकित की गयी । एक तहरीर आजाद अली द्वारा 27 तारीख को दी गयी । जी० डी० में दर्ज हुई उसकी जांच भी की गयी । जांच के बाद वह सारे के सारे आरोप जो लगाये गये थे । गलत पाये गये इसलिये आगे कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर मैं बहुत सारी बातें सदन में नहीं कहना चाहता हूं । एक सूचना तो यह भी है कि माननीय विधायक जी ने फायरिंग किया प्रधान ने भी फायरिंग किया । उससे स्थिति कितनी बिगड़ सकती थी ?

श्री अरविन्द गिरि–

मैं स्वयं वहां उपस्थित था । घटना के बाद मुझे सूचना मिली । इंस्पेक्टर गोला एस० डी० एम० गोला मेरे बाद 5-10 मिनट के अन्तराल के बाद पहुंचे । आप उनसे पूछ लें । मैंने वहां शान्ति अख्तियार करने का काम किया हजारों गांव वाले वहां आन्दोलित थे कि प्रधान को बेइज्जत करने का काम किया गया है । आप किसी भी स्रोत से पता कर लें कि मैंने वहां शान्ति कायम करने का काम किया या गोली चलाने का काम किया । आप जो सजा देंगे उसके लिये तैयार हूं । लेकिन सदन में बैठकर इस प्रकार की बेबुनियाद निराधार बात रखने का काम न करें । पूरा प्रदेश अवगत हो चुका है । वहां क्या हो रहा है और क्या होना चाहिये था । प्रधान गुनाहगार थे कि नहीं सरकार ने मुकदमा कायम करवा दिया, उसको तो लड़ा जायेगा । लेकिन इस तरह का काम नहीं होना चाहिये ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 में इस तरह का प्राविधान नहीं है कि सभी लोग बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक गिरि जी ने कुछ सवाल रखे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसका दूसरा जवाब दे रहे हैं । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवा लें और जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट आये । उसके अनुसार कार्यवाही करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जांच हो चुकी है । जांच के बाद ही मैंने अपनी बात रखी है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

सारे माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य का अंकित नहीं किया जायेगा ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अरविन्द गिरि और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, बड़ी दुखद घटना है। जनपद बदायूं में उगेहती थाने का गांव है। वहां 18-2-99 को बड़ी लोमहर्षक घटना हुई है। वहां पर साप्ताहिक बाजार लगता था। उस साप्ताहिक बाजार में कपड़े के एक व्यापारी से पुलिस वाले ने जबरिया कपड़ा लिया और पैसे मांगने पर न देने के विवाद पर उस व्यापारी को घसीट कर सरेआम बाजार में मारा-पीटा। इसकी शिकायत लेकर गांव वाले थाने गये तो थाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ और उनकी फिर से पिटाई की गयी। इसके बाद ढिठौली गांव के प्रधान अपने किसी रिश्तेदार की बारात में शामिल होने के लिये आ रहे थे वहां पर गांव वालों का शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन चल रहा था। प्रधान के द्वारा अकारण ही उन गांव वालों पर हमला हुआ और जब तहरीर लेकर वह लोग थाने गये तो थाने पर गांव वालों की बात न सुन प्रधान का पक्ष लिया गया इसके बाद पी० ए० सी०, सी० ओ० और तहसीलदार को बुला लिया गया और तहसीलदार के निर्देश पर उन निर्दोष लोगों को उनसे पिटवाया गया। जब वह लोग अपने घरों को भाग गये तो घरों को तोड़कर, सामान को तोड़कर, चारपाइयों को तोड़ कर फिर से मारा-पीटा गया और उनका कीमती, सामान, टी० वी० और बर्तन तोड़कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। मान्यवर, मैंने स्वयं घटना की जानकारी ली है और देखा है कि किवांड़ टूटे हुये हैं, लोहे की कुर्सियां तोड़ दी गयी हैं, सारा सामान इधर से उधर करा दिया गया है। मान्यवर, वहां पर जो खाने का सामान था उसको भी बिखेर दिया गया है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मान्यवर, वहीं पड़ोस में एक मस्जिद है। उसके इमाम जो हैं वह अन्धे हैं लेकिन उनको भी मारा-पीटा गया। इस घटना से गांव के लोगों में उत्तेजना फैल गयी और वहां के लोग धरने पर बैठ गये। इस प्रकार वहां गांव में आतंक फैला हुआ है और वहां पर ऐसी स्थिति हो गयी है किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों को बसों से उतार-उतार कर पीटा गया है।

मान्यवर, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि लोगों के पैर ईंट रखकर तोड़ दिये गये हैं और यह कहा गया है कि यह लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे और इस तरह से गांव के लोगों को खदेड़ा गया है। होली के अवसर पर तीन स्थानों पर होली के लिये लकड़ी लगायी गयी थी लेकिन विरोध स्वरूप वहां के लोगों ने होली नहीं मनायी और काले झंडे लगा रहे हैं। वहां के लोग जेल भरो आन्दोलन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से वहां के लोग बहुत उत्तेजित हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनकी कोई सुरक्षा नहीं है इसलिये मान्यवर, यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। इसलिये इस पर आप चर्चा करायें। मान्यवर, एक दूसरे गांव खेतौरा में लोगों ने मार-पीट की है।

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल अपनी सूचना तक ही सीमित रहें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है, वहां पर आतंक फैला हुआ है। वहां पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वैसा जनरल डायर ने भी नहीं किया था। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने क्षेत्र की बात रखूं और जो उचित हो वह आप करें। जिन लोगों के हाथ-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैर तोड़ दिये गये हैं उनको इलाज के लिये पैसा दिया जाय और उनका मुफ्त इलाज किया जाय और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है वह मुकदमा वापस किये जायें और मेरी मांग है कि तहसीलदार, बिल्सी को वहां से तत्काल हटाया जाय और वहां के थाने के जो कर्मचारी हैं उनको अन्य जगह पे भेजा जाय जिससे निष्पक्ष जांच हो सके ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग गरीब हैं जिनके पास ओढ़ने बिछाने के लिये कपड़ा नहीं है उनको तत्काल मुआवजा दिया जाय । मैं आग्रह करूंगा कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस तात्कालिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन का शेष कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय और जो मैंने उचित मांगें वहां के लोगों के लिये उठाई है उनको पूरा किया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य मौर्य जी ने वहां की घटना के बारे में विस्तार से बताया मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा लेकिन घटना को देखते हुए जिस तरह से पूरे उ० प्र० में जंगल राज्य कायम हो गया है वहां पर पुलिस ने नंगा नाच किया है । पूरे गांव में कहर ढहाया है । लोगों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया है । जिनका उस कपड़े व्यापारी से कोई मतलब नहीं था । मामला केवल यह था कि पुलिस ने दुकानदार से कपड़ा लिया वह बिना पैसा लिये कपड़ा लेना चाहते थे । दुकानदार ने गल्ती से पैसा मांग लिया इसलिये उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी । इस पर गांव वालों ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पैसा देना चाहिये । इस पर वह नाराज हो गये और पूरी पुलिस फोर्स को लेकर सी० ओ० के नेतृत्व में गांव पहुंच गये और मनमाने तरीके से लोगों को मारने-पीटने लग गये और फर्जी तरीके से लोगों पर केसेज लगा दिये । यही नहीं जो भी गांव में सामान मिला उसको ले लिया । लूट-पाट कर ली बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया । इस पर शासन और प्रशासन को शर्म नहीं आयी और उल्टा गांव के लोगों को जेल में पहुंचाने का काम किया । यह इस सरकार के जंगल राज का खुला नमूना है । मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस गम्भीर लोकमहत्व के प्रश्न को सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, जिस विषय को अविलम्बनीय बताया है यह घटना पहली तो 19 फरवरी की है और दूसरी 23 फरवरी की है । दोनों के बारे में कार्यवाही चल रही है क्योंकि 23 की घटना 19 से जुड़ी हुई है । 19 की केवल इतनी बात थी कि जिस कपड़ा व्यापारी की बात कही है उसने लाउडस्पीकर लगाया था और लोगों ने पुलिस से शिकायत की । एक मुन्शी (हेड मुहर्रिर) के मना करने पर उससे कहा सुनी हो गयी एक पुराना प्रधान श्री गिरीश उसके पक्ष में आ गया और दूसरे पक्ष में श्री जगदीश जो नया प्रधान बना है वह चला गया । दोनों में कहा-सुनी हो गयी इसका परिणाम यह हुआ 100, 150 लोग सामने आ गये और पथराव करने लगे और पुलिस पर पथराव किया इस पर पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी । इस पर कार्यवाही चल रही है । मुकदमा कायम है । पुलिस के बारे में जो शिकायत है उस पर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश दे दिये हैं उसमें जो दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय भोलाशंकर मौर्य, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, 23 तारीख दी गयी और मुकदमा कायम किया गया और जगदीश को लाकअप में बन्द कर दिया गया । वह तहसीलदार बिल्सी का रिश्तेदार है । इसलिये उसको छोड़ दिया गया । उसको क्यों छोड़ दिया गया यह मंत्री जी बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

इस मामले की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इनके क्षेत्र का मामला है । बिना जमानत के पुलिस ने छोड़ दिया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानकारी हासिल करना चाहें तो तुरन्त कर सकते हैं । यदि ऐसी गलती हुयी है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या 29/1999 जो धारा 147, 148, 149 और 307, 332 और 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट के अन्तर्गत दर्ज है यदि इसमें किसी को पकड़ा गया है और बिना जमानत के छोड़ दिया गया है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व की है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो थाने पड़ते हैं एक भोगांव और दूसरा बेवर वहां पर एक डेड बाडी पड़ी है । कल मैं अपने क्षेत्र में गया था वहां के प्रधानों ने बताया कि एक लाश किशुनपुर गढ़िया बम्बे के पास पड़ी है । इस लाश को कौवे खा रहे हैं । थानाध्यक्ष को जब लोगों ने सूचना दी तो उन्होंने लोगों को लताड़ा और लाश को कब्जे में नहीं किया । यह लाश मोटा गांव में देखी गयी थी जो अब यहां पड़ी है । यह लाश महिला की है जिसका सर कटा हुआ है । लगता है कि इस महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद में उसका कत्ल कर दिया गया । पुलिस को चाहिये था कि वह इसके बारे में पता लगाती और घटनास्थल पर जाकर तथ्य पता लगाती और अभियुक्तों को पकड़ती लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की । क्षेत्र के लोगों ने थाना भोगांव तथा बेवर को सूचना दी लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की ।

वैसे तो यह सरकार महिलाओं के लिये बहुत घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है । एक महिला की डेड बाडी पड़ी है जिसके साथ बलात्कार हुआ है पर पुलिस न तो मुल्जिमों का पता लगा रही है और न पुलिस लाश का पोस्टमार्टम ही करवाया । इससे सारे क्षेत्र की जनता में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है और लोगों में आक्रोश है । आज कानून के राज्य की जगह जंगल का राज हो गया है और लाश को कौवे खा रहे हैं । भयमुक्त का नारा देने वाली इस सरकार का यह नारा खोखला है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना पर आज सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस सूचना के माध्यम से माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है जो जानकारी है उसे मैं माननीय सदन को देना चाहता हूं । यही सही है कि प्रचार यही किया गया कि महिला की लाश पड़ी है और उसकी सिर कटी हुई है । माननीय सदस्य ने एक आरोप और लगाया कि बलात्कार करके उस लाश को फेंका गया है । मान्यवर, पुलिस मौके पर गयी । उस जिले के पुलिस अधीक्षक गये । यह पाया गया कि एक सूअर की लाश बोरे में पड़ी हुई है । अगर सुअर के साथ बलात्कार किया गया हो तो

मैं कुछ कह नहीं सकता । वहां सुअर की लाश मिली है । आप कह रहे हैं कि बलात्कार किया गया । आप बता दें जिस एजेन्सी से कहें मैं उसकी जांच करा दूंगा । अभियुक्त भी आपकी जानकारी में होंगे । मान्यवर, अफवाहों का बाजार गर्म करके एक भ्रान्ति फैलाने का प्रयास किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी, सुअर की लाश थी या महिला की ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह इन्क्वायरी का विषय है । एक हफ्ते से यह प्रकरण चल रहा है । मोटा से लाश चली और बहते-बहते बच्चे तक पहुंची और वहां अटक गयी । मान्यवर, समूचे क्षेत्र के प्रधानों ने इसकी सूचना दी । यह इन्क्वायरी का विषय है । कम से कम कमिश्नर स्तर से इसकी इन्क्वायरी करा लें कि सुअर की लाश है या महिला की ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी किस स्तर से करवायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जांच हो चुकी है । सुअर की लाश मिली है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् चूंकि यह सूचना कार्य-स्थगन में नहीं आती है । अतः इसे अग्राह्य करता हूं ।

(श्री राम ललित चौधरी द्वारा अपनी सूचना पर बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री राम ललित चौधरी जी, आपका नाम पुकारा गया था उस समय आप अनुपस्थित थे ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, लघु शंका के लिए गया हुआ था उसे रोका नहीं जा सकता ?

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । मैं अनुमति दे रहा हूं । लेकिन यह उदाहरण नहीं बनेगा । आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, अभी दो-तीन दिन की बात है । बस्ती जिले में मटहा गांव में वर्ष 1996-97 में एक बाग में दलित वर्ग के लोगों को पट्टे की जमीन आवंटित हो गयी थी और उस बाग में 18-20 दलित वर्ग के लोगों ने आवास बना लिया था और बड़े व्यवस्थित तरीके से रह रहे थे । कुछ लोग इसी पीरिएड में कोर्ट चले गये, पट्टे की जमीन को खारिज कराने के लिए । मुकदमा चल रहा था और दलित वर्ग के लोगों को धमकियां मिल रही थी कि अगर बाग की जमीन खाली नहीं की तो घर जला दिया जायेगा या उजाड़ दिया जायेगा । दलित वर्ग के एक दर्जन लोग पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, बस्ती से मिले लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई ।

पुलिस की ढिलाई के चलते 5 तारीख को 18 दलित बस्तियों को गांव के कुछ लोगों ने जला दिया और उनके साथ मारपीट की । एक दर्जन लोग बस्ती अस्पताल में घायल अवस्था में पड़े हैं । उन्हें [illegible]

प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गयी । मेरी मांग है कि जो यह घर जलाये गये हैं उन्हें एक-एक लाख रुपये की रकम दी जाये । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस प्रकरण में विधिवत् मुकदमा कायम हो चुका है जांच चल रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

केवल यह कह देने से कि जांच चल रही है । झोपड़ी बन नहीं जायेगी । इसमें सामूहिक रूप से दलित बस्ती में आग लगाई गई है । उस बस्ती को बसाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? बहुत से लोग जो घटना में इन्वाल्व थे वह अब धमकी दे रहे हैं । आज उनको मारने की धमकी दे रहे हैं । उनको सुरक्षा चाहिए । जिन लोगों के घर जलाए गये हैं उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें दोनों पक्षों ने मुकदमें दर्ज कराए हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

इसमें एक पक्ष ने ही दूसरे पक्ष के घर जलाए हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई, झगड़ा हुआ, झगड़े में ही आग लगाई गई । इसमें जो धाराएं थीं अपराध संख्या–33/99, 147, 148, 336, 435 और एस०सी, एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किए गये । गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है । घटना 6 तारीख को हुई । यह चाहते हैं कि रात भर में ही झोपड़ी खड़ी कर दी जाएं । इसमें जो कार्यवाही कानूनन होगी, की जायेगी ।

श्री राम ललित चौधरी–

इसमें जिन लोगों के घर जल गए थे । वह आज पेड़ के नीचे रह रहे हैं । डी०एम गए, एस०पी० गए, लेकिन इससे उन लोगों को क्या मिला ? उन्हें तात्कालिक सहायता मिलनी चाहिए थी ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई तात्कालिक सहायता दी गई ?

श्री हुकुम सिंह–

यह 6 तारीख की घटना है । आज आठ तारीख है । इसमें आवंटी छप्पर डाल रहा था । उसके बराबर एक महिला रहती थी उनके बीच कहा सुनी और गाली गलौज हुई उसके बाद आग लगी । जिन लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा है वह कह रहे हैं कि आग अपने आप लगाई है ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

यह किस कारण झगड़ा हुआ यह जांच का विषय है ? जांच हो रही है । अच्छी बात है लेकिन जो लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, किसी की कोई क्षति होती है तो उसमें अहेतुक सहायता दी जाती है । एस०पी० गए, डी०एम० गए, लेकिन क्या इससे उनको कोई सहायता मिली है । यह आपकी भी जिज्ञासा है इसलिए मैं मांग करता हूं जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनके इलाज की व्यवस्था की जाए एवं जिन लोगों के घर जले हैं उनकी झोपड़ियों के पुनः स्थापन हेतु कम से कम सरकार को प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि आग लगाने का जो प्रकरण है दोनों पक्षों ने एक दूसरे को आरोपित किया है। एक का कहना है कि इन्होंने हमें फसाने के लिए झोपड़ी पर आग लगाई और दूसरे पक्ष ने कहा है कि इन्होंने आकर आग लगाई। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक महिला भी इसमें है। अब आग लगाने वाला पक्ष कौन है इसे तो देखना ही पड़ेगा। आग लगाने वाला स्वयं हो और फिर सहायता के लिए कहे तो यह ठीक नहीं होगा। जानकारी के आधार पर इसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सम्पत्ति बची नहीं और अनाज तक नहीं बचा तो ऐसी स्थिति में कौन आदमी स्वयं अपने घर को आग लगायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि दोनों तरफ से रिपोर्ट हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बताया कि मामला दोनों तरफ से हुआ। दलितों की बस्ती जलाई गई। दलित अपने बचाव के लिए आये तो दूसरे पक्ष ने उन पर लाठियां चलाई। अपना बचाव करते वक्त हाथा पाई हो सकती है। माननीय अधिष्ठाता जी आप अन्यथा नहीं लेंगे। आपकी भी दाढ़ी है और मेरी भी दाढ़ी है। न, अपनी दाढ़ी उखाड़ सकता हूं और न आप अपनी दाढ़ी उखाड़ सकते हैं। दाढ़ी उखाड़ने पर जो कष्ट होता है वह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। इसलिए मान्यवर, कोई व्यक्ति अपने घर को क्यों आग लगायेगा जिसमें उसका कुछ न बचे। जिस तरीके से मजाक में इसे टाला जा रहा है यह बहुत ही हास्यास्पद है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां पर लोगों को सुरक्षा मिल सके, संरक्षण मिल सके और जानलेवा हमले की जो धमकियां उनको मिल रही हैं उससे उनकी सुरक्षा हो सके और साथ ही पीड़ित परिवारों को पुनर्स्थापित किया जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो जांच के माध्यम से कार्य करते आ रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ का मामला उठाया गया था एक महीने हत्या को हुए हो गये और जांच चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मौर्या जी दल का नेता होने के कारण मैंने आपको अवसर दिया जबकि सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। इसलिए एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यदि आपको हमारी बात बुरी लगती हो तो आप निर्देश दे दें हम लोग सदन में कभी भी नहीं आयेंगे। आज पूरे प्रदेश में दलितों को उजाड़ा जा रहा है। उनकी हत्यायें हो रही हैं। बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। उनके साथ लूट-पाट हो रही है। बलात्कार हो रहा है और उन पर कहर बरपा किया जा रहा है। इसलिए आप संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि जिन दलित बस्ती के लोगों को उजाड़ा गया है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए जैसा कि श्री वर्मा जी ने कहा एक-एक लाख रुपये की तत्काल अहेतुक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की जाय जिससे कि वे लोग जो आज भूखे मर रहे हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं वह अपना घर बना कर सुरक्षित रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मौर्या जी पहली बात तो यह है कि पीठ से प्रत्येक माननीय सदस्य को संरक्षण मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ऐसा आपको आश्वस्त होना चाहिए।

मगर अभी आपने एक ऐसी चर्चा छेड़ दी जिसके कारण मैं थोड़ा हिचक रहा हूं। आपने अपनी दाढ़ी व मेरी दाढ़ी के बारे में कहा अगर मैंने आपको ज्यादा संरक्षण दे दिया तो लोग कहेंगे दाढ़ीवाद चल रहा है। आप तो अपनी दाढ़ी काट सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वयं नोंच सकते हैं लेकिन मैं तो उससे वंचित हूं।

श्री हुकुम सिंह–

कहीं न कहीं समझने में भ्रम है। यह जो झोपड़ियों को जलाने की बात है, यह आवासीय नहीं हैं। सबके पास गांव में मकान हैं। यह तो पशुओं का चारा रखने के काम....

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी जो कह रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपके पास जो सूचना उपलब्ध है वह माननीय सदस्य को बता दें और इधर मुंह करके बोलें उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। देखिये अब अगर कोई माननीय सदस्य किसी सदस्य के बीच में टोका-टाकी करेंगे तो मुझे गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जो झोपड़ियां जलाई गई हैं यह आवासीय झोपड़ियां नहीं हैं। इन सबके पास में अपने आवासीय भवन गांव में मौजूद हैं। यह झोपड़ियां पशुओं का चारा रखने के लिये इस्तेमाल होती थीं। दोनों पक्षों का यह जो आरोप प्रत्यारोप है कि इन्होंने जलाई हैं वो कहते हैं इन्होंने जलाई हैं इसलिये इसमें सी० ओ० स्तर की जांच कराई जा रही है। जो नियमानुसार होगा कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों व मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गईं अतः अस्वीकृत हुईं, वे हैं श्री विनोद मणि, श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम राम, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना देना चाह रहा हूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 6 मार्च, 1999 में सूचित किया है कि श्री मुख्तार अन्सारी, सदस्य, विधान सभा (मऊ) को चतुर्दश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ के आदेशानुसार दिनांक 5/6 मार्च, 1999 की रात्रि में जिला कारागार लखनऊ से केन्द्रीय कारागार आगरा स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उक्त माननीय सदस्य की निरुद्धि इत्यादि की सूचना इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या–67 दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार दलित विरोधी है, दलितों पर अत्याचार कर रही है। सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,81,15,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,65,63,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मान्यवर, वैसे स्वास्थ्य विभाग एक सेवा का विभाग है। इस सेवा के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और इसी के नाते जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य विभाग से सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और इसी नाते हमने तय किया है कि इस पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य संकल्प के साथ पूरा करेंगे और उसके लिये हम प्रतिबद्ध हैं।

इस नाते हम काम पूरा करना चाहते हैं और इसी नाते हमने "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भागभवेत्" संकल्प के साथ पूरा करना चाहते हैं। हमारी आवादी की 80 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा कैसे पहुंचाई जाय, पीड़ित मानवता के लिये व्यवस्था कैसे की जाय इसके लिये प्रतिबद्ध हैं और जो कार्य किया है उसकी तरफ आपका और माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गत दो वर्ष में जब से हमारी सरकार आई है। 154 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की है और 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की है, इस नाते ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी विस्तार किया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, पर्वतीय क्षेत्र में 233 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं मैदानी क्षेत्र में 3,664 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। कुछ स्वास्थ्य केन्द्र मान्यवर, ऐसे थे कि भवन विहीन होने के कारण पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। 1998-99 में हमने यह फैसला लिया है कि इन भवनों का निर्माण कराया जाए और हमने मैदानी क्षेत्र में 69 भवनों का निर्माण पूरा किया है इस तरह हमारा संकल्प पूरा हुआ है। इसी तरह से हमने नये भवनों की स्वीकृति की है. पर्वतीय क्षेत्र में 12 और मैदानी क्षेत्र में 49 नये भवनों की स्वीकृति की है।

मान्यवर, इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती थी उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम कृतसंकल्प हैं । 1999–2000 में हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे हमारी सरकार का जो लक्ष्य है–"चलो गांव की ओर" उसको हम पूरा करना चाहते हैं । हम पर्वतीय क्षेत्र में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण चाहते हैं और मैदानी क्षेत्र में 75 पूरा 87 का लक्ष्य है ।

इस तरह से नये भवनों की स्वीकृति के लिये पर्वतीय क्षेत्र में 12 और मैदानी क्षेत्र में 112 कुल 124 स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ऊपर उठकर ग्रामीण मानव को हम सुविधा देना चाहते हैं इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था कर रहे हैं । अब तक पर्वतीय क्षेत्र में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और मैदानी क्षेत्र में 295 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हुई है । कुल मिलाकर 315 सामुदायिक केन्द्र हैं । मान्यवर, राजकीय भवन की स्वीकृति की जो अलग व्यवस्था नहीं हो पा रही थी इसके लिए हमने तय किया कि 1998-99 में 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन जो पूरे हो गए हैं उसकी स्थापना करने जा रहे हैं यह पर्वतीय क्षेत्र में चार और मैदानी क्षेत्र में 19 भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है । 1999–2000 का हमारा लक्ष्य है पर्वतीय क्षेत्र में 6 और मैदानी क्षेत्र में 24 भवन निर्माण का, इसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में पर्वतीय क्षेत्र में 10 और मैदानी क्षेत्र में 30 के भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी करने का लक्ष्य प्रस्तावित है । मान्यवर, जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंचा सकेंगे तब तक पीड़ित मानव की सेवा करना सम्भव नहीं हो सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं - हमारे माननीय सदस्य गायब हैं 50 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता को सुविधा पहुंचानी चाहिए थी वह नहीं दे पाए हमारी सरकार "चलो गांव की ओर" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है । मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियां मैं बताना चाहता हूं । हमने कानपुर देहात तथा गाजियाबाद में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण की स्वीकृति दे दी है । लखनऊ में राजाजीपुरम् क्षेत्र में 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के भवन की निर्माण की स्वीकृति दे दी है । जनपद कौशाम्बी में हंडिया में चीरघर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है । महिला चिकित्सालय, बदायूं में 20 शैय्या वार्ड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है । जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी में उपचारिकाओं के आवास के लिए हमने कार्य पूरा कर लिया है । वह बहुत दूर-दूर से आती थीं तो इसलिए हमने यह कार्य किया है । जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमती नगर में लखनऊ के विस्तार को देखते हुए 500 शैय्यायुक्त भवनों का निर्माण अभी निर्माणाधीन है । जल्द हा पूरा हो जायेगा । हमने इसमें नवनिर्मित वाह्य रोगी विभाग की स्थापना की है । जिसके अन्तर्गत विशिष्ट चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त पं० दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय, अलीगढ़ में 300 शैय्याओं का चिकित्सालय निर्माणाधीन है । इसमें नवनिर्मित वाह्य रोगी की स्थापना की है । हमने बलरामपुर चिकित्सालय में भी, जहां कुछ यूनिटें कम थी, को पूरा करने का प्रयास किया है ।

हमने लखनऊ में ब्लड बैंक, नया ओ० टी० काम्पलेक्स, आई० सी० यू० का वाह्य विभाग, प्लास्टर रूम एवं पुरुष बांझ क्लीनिक की स्थापना की है । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में बर्न यूनिट की निर्माण हेतु शिलान्यास किया है । जनपद सोनभद्र के 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सुदृढ़ किया है । नव सृजित जनपद चन्दौली के चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा प्रदान किया है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश ने चिकित्सालयों में गुणात्मक सुधार हेतु संकल्प किया है कि "होलिस्टिक हैल्थ एप्रोच" के माध्यम से चिकित्सालयों में मानव संस्थान एवं उपलब्ध उपकरणों को क्रियाशील रखते हुए

बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, वर्ष 1999–2000 के प्रस्तावों की तरफ मैं जाना चाहूंगा । मान्यवर, 300 शैय्यायुक्त पंडित दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, अलीगढ़ में आकस्मिक विभाग शीघ्र ही खोला जा रहा है । जनपद मऊ, औरैया एवं अम्बेदकर नगर में रक्तकोषी इकाई का क्रियाशील किया जाना शीघ्र प्रस्तावित है । स्टेट हैल्थ सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 5 नवसृजित जनपद महोबा, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज तथ हाथरस में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के निर्माण का लक्ष्य हमने रखा है । मान्यवर, होता यह था कि कभी कहीं पर बीच में एक्सीडेंट हो जाते थे तो हमको वह सुविधा नहीं मिल पाती थी जिससे हमकों बीच में अपनी इहलीला समाप्त कर देनी पड़ती थी ।..

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

इसीलिये हमने स्टेट हेल्थ सिस्टम में यातायात दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के तुरन्त उपचार के लिए राजमार्गों पर स्थित जनपद मथुरा, मुरादाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, रुड़की, सहारनपुर में विशिष्ट पोली-ट्रामा यूनिट का लक्ष्य प्रस्तावित है । हमने तय किया है कि इन जिलों में हर प्रकार की व्यवस्थित सुविधायें उपलब्ध करायेंगे । जिला संयुक्त चिकित्सालय 100 शैय्यायुक्त मऊ, 150 शैय्यायुक्त बलिया, 300 शैय्यायुक्त फर्रुखाबाद एवं 300 शैय्यायुक्त शाहजहांपुर के भवन अधूरे निर्माण का पूरा करने का हमारा मान्य लक्ष्य है । यह इसी साल का कार्यक्रम रखा है । ओपेक फण्ड से सहायतित 500 शैय्यायुक्त बस्ती चिकित्सालय के निर्माण को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा है । इसी साल पूरा करने का प्रयास है ।

इसी प्रकार तीन जनपदों क्रमशः बदायूं, गोण्डा, एवं हरदोई में क्रमशः 30,20 एवं 10 शैय्या का वार्ड का निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य है । जनपद फैजाबाद में अयोध्या में आये दिन मेला होता है । एक्सीडेंट के अलावा अन्य प्रकार के मरीज भी आ जाते हैं तो जो उपचारिकायें वहा कार्यरत हैं वह बहुत बाहर से नियुक्त होकर आयी हैं उनकी सुविधा के लिए उपचारिका आवास के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है । तीन जनपदों क्रमशः मऊ, कानपुर देहात तथा जौनपुर में चीरघरों के निर्माण का लक्ष्य है ।

मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में जिला अस्पताल या बड़े अस्पताल बन जाने के कारण सुदूर इलाके में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था नहीं थी । इस सरकार ने पहली बार यह कार्य किया है हमने दलित बस्तियों में नगरीय इलाकों में 112 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का प्रस्ताव रखा है । मान्यवर, हमारे कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं । राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक प्रकार का रोग है और इसको समूल नष्ट किया जा सकता है । इसलिए मान्यवर, जो आंकड़े हैं 81-82 तक प्रत्येक 10 हजार पर 50–52 मरीज हुआ करते थे हमने इस पर मेहनत की है । अप्रैल, 98 में सर्वे हुआ प्रति 10 हजार पर केवल 5 रोगी रह गये हैं । हमारा लक्ष्य है कि 1999 में केवल 3 रोगी रहें और 2000 तक दो रोगी और 2001 तक 10 हजार एक रोगी का लक्ष्य रहेगा । मान्यवर, सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस पीड़ित मानवता के दुख और कष्ट के निवारण का संकल्प लेकर हम आगे बढ़े । इसी तरह से अन्धता निवारण के अन्तर्गत जो आंकड़े हैं 22 लाख मरीज मोतिया बिन्द के थे उससे घटकर अब 15 लाख पर आ गये हैं ।

हर साल 3 लाख मरीज पैदा हो जाते हैं । अब तक जो व्यवस्था थी, उसके हिसाब से केवल ढाई-तीन लाख से ज्यादा आपरेशन नहीं हो पाते थे । हमने इस काम को एक अभियान के रूप में लिया है और पिछले वर्ष साढ़े 4 लाख आपरेशन करके एक रिकार्ड कायम किया है, इस वर्ष भी साढ़े 4 से 5 लाख के बीच आपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है । हम सन् 2002 तक इस बैकलाग को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद जो प्रतिवर्ष के मोतियाबिन्द के मरीज होंगे, उनका आसानी से इलाज किया जा सकेगा । इसी प्रकार मलेरिया, फाइलेरिया जैसे अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को युद्धस्तर पर लेकर ठीक

करना चाहते हैं । मान्यवर, पूरे देश में एड्स एक गम्भीर समस्या है, आप जानते हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है केवल जानकारी ही इसका बचाव है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जब से मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हुये हैं, तब से यह बीमारी फैली है, यही इसके जन्मदाता है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मुझे चिन्ता है, राम तेज जी मेरे पास आये और कहने लगे कि रात को चुपके से मेरी जांच करा दो ।

श्री अधिष्ठाता–

ज्यादा कहेंगे तो एक दूसरे की बात का खुलासा होता जायेगा ।

श्री रमापति शास्त्री–

मैं इस मामले में प्रदेश की स्थिति को छिपाना नहीं चाहता बल्कि सदन के सामने रखना चाहता हूं । अभी जो हमने जांच करवाई है, उसमें 106719 लोगों की जांच करवाई है, उसमें रामतेज यादव जी का नाम नहीं है, उसमें एच०आई०वी० वाले 1447 हैं । इस समय उत्तर प्रदेश में एड्स से पीड़ित 185 लोग हैं और अब तक 24 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है ।

इसलिये इस सारे काम को व्यवस्थित ढंग से करने के लिये डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है । हमने तय किया है कि प्रत्येक चिकित्सा इकाई में विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाइयों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय । ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा है, क्योंकि गरीब व्यक्ति ही अधिक हमारे अस्पतालों में आते हैं और उनको दवाईयां उपलब्ध नहीं हो पाती थीं, यह बात हम मानते हैं, इसलिये हमारी सरकार ने तय किया है कि सभी प्रकार की औषधियों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करायेंगे । इसके अलावा हमारी सरकार चिकित्सालय भवन, प्रकाश, पेयजल की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दे रही है । चिकित्सालय के समस्त उपकरणों को लगातार क्रियाशील बनाने के लिये भी बल दिया गया है, इसके लिये हमने होलोस्टिक प्रस्ताव लिया है । इसके अलावा विभागीय निष्प्रयोज्य सामग्री को समयबद्ध तरीके से निस्तारण की समुचित व्यवस्था की है ।

मान्यवर, अब तक सरकार की जो व्यवस्था होती थी वह यह होती थी कि मंत्री आराम से बंगलों में बैठे रहते थे और आराम किया करते थे यह हमारी पहली सरकार है जो डेढ़ साल के अन्दर आकस्मिक निरीक्षण कराकर डाक्टरों को अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य किया है और काम करने के लिए बाध्य किया है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमने 19510 आकस्मिक निरीक्षण करायें हैं, जिसमें 3250 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये हैं जिनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है । 1998-99 में लोगों के अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है जिसमें पांच लोगों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं 63 लोगों को निलम्बित और 163 लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ।

मान्यवर, अब तक अस्पतालों में अगर बिजली चली जाती थी तो अस्पतालों में प्रकाश की व्यवस्था समाप्त हो जाती थी हमारी सरकार ने पहली बार अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की है । यह जनरेटर कैसे चलें इसके लिये हमारी सरकार ने पहली बार एक करोड़ तिरपन लाख रुपये की व्यवस्था की है जिससे जनरेटर चलाने वाले लोगों की और तेल की व्यवस्था की जा सकेगी । मान्यवर, 1998-99 में 16 जिलों में रोगी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है ।

औषधियों के शतप्रतिशत जांच के लिए उनके नमूने भेजे जा रहे हैं और उनके मानक स्तर पर पाये जाने पर ही उनका प्रयोग किया जायेगा । जब वह दवायें जांच में सही पायी जायेंगी तभी वह अस्पतालों को दी जायेंगी । मान्यवर, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 70 एक्सरे और 32 अन्य मशीनों की व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, 45 जनपदों में ब्लड बैंक के सुदृढ़ीकरण के लिए एलाइजरीडर की व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बलरामपुर अस्पताल और बस्ती में सिटी स्कैन की व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, यह ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाने के लिए चिकित्सकों की कमी है, इसलिए मान्यवर, हमने लोक सेवा आयोग को 1692 पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी थी जिसके विरुद्ध 1372 पुरूष चिकित्सक और 30 महिला चिकित्सकों का चयन हुआ है इनमें से 700 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश कर दिये गये हैं शेष के जारी किये जा रहे हैं और अब कोई अस्पताल बिना डाक्टर के नहीं रहेगा, फिर भी अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो फिर लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज कर उनकी भर्ती करायी जायेगी । मान्यवर, हमारे पास खाद्य निरीक्षकों की कमी थी इसलिए 506 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है और जहां कहीं पर भी अपमिश्रण होगा वहां पर कार्यवाही की जायेगी । हमने तय किया है और 218 लिपिक संवर्ग में लोगों की भर्ती की जा रही है । मलेरिया निरीक्षक के 95, फाइलेरिया निरीक्षक के 14, नेत्र सहायक के 75, उपचारिका के 977, फार्मासिस्ट के 422, लैब टैक्नीशियन के 96, एक्सरे टैक्नीशियन के 61, कुल मिलाकर 2017 लोगों की नियुक्ति प्रासेस में है, प्रगति में है । हम इसको जल्दी करके ठीक करेंगे ।

मान्यवर, अभी तक महिला चिकित्सालयों में सी० एम० एस० की कमी हुआ करती थी और हम वहां की व्यवस्था किसी अन्य सीनियर डाक्टर की सहायता लेकर चलाया करते थे । इस बार हमने 36 सीनियर डाक्टरों को संयुक्त निदेशक के वेतनमान में प्रोन्नति करके जो महिला चिकित्सालय बचे हैं, उनमें सी० एम० एस० भेजने जा रहे हैं । मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहता हूं । यह पहली बार हुआ है । अभी तक हमारे यहां इस तरह की तमाम शिकायतें आया करती थी कि हमारे यहां गद्दा, चादर, एक्सरे प्लेट, पट्टी, रूई नहीं हैं । पहली बार साढ़े छः करोड़ रुपये की व्यवस्था केवल इसके लिए की गयी है । तमाम एक्सरे प्लेट की व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री राजधारी द्वारा अपनी सीट से कुछ कहने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आप बैठें, आप सत्ता के [xxx] हैं ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, कृपया शान्त रहे । माननीय राम तेज जी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री राजधारी एवं भरत सिंह के कुछ बोलते रहने पर व्यवधान जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता–

मा० राम तेज जी आप कृपया विराजे, माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इतनी देर में तो आप मेरी बात सुन लेते मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे मंत्री जी जानकार हैं फिर भी वह हर चीज पढ़-पढ़ करके सुना रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप यह व्यवस्था दे दीजिए कि जब हर चीज पढ़-पढ़ करके सुना रहे हैं तो उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये और अगर कोई नई चीज बताना चाहें तो बता दें। आप मंत्री जी से कह दे कि एक-एक चीज पढ़ें नहीं।

श्री रमोपति शास्त्री–

मान्यवर, जो व्यवस्था की गयी है उसमें 5 मार्च को 58600 क्लोरिन की टेबलेट बांटी गयीं, 6 मार्च को 82990 क्लोरीन की टेबलेट बांटी गयीं और कल 7 मार्च को 15200 क्लोरीन की टेबलेट बांटी गयी हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 136990 क्लोरिन की टेबलेट बांटी गयी हैं जिससे कि पानी को शुद्ध किया जा सके। मान्यवर, इसी प्रकार से जो कूड़ा करकट था उसको भी उठवाने की व्यवस्था की गयी है। 5 मार्च को 7 गाड़ी, 6 मार्च को 11 गाड़ी, और 7 मार्च को 8 गाड़ी कूड़ा साफ करने की व्यवस्था की गयी है।

मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो पीलिया से ग्रसित मरीज थे उनकी हालत सुधर रही है और पीलिया पूरी तरह से कंट्रोल में है। मैंने निर्देश दिया है कि यदि कोई भी अधिकारी शिथिलता बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया एक बड़े अधिकारी को शिथिलता बरतने के आरोप में तुरन्त हटा दिया गया है।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आयी, हम समझ रहे थे कि बाढ़ के बाद महामारी फैलेगी लेकिन मैं माननीय सदन, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और अपने अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि युद्धस्तर पर काम किया गया और पूरे प्रदेश में महामारी फैलने से रोकने की व्यवस्था की गयी। हमने देखा कि राशन देर से पहुंचा दवा जल्दी पहुंच गयी तो इस प्रकार से महामारी को रोकने के लिये प्रयास किया गया और बाढ़ के समय शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। संयुक्त निदेशक ग्रेड के 3 अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया। कुशी नगर में श्रेणी–1 के एक अधिकारी और श्रेणी–3 के अधिकारियों को भी हटाया गया। हरदोई, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर इत्यादि जिलों में अनेक प्रकार की शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। मैं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के संबंध में दलगत राजनीति से हटकर मानवीय आधार पर विचार करें। चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों, अभी हमारे कुछ मित्र यह चर्चा कर रहे थे कि यह व्यवस्था नहीं की गयी या वह व्यवस्था नहीं की गयी मैं उनको आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि यदि किसी के शरीर पर चीरा लगाया जाय तो कितनी देर लगेगी, सिर्फ कुछ सेकेंड। चीरे को ठीक होने में एक सप्ताह, और सेप्टिक होने में थोड़ी देर लगेगी तो उत्तर प्रदेश में पिछले 50 सालों में जो चीरा लगाकर सेप्टिक पैदा कर दिया गया है उसको ठीक करने के लिये हम कृतसंकल्प हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिन चीजों का जिक्र अपने भाषण में किया है वह बिना पढ़े किया है लेकिन जो आंकड़े होते हैं उनको देखने की आवश्यकता होती है। इसलिये किसी प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न की बात नहीं है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, हमने व्यवस्था की है कि अस्पतालों में चादर की, कंबल की या दस्तानों की कमी नहीं होने दी जायेगी । सर्जिकल उपकरण, तौलिया आदि सभी चीजें उपलब्ध रहेंगी । उसके लिये हम हैण्डलूम कारपोरेशन को निर्देशित कर रहे हैं । पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशों पर कार्य हो रहा है । इस वक्त जनरेटर उपकरण चिकित्सालयों में 96.08 उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें से 93.88 कार्यशील हैं । हमने तय किया है कि अस्पतालों में सब उपकरण कार्यशील रहें । पूरे प्रदेश में 513 एक्स–रे मशीन हैं जिनमें से 29 एक्स-रे मशीन कार्यशील नहीं हैं । हमने तय किया है कि दो महीने में उनको भी कार्यशील कर दिया जायेगा । अल्ट्रासाउण्ड मशीन उत्तर प्रदेश में 74 हैं, जिसमें से मात्र छः बन्द हैं उनको भी दो महीने के अन्दर कार्यशील कर दिया जायेगा । इसी प्रकार आटोक्लेवलाइजर 68 हैं जिनमें छः बन्द पड़े हैं उनको भी थोड़ी मरम्मत करके कार्यशील कर दिया जायेगा । इसी प्रकार डीजल जनरेटर कुल 228 हैं जिनमें से मात्र 4 खराब पड़े हैं, हमने तय किया है कि उनको ठीक कर दो महीने के अन्दर जनता को समर्पित कर देंगे ।

अभी यहां पर पीलिया की बात आयी, इस सम्बन्ध में माननीय रेवती रमण सिंह जी, जो वरिष्ठ सदस्य हैं से निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ में आपने कहा पीलिया का प्रकोप बहुत बढ़ गया है तो जब यह बात सामने आयी उसी दिन मैंने सारे अधिकारियों को जो, इससे सम्बन्धित हैं जल निगम, जल संस्थान, नगर विकास, आवास विकास, विकास प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की है और पूरे लखनऊ को 6 सेक्टर में हमने बांटा है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई न आये । कौन-कौन मोहल्ले किस सेक्टर में आते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं । पीलिया का प्रकोप अप्रैल-मई में बढ़ता है लेकिन इस बार यह मार्च में ही शुरू हो गया । लोग इसके लिये तैयार नहीं थे । हमने इस पर पूरा कन्ट्रोल कर लिया है और इसके उपचार की व्यवस्था कर दी है । आप मुझे सुझाव देते जायं मैं कार्य पूरा करता चला जाऊंगा । मैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

राम राज्य में तो खड़ाऊं का राज्य था ।

श्री रमापति शास्त्री–

जिस राम राज्य में "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहु नहि व्यापा । नहि दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहिं कोउ अदुध न लक्षन हीना । सब सुन्दर सब निरुज शरीरा, जो तनि पाइ भजै रघुबीरा ।" कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री राम नरेश यादव, श्री अम्मार रिजवी यह राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेंगे । महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी । जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है । हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें सुझाव दीजिये हम कार्य को पूरा करते चले जायेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी

चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,16,30,20,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,94,58,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,08,01,90,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, पिछले सत्र में इसी विधान सभा में मैंने आपके सामने अपना बजट प्रस्तुत किया था उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि श्री कल्याण सिंह जी, मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को अलग से विभाग बनाकर चिकित्सा शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है । मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि विगत 12 महीनों के भीतर मैंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं । उन उपलब्धियों को माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं । हमारी आने वाली योजनायें क्या होंगी उन पर आपके सुझाव प्राप्त हो सकें, इसलिए भी उन्हें रखना चाहता हूं । विगत सत्र में भी मैंने आग्रह किया था कि हमारी सरकार एक मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने प्रदेश में 15 जनवरी, 1999 को एक शासनादेश जारी करके धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है और उसके लिए हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है । इस बात का भी पूरा आश्वासन है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु और भी जो अन्य व्यय होंगे उन्हें भी सरकार वहन करेगी ।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के कुछ प्रान्तों में मेडिकल विश्वविद्यालय हैं हम अपने प्रदेश में उससे कुछ भिन्न विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं । सचिव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञों की भी टीम गयी थी जहां उसने विषय का अध्ययन किया, विवेचना की और बाहर से आये हुए लोगों के साथ भी परामर्श किया । उसके बाद हमने तय किया एक बाउण्ड्री के भीतर सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों पर शोध करेंगे और जिस भी व्यक्ति को जिस चिकित्सा शिक्षा पद्धति में रुचि हो चाहे वह एलोपैथिक, प्राथमिक चिकित्सा, योग आदि में अपनी इच्छानुसार ट्रेनिंग कर सके । इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की नीयत आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं हो पायी ।

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण अंग और जुड़ा है । आज जितने भी डेवलप कन्ट्रीज हैं उन्होंने अपने मेडिकल एजुकेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक हास्पिटल मैनेजमेन्ट भी चला रहे हैं । हमारे बहुत से माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वह भी महसूस करते होंगे कि आज हास्पिटल मैनेजमेन्ट न होने के कारण मेडिकल कालेज के मैनेजमेन्ट और हास्पिटल के मैनेजमेन्ट में काफी दिक्कतें आती रहीं हैं । इसलिए हमने यह तय किया कि इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हम हास्पिटल मैनेजमेन्ट का एक आधुनिकतम विषय खोल कर उसकी भी शिक्षा देने का पूरा प्रयत्न करेंगे जिससे कि हास्पिटल मैनेजमेन्ट में लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें । हमने मेडिकल एजुकेशन मुख्य रूप से एलोपैथिक मेडिकल क्षेत्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम किये हैं । हमारे मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत लगभग 16 वर्षों से प्राध्यापकों की डी०पी०सी० नहीं हो पायी थी । हमारे संज्ञान में यह भी बात आयी कि हमारे कई प्राध्यापक जो विभिन्न विषयों में विदेशों के अन्तर्गत विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं परन्तु हमारे यहां के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत वह

लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए और लेक्चरर में ही रिटायर्ड हो गये । जहां हम अपने डाक्टरों से अच्छे ट्रीटमेन्ट और डायगनोसिस्ट की अपेक्षा करते हैं वहीं साथ में यह भी जरूरी था कि उनका जो वाजिब हक है वह उनको मिलना चाहिए परन्तु विगत की सरकारें नहीं दे पायीं । इससे उनमें निराशा और कुण्ठा तथा काम से भागने की प्रवृत्ति पैदा हुई और यह प्रवृत्ति मेडिकल कालेज के काम को कम बल्कि बरबादी को प्रदर्शित करती गयी, इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल कालेजों को एनाटोमी के अन्तर्गत रख कर टिक्कू कमेटी लागू करें । आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मेडिकल कालेज के 501 सम्मानित प्राध्यापकों में से 425 प्राध्यापकों को डी० पी० सी० कराकर टिक्कू कमेटी लागू करके प्रोफेसर और रीडर के रूप में पदोन्नत कर दिया है । आज हम कहने की स्थिति में हैं कि हमारे जो 6 मेडिकल कालेज आटोनोमस हैं, इनमें से एक भी ऐसा कालेज नहीं हैं जहां हमने अपने सम्मानित प्राचार्यों को प्रोन्नत न कर दिया हो । इसके अतिरिक्त आप सब महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं हमारे मेडिकल कालेजों की दशा अत्यन्त सोचनीय है ।

हमारे पास विशेषज्ञों की कमी नहीं है लेकिन हमारे पास साधन अभाव के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, सफाई, बिल्डिंग, मेन्टीनेन्स यह सब बड़ी बदतर स्थिति में हैं । हमने तय किया है कि आटोनोमस लाकर हम अपने मेडिकल कालेज, मेडिकल हास्पिटल को सुधारेंगे इसके लिए हम पैसे की व्यवस्था भी कर रहे हैं और अनुशासन को कड़ा कर रहे हैं । मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है कि हम इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की तरफ हैं । हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए थी नहीं हुई है, वह इसलिए नहीं हुई नियम, कानून और व्यवस्था और पिछली सरकारों का दिया हुआ धरोहर । हम इन सब में फंसे हुए थे अब इसको धीरे-धीरे दूर कर रहे हैं ।

हमारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज है, मुझे कहते हुए फक्र है कि यह हिन्दुस्तान का जाना-माना मेडिकल कालेज है । आज सुपर स्पेशलिटीज का जमाना है । विभिन्न मर्जों के विशेषज्ञों की आवश्यकता है । आज हम ऐम्स, अपोलो भागते हैं, बम्बई की ओर भागते हैं । हमारी सरकार ने पहली बार फैसला किया और चार सुपर स्पेशलिटीज डिपार्टमेन्ट खोले जिसके लिए 20.55.000 रुपये के०जी०एम०सी० को दिये । सर्जरी में यह चार विभाग खोले हैं । मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेन्ट खोलने की आवश्यकता इसलिए ज्यादा पड़ी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं । उन एक्सीडेंट्स के कारण हैड इन्जरी से सम्बन्धित नर्वस के मर्ज, उनके विशेषज्ञों की बड़ी भारी आवश्यकता है । पूरे प्रदेश के अन्दर एस०जी०पी०जी०आई० को छोड़कर यह सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं है इसलिए हमने तय किया कि के०जी०एम०सी० के अन्दर इसकी व्यवस्था करें । मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीडिओटिक सर्जरी डिपार्टमेन्ट जो हमने खोला उसमें 2 दिन से लेकर 4/5 दिन के बच्चे जिन्हें इन्फेंट कहते हैं कि सर्जरी करने में यह सफल हो रहा है । प्रदेश के ही नहीं विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं । अन्य मेडिकल कालेजों को भी हम व्यवस्थित करेंगे इसलिए हमने गोरखपुर और मेरठ जो विगत कई वर्षों से चल रहे थे आज तक उनके यहां ब्लड बैंक नहीं था । गोरखपुर पूरे पूर्वांचल के अन्दर अकेला मेडिकल कालेज था लेकिन ब्लड बैंक नहीं था इसी तरह से मेरठ में भी नहीं था इसलिए हमने पूर्वांचल में गोरखपुर और पश्चिम में मेरठ में ब्लड बैंक की सुविधा प्रदान करने हेतु लाइसेंस जारी कर दिया और पैसे की भी व्यवस्था कर दी । मान्यवर, आज एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, इमरजेंसी बहुत पड़ती है इस स्थिति को देखते हुए मेडिकल कालेज में एक सेन्ट्रल गैस कनेक्शन विभाग भी होना चाहिए । प्लेस भी होना चाहिए इसलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि विभिन्न मेडिकल कालेजेज के अन्दर 30-30 लाख रुपया सेन्टर गैस की व्यवस्था हेतु दिया है । जिससे कहीं आक्सीजन की जरूरत हो तो उसको डायरेक्ट जोड़ा जा सके । इसी तरह से मान्यवर कानपुर कार्डियोलाजिस्ट इन्स्टीट्यूट को 60 लाख रुपया दिया है ताकि नये यंत्र लगाये जा सकें । कानपुर कार्डियोलाजिस्ट इंस्टीट्यूट ऐसी स्थिति में है जहां अपोलो के अन्तर्गत एन्स के अन्दर लोग सर्जरी कराने जाते हैं वहां उससे 1/10 पैसे से कम के भीतर कानपुर में सर्जरी करा सकते हैं, लोग कानपुर में सर्जरी करा रहे हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही है ।

मान्यवर हमने पी० जी० आई० के बारे में निश्चय किया है, एस०जी० पी० जी० आई० मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं यह हमारे पूरे देश का महत्वपूर्ण संस्थान है और मैं तो पी० जी० आई० के भीतर गया हूं वहां बांग्ला देश, पाकिस्तान, नेपाल के मरीज आते हैं इसलिए पी० जी० आई० को अच्छा बनाया गया है और यह तय किया गया है कि इसको आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाए। इसके साथ ही मरीजों के संबंधियों के रहने की व्यवस्था की जाए। पी० जी० आई० में नये भवन के निर्माण के लिये 1999-2000के बजट में 68 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित की है जिससे पी० जी० आई० को और मार्डन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पी० जी० आई० में टेली मेडिसिन की व्यवस्था नहीं थी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी टेली मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है। टेली मेडिसिन ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से कहीं से भी अपने स्थान पर बैठकर परामर्श कर सकते हैं जापान अमेरिका कहीं के भी डाक्टरों से परामर्श कर सकते हैं और उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जहां मरीजों की कोई कमी नहीं है और मरीजों के उपचार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं इंग्लैंड, जापान, अमेरिका जाकर इलाज कराने की उनकी क्षमता नहीं है उनको टेली मेडिसिन से सुविधा मिलेगी, पी० जी० आई० के अन्दर टेली मेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया हो गई है, संचार के माध्यम से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है, हमारा प्रयास है कि दो-तीन महीने के भीतर पी०जी०आई० में टेली मेडिसिन की व्यवस्था चालू कर दें। ताकि किसी को अमेरिका, जापान से परामर्श लेना हो तो वह ले सकते हैं यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मान्यवर, पी० जी० आई० को हम कम्प्यूटराइज्ड करने जा रहे हैं इसके लिए 70 लाख की व्यवस्था की है पी० जी० आई० में पेशेन्ट भर्ती होगा तो उसे सारी सूचनायें एक ही खिड़की पर मिल जायेंगी उसे अलग-अलग खिड़की पर नहीं दौड़ना पड़ेगा।

मरीज के सहवर्ती जो ठोकरें खाते फिरते थे और समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी इसको ठीक करने के लिये हमारी सरकार ने कम्प्यूटर की व्यवस्था कर दी है। यह व्यवस्था शीघ्र ही लागू हो जायेगी। करीब-करीब काफी व्यवस्था लागू हो रही हैं। श्रीमन् पी० जी० आई० के भीतर कोई गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा सकता है वहां निःशुल्क इलाज की व्यवस्था नहीं है लेकिन हम अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी ने पी० जी० आई० के भीतर आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्तियों के लिये कोष स्थापित करने का निश्चय किया है और एक करोड़ रुपया दान देकर मुख्य मंत्री जी ने खुद शुरुवात की है, जो निर्धन लोग हैं जिनको दवा की नितान्त आवश्यकता है और धनाभाव के कारण अपना जीवन छोड़ने को बाध्य होते हैं हमारी सरकार का प्रयास है कि पी० जी० आई० के अन्दर पैसे के कारण जो अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाते थे उनके लिये भी उपचार की व्यवस्था के लिये लोक कल्याणकारी सरकार निश्चय कर रही है। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य बहुत से काम किये हैं और अन्य बहुत से काम करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। अंग प्रत्यारोपण को लेकर विवाद हुआ, उसको लेकर जगह-जगह समाचार पत्रों में और कई जगह आंदोलन और प्रदर्शन हुए। केन्द्र सरकार ने एक कानून बनाया और हमने उसको यथावत् स्वीकार किया। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है जो नियम बनाये हैं उसके अन्तर्गत तीन ऐसे संस्थान हैं, अस्पताल हैं, जिनको हमने उन नियमों के अन्तर्गत मान्यता दी है। इनके अलावा जो भी अंग प्रत्यारोपित करते हुए पकड़ा जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी यह हमारी सरकार का संकल्प है।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट मेडिकल कालेज, प्राइवेट डेन्टल कालेज और पैरा मेडिकल कालेज को खोलने में हमने सफलता प्राप्त की हैं। यह प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपकी अपनी सोच होगी, मैं एक बार दक्षिण गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि 70 फीसदी बच्चा जो वहां पर प्राइवेट मेडिकल कालेजों में पढ़ रहा है, वह उत्तर प्रदेश का है और बिहार का है। 20 से

25 लाख रुपये की केपीटेशन फीस का पैसा वहां पर जमा होता है । यह हमारा ही पैसा है और वहां पर बच्चों को कई समस्याओं को झेलना पड़ता है जैसे भाषा की समस्या है, रहने की समस्या है तो इन चीजों को खत्म करने के लिए हमारा पैसा हमारे पास रहे, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज को एन०ओ०सी० दी जानी चाहिए और इसी कड़ी में हमने 10 मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेज को एन०ओ०सी० जारी की है । उनमें से लखनऊ का सरस्वती डेन्टल कालेज को भी मान्यता प्रदान की है और प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है ।

एक टुण्डला में खोला गया है उसमें भी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की है । आगरा में प्राइवेट डेन्टल कालेज खोले जाने की प्रक्रिया हो रही है । हमारा यह प्रयास है कि जो पैसा बाहर जाता था वह बाहर न जाने पाये और वह हमारे पास ही रहे । मैं आपको यह सूचित करूंगा कि वहां पर 18 डेन्टल कालेज काम कर रहे हैं । हमारे यहां सीमित संख्या है, आबादी बहुत है, पढ़ने की इच्छा शक्ति है, इसलिए हमारा प्रयास हो रहा है कि नियम कानून के भीतर जो कर रहे हैं उन्हें एन०ओ०सी० जारी करें । मान्यवर, हमने अपने शासनकाल में आयुर्वेदिक शिक्षा की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है । विगत वर्ष 250 आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये थे । उन्हें प्रारम्भ कर दिया गया है । हालांकि उनमें डाकटर्स का अभाव है । कर्मचारियों का अभाव है । उसका कारण मूल रूप से यह था कि विगत सरकारों ने 335 आयुर्वेदिक डाक्टर्स को पहाड़ों पर भेज दिया और वहां पर उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाया । वहां पर वह दवायें नहीं लिख सकते हैं । हमारी सरकार ने तय किया है और उत्तरांचल मंत्री से मिलकर तय किया है कि जो 335 आयुर्वेदिक डाक्टर्स वहां पर हैं जिनका समुचित सदुपयोग नहीं हो रहा है उन्हें किश्तों में उतारा जाय । हम 120 डाक्टर्स को पहली किश्त में उतारने का प्रयास कर रहे हैं वह अप्रैल तक नीचे आ जायेंगे बाकी को बाद में उतार लिया जायेगा । जो 48 आयुर्वेदिक डाक्टर्स की नियुक्ति विगत वर्ष सरकारों ने मानदेय के आधार पर की थी, बाद में वह डाक्टर्स सुप्रीम कोर्ट चले गये थे और मुकदमा जीत गये थे, सुप्रीम कोर्ट में एस०एल०पी० दाखिल करवायी गयी । मान्यवर, विगत सरकारों में यह कभी नहीं सोचा गया कि वे बेचारे सीमित साधन वाले डाक्टर कहां-कहां जायेंगे हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया पता नहीं किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट में एस०एल०पी० दाखिल करने का फैसला किया गया । हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर कार्यवाही हो और इसी के तहत 48 अंशकालिक डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है । एस०एल०पी० वापस लेने का काम किया गया है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसी तरीके से होम्योपैथी में भी सभी की नियुक्तियां की हैं । मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेजों में संस्कृत प्रवक्ताओं की नियुक्तियां हुई थीं उनको मात्र 1200 और 500 का मानदेय दिया जाता था जबकि अन्य प्रवक्ताओं को पूरा स्केल मिलता था ।

यह कितना बड़ा अन्याय था, हमने फैसला किया 5 जो संस्कृत प्रवक्ता हैं उन सबको पूर्ण स्केल दे करके पूर्णकालिक प्रवक्ता का दर्जा दिया गया है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसी तरह से पहाड़ों पर हमने 95 आयुर्वेदिक हास्पिटल खोलने की कार्यवाही की है और इसके अलावा पहाड़ पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का भी फैसला किया गया है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हम पहाड़ पर 40 होम्योपैथिक हास्पिटल खोलेंगे और एक होम्योपैथिक कालेज भी खोलने का फैसला किया गया है ।

मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेजेज की दशा बड़ी खराब थी वहां पर इन्स्ट्रूमेंट बहुत पुराने हैं उनसे सम्बन्धित औषधि निर्माणशालायें विगत कई वर्षों से बन्द थी, उनमें कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती थी । मान्यवर, आप अवगत हैं कि आयुर्वेदिक घोटाले को यहां विवाद का विषय बना दिया गया था । सी०बी०आई० ने जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और हमसे अनुमति मांगी हमने उनको अधिकार प्रदान कर दिया । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) सबको उसके अन्तर्गत जाना होगा । औषधि निर्माणशालाओं में हमने औषधियों के निर्माण

का कार्य शुरू किया है । विगत वर्ष 24 लाख रुपये की औषधि बनायी गयी थी इस बार 76 लाख रुपये की औषधि बना रहे हैं । 5 लाख 13 हजार के बजट की व्यवस्था उसमें हमने की है उसे ठीक करने के लिए । हमारे आयुर्वेदिक कालेज में जो डाक्टर्स हैं, रीडर्स हैं, प्रोफेसर हैं, डिमांस्ट्रेटर्स हैं, उनकी संख्या काफी कम है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का कार्य किया है ताकि हमारे क्लासेज सफर न करें कक्षाओं में बाधा न हो हमने गेस्ट फेकल्टि की बाबत कार्यवाही की है, जिसमें 19 पदों पर नियुक्ति की बात है । 51 अतिथि प्रवक्ता होम्योपैथिक कालेजेज के अन्तर्गत नियुक्त किया । हमने 20 एम० डी०, जो हमारे हास्पिटल के अन्तर्गत काम किया करते थे, उनकी आयुर्वेदिक कालेज के अन्दर सेवायें लीं और अब हम उनसे लेक्चरर के रूप में सेवायें ले रहे हैं । इसके अलावा प्रवक्ता के 41 पद उ० प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञाप्ति किये हैं जो अतिशीघ्र भर दिये जायेंगे । इससे होम्योपैथिक कालेजों में जो ढ़ंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, वह कमी पूरी हो जायेगी ।

मान्यवर, होम्योपैथिक में भी यही हालत थी, उनमें भी शिक्षकों का घोर अभाव था । विगत सरकारों ने होम्योपैथिक कालेज जरुर खोले, चलाये लेकिन शायद इस बात की उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उसमें लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स होंगे उनकी अपनी एक क्वालीफिकेशन होगी, यह पोस्टग्रेजुएट आयेंगे कहां से ? आज स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश के भीतर प्रोफेसर की नियुक्ति के लिये एक भी पोस्ट ग्रेजुएट मौजूद नहीं है क्योंकि विगत सरकारों ने इस मामले में दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया उन्होंने एक भी पोस्टग्रेजुएट कालेज नहीं बनाये । अब हमारी सरकार ने फैसला लिया है और हम इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कम से कम 4 होम्योपैथिक कालेज को पोस्टग्रेजुएट कालेज बनायेंगे ।

इसके अलावा डाक्टर्स की नियुक्ति का विज्ञापन भी किया गया है, 6 लेक्चरर्स को नियुक्त भी करने जा रहे हैं । आज हमारे प्रदेश के अन्दर क्वालीफाइड लोग नहीं हैं, इस संबंध में एक्ट में संशोधन करने की स्थिति पैदा हो गई है । विगत कई वर्षों से होम्योपैथिक कालेज में डेढ़-दो सौ रुपया मानदेय पर उनसे काम लिया जा रहा था, हमने बजाज कमेटी से भी आग्रह किया है कि इन सबको क्लियर करने की प्रक्रिया प्रदान करें, जिससे जो लोग क्वालीफाइड हैं, उनको लेक्चरर्स बनाया जा सके, अभी तक यह कितना बड़ा अपमान उन लोगों के साथ हो रहा था, कि हम डेढ़-दो सौ रुपये मानदेय पर 18 सालों से काम ले रहे थे, इसलिये हमारी सरकार ने उनको रेगुलर करने के लिये बजाज कमेटी से कहा है कि वह अपना सुझाव सरकार को दे, इसके अलावा हमने होम्योपैथिक मेडिसन काउन्सिल से भी मांग की है कि एक्ट के अन्तर्गत छूट देने की वह शिथिलता बरते । हमने विगत वर्ष में 205 होम्योपैथिक हास्पिटल खोले और 245 डाक्टरों की नियुक्ति के लिये चयन आयोग में सूचना भेज दी है, अब नियुक्तियां हो रही हैं । आगे आने वाले 2-3महीनों में होम्योपैथिक हास्पिटल्स में डाक्टर्स का अब अभाव नहीं रह जायेगा ।

हम इस बात को मानते हैं कि आयुर्वेदिक हास्पिटल, होम्योपैथिक हास्पिटल में दवाओं का अभाव था । हमारे प्रदेश की जनता की जो हैसियत है, उसके अनुसार वह ज्यादा पैसा खर्च करके अपना इलाज नहीं करा सकते, इसलिये कम पैसे में समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सके, वह आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में ही संभव है । इसके लिये हमने दवाओं को बढ़ाने का फैसला किया है । पिछले 6 वर्षों में आयुर्वेदिक हास्पिटल दवाओं से महरूम हो गये, दवायें नदारद और डाक्टर मौजूद । हमने पिछले वर्ष 3 किश्तों में दवायें भेजी, माना वह दवायें पर्याप्त नहीं थी क्योंकि जितना लोग चाहते हैं, उतना हम नहीं दे पा रहे हैं । लेकिन पिछले साल में एक करोड़ की दवा भेजी गई, अब हम और ज्यादा प्रोड्क्शन कर रहे हैं । मान्यवर, हम चिकित्सा शिक्षा को एक नयी दिशा देना चाहते हैं । मान्यवर, पी०एम०एस० और मेडिकल कालेजों के डाक्टरों में अन्तर स्थापित किया जाये । दोनों में अन्तर है । मेडिकल कालेज का डाक्टर पहले टीचर है और रिसर्च स्कालर है और उसके बाद डाक्टर है, इसलिए मान्यवर, पी०एम०एस० और

मेडिकल डाक्टरों में विभिन्नता है । मान्यवर, आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि चिकित्सा शिक्षा जिस सुधार की दिशा को प्राप्त होनी चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन हम उस ओर सजग हैं। हम मेडिकल शिक्षा को एक नया आयाम देना चाहते हैं और एक नया स्वरूप देना चाहते हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आग्रह है कि जो बजट मैंने रखा है, उसको हूबहू स्वीकार करने की कृपा करें ।

परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,54,03,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, परिवार कल्याण कार्यक्रम सीधे विकास से जुड़ा हुआ है । जनसंख्या को सीमित रखकर ही हम विकास को त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं । मान्यवर, हमारा प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हैं । देश का हर छठा नागरिक हमारे प्रदेश का नागरिक है । यदि हम समय रहते नहीं चेते तो प्रदेश को जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा । इस समस्या को पहली बार हमारी सरकार ने गम्भीरता से लेते हुए जनसंख्या नीति निर्धारण करने का निर्णय लिया है ।

मान्यवर, परिवार को सीमित रखने के लिए शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी करके राष्ट्रीय स्तर तक लाया जाना है । मान्यवर, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सुरक्षित प्रसव तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों के जटिल प्रसव सम्बन्धी मामलों में गांव से सन्दर्भन चिकित्सालय तक लाने की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षण प्रदान करने की प्रभावी व्यवस्था की गयी है । मातृ एवं शिशु को जन्म के समय होने वाली टेटनेस जैसी जानलेवा बीमारी से शत-प्रतिशत प्रतिरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मान्यवर, परिवार को सीमित रखने के उद्देश्य से नसबन्दी, आई०यू०डी०, ओरल पिल्स तथा निरोध प्रयोगकर्ता की संख्या में शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से बढ़ोत्तरी किया जाना है । इन साधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ-साथ इनकी सुलभ उपलब्धता भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर, इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर यह बजट प्रस्तावित किया गया है जो माननीय सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शास्त्री जी, माननीय ओझा जी और माननीय भोले जी ने उ० प्र० शासन के चिकित्सा विभाग की सरजरी की, ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी एक-एक कर पहले कटौती प्रस्ताव रख दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक) लेखा शीर्षक (2013– मंत्रि-परिषद्, 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2235–सामाजिक

सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुये)

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) लेखा शीर्षक (2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) लेखा शीर्षक (2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित मंत्रीगण ने चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि पर अपना बजट प्रस्तुत किया । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त रहा है कि मैं 8 साल तक इस विभाग को चलाता रहा । उस समय में एक मंत्री था और मेरे साथ एक राज्य मंत्री थे । आपके नगर लखनऊ में आप हैं, आपका निदेशालय है, आपके सचिव हैं, मुख्य मंत्री हैं और महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं । यह पीलिया पहली बार नहीं हुआ है । यह प्रदेश की राजधानी है, हमारे माननीय शास्त्री जी ने कहा कि कन्ट्रोल है, सब ठीक है । हमारे स्वास्थ्य महानिदेशक बैठे हुए हैं शास्त्री जी ने उनसे राय ली कि लखनऊ में पीलिया क्यों हुआ उसका क्या कारण था ? पानी की कमी से पीलिया हुआ या पानी की गन्दगी से पीलिया हुआ या लखनऊ नगर की गन्दगी से पीलिया हुआ यह सब बातें स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहाना हैं । बीमारी हुई, सामूहिक तौर पर लोग बीमार हुए, सैकड़ों से ऊपर लोग बीमार हुए और स्वास्थ्य विभाग क्या करता रहा । नगर में जहां से पानी का वितरण हो रहा है क्या वहां का सर्वेक्षण कराया गया ? वाटर सप्लाई के अन्तर्गत जितनी टोटियां हैं, लखनऊ नगर में जिस समय की हमें जानकारी है उस समय 16 हजार नल लगे थे । 16 हजार नलों की जांच आप नहीं कर सकते हैं । आप रेण्डम जांच कर सकते हैं और यह निर्देश मंत्री का होता है । अधिकारी, चाहे सचिव या निदेशक हों, वह यह नहीं करेंगे । मंत्री गाइड करेगा, मंत्री यह निर्देश देता है कि उसको रिपोर्ट चाहिए, 100, 400 या

1000 नल के ऊपर रिपोर्ट रोज आनी चाहिए । स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य होता है कि जब वह सीट पर बैठता है तो पहले वह रिपोर्ट देखता है कि विभाग से क्या रिपोर्ट आ रही है ।

उत्तर प्रदेश के 83 जनपदों में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैली है और इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है । इसके लिए माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 40 मिनट अपना सम्भाषण दिया और हर चीज की स्वीकृति दे दी, मंजूर हो गयी । पहले गवर्नमेंट उसे स्वीकृत कराने का विचार बनाती है, कार्यक्रम निर्धारित करती है, उसी को वह विधान सभा में प्रस्तुत करती है । सरकार यह नहीं कहती कि हमने मंजूर कर दिया । वह विधान सभा के सामने प्रस्तावित करती है कि आप इसको प्रदेश के हित में स्वीकार करो । यहां पहले ही कह दिया गया कि हमने स्वीकृति ले ली ।

सम्मानित चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय खोलने की बात कही । एक मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित है, एस०जी०पी०जी०आई० । उसको चलाने के लिए पैसा नहीं है । जो चीजें वहां स्थापित की गयी हैं, 100 करोड़ रुपये के लगभग व्यय हुआ, उसका मेन्टीनेंस नहीं हो रहा है । आपके अच्छे चिकित्सक आपका विद्यालय छोड़कर बाहर जा रहे हैं । मैं तीनों मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि डाक्टरी पेशा एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है । हम मंत्री बने मंत्री पद की कसम खाने के बाद हमारा यह दायित्व नहीं है कि हम ट्रान्सफर शुरू कर दें । इससे विभाग नहीं चलता । विभाग को चलाने के लिए हमारे मंत्रीगणों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करना होगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का सीधा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ लोगों से है । चिकित्सा प्रणाली में आप चिकित्सक के यहां जाइये तो आपका बैक ग्राउण्ड जानना चाहेगा । वह जानना चाहेगा कि इससे पहले आपको कोई बीमारी तो नहीं थी, कौन इलाज कर रहा था, पुरानी पर्चियां हों तो उसे सामने रखें, एक्स-रे हुआ है तो एक्स-रे रिपोर्ट रखिये कोई और आधुनिक जांच हुई है तो उसे भी सामने रखिये जब तक सारे बैक ग्राउण्ड नही रखेंगे तब तक वह इलाज नहीं कर सकता ।

आई०ए०एस०, पी०सी०एस० और डाक्टरी पेशा में बहुत अन्तर है । आप उनको एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते । अगर आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की तरह मानते हैं तो फिर आप उनसे एडमिनिस्ट्रेशन कराइये या चिकित्सा का काम कराइये और उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वस्थ्य रखिये या उत्तर प्रदेश को न बर्बाद कर दीजिये । आपने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी खोले हैं । सन् 1980 में उत्तर प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र थे, 244 थे, आज आपके पास 2500 हैं । 1980 से 1999 तक इन 19 वर्षों में चिकित्सा का काम कितना हुआ ? आपको इस बात का अहसास होना चाहिए कि आपके साथ, आपके पीछे एक बड़ी लम्बी जमात चिकित्सकों की है ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

आज गांवों देहातों की हालत क्या है ? कितने आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां आपके चिकित्सक मौजूद हैं ? कितने आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां कोई फार्मासिस्ट तक नहीं हैं उन चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था कौन करता है ? वहां का चौकीदार । आपने कह दिया कि हम इसको पंचायत को देंगे कौन चिकित्सक होगा जो ग्राम पंचायत के अधीन रहेगा उसकी बात मानेगा । इस सदन में कह देना और उसे कार्य रूप में परिणित करना बहुत कठिन है । आप सभी गांव के रहने वाले हैं हम भी गांव के रहने वाले हैं । यह सही है कि पंचायत मजबूत होनी चाहिए, यह सही है कि पंचायत को अधिकार होना चाहिए, यह सही है कि पंचायत का सीधा सम्पर्क होता है लेकिन रातोंरात यह नहीं हो सकता है ।

1950-51 में एक रात को जमींदारी समाप्त कर दी गयी वह चीज यह नहीं है । यह उन ढाई लाख परिवारों को जिनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी थी को चिकित्सा व्यवस्था देने की बात है । आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से 3 करोड़ कम है । रूस की जनसंख्या 19 करोड है और हमारी

जनसंख्या 16 करोड़ है इतने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है । 1986-87 में मेडिकल कालेज को आधुनिक उपकरण से संतृप्त किया जाए इसके लिए प्रयास हुआ और फ्रांस सरकार और भारत सरकार से बातचीत हुई । यह 90 करोड़ की बातचीत थी । फिर हम लोग डिसमिस हो गये और वह योजना गायब हो गयी । आपने अपने मेडिकल कालेज में ट्रीटमेन्ट का कार्यक्रम शुरू किया लेकिन कितने मेडिकल कालेज में हार्ट सर्जरी प्रारम्भ हुई ? कितने मेडिकल कालेज में महामारियों के ऊपर शोध हो रहा है सात मेडिकल कालेज को इन कार्यों के लिए धन एलाट किया जाता है । एक्सपेंशन करना अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही साथ जो कार्य चल रहे हैं उनको भी जारी रखना है व उनसे भी लाभ लेना आवश्यक होता है लेकिन उनको आप आगे बढ़ा सके हैं । आज जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश की दरिद्रता तब तक दूर नहीं हो सकती है जब तक हर व्यक्ति जागरूक न हो जाए हम सब जागरूक होते हैं जब तीन-चार सन्तान पैदा हो जाती हैं जब तक एक बच्चे के बाद से ही जागरूकता नहीं आयेगी, तब तक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है ।

उत्तर प्रदेश को इन उपलब्धियों का लाभ नहीं मिलेगा इसलिए यह बहुत आवश्यक है और इसको करने के लिए हर कुछ सम्भव करना चाहिए और सब जायज है । हमारी पार्टी ने भी किया था । परिवार नियोजन हमने भी किया, खतरा न होने पाये हमने भी और हमारी पत्नी ने भी किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि अगर यह तीनों मंत्री परिवार नियोजन कराकर आज शाम तक सार्टिफिकेट दे दें तो हम कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेगें ।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

आयुर्वेद की बात आयी । आयुर्वेद और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधा के लिए आपको आयुर्वेद और होम्योपैथ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खर्चा क्या आता है और उस पर दवा कितने में आती है । हमने तो 20 हजार रुपये कर दिया था मुझे नहीं मालूम कि आज कितना दे रहे हैं । उस समय 2 हजार रुपया आयुर्वेद पर और एक हजार रुपया होम्योपैथ पर दिया जाता था और उसे बाद में बढ़ा कर होम्योपैथ पर 2 हजार और आयुर्वेद पर 4-5 हजार रुपया कर दिया था । आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सक देहाती क्षेत्र में रहते हैं मगर हमारे आधुनिक जगत के चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक नहीं रहते हैं ।

यह क्राइसिस उस समय हम भी फेस कर रहे थे और मेडिकल कालेजों के लड़के और लड़कियां हमारे चिकित्सा विभाग की सेवा में नहीं रही हैं । हमने उनके यूनियन के प्रेसीडेंट को बुलाया और कुछ महिला अभ्यर्थियों को बुलाया, उससे बात की और कहा कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जायें और यह भी कहा कि हम यह नियम बनाने जा रहे हैं कि जो देहाती क्षेत्र में एक साल काम करेगा उसे ही हम नौकरी पर लेंगे । उन्होंने कहा हम नहीं जायेंगे, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है हम वहां पर काम कैसे करेंगे ? यह तय हुआ जहां पर उनका हैड क्वार्टर है वहां पर हैण्डपम्प लगवाया जाए, अब पता नहीं क्या व्यवस्था है । मगर चिकित्सक नहीं हैं यह मैं जानता हूं ।

मेरा विधान सभा क्षेत्र गांव का है । आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं शास्त्री जी आपने इतनी जल्दी घबड़ाकर स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन कर दिया । जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा । 11 बजे रात को सोनभद्र से लौटते हुए उद्घाटन कर दिया । हम लोगों को बुलवाया होता । दो-चार हजार आदमी वहां खड़े होते ।

(व्यवधान)

चिकित्सा में आयुर्वेद भी है आप आयुर्वेद का लखनऊ में महाविद्यालय धन्वन्तरि बना रहे हैं । एलोपैथी में भी जड़ी बूटियों की बात शुरू हो गयी है । आप एक महाविद्यालय बनायेंगे तो उसकी लागत 150–175 सौ करोड़ से कम नहीं बैठेगी । आपके पास गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है उसके अन्तर्गत

आयुर्वेद विद्यालय है । हमने भी उनके साथ वार्ता की थी लेकिन वार्ता बीच में रह गई आप भी प्रयास करिये । आप लखनऊ के बजाय हरिद्वार में बनाइये ।

बिजनौर में है मुज्जफरनगर में आयुर्वेद विद्यालय है और वहां बिजनौर में उनके पास 200 बीघा जमीन जड़ी-बूटी बोने की जगह भी है । हमने उस समय वहां पर सिंचाई मंत्री से ट्यूबवेल लगाने की बात कही थी कि अगर उसमें ट्यूबवेल लगा दिये जायं तो वहां पर जड़ी-बूटी की खेती हो सकेगी । आप वार्ता करें और ऐसी वार्ता करें कि कार्य हो जाय । जब पैसा कम लगेगा तो कार्य हो जायेगा और जब पैसा अधिक लगेगा तो कार्य होने में 10 वर्ष लग जायेंगे । जैसे 79 का चला हुआ काम आज भी चल रहा है पूरा नहीं हुआ है । श्रीमन्, मैं अपने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त तक यह उत्तर प्रदेश में बीमारी के महीने हैं । अक्टूबर से बीमारियां कम होने लगती हैं कृपया अपने विभाग को चाहे वह एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो सबको अलर्ट करिये । हर चिकित्सक को जिम्मेदारी सौंपने के लिये पूरे क्षेत्र बांटिये । न्याय पंचायत हो, ग्राम सभा हो, विकास खण्ड हो बांटिये । आपने हैंड पम्प लगवाये हैं मगर कुओं में भी जल शुद्धिकरण करें ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से सराहनीय कार्य किये गये हैं जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर बलरामपुर अस्पताल, डफरिन, गांधी मेमोरियल चिकित्सालय, के० जी० एम० सी०, मोहन होम्यो मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, लिम्ब सेन्टर और संक्रामणिक रोग चिकित्सालय, राय मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं इसलिये मुझे प्रायः वहां के जो लेक्चरर हैं, छात्र हैं, बीमार हैं, उनसे मिलने का अवसर मिलता है उनकी बातें सुनने को मिलती हैं । मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इसने बलरामपुर अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करने का सराहनीय कार्य किया है । अब तक लखनऊ में आग लग जाने से जो व्यक्ति जल जाते थे उनके इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल, दिल्ली जाना पड़ता था इस सरकार ने डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में बर्न यूनिट स्थापित करके सराहनीय कार्य किया है । गोमती नगर में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और राजाजीपुरम् में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से 30 शैय्याओं के अस्पताल की व्यवस्था की है जिसका शीघ्र लोकार्पण होने वाला है । चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का कार्य शीघ्र किया जाएगा । मान्यवर, मैं संक्षेप में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों विभागों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सर्वप्रथम आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रमुख बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की उत्तर प्रदेश सरकार वर्षों से अनदेखी कर रही है उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नतियों का नियम है लेकिन व्यवहार में एक भी प्रोन्नति नहीं की गई है इन कालेजों में कार्यरत लोगों को प्रदेश शासन के संकल्प के अनुरूप केन्द्र के समान वेतनमान प्रदान नहीं किए गए हैं समता समिति 1988 में भी संस्तुति की थी कि इसके विषय में नीति विषयक निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ही ले सकती है किन्तु आज तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 15 मार्च, 1991 को यू० जी० सी० वेतनमान देने की संस्तुति चिकित्सा शिक्षकों के प्रशासनिक विभाग ने भी की है चिकित्सा शिक्षकों के सम्मेलन में दि० 1-12-97 को राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में जहां मैं भी उपस्थित था मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि यू० जी० सी० के वेतनमान शीघ्र दिए जायेंगे । लेकिन मैं खेद के साथ

कहना चाहता हूं कि इसको अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया गया मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को शीघ्र किया जाय । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नियमित रूप से प्रतिवर्ष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग से की जाए । आयुर्वेदिक कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के स्थानों को तदर्थ नियुक्ति करके शीघ्र भरा जाए । कालेजों की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु एवं नये उपकरणों के लिए अतिरिक्त बजट का प्राविधान करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए । एम० डी० की प्रवेश परीक्षा स्वतंत्र एजेन्सी से कराई जाए तथा पिछली हुई धांधली पर दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाए तथा सभी विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शुरू कर एम०डी० की सीटों में तद्नुसार वृद्धि की जाय ताकि हर विषय के विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें । आवासीय चिकित्साधिकारियों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए । मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश के अन्दर विशेषकर लखनऊ में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है जहां औषधियां निर्माण की जा रही हैं परन्तु रा–मैटीरियल्स की कमी की वजह से उत्पादन आवश्यकता से कम होता है और सरकार को प्राइवेट फार्मेसी से क्रय करना पड़ता है । इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अब मैं आपका ध्यान होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । होम्योपैथिक डाक्टरों को एम० डी० की कोई सुविधा नहीं दी गई है इसलिये मेरी मांग है कि होम्योपैथ में एम० डी० की सुविधा प्रदान की जाए । जहां तक एलोपैथिक चिकित्सा की बात है मैं तीन-चार बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चिकित्सा उपकेन्द्रों पर जहां ए०एन०एम० की नियुक्ति कर दी जाती है लेकिन अभी तक 50 प्रतिशत उपकेन्द्रों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है भवन के अभाव में ए०एन०एम० अपने क्षेत्र में नहीं रहती हैं जिससे ग्रामीण जनता को जच्चा बच्चा की सुरक्षा, डिलीवरी, टीकाकरण आदि कार्यों का सम्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है । तीस हजार की आबादी वाले नव सृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजनाबद्ध तरीके से भवन निर्माण, उपकरणों एवं औषांध से सुदृढ़ किया जाए । एक लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व की भांति एक एम० ओ० थर्ड आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सक की सुविधा प्रदान की जाय । मान्यवर, मैं के० जी० एम० सी० गया था वहां पर मुझे बच्चों के वार्ड का दौरा कराया गया । हमारी यह मांग है कि वहां पर बच्चों के वार्ड में भी आई०सी०यू० की सुविधा हो जाय । कहना है कि 20 प्रतिशत बच्चे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि यहां पर आई० सी० यू० नहीं है । इससे 15 प्रतिशत मृत्यु दर कम हो जायेगी । उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी है केवल एक करोड़ रुपया उपकरण के लिए दे दिया जाय ताकि वह चालू हो सके । मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि लखनऊ में एक लिम्ब सेन्टर है ।

के० जी० एम० सी० के अन्तर्गत 23 विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं किन्तु लिम्ब सेन्टर को छोड़ दिया गया है जिससे सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है । मेरी यह मांग है कि इसे भी लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को देने के लिए परिपत्र तैयार कर रखा है । मान्यवर, मैंने पिछली बार भी बजट सत्र में यह आग्रह किया था कि मेडिकल के छात्रों के फीस में बेतहाशा वृद्धि की गयी है । तीस गुना वृद्धि की गयी है । अनेक छात्र जिन्होंने पहले एडमीशन ले लिया और आज वह सैकेन्ड इयर, थर्डइयर, फोर्थ इयर में पहुंच गये हैं और उनके अभिभावक जो गरीब हैं, पैसे के अभाव में उन्हें शिक्षा देने में कठिनाई हो रही है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें विचार करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

इस वृद्धि को वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं शास्त्री जी जो मेरे करीब के जनपद के हैं, भोले जी, डा० शिवाकान्त ओझा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह तीनों आदमी एक ही विभाग में रहे। कौन कहां से बोला, कहां से शुरू हुआ पता ही नहीं चला इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जो यह अपने पथ से विचलित हो गये। तीन लोगों ने इसमें भाग लिया और वह इसलिए लिया कि उनमें कोई सामंजस्य नहीं था। जो जहां से पाया अपनी बात कहने लगा। शास्त्री जी गांव के आदमी है मैं उनसे उम्मीद कर रहा था गांव के लिए कहेंगे। दवा, पट्टी और गोली गांव के लोगों को बांटेंगे लेकिन खुद ही गोली खा गये।

श्री अधिष्ठाता–

यह आपके पड़ोसी हैं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

उसी रास्ते से यह आपके यहां भी जाते थे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी गांव के अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स व औषधि नहीं हैं। जनपद में गांव स्तर पर गोण्डा में लेडी डाक्टर नहीं है। जब आपके यहां नहीं हैं तो आप बहराइच में फैजाबाद में सहारनपुर आदि जनपदों में कहां से देंगे। जब आपके यहां लेडी डा० नहीं हैं दवा/इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हैं आपके यहां लेडी नर्स नहीं हैं तो क्या स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था है। हमारा जनपद तो आपके पड़ोस में है हमने सोचा था कि आपके यहां व्यवस्था हो जायेगी तो विकास की किरण हमारे यहां भी आपके वहां से निकलकर पहुंचेगी, फैजाबाद पहुंचेगी।

कई बार आप हमारे जिले में आये और गये लेकिन कोई पुरसाहाल नहीं है। एक्स–रे मशीन है तो प्लेट नहीं है। दवा कराने आया व्यक्ति घुटने घिसर-घिसर कर मर जाता है। आपके डाक्टर देखने नहीं आते हैं नर्स देखने नहीं आती हैं। वह कहते हैं कि तबादला हुआ था पैसा देकर रुकवाया है हमारा मन आयेगा इलाज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। इसी कारण अब मंहगा इलाज हो गया है। लखनऊ की बात करिये पीलिया रोग बढ़ा है अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे ठीक कह रहे थे कि कोई कल परसों से तो यह फैला नहीं है। आप कहते रहते हैं कि आपके पास रिपोर्ट नहीं आयी है। सबेरे आपकी टेबिल पर रिपोर्ट होनी चाहिए निदेशक महानिदेशक प्रमुख सचिव की रिपोर्ट होनी चाहिए कि यह समस्या है इसका इस तरह से युद्धस्तर पर हम इस बीमारी से लड़ेंगे। आप पूरे प्रदेश का दौरा कर लीजिये, हमारे यहां आइये देखिये क्या व्यवस्था है ?

हमारे जनपद बहराइच में एक मिश्रा जी डाक्टर हैं लगातार 15 साल से वहां हैं खुद डा० हृदय रोग के हैं लेकिन खुद हृदय के रोगी हैं। इस सदन के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्ण बहादुर मिश्रा जी को उन्होंने स्वर्ग भिजवा दिया। पं० बदलू राम मिश्रा जी जो कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं वे स्वर्ग सिधार गये। रघुराज प्रसाद तिवारी जी को उन्होंने स्वर्ग भेज दिया। आपकी इस तरह के भ्रष्टाचार पर मंत्री जी कलम क्यों नहीं चलती है। नानपारा के विधायक जी हमारे सामने बैठे हैं प्रमुख सचिव से लेकर आपको मुख्यमंत्री जी को पता है आपके एक प्रसाद फिजिशियन हैं, जो बहराइच सदर अस्पताल में हैं। विधायक जटाशंकर जी की धर्मपत्नी जी बीमार हुई है वे चार दिन तक यह नहीं जान पाये कि वे किस बीमारी से पीड़ित हैं ? वे हमारे बीच में नहीं रहीं। बड़े दुख की बात है, वह हमारे घर की थी। अब जिन्दा नहीं है। यानी डिग्री यह है कि चूंकि हमारा रोग नानपारा में कैसे होगा, जो इसका इलाज

नहीं हैं । डा० प्रसाद आज हैं । मरीज का दुश्मन है । धन बल के प्रभाव से जनपद बहराइच में कब तक फीजिशियन बना रहेगा । हृदय रोग डा० मिश्रा का क्यों नहीं दूसरे जिले में तबादला हो रहा है । मंत्री जी का हाथ है ।

प्रसाद के बारे में यहां बात कही गई, दीवान साहब भी यहां बैठे हैं, कहा गया कोई कश्यप साहब से जांच करवा रहे हैं । नेता सदन को भी इस मामले की जानकारी दी गई, उस व्यक्ति ने एक साल के अन्दर डेढ़ हजार लोगों को मार डाला . जटाशंकर जी भी यहां मौजूद हैं, आप उनसे स्वयं पूंछ लें । मैं तो यहां तक कहता हूं कि उस व्यक्ति की डिग्री फर्जी है, आपकी सरकार में वह व्यक्ति फर्जी डिग्री लेकर अस्पताल में बैठा है, क्या रोग है, 4 दिन तक वह पता नहीं कर पाया । जब हम अपना जिला ठीक नहीं कर पायेंगे तो पूरे प्रदेश को क्या ठीक कर सकेंगे ? आज तक इस मामले की जांच नहीं हुई है । इस बीच में मंत्री जी आप बहराइच भी गये थे, आपको जानकारी हुई, आपने उसको हटाने की बात कही लेकिन भारी मात्रा में वहां के अधिकारी रकम लेकर उसको फिर वहीं पोस्ट कर दिये । आप कहां व्यवस्था कर रहे हो, पता नहीं । हमारे पत्र का जवाब नहीं आयेगा, हम लोग चपरासी हैं क्या, किस हैसियत में आप रखना चाहते हैं विधायकों को, यह समय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का है, आप इसे करिये बढ़िया डाक्टर जो रकम नहीं दे सकते, वह ऐसी-वैसी जगहों पर सड़ रहे हैं और नाकाबिल डाक्टर पैसा देकर मजे लूट रहे हैं । मैं तो कहता हूं, आप खुले मन से विचार करें और जो योग्य हैं, उनको ईमानदारी से पोस्ट करें ताकि गरीब जनता की सेवा हो सके ।

अभी इसी वर्ष कई जगह बाढ़ आई, कहीं भी आपकी कोई टीम काम करने नहीं गई और तमाम लोग बाढ़ में चिकित्सा के अभाव में मर गये । जो बिन्दु मैंने यहां उठाये हैं, उन पर यदि काम करेंगे तो अच्छा होगा । आपके तमाम अधिकारी भी यहां बैठे हैं, अभी ध्यान कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वरना मोटी रकम लेकर जिसे जहां बैठाना चाहें, बैठायें, मुझे कुछ कहना नहीं है । आपकी व्यवस्था आपको मुबारक हो । मुझे कुछ सुझाव देने थे, मैंने दे दिये, बढ़िया दवा की व्यवस्था करिये, मुखर्जी अस्पताल की तरह पूरे प्रदेश में कर दीजिये ताकि कमजोर गरीब को भी दवा मिल सके । श्रीमन् आपने लाल बत्ती जला दी है, मुझे लाल बत्ती से डर लगता है, लेकिन यहां सामने तो 93 लाल बत्ती हैं, इनको समझाने की जरूरत है । मैंने आपके संज्ञान में सब कुछ ला दिया है, एक व्यक्ति 20–20 साल से एक ही जगह रहे, मकान हो जाय, जायदाद हो जाय, नाती-पोतों वाला हो जाय, जगह छोड़ेगें नहीं तो यह कैसे चलेगा । आप व्यवस्था को पारदर्शी बनाइये, भ्रष्टाचार से लड़िये, दवाओं की समुचित व्यवस्था करिये । आखिर नपुंसकता की भी हद होती है । आप कहते हैं कि मैंने इतनों का ट्रांसफर कर दिया लेकिन सब कागज पर । जैसे ही मोटी रकम आ जायेगी, फिर सब वहीं का वहीं, इसलिये इस व्यवस्था को ठीक करिये और इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य ठीक के लिये बहुत से अच्छे निर्णय लिये गये और जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी सेवा करता है ।

मान्यवर, जिस योग्यता से प्रदेश की जनता की सेवा के लिए माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जब प्रदेश में भीषण बाढ़ आयी थी तो उनके व मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में युद्ध स्तर पर काम किया गया था । तमाम गम्भीर बीमारियां फैली हुई थीं लेकिन उनसे निपटने के लिए दवाओं की उत्तम

व्यवस्था की गयी । मान्यवर, अभी हमारे तमाम साथी अपने-अपने सुझाव देंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली जितनी भी सरकारें आयी हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने अपने विवेकाधीन कोष का रुपया भिन्न-भिन्न कामों के लिये अपने कार्य कर्ताओं को दिया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से हजारों लोगों की जान बचाने के लिए विवेकाधीन कोष से धन दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में हसेरन ब्लाक में 30 शैय्याओं का अस्पताल है लेकिन वहां पर केवल एक डाक्टर है और न एक कम्पाउन्डर दूसरा नहीं के बराबर स्टाफ है । जिस कर्मचारी की वहां पर नियुक्ति की जाती है वह कुछ ही समय में अपना ट्रान्सफर कराकर चला जाता है । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका आप परीक्षण करा लें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो आवश्यक स्टाफ है, वह वहां पर रहे । मान्यवर, उर्मदा ब्लाक में तिर्वाटाउन में 30 शैय्याओं का अस्पताल निर्माणधीन है । वह 1/4 बनकर तैयार हो गया है, उसको पूरा करने के लिए शेष धन की आवश्यकता है, उसे भिजवाने की व्यवस्था करें । मान्यवर, सौरिख विकास खण्ड में नगर सौरिख में विश्व बैंक के द्वारा 30 शैय्याओं के अस्पताल का सर्वेक्षण कराया गया है । मेरा निवेदन है कि उसको स्वीकृति कर आप बनवाने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय लोक पति त्रिपाठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं और उनके कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो अस्पताल हैं वह सेवा के लिये हैं, यह ठीक है, उनका यह नजरिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज यह भ्रष्टाचार, लापरवाही और लूट का विभाग हो गया है । मान्यवर, अस्पताल मरीजों से सम्बन्धित हैं, लेकिन जब मरीज अस्पताल में आते हैं तो डाक्टर नदारत मिलते हैं और जब पूछा जाता है कि डाक्टर कहां हैं, तो कहा जाता कि वह राउन्ड पर हैं ?

जिला अस्पतालों में कोई भी डाक्टर 11 बजे के पहले नहीं आता है और जब वह आता है तो मरीजों की भरमार हो जाती है । जो मरीज 20–25 रुपये डाक्टर को दे देता है, उसकों दवा मिल जाती है और बाकी से कहा जाता है कि वह डाक्टर के घर पर दिखा दें, वहां पर उसको फीस मिलती है । इस प्रकार से जिला चिकित्सालयों की स्थिति है । जब मरीज भरती होता है, तो उसको भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है । 24 घन्टे में तीन नर्सें होती हैं । पहली नर्स को जब कुछ पैसा मिल जाता है तो सही इन्जेक्शन, मरहम पट्टी कर देती है और इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी नर्सें जब आती हैं तो वह भी मरीज से कुछ न कुछ चाहती हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर मरीज भरती होता है तो वह या तो मर कर जाता है या वह अपनी कमर पर हाथ रखकर जाता है ।

अस्पतालों में गंदगी का बुरा हाल है, सीसे टूटे हैं, पंखें जाम हैं, गर्मी के दिनों में पंखें बंद पड़े रहते हैं, न बरामदों में पंखें काम करते हैं और न कमरों में पंखें काम करते हैं, उनके रिपेयर की कोई व्यवस्था नहीं है । कोई अच्छा भला आदमी जब हास्पिटल में जाता है तो वह नांक बन्द करके जाता है । जब मंत्री जी हास्पिटल में जाते हैं तो पहले से पता चल जाता है और सब लोग लाइन पर खड़े रहते हैं आप रमापति शास्त्री की हैसियत से अस्पताल में जाइये तब आपको असलियत मालूम होगी । मैं दावे के साथ कह सकता हूं तीनों मंत्री, मंत्री की हैसियत से अस्पतालों में न जाकर व्यक्तिगत हैसियत से जायें तो उनको पता चल जायेगा कि क्या हालत अस्पतालों की है । तभी आपको मरीज और डाक्टरों की स्थिति मालूम होगी ।

आप रामराज्य की बात करते हैं रामराज्य नहीं गंदगी का राज है, रावण राज है जितने भी आपके अस्पताल हैं उनमें आप जाकर देखें क्या सुविधा वहां पर आपने दी है ? आपने तमाम बिल्डिंगों की चर्चा की तो जो डाक्टर हैं वह सरकारी भवन में ही आमदनी कर रहे हैं, सरकारी छूरी-कैंची और सरकारी सामान में प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं आप प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने का बड़ा दम भरते हैं लेकिन आप उसे रोक नहीं पाये । सर्जन जो आपरेशन करता है बिना पैसा लिये आपरेशन नहीं करता । आप मंत्री की हैसियत से नहीं रमापति की हैसियत से जाकर देखें तब आपको असलियत का पता चल जायेगा । सब कुछ वहां वेस्ट हो रहा है । इसलिए इस विभाग को पैसे देने का सवाल ही नहीं है । माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय , मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्रीगणों के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । आज प्रदेश की आबादी बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में नकली डाक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है । नकली डाक्टर और नकली नेता दोनों के ही संख्या में वृद्धि हो रही है । गांवों और शहरों में हर जगह इनका अम्बार लगा है । जगह-जगह दुकानें लगाकर प्रेक्टिस कर रहे हैं इस पर भी किसी न किसी तरह की रोक लगनी चाहिए ।

दूसरा मेरा सुझाव है प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में रोक की यह बहुत ही विवादास्पद विषय है । मेरा विचार है अच्छे डाक्टर की अगर प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो वह बाहर चले जाते हैं आप हिन्दुस्तान के बाहर देखें चाहे वह यूरोप हो या एशिया हो वहां अच्छे डाक्टर तीन-तीन चार-चार अस्पतालों में जाकर काम करते हैं उसे आप चाहे कंसलटेंसी कह लीजिये या प्राइवेट प्रेक्टिस जो कहें, इसका फायदा मरीजों को मिलता है । अगर प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर देंगे तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पायेगा । इस पर क्या तरीका अपनाये यह सोचने की बात है । माननीय लोकपति जी ने कहा कि डाक्टरों के बारे में अलग तरीके से मूल्यांकन करना पड़ेगा । डाक्टर लोग पांच साल तक मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं फिर इन्टरनशिप करते हैं, इस प्रकार करीब 10 साल के बाद उसको मरीजों की पूरी सेवा का अवसर मिल पाता है जो इतना स्पेशलाइजेशन करे उसके बारे में बात भी सोचना चाहिए । सबको एक ही छड़ी से हांकना ठीक नहीं होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं टेक्नोक्रेट्स बनाम ब्यूरोक्रेट्स की बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम देखते हैं कि टेक्नोक्रेट्स अपने को अफसरों के सामने ह्यूमिलियेटडफील करते हैं जब वह अपने काम से जाते हैं उनको आत्मग्लानि होती है जब उनका किसी डिप्टी सेक्रेटरी के आगे उनको अपनी बात के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है । एक जो स्पेशलाइज्ड को चाहे वह नैफ्रालिजिस्ट हो चाहे न्यूरोलाजिस्ट हो उसे इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स के सामने ह्यूमिलियेशन बर्दाश्त करना पड़ता है । दुख की बात है ।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मंत्रिगण से निवेदन है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें टेक्नोक्रेट की वरीयता रखना चाहिए । माननीय लोकपति जी जब मंत्री थे तो उन्होंने एक टेक्नोक्रेट को रखा था, वह ऐसे पहले मंत्री थे जिन्होंने यह काम किया था । इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । आज जरूरत इस बात की है कि जो टापमोस्ट स्पेशलिस्ट डाक्टर हैं उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स को न रखें उनके ऊपर एक ब्यूरोक्रेट रख देने से वह अपनी बेइज्जती का अहसास करते हैं । अभी हमारे माननीय ओझा साहब और माननीय शास्त्री जी ने मेडिकल एजूकेशन के एक्सपेंशन की बात कही । यह बहुत अच्छी बात है आप मेडिकल एजूकेशन को बढ़ायें यूनीवर्सिटीज और कालेजेज खोलें लेकिन यह एक्सपेंशन क्वालिटी पर असर न डाले, क्वालिटी की कास्ट पर क्वांटिटी बढ़ाना घातक होगा । आपका एसजीपीजीआई है आप वहां ज्यादा से ज्यादा सुविधायें बढ़ायें ।

आपका किंग जार्ज मेडिकल कालेज है यह दुनियां के सबसे पुराना मेडिकल कालेजों में से एक है । आज दुनियां में कहीं चले जायं, हार्ले स्ट्रीट लंदन चले जायं वहां आपको किंग जार्ज मेडिकल कालेज के 3-4 डाक्टर मिल जायेंगे । आप बड़े-बड़े संस्थान खोलें लेकिन आप उन जगहों पर जहां पहले ऐसी

संस्थायें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स रखें । लेटेस्ट तकनीक के औजारों की व्यवस्था करें । लखनऊ में अभी आन नाइफ गामा के एम० एफ० सी० की व्यवस्था नहीं है, दिल्ली में यह व्यवस्था है ब्रेन सर्जरी इसके बगैर सुचारु रूप नहीं हो सकती । इसी तरह से मेरा निवेदन है कि जो पुअरेस्ट आफ द पुअर हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिये कार्डस बनायें । ऐसा आदेश जारी करें कि वह यदि सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना कार्ड दिखायें तो उनको तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि एक्सीडेंट हो जाने पर, झगड़ा हो जाने पर आदमी जब अस्पताल जाता है तो वहां के डाक्टर पुलिस के आने का इंतजार करते हैं इस बीच जख्मी का ब्लीडिंग के कारण तमाम-खून निकल जाता है और अक्सर वह मर जाता है डाक्टर पुलिस या दरोगा का इंतजार किया करते हैं । सी० एम० एस० को ऐसे आदेश होने चाहिये कि जो पुलिस की फारमैलिटीज हों वह बाद में की जाय पहले मरीज की जान बचाने की कोशिश की जाय । सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है लोग इस डर से उसको अस्पताल नहीं ले जाते हैं कि कहीं पुलिस यह न कहे कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है । आज कितने लोग हैं जो दुर्घटना का शिकार होकर मर जाते हैं और हम फारमैलिटीज में पड़े रह जाते हैं । इस तरह का सरकार का आदेश जाना चाहिये कि दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति का उपचार पहले शुरू कर दिया जाय पुलिस की फारमैलिटीज बाद में होती रहें । जो हमारे हेडक्वाटर्स पर अस्पताल हैं उनमें इक्विपमेंट्स नहीं हैं ।

मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी पर्सनल बात कहना चाहता हूं कि 5-6 तारीख को मेरा ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया जिसको सिविल अस्पताल लखनऊ ले जाया गया । वहां पर डाक्टर मौजूद नहीं था । बड़ी मुश्किल से डाक्टर तशरीफ लाये और मरीज को अंदर ले जाने की जहमत गंवारा नहीं की और कहा कि इसको बलरामपुर अस्पताल ले जाओ । जब हेडक्वाटर्स पर ऐसा हो रहा है दूसरी जगह क्या व्यवस्था होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं ? यह 16 करोड़ लोगों का प्रदेश है कटौती की परम्परा के अनुसार कहना पड़ता है कि इस विभाग की राशि घटाकर । रुपया कर दी जाय जिसका मैं समर्थन करता हूं वरना जरूरत इस बात की है कि जो इसका बजट है उसका दो गुना बजट मिलना चाहिये । हमारे अस्पतालों में दवायें, इक्विपमेंट्स नहीं हैं । इसी तरह से अस्पतालों में डाक्टरों के रहने की जगह नहीं है जिससे डाक्टर अस्पताल में रह नहीं पा रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर गौर किया जाय ।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मौका दिया । साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, अपनी सरकार के तीनों मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता को पूर्णतः स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ठीक वातावरण मिल सके इसमें अपना योगदान दिया है । एक कहावत है । "हेल्थ इज वेल्थ" अर्थात यदि आदमी स्वस्थ है तो उसके पास सबसे बड़ा धन है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से अन्य नीतियों को बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है उसमें स्वास्थ्य नीति भी है । यदि हमारा नागरिक स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा जिला स्वस्थ होगा, हमारा जिला स्वस्थ होगा तो हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा और हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा ।

हमने यह संकल्प लिया है कि सन् 2000 तक अपने प्रत्येक सम्मानित नागरिक को स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी व्यवस्था सुलभ करा देंगे । मान्यवर, यदि कुछ आंकड़ों को देखें तो 1991 में हमारे यहां मृत्यु दर 11.3% थी, 1997 में यह घटकर 10.3% पर आ गयी है । इसी तरह से जीवन अनुशंसा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1987 तक 46.8 वर्ष थी, 1994 में 57.6 वर्ष हो गयी और राष्ट्रीय स्तर पर 61.2 वर्ष हो गयी है । इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इसमें काफी सराहनीय कार्य किया है । हमारी सरकार ने संकल्प लिया है । 1998-99 मे 5727 एलोपैथिक, 3463 आयुर्वेदिक, 1989 होम्योपैथिक इकाइयों की स्थापना करेंगे और 3507 की जनसंख्या पर एक

चिकित्सक उपलब्ध हो जायेगा । 10 अक्टूबर, 98 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हेल्थ अप्रोच की जो उद्घोषणा की गयी थी उससे भी जनता को बहुत राहत मिलने जा रही है । अब जनमानस को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों में सुलभतापूर्वक स्वास्थ्य सेवायें मिलेंगी । 41 प्रतिशत जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उसे स्वास्थ्य सुविधायें मिलेंगी और एक अच्छा कार्य होने जा रहा है । यूनाईटेड एजेन्सी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट से 10 वर्षीय योजना की शुरूआत की गयी है । इससे प्रजनन दर को 5.4 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने जा रहे हैं । दम्पत्ति स्वेच्छा का जो आंकड़ा 35 प्रतिशत था उसे 2000 तक 50 प्रतिशत कर देंगे । कुष्ठ रोग एक सामाजिक बुराई है और अशिक्षा के कारण लोग उसको विभिन्न तरीकों से देखते हैं । लेकिन जो मल्टी थेरेपी के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है उससे हमारे मरीज कम समय में ठीक होते हैं और जो कमियां हुआ करती थीं वह भी कम हो रही हैं । सन् 2001 तक एक लाख की जनसंख्या पर मात्र एक कुष्ठ रोगी रह जाएगा । ब्लाइंडनेश सन् 2000 तक 1.54 प्रतिशत से घटकर .3 प्रतिशत रह जाएगी । इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और केन्द्र सरकार द्वारा भी इसमें काफी सहयोग दिया जा रहा है । नेत्र बैंकों की स्थापना भी सराहनीय कदम है । एड्स के रोग से सारा संसार थरथरा रहा है मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 एड्स सर्विस सेन्टर और 13 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र खोल दिए हैं । इसमें एड्स के मरीजों के रक्त की जांच की जाएगी ।

हम राष्ट्रीय क्षय रोग के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से सहायता लेते हैं । जिनका प्रतिशत 1.7 है यदि हम बलगम की जांच करें तो लगभग 04 प्रतिशत मरीज में पाजिटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसका इलाज लम्बा होता है । अशिक्षा के कारण मरीज जब दवा लेता है तो एक महीने के अन्दर जब से सिस्टम्स खत्म हो जाता है वह दवा बन्द कर देते हैं मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जो बैक्टीरिया होता है वह रजिस्टेट हो जाता है यह होना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है जिससे उसका इलाज लम्बा हो जाता है । और मंहगी-मंहगी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है इसके लिए हमारे मरीज जो टी० बी० के आएं उनके पूरे ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए अन्यथा एक रजिस्टर्ड मरीज से इन्फेक्शन किसी दूसरे मरीज को होगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी । मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने अनुसूचित जाति, जन जाति के समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं । निजी क्लीनिक खोलने के लिए सरकार ने 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है । महिला जाग्रति योजना में 500 रुपए प्रति माह की व्यवस्था की गई है । हमने प्रशासनिक दृष्टि से तीन महानिदेशक एवं 12 निदेशक बनाकर जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको सुधारने में अच्छा कार्य किया है । हमने अलग-अलग महानिदेशक बना दिए हैं जो सभी कार्यों को देखेंगे जिससे हमारी योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी । हमने कुष्ठ रोग, क्षय रोग, अंधापन, मलेरिया, को रोकने की व्यवस्था की है । इसके अलावा अतिसार, हैजा, मस्तिष्क ज्वर, पोलिया के सम्बन्ध में तेजी से काम कर रहे हैं । हमने एक हजार की जनसंख्या पर एक प्रशिक्षित दायी की व्यवस्था की है । यह प्रशिक्षित दायी और हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेगा वह गर्भवती बहनों का रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हें टीके लगाएगा, 100 आयरन की गोली की व्यवस्था करेगा और उनकी तीन बार जांच करेगी व अच्छी तरह से प्रसव कराने की व्यवस्था करेगा ।

हमने 23,650 उपकेन्द्र इस प्रदेश के अन्दर स्थापित कर दिए हैं । कल मुख्य मंत्री जी ने आगरा में एक जनसभा में घोषणा की थी जो भी सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं उन्हें स्वेच्छा से अपनी प्रेक्टिस बन्द करके सरकारी नौकरी करनी चाहिए अन्यथा एक अध्यादेश लाकर उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी । मैं चाहता हूं कि जो महिला चिकित्सक हैं उनको पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था दी जाए । जिले में आर० डी० एम० ओ० के पदों को समाप्त करना चाहिए । उनका हम कहीं अन्यत्र सदुपयोग कर सकते हैं । जब भी मंत्री जी जनपदों में जाएं उन्हें अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण करना चाहिए । इससे सही ढंग से कार्य होगा । आगरा के जिला अस्पताल व मेंटल हास्पिटल की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री राम सिंह सैनी–

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और उस पर बल देता हूं । कल्याणकारी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के बाद यदि कोई बजट है तो वह स्वास्थ्य विभाग का है परन्तु देखने में यह आ रहा है कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारे वर्तमान शासकदल गम्भीर नहीं हैं । 70 करोड़ रुपया इन्होंने दवाई के लिये रखा है जब कि 16 करोड़ की जनसंख्या है । इस प्रकार देखा जाये तो एक व्यक्ति के ऊपर साढ़े चार रुपया प्रतिमाह यह खर्च करेंगे ।

16 करोड़ की जनसंख्या में जो लोग बीमार होंगे, महामारी फैलेगी या अन्य कोई बीमारी फैलेगी तो उनको कैसे स्वास्थ्य लाभ मिल पायेगा, यह आज एक विचारणीय प्रश्न है । हमारे जितने भी जिला मुख्यालय के चिकित्सालय हैं, चाहे प्राथमिक हेल्थ सेंटर हों उनकी हालत बहुत जर्जर है । वहां आज न सफाई है न ही डाक्टर समय से आते हैं जितने भी प्राइवेट क्लीनिक्स हैं उनमें बहुत भीड़ मिलती है और पैसा खर्च करके लोग मंहगा इलाज करवाते हैं ।

जिला अस्पतालों में इतनी गन्दगी है कि आप वहां घुस नहीं सकते और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, मैं श्री लोकपति त्रिपाठी जी का आभारी हूं कि उन्होंने रुड़की जो एक विश्व विख्यात नगरी है वहां पर 100 बेड का अस्पताल बनवाया था और अलग-अलग डाक्टर्स के पदों की स्वीकृति भी दी थी और सभी स्पेशलिस्ट और सर्जनों के पद सृजित किये थे परन्तु आज वहां पर सारे के सारे पद समाप्त कर दिये गये हैं, केवल दो-चार डाक्टर ही हैं । सर्जन वहां पर नहीं हैं । जहां तक एक्स-रे मशीन का सवाल है मैं इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह एक्स-रे मशीन ऐसी है कि यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूटी हुई है तो वह उसमें जुड़ी हुई आती है और जिसकी जुड़ी हुई होती है उसकी टूटी आती है । हमारे क्षेत्र भगवानपुर में 35 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग को बने हुये 3 साल हो गये हैं । बेड्स, गद्दे आदि सब पहुंच गये हैं । वहां पर जो खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय है उसकी छत टपकती है और यह सारा सामान उसमें रखा हुआ है जिसके कारण आज तक सारा सामान बरबाद हो गया है । वहां पर स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हुई है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि भगवानपुर हास्पिटल में इतना पैसा खर्चा हो गया है इसलिये वहां तुरन्त स्टाफ की तैनाती की जाय और रुड़की में उपकरणों की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में एक न्याय पंचायत या दो न्याय पंचायत के बीच में इस प्रकार के हास्पिटल की स्थापना हुई है । यहां पर, मेरे अपने क्षेत्र में कम से कम 50–60 गांव हैं कोटा मुरादनगर के बीच में सौलानी नदी पड़ती है । बरसात के दिनों में जब नदी चढ़ती है तो कोई नदी पार करके नहीं आ पाता और जो बीमार हैं वह नहीं आ पाते हैं इस तरह से बहुत से लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है । मान्यवर, परिवार कल्याण की बात माननीय मंत्री जी ने कही । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुये हैं । माल्थस उन्होंने कहा था कि जनसंख्या ज्योमैट्रिकल प्रोगेशन अर्थात् 2/4/8 के अनुपात में बढ़ती है । आज इस प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ है । एक दिन मैं एक पत्रिका देख रहा था उसमें मैंने पढ़ा कि सन् 2020 में आबादी 23 करोड़ हो जायेगी ।

जब प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ होगी तो आप कितना भी प्रयास क्यों न करें विकास की दर 5-6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पायेगी । पिछले वर्ष भी देखा विकास की दर 2 प्रतिशत बढ़ी है । हमारी जनसंख्या विस्फोटक होती जा रही है । इसको कन्ट्रोल और नियंत्रण में करने के लिये कुछ प्रभावी कदमों का प्राविधान इस बजट में नही किया गया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि परिवार कल्याण पर सबसे

अधिक बल देना चाहिये । दूसरे देशों को देखें । आप चाइना का उदाहरण ले लीजिये हालांकि आप कहेंगे कि वहां दूसरी व्यवस्था है । वहां "वन कपल वन चाइल्ड" है तो आप कम से कम "वन कपल टू चिल्ड्रेन" कर दें लेकिन यहां वह भी नहीं हो पा रहा है । यह जो ग्रीन कार्ड देने की व्यवस्था है, इसमें जो सुविधायें प्रदान करने की बात कही गई है वह ऐसी नहीं है जिससे लोग बहुत आकृष्ट हों । जो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, परिवार कल्याण एडाप्ट करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिये । उनको नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिये जिस तरह से और चीजों में मिलता है । इसी तरह से सरकारी गल्ले की दुकान उन्हें ही दी जानी चाहिये । मैं नहीं समझता कि जैसा आपने लिखा है वह बहुत कम लोगों को मिल पाता है, बहुत कम लोगों का ध्यान रखा जाता है । जो लोग परिवार कल्याण एडाप्ट करते हैं उन्हें सरकारी तौर पर जैसे आर्म्स का या और अन्य दुकानों का लाइसेंस है वह प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिये और अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो निश्चित रूप से परिवार कल्याण का आपका कार्यक्रम सफल होगा । मान्यवर, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां हैं माननीय अधिष्ठाता जी, आप निरीक्षण करवा लें वहां जो दवाइयां मिलेंगी वह आउट डेटेड मिलेंगी या निम्न स्टैंडर्ड की मिलेंगी । इन सबकी चेकिंग होनी चाहिये । इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स दवाइयां अस्पताल से नहीं देते हैं । 90 परसेंट को मैं जानता हूं बाजार से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं । अस्पताल की दवाइयां बेच दी जाती हैं ।

मान्यवर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनकी वजह से आज यह देश आजाद हुआ है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में शादीराम जी हैं 90 साल के हैं, वे बहुत बीमार हैं, चारपाई में पड़े हैं । मैंने हरिद्वार सी०एम०ओ० को फोन किया तो उन्होंने उनको दो दिन अस्पताल में रखा और उसके बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया । अधिष्ठाता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस विभाग में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो फिर सामान्य व्यक्ति का तो कोई पुरसाहाल नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बजट रखा गया है उसमें दवाइयों के लिये बहुत कम धन का आवंटन किया गया है । और जो आपके उपकरण हैं उनके लिये समुचित प्रबन्ध बजट में नहीं किया गया है इसलिये मैं माननीय त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आयुर्वेदिक मंत्री जी ने, होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री जी ने, परिवार कल्याण मंत्री जी ने बड़े संकल्प के साथ बड़े अच्छे ढंग से अपने विभाग के बजट को रखा । मान्यवर, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि जो बनी है जिसमें 2000 तक पूरी आबादी को जन स्वास्थ्य दिलाने का संकल्प लिया गया है । यह सराहनीय है । अभी हमारे मित्र 16 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे थे तो मंत्रीगण ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जहां जन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम रखे उसको भी देखना चाहिये था दो-चार कार्यक्रम बजट में ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हुये हैं ।

एक राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण का कार्यक्रम चलाया है, कुष्ठ रोग एक बहुत बड़ा अभिशाप है । इस सरकार ने बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों को ठीक कराने का जो अभियान चलाया है वह सराहनीय है । इसी तरह मान्यवर, आंखों के लिये सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है जिन लोगों की रोशनी चली जाती है मोतियाबिन्द हो जाता है उनका निःशुल्क आपरेशन हो ऐसी व्यवस्था की है, चश्में उपलब्ध

---

* [illegible]

कराने का काम सघन पैपाने पर इस सरकार द्वारा कराया जा रहा है यह सराहनीय है । मान्यवर, इसी तरह से हमारे देश में जो विकलांगता और अपंगता की जो हालत थी वह देखने लायक थी । हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पोलियो ड्राप बच्चों को पिलवाने की व्यवस्था की है ताकि विकलांगता समाप्त हो यह भी सराहनीय कदम है । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आम जनता को जो दिक्कतें होती हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गांव में पागल कुत्ता या दूसरे जानवर अगर काट लेते हैं तो दवा नहीं मिल पाती है इससे हमारे गांव के जो साधारण किसान हैं उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता पर इस दवा को जिला मुख्यालय पर, कुत्ता काटने की सुई उपलब्ध कराने का कष्ट करें । ताकि सुई का इंतजार न करना पड़े । इसी तरह से मान्यवर, टी०बी० रोग के बारे में कहना चाहूंगा टी०बी० का रोग विशेषकर गरीब तबके के लोगों को होता है जिनको उचित आहार नहीं मिल पाता है । क्षय रोग का 6 महीने का कोर्स होता है कई बार देखने में यह आता है कि आंशिक रूप से ही दवाई उपलब्ध होती हैं इनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

मान्यवर, मलेरिया उन्मूलन के बारे में कहना चाहूंगा जिस तरह से पहले अच्छे से अच्छा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता था उसी तरह से अब भी अच्छी कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाय ताकि मलेरिया उन्मूलन हो सके । राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से जो प्राथमिकता की बात कही है वह सराहनीय है । मान्यवर, जो हमारी विकास योजनायें हैं सार्वजनिक हित के कार्य हैं तब तक सफलीभूत नहीं होगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा मैं चाहूंगा कि सख्ती के साथ राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम को अपनाया जाय । मान्यवर, प्राइवेट प्रैक्टिस पर बन्दी लगाई जाय और इसमें सख्ती की जाय और प्राइवेट प्रैक्टिस पर बन्दी हो । जो प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हों उसको बन्द किया जाय और डाक्टरों की अस्पताल में नियुक्ति रहे और वह काम करें । एक कठिनाई और आती है जो जिलों में अस्पताल बनते हैं उसके लिये जिला योजना से धन आवंटन होता है । तो जो कार्यदायी संस्थायें हैं जिलों में उनकी कोई दफ्तर नहीं हैं तो मैं यह चाहूंगा कि प्रदेश स्तर में जो चयन का काम होता है वह जिले स्तर पर हो । सी०एम०ओ० की जानकारी में हो । इसके अतिरिक्त जो खाद्य विभाग का सेन्टरी विभाग है उसकी कार्यवाही प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है । मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस दिशा में सोचें ।

मान्यवर, आज 40 प्रतिशत डाक्टरों का अभाव है । महिला अस्पतालों में महिला डाक्टरों की कमी है विशेषकर ग्रामीण अंचलों में । मैं माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध करूंगा जैसा उन्होंने संकल्प किया है कि जन स्वास्थ्य समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया हो चाहे वह लोक सेवा आयोग से हो उसको पूरी करें । दूसरा निवेदन यह है कि जो ग्रामीण अंचल में अस्पताल हैं वहां पर भवन हैं, बिजली है लेकिन डाक्टर नहीं रहते हैं । वह जिला मुख्यालय में या कस्बों में रहते है जिससे जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है । कभी-कभी बड़ी-बड़ी दुर्घटना हो जाती है जीवन का क्षरण हो जाता है तो मैं चाहूंगा कि अस्पतालों के भवनों में डाक्टर रहें इस प्रकार का इन्तजाम करायें ।

मान्यवर, 80 प्रतिशत ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पानी की टंकी लगाई गई है लेकिन वह काम नहीं कर रही है । वहां पर जनरेटर और एक्सरे प्लेट है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है आर्थिक संसाधनों के अभाव में । हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार के साथ अपने विभाग के बारे में चर्चा की । हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंनें धन्वन्तरि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निश्चय किया है जहां एक ही कैम्पस के नीचे हर प्रकार की शिक्षा हो । यह एक सराहनीय कार्य है । मान्यवर, हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कालेज हैं वहां संसाधन के अभाव में जो मेडिकल बोर्ड हैं उसकी मान्यता को रद्द करने जा रहा है । मैं एक रोगी को लेकर गया था वहां पर अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं । तो मैं चाहूंगा कि जो भी संसाधन हैं उसे पहले [illegible]

का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का बड़ा संस्थान हैं, उसको समृद्ध करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें स्वास्थ्य समीक्षा के नाम से एक पुस्तिका उपलब्ध हुई है उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जिक्र आया है। अभी जिक्र आया कि सन् दो हजार तक हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। आपके जो आंकड़े हैं उसमें दर्शाया गया है कि हम एक लाख की आबादी पर लगभग साढ़े सात चिकित्सालय/औषधालय उपलब्ध करायेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो आप देंगे उसमें छः डाक्टर, एक लेडी डा०, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, रेडियोलाजिस्ट होगा। 30 हजार की आदादी पर पी०एच०सी० होगी और 5 हजार की आबादी पर आप एक उपकेन्द्र भी खोल देंगे। जो पुस्तिका के पृष्ठ–8 पर उपकेन्द्रों की स्थापना का उल्लेख है उसमें वर्ष 1998–99 में 20153 कार्यरत दर्शाये हैं और क्रमागत दर्शाये हैं 23650 इसी तरह से आपने पृष्ठ 9 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना के संदंध में वर्ष 1998-99 में संभावित (नगरीय) मैदानी में आपने 112 का योग दिखाया है। कितने खोले हैं किस स्तर पर खोले हैं आयुर्वेदिक से परिवर्तित किया है या जिले के अस्पताल से परिवर्तित किया है, कोई स्पष्ट सूचना है, उपलब्धि नित है।

वर्ष 1999–2000 प्रस्तावित नगरीय मैदानी मे आपने 100 का योग दर्शाया है कहां और किस स्तर पर खोलेंगे कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। मान्यवर, जो कहा जाता है कि प्रदेश में फर्जी आंकड़ों की सरकार चल रही है तो इससे यह साबित हो गया है कि फर्जी आंकड़ों की सरकार है। मान्यवर, हमारे यहां तीन ब्लाक हैं, तीनों ब्लाकों में दो पी०एच०सी० चल रही है। वहां रात में डाक्टर्स नहीं रहते हैं एक डा० तो इसी सिलसिले में अभी सस्पेंड किये गये हैं न वहां कोई ए०एन०एम० है न दवायें उपलब्ध हैं। एक अस्पताल भोजपुर में आता है 20 बिस्तर का अस्पताल है वहां 40 बेड की आवश्यकता है वहां आप स्टाफ भी नहीं उपलब्ध करा सके हैं। एक उपकेन्द्र जो मेरे गांव में संकट नंगला में पिछले 20 साल में किराये के भवन में चल रहा है वहां मात्र बोर्ड लगा हुआ है न डा० हैं न ए०एन०एम० हैं न दवायें हैं। गांव वालों ने 15 वर्ष पहले जमीन भी उपकेन्द्र के नाम ट्रांसफर कर दी है लेकिन अभी तक भवन नहीं बना सके। दो वर्ष पहले जिला योजना से स्वीकृति आ गई टेंडर कराया गया लेकिन कहा जा रहा है कि धन सरकार से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप उपकेन्द्र खोलते चले जा रहे हैं लेकिन जब डा० और स्टाफ व दवायें नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा आम जनता को ? हमारे जिला स्तर पर, मण्डल स्तर पर, संयुक्त चिकित्सालय के नाम से हैं, लोग हमसे पर्ची लिखाने आते हैं कि मरीज को डिस्चार्ज करा दीजिये क्योंकि वह प्राइवेट से मंहगा पड़ रहा है इंजेक्शन के लिये पट्टी के लिये पैसा देना पड़ता है। गंदगी का यह आलम है कि मरीज ठीक होने लगता है तो खुद ही अस्पताल को छोड़कर भागने लगता है। मान्यवर, हमारे जिले में 82 डाक्टर्स शार्ट हैं। आपके सी०एम०ओ० बराबर लिख भी रहे हैं। आप दवायें उपलब्ध करायें। नये अस्पताल आप तभी खोलें, जब आपके पास उनको चलाने के लिये सामर्थ्य हो। केवल आंकड़े देने के लिये खोलें जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से, आज अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री शास्त्री जी, माननीय ओझा जी और परिवार नियोजन वाले मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने आज जो बजट रखा है, उसमें ऐसी अनेकों सुविधायें देने का वायदा हमारे प्रदेश की जनता को किया है जिनसे वास्तव में अनेकों लोगों को सभी दृष्टि से लाभ होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं, उनके साहस के लिये ज्यादा बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने परिवार नियोजन की एक स्कीम हमारे प्रदेश में देने की योजना बनाई है मैं उनसे आग्रह करूंगी कि यह जो परिवार नियोजन

की योजना है उसे शीघ्र लागू किया जाय क्योंकि हमारे प्रदेश में जो अनेकों समस्यायें हैं, उनका मूल कारण बढ़ती हुई दिन रात आबादी है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये जो बजट दिया है, उसे वह कम से कम 5 गुना, 10 गुना करें, तभी आप इसको वास्तव में कोई रूप दे सकेंगे । इसके लिये मैं विशेष रूप से कुछ सुझाव देना चाहती हूं क्योंकि यह एक ऐसी भारी समस्या है जिससे हमारे प्रदेश की हर युवती, विवाहिता, हर व्यक्ति, हर नौजवान सभी पीड़ित हैं । जिस प्रकार युद्धभूमि में सारे लोग लड़ते हैं, जिस प्रकार विदेशी आक्रमण करते हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और तब देश की रक्षा के लिये हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था, उसी रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस काम में साथ खड़ा होगा, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिये यह परम आवश्यक है कि हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने समाजसेवी संगठन हैं, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जितने भी गांवों में रहने वाले समाजसेवक हैं, जो भी देश को आगे बढ़ाने की लालसा रखते हैं, जिनमें इच्छा शक्ति है, जिनकी नीयत साफ है, जब तक सारे लोग एक साथ आगे नहीं आयेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता । मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि जब बच्चे 11-12 वीं कक्षा में जाते हैं तभी उन्हें जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में गम्भीरता से बताना चाहिये तभी उन्हें स्त्री और पुरुष के इस फिजियोलौजिकल प्रासेस की जानकारी देनी चाहिये इसके साथ ही उसी समय उनको परिवार नियोजन के संबंध में जो हमारे समाज में भ्रान्तियां फैली हैं, उसके बारे में सही जानकारी दी जाय । प्रभावी तरीके से समझाया जाय कि परिवार नियोजन करने से कोई नुकसान नहीं है । तभी इससे जनता की भावनाओं में बदलाव आ सकता है ।

आज जो लोग कहते हैं कि यह अल्लाह की देन है यह तो भगवान की देन है, जब तक इस तरह के अंधविश्वास नहीं हटेंगे, तब तक कोई न कोई उसकी मां, सास, भाभी, ननद इस प्रकार के लोगों को भ्रमित करते रहेंगे । हमें लोगों को यह बताना होगा, युवतियों को बताना होगा कि स्टरलाइजेशन कराने से बाद में वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती आज होता क्या है यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है तो उसे स्टरलाइजेशन के साथ जोड़ दिया जाता है कि इसके कराने से ही ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है । पुरुषों में भी इस तरह की गलत धारणा पैदा हो गई है कि जो नसबन्दी करा लेते हैं, वह नपुंसक हो जाते हैं, गुर्दे की पथरी हो जाती है, प्रोस्टेड कैंसर हो जाता है । जब तक हम इन भ्रान्तियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक यह योजना कारगर नहीं हो सकती, इसलिये हम सभी को युद्धस्तर पर इन भ्रान्तियों को दूर करना होगा, और जब सभी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मेहनत और दृढ़ता से इस समस्या का समाधान करने के लिये कृत संकल्प होकर निकल पड़ेंगे । तब कोई कारण नहीं कि हम इस समस्या से छुटकारा न पा सकें ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, उनमें अनेकों आवश्यक सुविधायें भी नहीं होती हैं । मैंने स्वयं देखा है, और न जाने कैसे अधिकारीगण नर्सिंग होम चलाने की अनुमति दे देते हैं । मैं एक वाकया बताती हूं एक व्यक्ति मेरे क्षेत्र में अध्यापक हैं, कुत्ते के काटने के बाद इलाज कराने के लिये नर्सिंग होम गया, मैं उसको देखने के लिये गई तो पाया कि वहां विद्युतीकरण ही नहीं है, रोशनदान नहीं, बदबू और गर्मी तथा घुटन से मुझे वहां पर खांसी शुरू हो गई । जब अच्छे भले आदमी को वहां पर जाकर एकदम तबियत खराब हो जाती है तो आप कल्पना कीजिये कि मरीज का क्या होगा ? मैंने उस मरीज से कहा कि तुम चलों यहां से गवर्नमेंट हास्पिटल में इलाज कराओं और मैंने इसकी शिकायत की, तो नर्सिंग होम के चलाने वाले ने अपनी गलती मानी और उसने दो महीने के अन्दर अपना नर्सिंग होम दूसरे भवन में खोल लिया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि अनेकों डाक्टर ऐसे भी हैं, जो वास्तव में कम्पाउन्डर रहे हैं और वह डाक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं, मान्यवर, इस प्रकार की प्रैक्टिस पर रोक लगायी जानी चाहिये,

जिससे हमारे देश और प्रदेश के अनभिज्ञ लोगों को मौत से बचाया जा सके । मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं और यह बड़ी अहम समस्या है । हमारे अस्पतालों के जो आउट पेशेन्ट डिपार्टमेंट हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है । वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है जो पैसा देता है, उसका इलाज होता है और जो पैसा नहीं देता है वह इधर उधर की ठोकरें खाया करता है । मैंने देखा है कि एक औरत अस्पताल गई, उसके ब्लीडिंग हो रही थी, उसके पति ने जब सौ रुपये दिये, तब उसका इलाज किया । मेरे यहां पर एम्बुलेंस है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, एक्स-रे मशीन है, लेकिन उसका टेक्नीशियन नहीं है, स्टरलाइजेशन की मशीन है लेकिन उसका टेक्नीशियन नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि आप चाहे कम अस्पताल खोलें लेकिन उनमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । हर कर्मचारी को न जाने क्या हो गया है, उसकी मानसिकता केवल यह हो गई है कि किस प्रकार से पैसा आये । मैं कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है, उसको बरबाद न किया जाये, उसको ठीक से उपयोग किया जाये । जब तक अनुशासन नहीं होगा, तब तक आप कितने ही अस्पताल खोल लें, कुछ भी होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं सेवा के क्षेत्र में डाक्टर का अपना विशिष्ट स्थान है, वह 24 घण्टे नहीं दिन रात काम करता है । मैं बताना चाहती हूं कि मैंने स्वयं 72 घण्टे तक लगातार काम किया है । जब तक उस व्यक्ति को पूरी सुविधा नहीं देंगे, उसको ठीक से आराम करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक वह व्यक्ति ठीक से काम नहीं करेगा चाहे वह पी०एम०एस० हो या पी०एच०डी० हो एम०डी० हो उसको उचित वेतन दिया जाय उसके ठहरने की तथा अन्य सुविधायें दी जाय तभी वह समाज की सेवा कर सकेगा । यह जो व्यवस्था पहले से चली आई है उसमें सुधार करना होगा हमारी सरकार ने इसको दुरुस्त करने के लिये कसम खाई है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहली बार परिवार कल्याण की जनसंख्या को सीमित करने के लिये व्यवस्था बनाई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें, नहीं लिखा जायेगा ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

[× × ×]

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, चिकित्सा विभाग की जब हम बात करते हैं तो उस पर कटौती प्रस्ताव एक औपचारिकता मात्र होती है । इसकी पृष्ठभूमि को जब हम देखें तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत हमारा वैलफेयर स्टेट का कांसैप्ट है उसमें सरकार का दायित्व बनता है कि प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की सुविधायें प्रदान करें । इसी सदन के अन्दर हर वर्ष एक औपचारिकता निभाने के लिये सत्ता पक्ष की तरफ से बजट प्रस्तुत होता है और विपक्ष की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया आती है । चिकित्सा सुविधा का प्रश्न मानवता से जुड़ा हुआ है उसकी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर विवेचना करनी होगी ।

जिस तरह से निरन्तर आबादी बढ़ रही है और हमारे संसाधन सिमटते चले जा रहे हैं तो इन परिस्थितियों में किस तरीके से चिकित्सा सुविधा को बनाया रखा जा सके, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सके और प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा दिलायी जाये, इसको देखना होगा ? आलोचना करने का मकसद मेरा कम है और सुझाव ज्यादा देना चाहूंगा । आज ऐसी स्थिति

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पैदा होती जा रही है कि हैव्स एण्ड हैव नाट्स के बीच खाई बढ़ती जा रही है, जहां स्वास्थ्य पर एक आदमी 20 लाख रुपया खर्च करता है वहां दूसरी ओर 20 रुपया भी खर्च करने की एक व्यक्ति हैसियत नहीं रखता । जिस व्यक्ति की हैसियत 20 रुपये खर्च करने की नहीं है उसे चिकित्सा सुविधा की गारन्टी देना सरकार का दायित्व है । जैसा डा० अम्मार रिजवी साहब ने कहा एक लकीर हम पीटते रहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाय तो केवल यही रट लगाने से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है । यह कोई बड़ी रेजल्ट ओरियंटेड बात नहीं है । यह विचारणीय हो सकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हम काम करें कि जिससे इफीशियेन्सी आप्टिमाइज हो सके । ऐसा कौन सा कदम उठायें जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ? मैं अपने शहर में देखता हूं, अपने जनपद में देखता हूं ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि लोग जो पैसे वाले हैं वह प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज कराने जा रहे हैं । जो गरीब लोग हैं उनको उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है जिसका अंजाम ठीक नहीं होता है । अगर आप इसका पता लगायें तो पता चलेगा, प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् आपके मंत्री जी जानते हैं राज्य मंत्री जी जानते हैं, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं वह भी जानते हैं कि एक डाक्टर जब सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू करता है तो कोई भी डाक्टर चाहे वह गोल्ड मेडिलिस्ट ही क्यों न हो, वह यह कभी नहीं कहता है कि मैं सरकारी अस्पताल में सेवा नहीं करना चाहता । वह सरकारी अस्पताल में सेवा शुरू करता है और वहां रहकर अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करता है और बाद में अपना नर्सिंग होम खोलता है । इसका मतलब यह है कि सरकारी सेवाओं में भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं है । लेकिन हम अतिवादी बन गये हैं, हमने तय कर रखा है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे ।

आज एक व्यक्ति 600 रुपये प्रतिदिन कमरे का किराया देकर प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिये जाता है और सरकार का कहना है कि हम फ्री इलाज करते हैं । बहुत सारे जो इधर के लोग हैं वह शायद मेरी इस बात पर आलोचना करें । सरकार ने वेलफेयर स्टेट की स्थापना की है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । मेरा मत है कि सरकारी अस्पतालों में सरकार की ओर से बेहतर सुविधा दी जाय । वहां पर दवायें और इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जाय और 600 रुपये की जगह पर 150-200 रुपये उनसे लेकर उनको चिकित्सा सुविधा दी जाय जो इलाज का भार उठा सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इलाज का पैसा देने के लायक हैं । मैं तो कहता हूं कि किसी नर्सिंग होम में 2 डाक्टर हैं किसी में 4 हैं लेकिन सरकार के पास तो एक लम्बी चौड़ी फौज है । आप इन डाक्टरों को इंसेंटिव देकर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे वह लोग जो पैसा दे सकते हैं वह सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें । प्रयोग के तौर पर सरकार को कुछ अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये । इस तरह से आप रिसोर्सेज को जनरेट करने का काम कर सकते हैं और इससे सरकारी अस्पताल अनुदान के मोहताज नहीं रहेंगे । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारी चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । जो हमारा पुराना सोशल आस्पेक्टिव है "एक परहेज सौ इलाज" उस कांसेप्ट को हम आज भूलते जा रहे हैं ।

आज हेपेटाइटिस–ए, हेपेटाइटिस–बी और पीलिया महामारी का रूप ले लेता है । हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे सावधानी बरत कर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रिवेन्टिव मेडीसिन का कान्सेप्ट है "एक परहेज सौ इलाज" वाला किस्सा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है । विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम प्राइमरी स्टेज पर बहुत सी बीमारियों पर ध्यान दें तो हम गम्भीर बीमारियों से बच सकते हैं । श्रीमन् ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी है वह चिकित्सा सुविधा से वंचित है । आज जरूरत इस बात की है कि दूर-दूर ग्रामीण अंचलों में जो आबादी रहती है जो अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों के प्रति जागरूक नहीं है, हेल्थ केयर के मामले में उनको जागरूक बनाने के लिये यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अन्दर, उनके जिस्म में जो मर्ज है वह लाइलाज शक्ल धारण करती है तो उसका प्राथमिक स्तर पर ही इलाज करने की बात हो सके । ऐसे रोगों व रोगियों की पहचान होनी चाहिये । उदाहरण के तौर पर मैं प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि जो

स्वास्थ्य विभाग ने किया है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने आज की तारीख में पल्स पोलियो अभियान के तहत, पोलियो को इरीडिकेट करने का संकल्प किया है उसका बहुत बेहतरीन परिणाम निकलकर सामने आया है।

श्रीमन् ट्यूबरक्लोसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोगों को चिन्ता हो सकती है कि एड्स अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज नहीं है लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ट्यूबरक्लोसिस लाइलाज बीमारी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने वार्निंग सिंगनल दिया है। उसने कहा है कि टी०बी० के जितने केसिस हिन्दुस्तान में हैं उतने कहीं नहीं हैं। यहां मरीज के जब खांसी बढ़ती है तब मरीज अस्पताल तक जाता है। 10 दिन दवाई खाने के बाद खांसी बन्द हो जाती है और वह समझता है कि मर्ज ठीक हो गया लेकिन श्रीमन् वह ठीक नहीं होता है। मान्यवर, आज इस रोग के रोगियों की तादात दुनिया के अन्दर इतनी ज्यादा हो गई है कि वह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मुन्ना जी अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज एड्स के बारे में जिला चिकित्सालयों में चर्चा होती है हम लोग चिन्ता व्यक्त करते हैं कि एड्स फैल रहा है। इस डिजीज को चेक करने की बात होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जिला चिकित्सालयों में एड्स के टेस्ट किट उपलब्ध नहीं हैं कि खून का परीक्षण हो सके, डिडेक्ट हो सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में "होलिस्टक हेल्थ अप्रोच" के बारे में जिन बिन्दुओं का जिक्र किया आज समय है इस बात का विश्लेषण करने के लिये उन तमाम कार्यक्रमों ने कोई रुट्स ली है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। श्री गोरखनाथ पाण्डये जी आप अपनी बात कहें।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन् मैं ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय दे दें। पहाड़ के अन्दर एक विषम परिस्थिति है पहाड़ के अन्दर भीषण त्रासदियां हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस समय परिजनों के सामने एक बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है कि मृतक लोगों का पोष्टमार्टम कहां करायें। जिला मुख्यालय दो सौ, चार सौ किलामीटर दूर होता है, एक तरफ मौत हो जाती है दूसरी तरफ मृतक के पोस्टमार्टम के लिये भटकना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे पड़ोस में हिमांचल प्रदेश है, वहां पर यह व्यवस्था है कि एक्सीडेंट साईट पर डाक्टर जाते हैं, एक एम्बुलेंस और वैन उनके साथ रहती है। वह पोस्टमार्टम कराते हैं और परिजनों को शव वापस दे देते हैं। बहुत सारे लोगों ने डाक्टरों की बात की, बजट की बात की, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मरीज का सवाल है, वह डाक्टरों और हास्पिटल तक सीमित नहीं होता है; सबसे बड़ी जरूरत पेशन्ट का मैनेजमेंट होता है।

सभी चिकित्सालयों में पैरा मेडिकल स्टाफ की घोर कमी है इसकी वजह से पेसेंट का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है इस कारण पेसेंट का वक्त पर काम नहीं हो पाता है। दूसरी बात जिस पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है झोला छाप डाक्टरों के बारे में इन डाक्टरों के सहारे ग्रामीण जनता को सौंप दिया गया है इस तरफ प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा कब झोला छाप डाक्टरों से प्रदेश की जनता को निजात मिलेगी। इसी सदन में एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था और इस पर पीठ से भी निर्देश हुआ था कि प्रदेश में एण्टी रैबीज वैक्सीन की कमी है तब माननीय मंत्री जी ने

जवाब दिया था आज भी प्रदेश में एण्टी रैबीज वैक्सीन की कमी है । रैबीज जो बीमारी है उसका इलाज दुनियां में नहीं है इसको दुनियां में किलर डिजीज के रूप में जाना जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

जिसको रैबीज हो जाएगा उसकी मौत निश्चित है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में पांच लोगों की मृत्यु रैबीज के कारण हुई । क्योंकि वहां एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सका । इन शब्दों के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय,, आपने मुझे इन तीनों प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह बजट जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, समाज के पिछड़े वर्ग से लेकर अमीर वर्ग तक से जुड़ा हुआ बजट है । आज से 50 वर्ष पूर्व जो सुविधायें मिल रहीं थीं उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है । हमारे त्रिपाठी जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं ने आज कटौती का प्रस्ताव रखा है । यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी सुविधायें ग्रामीण अंचलों में इसके पूर्व मिल रही थीं आज की स्थिति में उसमें निश्चित रूप से बदलाव आया है । पूर्व में छोटी-छोटी बीमारियों के चलते गरीब होने के कारण मर जाते थे आज उसमें सुधार आया है और शहरी सुविधाओं को गांव की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ है । कुष्ठ रोग ऐसी महामारी हुआ करती थी कि व्यक्ति अपने ही परिवार में तिरस्कृत जीवन यापन करने को मजदूर कर दिया जाता था । आज कुष्ठ रोग पर सरकार ने ध्यान देकर उसके समापन की ओर जाने का प्रयास किया है । क्षय रोग जिसे राज रोग कहा जाता था आज एक सामान्य रोग हो गया है और उसका इलाज कम पैसे में अमीर और गरीब करा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं । मलेरिया उन्मूलन जो संक्रामक रोग है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है ।

मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि आपने बजट में धनवन्तरी विश्वविद्यालय की व्यवस्था की । संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जो उपकरणों की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने एक कोष की स्थापना की है जिसके माध्यम से निर्धन व्यक्ति का इलाज हो सकेगा । इसके लिये मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । पूर्व के पचास वर्षों में जिनका शासन रहा है और जो व्यवस्थाएं रही हैं वह अपूर्ण रही हैं अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है । मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं हमारे यहां भदोही जनपद जो नया जनपद बना है, वहां जिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जिला अस्पताल की व्यवस्था की जाए । जिससे सामान्य मरीजों को जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद न जाना पड़े । हमारे जनपद में सबसे महत्वपूर्ण बाजार गोपीगंज पड़ता है, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां चिकित्सकों की व्यवस्था की जाय ।

माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात आई थी और आपकी पीठ से भी निर्देश हुये थे उसमें क्या हुआ है इसे माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ? महानिदेशक के पद पर पिछले वर्ष धांधली की बात सदन में उठायी गयी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग को एक-एक दिया जाना था परन्तु अनुसूचित जाति को 50 प्रतिशत दे दिया गया जो कि कोटे से अधिक है । माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात आयी थी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा भी था कि हम

सुधार करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । वर्ष 1998 में भी जब बजट पेश किया गया था तो यही आश्वासन दिये गये थे और कहा गया था कि ये-ये योजनायें लागू होंगी और हास्पिटलों का निर्माण होगा परन्तु न कहीं हास्पिटल बने और न ही भवनों का निर्माण हुआ । यह बजट झूठ का पुलिन्दा है । हमारे आजमगढ़ में जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन एक वर्ष से खराब पड़ी है वहां के डाक्टर और कर्मचारी मिल कर इसे खराब कर देते हैं । अस्पताल के ही तीन-चार डाक्टरों ने अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं इसलिये जिला अस्पताल के इस अल्ट्रासाउण्ड मशीन को तुरन्त ठीक कराया जाय । आज एक साल से वहां पर एक्स-रे प्लेट्स नहीं हैं, लोग बाहर से खरीद कर लाते हैं मंत्री जी कहते हैं कि अस्पतालों में रुई, पट्टी है मैं कहता हूं कि आप निरीक्षण कर लें कुछ नहीं मिलेगा । हमारे यहां महिला अस्पताल बना हुआ है उसके लिये पैसा दे दिया गया था परन्तु साल भर से उसमें एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है । टावरपुर, तहबरपुर ब्लाक में कोइनहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन रहा है जो अधूरा है, जिला योजना से पैसा भी मिल गया था लेकिन कार्य नहीं हो रहा है । इसलिये मैं यह कैसे मान लूं कि आप अस्पतालों में दवा की व्यवस्था करा देंगे । पिछड़ी जाति के लिये आप का जो कोटा है विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में, मेरे पास एक रिपोर्ट है कानपुर में 54, झांसी में 36, मेरठ में 55 और गोरखपुर में 41 पद हैं जिसमें से केवल गोरखपुर में ही पिछड़ी जाति का कोटा पूरा हुआ है । पिछड़े वर्ग के लिये कानपुर में जो विज्ञप्ति निकाली गयी है वह 8 पदों के लिये निकाली गयी है जबकि 15 होनी चाहिये ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

झांसी में 36 जगह हैं और विज्ञापन में पिछड़ी जाति के लिये 3 निकाला है जबकि 10 मिलनी चाहिए । मेरठ में 55 हैं और विज्ञापन में निकाला है । 6 बैकवर्ड की सीट 15 होनी चाहिये । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड जाति का जो कोटा है वह इन मेडिकल कालेजों में पूर्ण नहीं है इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस कोटे को पूरा किया जाय । आप चाहे जितनी बातें कह लें या चर्चा कर लें आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर्स नहीं है । हमारे ब्लाक तहबर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं हैं । माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर जहां कि स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर्स नहीं हैं वहां पर डाक्टर्स की व्यवस्था करायें ताकि सुचारु रूप से मरीजों की देखभाल हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का विभिन्न मदों पर बजट का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है । "ए परसन, हू इज ए पालिटीशियन थिंक्स एबाउट पालिटिक्स बट नान पालिटीशियन नेवर थिंक्स एबाउट ए स्टेटमैन" बीस वर्ष बाद इस प्रदेश की जनसंख्या क्या होगी ? उस जनसंख्या के अनुरूप हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी और जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिये साहसपूर्वक प्रभावी कदम क्या उठाये जा सकते हैं ? अगर नहीं उठाये गये तो बजट तो प्रतिवर्ष आयेगा और समस्याएं अपने स्थान पर रहेंगी और उनका समाधान दुरुह हो जायेगा । मैं छोटे-छोटे वाक्यों में छोटे-छोटे सुझाव देना चाहता हूं । अस्पताल खोलने का सम्भरण चाहे सरकार किसी की भी हो उसको करना होगा जो अस्पताल खुले हैं, उनमें जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये हम वह नहीं उपलब्ध करा पाये हैं । जिला अस्पतालों में मामूली चीजें जैसे स्प्रिट, पट्टी, रुई आदि नहीं मिल पा रही हैं । यह इस सरकार की नहीं पिछली कई वर्षों से यह रोना धोना चलता आ रहा है । इसलिये पहले जो हमारे अस्पताल हैं उनको समर्थ करें सुदृढ़ व्यवस्था वहां करें वहां पर सेवा का

कार्य ठीक करें । हमें चिन्ता इस पर होनी चाहिये । दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजी में है मैं हिन्दी रूपान्तर कर दूंगा । ''ए हास्पिटल विदआउट हॉस्पिटेलिटी इज ए बूचर्स प्लेस'' । अस्पताल एक कसाईखाना हो जाता है इसलिये अस्पताल में डाक्टर्स का, परिचारिकाओं का, वहां काम करने वाले लोगों का व्यवहार मरीज के प्रति सहृदय, करुणा पूर्ण हो, इसकी चिन्ता करना भी सरकार का कर्तव्य है । जन स्वास्थ्य के जो बाकी आयाम हैं उनके ऊपर सम्भवतः पिछली सरकार का और इस सरकार का भी ध्यान कम गया है । मिलावटी नकली औषधियां बिक रही हैं इसकी रोकथाम होनी चाहिये इंग इन्स्ट्रक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिये । नगरपालिका, महापालिका, टाउन एरिया में सैम्पिलिंग और अधिक की जाय । जांच पूरी तरह से हो सके । आज हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हैं जिनके आधार पर हम जांच करते मिलावटी तेल हो, मिलावटी औषधि हो, मिलावटी चाय की बात हो काफी तरह की मिलावट हो रही है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात की भी चिन्ता की जाय कि जो अन्य आयाम हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि योरोप के देशों में या अन्य विकसित देशों में मरीज को मिलने किसी भी समय कोई व्यक्ति नहीं जा सकता । अगर इस तरह की प्रथा हम अपने प्रदेश से शुरू करें तो अच्छा होगा । एक जगह बना दें वहां पर मरीज आकर मिलेगा और फिर अपने वार्ड में चला जायेगा । डाक्टर्स से कह दें 15-15 बार हाथ धोने पड़ें । आज हमारे देश में एन्टी बाइटिक पर खरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं । रेसिस्टेंस पावर कह रहे हैं कि बड़ी है । इसका कारण यह है कि खरबों रुपया एन्टीबायटिक पर खर्च किया जा रहा है । इससे देश का खरबों रुपया बच सकता है अगर आप खरबों रुपया बचाना चाहते हैं तो आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा । अस्पताल के बाहर, मिलने वाले लोग मिलें चाहे वह कोई बड़ा आदमी ही क्यों न हो वह नियमों से बंधे, वरना दो एन्टीबायटिक इंजेक्शन लगेंगे । तो इससे आप अरबों खरबों रुपया बचा सकेंगे । मान्यवर, आयुर्वेद के बारे में कहना चाहूंगा आयुर्वेद इस देश से जुड़ी हुई पद्धति है यहां की जलवायु के अनुकूल है लेकिन जड़ी बूटियों पर शोध का कार्य प्रायः समाप्त हो गया है मैं चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में जितना शोध को धन दे सकें, इस बात को बजट में प्राविधान नहीं कर पाए हैं तो शोध के लिये बजट का अलग से प्राविधान किया जाय । आयुर्वेदिक चिकित्सा इस देश की धरती से जुड़ी चिकित्सा है जो प्रकृति से जुड़ी है जिसमें औषधियों का दुष्परिणाम नहीं होता है अगर उचित वैद्य द्वारा दी गई हो । मान्यवर अनुशासनहीनता के बारे में बताना चाहूंगा आजकल अनुशासनहीनता बहुत बढ़ गई है अस्पतालों में बेड पर कुत्ते बैठे रहते हैं मैंने स्वयं देखा है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आज मनुष्य के स्वास्थ्य पर वार्ता चल रही है वर्षों-वर्षों तक बाबू लोगों का और डाक्टरों का एक स्थान पर रह जाना चाहे राजनीतिक प्रभाव का कारण हो, चाहे और कोई कारण हो लेकिन यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव डाल रहा है । अभी हमारे मित्र प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कह रहे थे मैं खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं हमें खुले मन से इसको स्वीकार करना चाहिये कि अगर डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वह प्राइवेट प्रैक्टिस करें और उससे जो आमदनी हो उसका कुछ हिस्सा सरकार को दें और कुछ हिस्सा अपने पास रखें । आशा है माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे । मान्यवर, मैं दो-तीन बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं परिवार कल्याण मंत्री जी बैठे हैं कृपा करेंगे, गम्भीरता पूर्वक प्लानिंग के कार्यों को लेकर जनसंख्या के संदर्भ में जो अधिक विचारवान लोग हैं, अपने विभाग के सचिवों को लेकर बैठें और चिन्ता करें इस बात की कि किसी का मन बिना दुखाए परिवार कल्याण किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है । जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है पहले के सालों में स्थिति निराशाजनक रही है और जनसंख्या बढ़ी है इस पर ध्यान दिया जाय ।

हमारे यहां विन्ध्यांचल में नवरात्रि में लाखों लोग आते हैं लेकिन वहां का आयुर्वेदिक चिकित्सालय सूना पड़ा है । लेडी डाक्टर वहां वर्षों से नहीं है जिन चिकित्सालयों मे डाक्टर हैं वह केवल अपना वेतन लेने आते हैं बाकी समय में प्रैक्टिस करते हैं हमारे प्रभारी मंत्री जी बैठे हैं यह हमारे जिले के हैं किस कारण से वहां काम नहीं कर पाए हैं इसको मंत्री जी दिखवा लें । अन्त में मैं एक वाक्य में अपनी बात कहना चाहता हूं मैंने बहुमूल्य विचार डा० अम्मार रिजवी साहब के सुने मा० अम्बरीष जी को सुना मा० मुन्ना जी को सुना बहन ज्ञानवती जी ने कहा उसको सुना मा० मुन्ना जी का एक वाक्य मेरे मन को छू गया बजट में कटौती भी आती है और समर्थन के प्रस्ताव भी आते हैं । यह लोकतंत्र का विषय है जिसमें उधर से कटौती के नाम पर और इधर से समर्थन के नाम पर, मगर उत्तर प्रदेश की जनता हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चुनकर भेजती है । मैं तीनों माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा कि एक-एक सुझाव चाहे वह प्रतिपक्ष की ओर से आये हों या सत्ता पक्ष की तरफ से आये हों, गम्भीरता से लेंगे और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सुन रहे होंगे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि 20 वर्षों के बाद की सोचकर आज की घड़ी से उसकी योजना उसका निबोजन प्रारम्भ कर दें तभी उसके सुपरिणाम सामने आयेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट पर माननीय लोकपति त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी बचनबद्धता दोहरायी है कि सन् दो हजार तक उत्तर प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य सुविधायें उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध करायेगी । हम इस बढ़िया और शानदार लक्ष्य की घोषणा के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को मुबारकबाद देते हुए यह कहना चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगणों ने सन् दो हजार तक उत्तर प्रदेश के समूचे शहरी, समूचे नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो मजबूत संकल्प इस बजट में होना चाहिये वह मुझे ढूंढ़ने पर भी नहीं मिला जिससे यह पुष्टि होती हो कि सन् दो हजार तक उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी ।

श्रीमन्, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं । बल्कि सरकार की एवं सिफसा की एक रिपोर्ट जो पूर्व के दिनों में आयी है उसका उल्लेख कर यथार्थ को स्पष्ट करना चाहता हूं । आज यह कहते हुए दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी 90 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव के दौरान चिकित्सा सुविधायें मयस्सर नहीं हो पा रही हैं । मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि आज यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट सिफसा (राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना ऐजेन्सी, लखनऊ) ने दी है । इसमें यह उल्लिखित है कि केवल दस प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुईं । 25 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण प्रसव के दौरान गम्भीर जटिलताएं हुईं । 45 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण गर्भावस्था के दौरान ही गम्भीर जटिलताएं हुईं । 53 प्रतिशत ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान टेटनस टाक्साइड का कोई टीका नहीं लगाया गया । 89 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं । यह रिपोर्ट सरकार की अब तक घोषणाओं की असलियत को उजागर करती है । आज प्रदेश की सरकार को इससे सबक लेकर आने वाले दिनों के लिये उसे कार्य योजना बनानी चाहिये । मा० स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिये मजबूत संकल्प इस बजट के भीतर होना चाहिये । श्रीमन् आगामी दो महीने के बाद प्रदेश में एक जानलेवा बीमारी आने वाली है, वह है मस्तिष्क ज्वर, इन्सेफलाइट्स की बीमारी । यह पूर्वी उ० प्र० के जिले में ज्यादा आती है । यह जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार को इस भयंकर बीमारी

की रोकथाम के लिये जो सार्थक प्रयास अभी से करना चाहिये था उसने कोई कार्यवाही नहीं की । जनस्वास्थ्य की दिशा में मा० मंत्री जी ने तमाम संकल्प लिये हैं जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं, आपके कार्यकलापों के परिणाम जनता के हाथ क्या लगते हैं उसको मैं बताना चाहता हूं ? देवरिया जनपद में जहां जिला मुख्यालय का मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है वहां वर्षों से लाखों रु० की एक आटो पूनलाइजर मशीन बेकार पड़ी हुई है जहां दो-दो पैथालाजिस्ट कार्यरत हैं, वह मशीन आज तक नहीं चलायी गयी । ब्लड के इन्वेस्टीगेशन जो उसके जरिये होते उस उपकरण को चलाने हेतु दोनों पैथोलाजिस्ट में से किसी ने भी अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया । मैंने इसकी बाबत भी पिछले दिनों मा० मंत्री जी को कहा था कि वहां जिला अस्पताल में रेडियोलाजिस्ट डाक्टर नहीं हैं काफी दिनों से एक्सरे प्लेटें नहीं हैं । रेडियोलाजिस्ट डाक्टर की तैनाती न होने के कारण न तो एक्सरे के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन मिल पाती हैं और न ही वहां अल्ट्रा सोनियोग्राफी मशीन ही चल पाती है ।

जिला संयुक्त चिकित्सालय देवरिया में ब्लड बैंक स्वीकृत है, लाइसेंस मिला है, भवन भी बन कर तैयार है, लेकिन वह अब तक चालू नहीं कराया गया । उस उपेक्षित इलाके में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं वहां पर हाइडो फोबिया बीमारी की बाबत जिसे सुई की आवश्यकता है वह काफी दिनों से अस्पताल में नहीं है । ग्रामीण अंचल में जो आप स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की बात करते हैं जिन डाक्टर्स की आप नियुक्ति करते हैं वे केवल कागजों में ही पद स्थापित होते हैं, वे वहां टिकते नहीं हैं सरकार ने कभी सोचा इसके क्या कारण हैं ? जब तक आप उनको वहां समुचित सुविधायें नहीं उपलब्ध करायेंगे तब तक कोई चिकित्सक ग्रामीण अंचल में नहीं टिक पायगा । ऐसी परिस्थिति में कोई पुरसाहाल नहीं है ग्रामीण जनता का । आज ग्रामीण जनता की उपेक्षा हो रही है उन्हें कोई सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नहीं मिल रही है । आज प्रदेश की 16 करोड़ आबादी है जिसमें 43 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे खिसक कर आ गयी है जिसको दो जून की रोटी मयस्सर नहीं है वह कहां से लाईफ सेविंग ड्रग खरीदने की औकात रखेगा ? इस सम्पूर्ण बजट में ऐसा कोई संकल्प नजर नहीं आया जिससे ये लगे कि सरकार इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के प्रति गम्भीर हैं । मान्यवर, आपने समाप्त करने का इशारा किया है, आपके प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए, कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद तथा श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय लोकपति जी को उत्तर भाषण के लिये बुला लिया है । आप दोनों लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक दिन में चर्चा से क्या फायदा होगा ? इस पर चर्चा दो दिन होनी चाहिये । हम लोगों की भावनायें आनी चाहियें । माननीय मंत्री जी हमारे जिले के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आजाद जी, आप और माननीय मंत्री जी अगल-बगल के हैं, एक दूसरे से रोज मिलते हैं, आप अपनी बात कह लीजियेगा । मैंने माननीय लोकपति जी को बुला लिया है ।

(राम विशुन आजाद द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह आप आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम तेज जी, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को नियंत्रित करिये। आपने जितने नाम दिये थे, उनके दो गुने से ज्यादा सदस्यों को मैंने बुलवा दिया, अब मैं इसके आगे अनुमति नहीं दूंगा, यह कदापि लिखा नहीं जायेगा। आपकी पार्टी को काफी अवसर मिल गया। पीठ की तरफ आक्षेप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, कृपया इस बारे में भी आप इन सदस्यों को निर्देशित करिये। मेरी अनुमति के बिना जो बोला गया है, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, श्री शाक्य जी हमारे दल के सचेतक हैं, इनको दो मिनट का समय दे दें और माननीय राम विशुन आजाद जी गोण्डा के हैं उनके जिले की कुछ समस्यायें हैं उनको कह लेने दें।

श्री अधिष्ठाता–

लगभग चार घन्टे इस पर चर्चा हो चुकी है और अब मैं समय नहीं दे सकता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन् कितना महत्वपूर्ण विभाग है और कितना महत्वपूर्ण विषय है कि आपके निर्देशों के बावजूद भी माननीय सदस्य बोलने के लिए और अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि जो मैंने कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा है वही बातें सरकार की समर्थन में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं, वो भी मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कही हैं।

मान्यवर, प्रदेश में 12 लाख से ऊपर गाड़ियां हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब सड़क पर एक्सीडेन्ट न होते हों। मैं कहना चाहता हूं कि उनको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 50 कि० मी० पर या तो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, या तहसील स्तर का चिकित्सालय है या जिला स्तर का चिकित्सालय है और फिर मेडिकल कालेज हैं। मेरा सुझाव है कि हर 50 कि० मी० पर या 100 कि० मीटर की दुरी पर एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था करायी जाय जिसमें इमरजेन्सी किट और अन्य आवश्यक अनुबन्ध रहें। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन का आदेश जो होता है उसका पालन करना सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है और जो सरकारी अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं करता है वह अनुशासनहीन है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर यूसुफ इमाम हैं उनके नाम से एक चिकित्सालय निर्मित हो रहा है, मैंने उसका नामकरण किया था। उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था और स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ चल रही थी, मुझे हटे हुये ही 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी भी बैरिस्टर यूसुफ इमाम का नाम चिकित्सालय पर नहीं आया है। जो परचियां कटती हैं उन पर उनका नाम नहीं है। श्रीमन् इसी तरह से दीन दयाल उपाध्याय नाम से 300 शैय्याओं का चिकित्सालय बना वाराणसी में लेकिन उसमें आज तक पूरे उपकरण नहीं है, जो हैं भी वह लगे नही हैं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य सुबाष जी ने कहा, मैंने भी अनुरोध किया था, कुछ पुराने अधिकारी बैठे हैं, गर्वनर गैलरी में बैठे हैं वह डायरेक्टर जनरल हैं,

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनको अनुभव है । मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप गोरखपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोण्डा, महाराजगंज, सीतापुर, बस्ती, देवरिया और तमाम नये नये जिले बन गये हैं पडरौना आदि में होता है । अभी तक वहां पर स्प्रे का कार्य शुरु नहीं हुआ है । जहां तक मेरी जानकारी है 15 जुलाई तक दो स्प्रे होना चाहिये और तीसरा स्प्रे सितम्बर तक हो जाना चाहिये ताकि यह बीमारी न फैलने पाये लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है । दो दो डायरेक्टर जनरल आपके हो गये हैं तो क्यों इस संबंध में लापरवाही बरती जा रही है ?

अभी हमारे डाक्टर अम्मार रिजवी साहब ने सुझाव दिये और कह रहे थे कि गरीबों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है । अम्मार साहब ने कहा कि उनको कार्ड बनवा दिये जायें जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको चिकित्सा सुविधा आसानी से मिल सके । आज चिकित्सालयों की इतनी खराब हालत है कि नर्सिंग होम बढ़ते जा रहे हैं जिनमें फीस लगती है तो आप भी चिकित्सा सुविधा के लिये फीस लीजिये, डाक्टरों को कन्सेल्टेंसी के लिये दीजिये लेकिन जो गरीब नहीं दे सकता है उनको कार्ड फोटो लगवाकर दीजिये ।

आपके प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें पैसा न लगायें क्योंकि ग्रामीण अंचलों में वह सेवा नहीं करते हैं । ग्रामीण अंचल का पैसा वाला शहर में आकर सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराता बल्कि नर्सिंग होम में जाता है तो जो निर्धन हैं उसको स्वास्थ्य सुविधा के लिये आप निःशुल्क चिकित्सा दीजिये जब हम लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी तो चिकित्सालयों में एक आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रखा था जिसको तीसरा डाक्टर के नाम से कहा जाता था । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे इसके लिये डाक्टर को होना जरुरी है केवल फार्मासिस्ट और वार्डब्वाय की जिम्मेदारी पर किसी मरीज की देखभाल नहीं हो सकती है । वहां डाक्टर का रहना जरुरी है इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां पर थर्ड डाक्टर की भर्ती करइये । आज कहा जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर बेईमान हो गये हैं तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिये जिसको 15,000/- हजार रुपया तनख्वाह मिलती है वह 20,000/- रुपये की चोरी क्यों करेगा । आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 हजार रुपया देते हैं तो उसमें वह क्या दवा बेच लेगा ? किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर शक मत करिये । इसके पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं कहना चाहता हूं कि संजय गांधी इन्स्टीट्यूट में बोन मैरो को बदला गया है यह भारतवर्ष में तीसरा संस्थान है जहां यह कार्य किया गया है । आप वहां के चिकित्सकों को बधाई दीजिये कि दुनियां के नक्शे पर उत्तर प्रदेश का नाम आया है । यह आपका कर्तव्य है चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी कि उसकी उन्नति के लिये वहां पर उपकरण आदि की व्यवस्था करें । जापान से सेकेंड फेज का एग्रीमेंट हो रहा था आप विभाग से कागज मंगाकर उसकी स्टडी करिये । संजय गांधी संस्थान में जाइये और वहां डाक्टरों से मिलिये कि क्या सामान मंगाना था ? अगर सारा सामान एक साथ न मंगा सकें तो थोड़ा थोड़ा सामान मंगायें ।

डा० अम्मार रिजवी–

मंत्री जी जापान चले जायं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चले जायं कोई हर्ज नहीं है । लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ी खतरनाक जगह है न जायं, आप बड़े खूबसूरत हैं, वहां फंस जायेंगे ।

मान्यवर, कलकत्ता से दिल्ली के बीच संजय गांधी संस्थान से बड़ा कोई और संस्थान नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता जी बहुत धन्यवाद ।

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, मैं इन सुझावों को मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करता हूं । मान्यवर, यह जो मामले हैं यह एक

सरकार के नहीं हैं बल्कि पहले के मामले हैं इसीलिये मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग शासन करने के लिये नहीं बल्कि सेवा करने का विभाग है । मैं 2-3 बातों के बारे में कहना चाहता हूं । लखनऊ में पीलिया के बारे में कहा गया तो लखनऊ में 6 टीमें गठित कर दी गयीं हैं और रोज के रोज समीक्षा हो रही है और समीक्षा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है । दवाई और सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिये व्यवस्था की गयी है । हम पूर्णरूप से जागरूक हैं किसी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिये हम पूरी तरह से तैयार हैं ।

एक बात मैं एंटी रैबीज वैक्सीन के बारे में कहना चाहता हूं । यह सही है कि पटवाडांगर नैनीताल से उतनी मात्रा में यह वैक्सीन नहीं मिलती थी, जितनी उपलब्ध होनी चाहिये थी उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी । मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 40-45 लाख एम० एल० एंटीरैबीज वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी । अभी तक 17-18-20 लाख एम० एल० से ज्यादा दवा उपलब्ध नहीं हो पाती थी । मैं मुख्य मंत्री जी और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 24.50 लाख एम० एल० की व्यवस्था कर दी है । अब 40 लाख एम० एल० की व्यवस्था इस प्रदेश में हो जायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिये हमारी सरकार जागरूक है । औषधियों की मद में पहले 33 करोड़ रुपये थे जिनको हमारे मुख्य मंत्री जी ने 70 करोड़ कर दिया है । भोजन व्यवस्था के लिये पहले 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी अब इसको बढ़ाकर 4 करोड़ 38 लाख कर दिया गया है । इसकी कमी नहीं होने देंगे । यात्रा व्यय में अभी आपके सामने कुछ बातें आयी । डेढ़ साल में 19 हजार निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये गये, जो यात्रा भत्ता दिया जाता था उसे नहीं दे पाते थे । इस बार हमने 10 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था करायी है । जिला चिकित्सालयों में गरीब मरीजों के भोजन की व्यवस्था खराब थी, अभी तक उसमें 30 करोड़ रुपया था हमारी सरकार ने 40 करोड़ 38 लाख रुपया कर दिया है । मान्यवर, हम इस मामले में जागरूक हैं । मैं आपका और माननीय सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चहाता । माननीय लोकपति त्रिपाठी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके बहुमूल्य सुझाव आये हैं । डा० रिजवी साहब, मा० मुन्ना चौहान जी व सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आये हैं । यह सेवा का विभाग है, सेवा का भाव लेकर मिलजुलकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं । त्रिपाठी जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हम त्रिपाठी जी के भावों को लेकर चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिलजुलकर इस व्यवस्था को चलायें । आशा है कि त्रिपाठी जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री शिवाकान्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पक्ष एवं विपक्ष के सम्मानित मित्रों ने कुछ सुझाव दिये और कुछ शंकायें भी प्रकट कीं । अति संक्षेप में उन सुझावों को स्वीकार करते हुये, आशंकाओं का निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा । माननीय पं० लोकपति त्रिपाठी जी ने पी० जी० आई० को विश्वविद्यालय मानते हुये अन्य विश्वविद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर जोर दिया । मेरी आग्रह है कि पी० जी० आई० सुपर स्पेशलिस्ट व्यवस्था का विश्वविद्यालय है और मात्र एक पैथी "एलोपैथी" की व्यवस्था है । जो हमने धनवन्तरि विश्वविद्यालय खोलने की बात की है उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धि, इन विधाओं का समावेश किया है और मेरी समझ से आप सहमत होंगे कि एलोपैथिक मात्र एक पैथी ही नहीं है, अन्य बहुत सी पद्धतियां हैं, जिनको विकसित होना चाहिये । इसलिये हमारी सरकार ने फैसला किया कि धनवन्तरि विश्वविद्यालय को बनाया जाये और एलोपैथिक के साथ-साथ अन्य पैथियों को भी बराबर का दर्जा प्रदान करें । इसलिये कोई शंका की बात नहीं रहनी चाहिये ।

एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे मित्र सुरेश श्रीवास्तव ने आयुर्वेदिक डाक्टर्स और हास्पीटल के बारे में उठाया है । आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डाक्टर्स के बारे में हमने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार ने बजाज कमेटी को यह मामला सौंप रखा है । डिमान्स्ट्रेटर से लेकर प्रोफेसर तक नया वेतनमान

यू० जी० सी० के अनुरूप या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाये । दजाज कमेटी की संस्तुति आने के बाद हमारी सरकार का निश्चय है कि उसे यथावत लागू करेंगे जिस प्रकार से एलोपैथिक में लागू किया गया है । हमारी सरकार एलोपैथिक, होमयोपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टर्स में कोई डिस्क्रमीनेशन नहीं करना चाहती है । प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में डा० रिजवी ने बहुत साहस के साथ कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के अलावा अन्य कोई उपाय किया जाना चाहिये । श्री चौहान जी ने जो सवाल उठाया है कि मेडिकल कालेज के अन्दर हमें कुछ वार्ड नर्सिंग होम के पैटर्न पर विकसित करने होंगे यह अच्छा सुझाव है इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । मेडिकल कालेज का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग जनता के लिये हो सके इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । इस पर हम सभी कभी मिलकर विचार कर लेंगे । डाक्टर नर्सिंग होम जाता है वह हास्पिटल के भीतर रहकर कार्य का निष्पादन करे । श्री गोरखनाथ, श्री रामतेज यादव एडवोकेट , डा० ज्ञानवती सिंह ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हमने सहर्ष स्वीकार कर अमल में लाने का निश्चय किया है । मैं पुनः श्री त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनें कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हमारे प्रस्ताव का समर्थन करने का कष्ट करें ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, बढ़ती हुई जनसंख्या चिन्ता का विषय है । हमें फक्र है कि पिछले वर्ष जब बजट रखा था तब हमने अपने साथियों से निवेदन किया था कि हम सभी मिलकर इस पर विचार करें और आज के बजट प्रस्ताव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के लोगों ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त की और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । मैं सदका स्वागत करता हूं । सभी माननीय सदस्यों ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता प्रकट की है । इसमें दो राय नहीं कि जन्म दर नहीं घटी तो विकास दर नहीं बढ़ सकती है । विकास दर नहीं बढ़ी तो रोजगार नहीं बढ़ सकता है । जो हमारे साथियों ने सुझाव दिये हैं मैं स्वागत करता हूं । सरकार की ओर से एक उप समिति गठित हुई है । उस समिति की बैठक जब होगी उसमें मैं अपने साथियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह उस समिति में भी अपने सुझाव रखें इसके लिये मैं उनको आमंत्रित करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं श्री त्रिपाठी जी अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर अगर अमल किया गया तो मैं अगली बार विचार करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,81,15,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नहीं । मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,16,30,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 52,94,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,65,63,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,08,01,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,54,03,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी कह रहे हैं जी नहीं–आज नहीं, कल नहीं, सुबह नहीं, और शाम नहीं, रह गई फकत् हां का कोई काम नहीं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की पहली सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है, श्री पूर्णमासी पंकज जी की दूसरी सूचना को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की जाती है ।

तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई, चौथी सूचना डा० राम बाबू हरित की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई, पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई, छठवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई, सातवीं सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई, आठवीं सूचना

श्री राजपाल सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई, नवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । श्री बाबू लाल, आचार्य रामदेव वैश्य और श्री राम औतार शाक्य की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं ।

जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन क्षेत्र में चकबन्दी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

माननीय सदस्य श्री पोइया जी को उपरि संदर्भित ....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

[नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 22-2-99 द्वारा जिस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है उसके संबंध में प्राप्त की गई आख्या के अनुसार सूचना में उल्लिखित ग्रामों के बारे में ग्रामवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

ग्राम–पाड़ल :–इस ग्राम में चकदारों को आवंटित नये चकों पर कब्जा परिवर्तन का आदेश दिनांक 16-10-89 को हुआ था तथा धारा–52 का प्रकाशन दिनांक 29-6-94 को हो चुका है । इस गांव में सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, इस कारण सीमांकन को लेकर जिन चकदारों का रकबा सड़क से प्रभावित हो रहा है, उसके संबंध में विवाद है । कब्जा परिवर्तन या सीमांकन को लेकर पूर्व में ऐसी कोई समस्या नहीं थी । इस समय चूंकि फसल खड़ी हुई है । अतः फसल कटने के बाद तहसील स्टाफ के सहयोग से यदि सीमांकन की समस्या बनी रहती है तो उसका निराकरण किया जायेगा ।

ग्राम–राधाकुंड :–मा० सदस्य की सूचना के प्रसंग में इस ग्राम के स्थलीय निरीक्षण तथा अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार स्थिति यह है कि चक संख्या–179 गौशाला एतमाम गोमती बाई विधवा जेठानन्द व गौरधन दास पुत्र श्री तुलसी वासनिक बम्बई के नाम खाता संक्रमणीय भूमिधर सन् 1360 फसली दर्ज है । चकबन्दी प्रक्रिया में दो चक प्रदिष्ट किये गये हैं जो शत-प्रतिशत मूल जोत पर हैं । पहला चक 13-221 हे० तथा दूसरा चक 0-387 हे० का है । इसी खाते में रकबा 0.438 चकबन्दी बाहर है । स्थल पर गौशाला की 5 फीट ऊंची पूरे क्षेत्रफल में पक्की बाउन्ड्री वाल बनी हुई है ।

ग्राम–मौरा :–इस ग्राम का धारा 4 क(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 8-2-96 को तथा धारा–9 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 19-2-97 को तथा धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 31-12-98 को किया जा चुका है । धारा–20 के प्रकाशन तक चकबन्दी प्रक्रियाओं के किसी स्तर को लेकर आपत्ति नहीं थी । ग्राम समाज की अथवा पट्टेदारों की भूमि पर काबिज कृषक ही विरोध कर रहे हैं । गांव में पार्टी बन्दी भी परिलक्षित होती है । इस राजस्व ग्राम के अन्तर्गत दो मजरा (1) नगला धीसा (2) नगला मौरा हैं जहां के कुछ कृषक ही विरोध कर रहे हैं । यह कारण इस ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

ग्राम–अडींग :– इस ग्राम के प्रसंग में शिकायत का मुख्य बिन्दु गाटा सं०–1552 से स्कूल फील्ड का आरक्षण समाप्त किये जाने का था जिसका निराकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निगरानी सं०–2495 अन्तर्गत धारा 48(1) में दिनांक 12-2-99 को आदेश पारित कर दिया गया है ।]

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह तथ्यों के आधार पर नहीं दिया गया है । भ्रमित होकर ब्यूरोक्रेसी द्वारा जो भेज दिया गया है, उसके आधार पर दिया है ।

नोट :–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्पष्टीकरण क्या चाहते हैं ? अगर तथ्यों के आधार पर नहीं है तो आप दूसरे नियम में पूछ सकते हैं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पहले कितने जमीन पर ग्राम सभा के कितने क्षेत्रफल पर काबिज थे । दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चकबन्दी से बाहर का आवेदन चकबन्दी समिति से प्राप्त होने पर कार्यवाही हुई तथा मा० मंत्री जी का वक्तव्य है जिसमें पूछने का हमें अधिकार है ।

(माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप क्या पूछना चाहते हैं स्पष्ट कर दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय पोइया जी क्या पूछना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं ? आप अलग से लिखकर दे दीजियेगा मैं आपको सूचना दे दूंगा ।

जनपद संत रविदास नगर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा शासनादेश के विपरीत लघु एवं सीमान्त कृषकों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री बाबूराम एम० काम० (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री)–

मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गई कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

। औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 82 अनुसूचित जाति (पासी) के गरीब मजदूर, लघु सीमान्त कृषक की 23.347 हेक्टेयर भूमि शासनादेश संख्या 2066/95–226–रा–13 दिनांक 29 फरवरी, 1996 शासनादेश संख्या 1995/1–85–रा०–13 दिनांक 24 सितम्बर, 1985 का स्पष्ट उल्लंघन करके अधिग्रहीत कर ली गई है जिससे सभी गरीब लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन गई है साथ ही शासनादेश दिनांक 29-2-96 एवं शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 1985 जो यह व्यक्त करता है कि धारा 4 व 6 का प्रकाशन के लिये निदेशक, भूमि अध्याप्ति के संज्ञान में लाना अनिवार्य है, का भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । इससे गरीबों के प्रति बीडा की बदनीयती एवं आपसी ईर्ष्या द्वेष की बू आती है जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है । यह 82 अनुसूचित जाति गरीब मजदूर के रोजी रोटी एवं जिन्दगी से जुड़ा हुआ प्रकरण है ।

2—भदोही कालीन परिक्षेत्र के औद्योगिक एवं नगरीय योजनाबद्ध विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी । प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास के मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु भदोही वाराणसी रोड पर मोरवां नदी के किनारे अकृषक (कृषि योग्य नहीं) ऊसर-बंजर, कंकरीली-पथरीली, ऊबड़ खाबड़ असिंचित भूमि का चयन औद्योगिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त पाते हुये किया गया और अहमदपुर-फुलवरिया नामक इस औद्योगिक योजना की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-3-1991 में की गई । योजना के लिये 44.174 हे०भूमि, जिसमें ग्राम अहमदपुर फुलवरिया की 23.347 हे० ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर की 15.268 हे० ग्राम डूडवा कुकरौठी की 5.340 हे० भूमि तथा ग्राम भिखारीपुर की 0.218 हे० भूमि सम्मिलित है, को अधिग्रहण कर उसे विकसित करने का प्रस्ताव था इस प्रकरण पर अहमदपुर फुलवरिया ग्राम के निवासी श्री रामवृक्ष द्वारा यह आपत्ति की गई कि अहमदपुर फुलवरिया ग्राम के 82 अनुसूचित

नोट : । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जाति के लोग भूमिहीन हो रहे हैं । अतः भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति की गई । मामले की जांच जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर (तत्कालीन भदोही) से वर्ष सितम्बर, 1995 में कराई गई और बार-बार इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर मण्डलायुक्त, मिर्जापुर से भी प्रकरण की जांच कराई गई । जांच रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित योजना स्थल भदोही-वाराणसी मार्ग पर भदोही नगर से 4 कि०मी० पूर्व प्रस्तावित है । संदर्भित योजना स्थल मोरवां नदी के तट से लगा हुआ है जो प्रस्तावित लघु उद्योग इकाइयों का गन्दा पानी एवं मलवा आदि बहाने की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है ।

इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से भी उक्त स्थान सर्वोत्तम पाया गया और भदोही नगर के आस-पास औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने की दृष्टि से इससे अधिक उपयुक्त अन्यत्र कोई जगह नहीं है । योजना स्थल का लगभग सम्पूर्ण भू-भाग वर्षों से अकृषक, असिंचित, ऊबड़-खाबड़, कंकरीला-पथरीला एवं ऊसर बंजर है । वर्षों से बंजर एवं परती के रूप में पड़ा होने के कारण ही तत्कालीन अधिकारियों द्वारा इस भू-भाग को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से विकसित करने के लिये अधिग्रहीत करने हेतु चुना गया है । योजना के अन्तर्गत भू-भाग का चयन करने में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं किया गया । भूखण्ड के चयन का एक मात्र आधार निर्विवाद रूप से औद्योगिक उपादेयता एवं योजनाबद्ध औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना ही रहा । अधिग्रहीत की जा रही भूमि के स्वामियों को शासन की नीति के अनुरूप बसाने एवं प्रभावित परिवार के एक योग्य व्यक्ति को यथासम्भव नौकरी देने का लक्ष्य भी रखा गया है । यह व्यवस्था की गई थी कि जो काश्तकार पूर्णतया भूमिहीन हो रहे हैं, उनकी भूमि के एवज में उन्हें एक तरफ औचित्य एवं व्यवहारिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से योजना स्थल में ही विकसित भूखण्ड दिये जायें ।

शासन स्तर पर भी इस प्रकरण की समीक्षा सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में दिनांक 11-9-1997 को आयोजित बैठक में की गई और विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि जिन अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई उनके पुनर्वासन हेतु प्रस्ताव बनाया जाय । उन्हें सस्ती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें । बीड़ा में रोजगार देने पर भी विचार किया जाय इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण तथा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अधीन उन्हें प्रशिक्षित किया जाय । तथा संस्थागत वित्त/बैंकों से ऋण दिलाकर उनके पुनर्वासन का प्रयास किया जाय । शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा द्वारा एक पैकेज प्लान तैयार किया गया जिसके अनुसार भूमि अधिग्रहण से कुल 202 किसान प्रभावित हो रहे हैं इनमें से 25 अनुसूचित जाति के तथा 2 पिछड़ी जाति के किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हो रहे हैं । अतः योजना के लिये भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वासन हेतु प्राधिकरण स्तर से तैयार किया गया पैकेज प्लान निम्न प्रकार है :–

1—भूखण्ड आवंटन–

(1) योजना में 25 अनुसूचित जाति एवं दो पिछड़ी जाति के काश्तकार अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमिहीन हो रहे हैं । इन किसानों की लगभग 17-13-18 बीघा भूमि अधिग्रहीत हो रही है । इन सभी के पुनर्वासन हेतु योजना में एक तरफ सैल्टरलेस का प्रावधान किया जायेगा जिसमें इन्हें रियायती/सस्ती दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे । इन भूमिहीन कृषकों को दी जाने वाली रियायत तथा इनसे लिये जाने वाले मूल्य का निर्धारण आयुक्त मिर्जापुर मण्डल/अध्यक्ष बीडा की अध्यक्षता में आहूत प्राधिकरण की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा ।

(2) अन्य प्रभावित 175 काश्तकारों में से जो भी उद्योग लगाने/व्यवसाय करने हेतु विकसित भूखण्ड लेना चाहेंगे उनके लिये भूखण्ड आरक्षित कर दिये जायेंगे तथा इन्हें आसान किस्तों पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

2—रोजगार–

(1) प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अर्हता एवं अनुभव के आधार पर नौकरी दिलाने की व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों से कराये जाने का प्रयास किया जायेगा । आवंटन नियमावली में प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की शर्तें रखी जायेंगी ।

(2) प्राधिकरण द्वारा योजना के निर्माण एवं विकास से संबंधित सभी कार्यों में प्रभावित काश्तकारों को मिस्त्री, फिटर, मजदूर के रूप में लगाया जायेगा इनसे प्रतिपूर्ति न होने के उपरान्त ही बाहर से मिस्त्री, मजदूर आदि लगाये जायेंगे ।

(3) प्राधिकरण स्तर से योजना के रख-रखाव के लिये आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूर इन्हीं विस्थापित काश्ताकारों में से रखे जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

3—वित्तीय सहायता/ऋण–

विस्थापित काश्तकारों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना संस्थागत वित्त एवं बैंकों के माध्यम से संचालित होने वाली विभिन्न लाभकारी योजनाओं में ऋण दिलाने हेतु प्राधिकरण स्तर से एक सर्विस-सेल स्थापित करके हर सम्भव प्रयास कराकर ऋण दिलाया जायेगा ।

4—प्रशिक्षण कार्यक्रम–

विस्थापित काश्तकारों में से इच्छुक व्यक्तियों को अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अधीन प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी इसके अतिरिक्त यदि कोई सुयोग्य अभ्यर्थी का चयन उद्यमी द्वारा कर लिया जाता है और इसके लिये कोई प्रशिक्षण आवश्यक हुआ तो बीडा द्वारा इसके भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जायेगा ।

5—प्रतिकर धनराशि का भुगतान–

इस योजना के लिये निर्धारित प्रतिकर धनराशि का भुगतान शासकीय कोष में प्राधिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है ।

अहमदपुर फुलवरिया औद्योगिक आस्थान फेज–I के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर को प्रेषित जन प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा, उप जिलाधिकारी, भदोही व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सन्त रविदास नगर को शामिल करते हुये एक कमेटी का गठन किया गया दिनांक 13-10-1998 को उक्त कमेटी के सभी अधिकारी तथा प्राधिकरण के अन्य अधिकारी ग्राम अहमदपुर फुलवरिया लखनपुर उर्फ अभयनपुर, कुकरौठी व भिखारीपुर के काश्तकारों के साथ गांव में ही दो अलग-अलग बैठकों में सम्बन्धित काश्तकारों की आपत्तियां एवं उनके विचार सुने गये । उक्त बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा द्वारा प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वासन हेतु योजना प्रस्ताव रखा गया । उक्त योजना प्रस्ताव में भूखण्ड आवंटन, रोजगार वित्तीय सहायता/ऋण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिकर धनराशि के भुगतान से संबंधित सुविधायें दिये जाने का उल्लेख है । उक्त पैकेज प्लान की प्रतियां संबंधित काश्तकारों को वितरित की गई । बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित बातें सामने आयीं :–

(1) पैकेज प्लान की घोषणा के बाद भूमिहीन हो रहे किसानों को एक जगह भूमि के बदले भूमि निःशुल्क दिये जाने की बात प्रभावित काश्तकार द्वारा रखी गई जबकि प्राधिकरण में पैकेज प्लान में भूमिहीन हो रहे किसानों को भूखण्ड का आवंटन प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार रियायती/सस्ती दरों पर दिये जाने का उल्लेख है ।

(2) उद्योग लगाने/व्यवसाय करने हेतु प्रभावित काश्तकारों को भूखण्ड आरक्षित किये जाने एवं उन्हें आसान किश्तों पर भूखण्ड दिये जाने का उल्लेख जो पैकेज प्लान में है, उस पर अधिकांश किसानों द्वारा प्रसन्नता एवं सन्तोष व्यक्त किया गया ।

(3) प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी दिये जाने के पैकेज प्लान पर अधिकांश किसानों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा यह बात रखी गई कि पैकेज प्लान के अनुसार प्राधिकरण ऐसी व्यवस्था निश्चित करायें जिससे प्रभावित काश्तकारों के परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी अवश्य मिल जाय ।

(4) प्राधिकरण द्वारा रखे गये पैकेज प्लान के सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श के बाद अधिकांश किसानों द्वारा सन्तोष एवं सन्तुष्टि व्यक्त की गई तथा यह बात रखी गई कि किसानों को उचित मुआवजे की धनराशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये । प्रभावित काश्तकारों में से अधिकांश किसान विचार-विमर्श के उपरान्त बीडा को भूमि देने के लिये इच्छुक रहे ।

(5) इस योजना में प्रभावित काश्तकार श्री रामवृक्ष के साथ लगभग 10-12 काश्तकार ऐसे थे जो भूमि देने के लिये तैयार नहीं हुये । श्री रामवृक्ष के साथ बुलाये गये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जो उनका साथ दे रहे थे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा तथा उप जिलाधिकारी भदोही द्वारा प्रभावित काश्तकारों को पैकेज प्लान के अनुसार तथा किसानों द्वारा मांगी जा रही अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये सभी आवश्यक सहयोग एवं कदम उठाये जाने की बात कही गई परन्तु श्री रामवृक्ष तथा 57 काश्तकारों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 27965/98 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरान्त दिनांक 4-9-98 के आदेश द्वारा खारिज की जा चुकी है । श्री रामवृक्ष द्वारा काश्तकारों को गुमराह करने एवं बार-बार किसानों की मर्जी के विपरीत भूमि न लिये जाने की बात स्पष्ट हुई अन्ततः यह बात सामने आई कि किसानों को उचित मुआवजा मिलने, भूमिहीन हो रहे किसानों को भूमि के बदले भूमि दिये जाने तथा प्रभावित कृषक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार उद्योगों में नौकरी दिये जाने तथा भूमिहीन हो रहे किसानों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रभावित काश्तकारों में से यदि कोई भूखण्ड लेना चाहे तो उसे उचित रियायतें दिये जाने की शर्तों पर अधिकांश किसनों द्वारा सन्तोष एवं सहमति व्यक्त की गई । इन शर्तों को पूरा होने पर अधिकांश किसानों को भूमि देने में आपत्ति नहीं रही ।

प्रश्नगत योजना के लिये भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, भदोही (वर्तमान में सन्त रविदास नगर) के माध्यम से दिनांक 15-9-95 को शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर विचारोपरान्त भूमि उपयोग परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करते हुये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4(1) सपठित धारा–17(1) की अधिसूचना दिनांक 26-3-1997 को जारी की गई तदोपरान्त उक्त अधिनियम की धारा–6 सपठित धारा–17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर एवं निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को दिनांक 20-7-1998 को प्राप्त हुआ शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक 21-7-1998 को जारी की गई । उक्त भूमि पर अर्जन निकाय बीडा को तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-10-98 को कब्जा प्रमाण-पत्र जारी किया गया तथा उक्त भूमि पर कटीले तार की बाड़ लगाने आदि का कार्य प्रगति पर है ।

मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि शासनादेश दिनांक 29-2-1996 एवं दिनांक 24-9-1985 का उल्लंघन किया गया है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 24-9-1985 के अनुसार अर्जन के फलस्वरूप ऐसे अनुसूचित जाति के किसानों, जिनके पास 3/8 एकड़ से कम भूमि रह जाती है उन्हें यथासम्भव उसी श्रेणी की भूमि ग्राम समाज या राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध करा दी जाय । शासनादेश के इस प्राविधान पर तत्समय विचार किया गया था तथा तत्कालीन उप जिलाधिकारी, भदोही की रिपोर्ट दिनांक 5-7-96 में यह सूचित किया गया कि ग्राम अहमदपुर फुलवरिया में ग्राम समाज की जमीन वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है । अतः उक्त ग्राम में जमीन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । शासनादेश दिनांक 29-2-96 में यह उल्लेख है कि अधिग्रहण के

फलस्वरूप भूमिहीन होने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पूर्व पुनर्वासित कर दिया जाये अथवा यथा आवश्यकतानुसार उन्हें भूमि के बदले भूमि उपलब्ध करा दी जाये एवं अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार नौकरी दी जाये । उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में भूमिहीन हो रहे कुल 27 परिवारों के पुनर्वासन हेतु प्राधिकरण द्वारा एक पैकेज प्लान तैयार किया गया है । इसमें उन्हें सस्ती दरों पर भूखण्ड का आवंटन, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार नौकरी दिया जाना तथा वित्तीय सहायता/ऋण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिकर की धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है । जहां तक भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 4 व 6 के प्रकाशन के समय निदेशक भूमि अध्याप्ति के संज्ञान में न लाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद् के पत्र संख्या 2028/10(भू०अ०)53अ/98 दिनांक 20-7-1998 द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु संस्तुति प्राप्त हो गई थी ।

इस प्रकार प्रस्तावित भूमि अर्जन की कार्यवाही समस्त शासनादेशों एवं शासन की नीतियों का अनुपालन करते हुए की गई है । औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस भूमि का अर्जन अत्यन्त आवश्यक था जो किसान भूमिहीन हो रहे हैं उनकी भूमि ऐसी जगह पर नहीं थी जिसे छोड़ते हुये यह भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी की जा सकती और योजना कार्यान्वित हो सकती । अतः भूमि अधिग्रहण की जो कार्यवाही शासन द्वारा की गई है वह एक निष्पक्ष नीति तथा द्वेष भावना से रहित होकर की गई है और किसी भी व्यक्ति अथवा काश्तकार के साथ भेदभाव अथवा अन्याय नहीं किया गया ।

अतः भूमि अधिग्रहण की प्रश्नगत कार्यवाही को रोकने का कोई औचित्य अथवा आधार नहीं है । ।

प्रदेश में बरसात के पानी को वैज्ञानिक विधि से रोक कर कृत्रिम रिचार्ज द्वारा भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

ग्राम विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

डा० राम बाबू हरित, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा जल स्तर की गिरावट .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

। रोकने तथा कृत्रिम रिचार्ज की विधि द्वारा भूजल भण्डारों को वर्षा के पानी से रिचार्ज किये जाने हेतु वर्ष 1989–1990 तक पांच जनपदों (यथा आगरा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर एवं सुल्तानपुर) में जिला ग्राम विकास अभिकरणों को वाटर हार्वेस्टिंग (जल संग्रहण) के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रु० 5.52 करोड़ की धनराशि से सम्पादित किये गये कार्यों तथा उससे दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है । जनपदवार स्थिति निम्नवत् है :–

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जनपद आगरा में भूमि संरक्षण अधिकारी, टूण्डला इकाई आगरा द्वारा टेक्नालोजी मिशन योजनान्तर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर योजना के लिये 48 तालाबों की खुदाई हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 28-7-89 द्वारा योजना स्वीकृत करते हुये रु० 12.00 लाख अवमुक्त कर दिये गये किन्तु भूमि संरक्षण अधिकारी टूण्डला द्वारा साख सीमा समाप्त हो जाने के कारण यह कार्य वर्ष 89-90 में प्रारम्भ नहीं हो सका । दिनांक 29-5-91 को रुपये 7.00 लाख डी०आर०डी०ए० आगरा को और प्राप्त हुए । निरन्तर पत्र व्यवहार के पश्चात् भी जल निगम द्वारा कार्यवार प्रगति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इस

नोट : । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

धनराशि को जल निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया । इस प्रकार कुल रुपया 19.00 लाख की धनराशि डी०आर०डी०ए० के बचत खाते में जमा है ।

जनपद हमीरपुर में भारत सरकार के पत्र दिनांक 5-10-88 द्वारा वर्षा 89-90 में आर०एल०ई०जी०पी० योजनान्तर्गत टेक्नालोजी मिशन में वाटर हार्वेस्टिंग बन्धी निर्माण हेतु रु० 81.48 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसके सापेक्ष रु० 80.014 लाख की धनराशि के कार्य योजनान्तर्गत कराये जा चुके हैं । शेष धनराशि 1.466 लाख रुपये आर०एल०ई०पी०जी० योजना के समाप्त हो जाने के कारण रिसीट हेड में दिनांक 12-12-97 को आर०एल०ई०जी०पी० की अन्य धनराशि के साथ जमा कर दी गई है । इस प्रकार अब कोई धनराशि इस मद में शेष नहीं है ।

जनपद बांदा में "जल का एकीकरण तथा भूमिगत जल को रिचार्ज करने हेतु वित्तीय वर्ष 1988–89 में" आर०एल०जी०पी० टैक्नालोजी मिशन फार यू०पी० के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा को कोई धनराशि आवंटित नहीं किया गया है ।

जिलाधिकारी मिर्जापुर की सूचना के अनुसार वर्ष 1988 में योजनान्तर्गत वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग कार्यक्रम हेतु कुल रु० 140.84 लाख स्वीकृत हुआ था जिसमें से भारत सरकार द्वारा रुपया 70.00 लाख प्राप्त हुआ था । प्राप्त धनराशि का व्यय तीन स्वीकृति परियोजनाओं सपेहरा बन्धी निर्माण, काशी कुण्ड बन्धी एवं तालाब खुदाई पर वर्ष 1988–89, 1989–90 एवं 1990–91 में किया गया तथा किसी प्रकार का भी दुरुपयोग नहीं किया गया है । स्वीकृत परियोजनाओं पर धनराशि व्यय किये जाने से भूजल स्तर ऊपर उठा है जिसका प्रमाण यह है कि कार्य-स्थल के समीपवर्ती कुएं एवं हैण्डपम्प जो गर्मी के दिनों में सूख जाया करते थे उनमें अब गर्मी के दिनों में भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है । योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का किसी अन्य मद में स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर में वाटर हार्वेस्टिंग योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी बाढ़ को 50.35 लाख रु० कृषि विज्ञान केन्द्र को 63.89 लाख रुपये नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद को 40.19 लाख रुपये तथा नलकूप विभाग को 69.66 लाख रुपये की कुल 224.09 लाख रुपये स्वीकृत थी । कृषि विज्ञान केन्द्र एवं भूमि संरक्षण विभाग (बाढ़) को छोड़कर शेष विभागों की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गई । स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अवशेष पूर्ण कार्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं भूमि संरक्षण विभाग को अनियमितता किये जाने के कारण उन्हें क्रमशः 3.00 लाख एवं 3.95 लाख रुपया कुल 6.95 लाख रुपये अवमुक्त नहीं किया गया । वर्ष 89-90 में आर०एल०ई०जी० एवं एन आर० ई० पी० योजना को बन्द करके जवाहर रोजगार योजना चालू कर दी गयी । तत्पश्चात् एन०आर०ई०पी०/आर०एल०ई०जी० योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि को जवाहर रोजगार योजना की धनराशि मानकर योजना का क्रियान्वयन कराया गया । इस प्रकार अवशेष धनराशि का उपयोग जे०आर०वाई० के अन्तर्गत कर लिया गया है ।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा भू-गर्भ जल उपयोग के क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र हेतु भू-गर्भ जल स्तर मापने, भू-जल उपलब्धता आंगणन, भू-जल दोहन का आंगणन/अनुश्रवण किया जाता है । विभागीय सर्वेक्षणों एवं भू-जल स्तर अनुश्रवण के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त पांचों जनपदों के भूजल स्तर में कुछ स्थानों पर गिरावट हुई है । नगरों में बढ़ती हुई आबादी एवं आसपास हो रहे औद्योगिक विकास की भू-जल पर निर्भरता तथा ग्रीष्मकाल में विशेष रूप से कृषि सिंचाई हेतु जल की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये सीमित क्षेत्र में जल की अधिक मांग का अतिरिक्त दबाव भूजल पर ही आता है । मांग के अनुसार पूर्ति न हो सकने के कारण जल की समस्या का सामना करना पड़ता है । अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये भू-जल की सुरक्षित सीमा का अतिक्रमण होने से भू-जल स्तर शनैः शनैः नीचे की ओर गतिमान रहता है ।

भू-जल स्तर में गिरावट के कई कारण होते हैं जिनमें मुख्य रूप से एक कारण भू-जल के रिचार्ज में कमी तथा दूसरा भू-जल का अनियोजित दोहन है। भू-जल स्तर में गिरावट के कुप्रभाव से बचने के लिये यह आवश्यक है कि भू-जल की मात्रा में उसी सीमा तक दोहन किया जाये, जो भू-जल के डायनमिक जोन में उपलब्ध है। इस जोन में उपलब्ध भू-जल की मात्रा वह भू-जल है, जो वर्षा से पूर्व तथा वर्षा के उपरान्त जल संस्तरों के बीच संग्रहीत होता है। यह भू-जल की वही मात्रा है जो वर्षों से सतही सिंचाई श्रोतों से प्रति वर्ष प्राकृतिक रूप से भू-जल में समाविष्ट होकर भू-जल भण्डार का संवर्धन करती है। इस डायनमिक जोन में उपरोक्तानुसार उपलब्ध भू-जल की वार्षिक मात्रा से अधिक भू-जल दोहन ही, भू-जल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण बनता है।

पिछले 12 वर्षों में जनपद आगरा के 14 विकास खण्डों में जल स्तर में 1.26 मी० से अधिकतम् 12.47 मी० तक, हमीरपुर में 5 विकास खण्डों में 0.10 मी० से 8.59 मी० तक बांदा में 5 विकास खण्डों में 0.35 मी० से 5.00 मी० तक मिर्जापुर में 6 विकास खण्डों में 0.30 मी० से 7.75 मी० तक तथा जनपद सुल्तानपुर में 9 विकास खण्डों मे 0.00 मी० से 4.38 मी० तक गिरावट परिलक्षित हुई है।

यह उल्लेखनीय है कि जल एकीकरण तथा भू-जल का रिचार्ज किये जाने हेतु पांच जनपदों को 5.52 करोड़ रू० की उपलब्ध कराई गई धनराशि के अनियमित व्यय के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के दिनांक 31-3-97 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 में प्रस्तर संख्या 6.16.11 के रुप में प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तर में उठाई गई आपत्तियों के निवारण करते हुये लोक लेखा समिति को टिप्पणी भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार यह प्रकरण लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। उल्लिखित धनराशि के समुचित सदुपयोग के संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र कर कार्यवाही की जायेगी।।

(मद संख्या 16 पुकारे जाने पर)

प्रदेश के विकास कार्यों हेतु अवमुक्त विधायक निधि की धनराशि का वित्तीय वर्ष में ही विकास कार्यार्थ उपयोग सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य के अनुरोध पर यह स्थगित कर दिया गया है। अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
8 मार्च, 1999

नत्थी (क)

(देखिये अता०प्र०सं० 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

प्रथम सत्र 1999 के दूसरे सोम हेतु निर्धारित अता० प्र० सं० 62 का संलग्नक

नकल चि०सं० 26/98 मु०अ०सं० 33/98 धारा 302 आई०पी०सी० व 3(2) 5 एस०सी०एस०टी० ऐक्ट
थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

ता० घटना 30-4-98 समय करीब 6.30 बजे सुबह

ता० सूचना 30-4-98 समय 9.15 पूर्वान्ह

घटना स्थल–ग्राम इटवा व फासला थाने से 10 कि०मी० द०पू०

वादी श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी सन्तोष कुमार हरिजन ग्राम इटवा थाना रैपुरा जिला सी०एस०एन०

बनाम (1) शीतलमाली व उसके लड़के (2) कल्लू, (3) मुन्ना (4) गुलाब पुत्रगण शीतल माली ग्राम टूटवा थाना रैपुरा जिला सी०एस०एन०

विवेचक–श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मऊ

नकल प्रार्थना-पत्र हिन्दी वादी श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना रैपुरा जिला क्षत्रपति साहूजी नगर कर्वी सेवा में निवेदन है कि प्रार्थिनी मुन्नी ग्राम इटवा थाना रैपुरा जिला साहूजी महराजनगर कर्वी कि रहने वाली हूं आज सुबह करीब 6.30 बजे प्रार्थिनी का देवर कृष्ण कुमार उर्फ ननका सुबह टट्टी को जा रहा था जैसे टट्टी करने के लिये बैठा ही था कि मेरे ही गांव के शीतल माली व उसके लड़के कल्लू को अपने हाथ में तमंचा लिया था मुन्ना कुल्हाड़ी व गुलाब लाठी लिये था शीतल भी कुल्हाड़ी लिये था चारों मिलकर एक राय होकर मेरे देवर को कुल्हाड़ी तमंचा से मार डाले गुहार की आवाज सुनकर मेरा आदमी सन्तोष कुमार बचाने को गये तो वे लोग मेरे आदमी को भी गाली देते हुये कि इसे भी साले को जान से मार डालो व सभी दौड़ा लिये तो वह गांव की ओर भागा मैं भी अपने आदमी के पीछे भागने लगी कि मेरे आदमी को रघुवर दयाल के मकान के पास गली में कुल्हाड़ी व लाठी से मार कर गिरा दिये जिससे वहीं मौके पर मर गया इस पूरी घटना को मेरे गांव के गोविन्द पुत्र नत्थू व राम सजीवन पुत्र गौरी व गांव के और लोगों ने देखा है मेरे पति से गांव का प्रधान जगदीश व गोपी चमार से मुकदमा जमीन के विवाद को लेकर चल रहा था। कल शाम गांव का प्रधान जगदीश गोपी चमार के यहां बैठा था। साथ में गनेश व रामबाबू भी बैठे थे इनके सबके कहने पर व पैसे की लालच में शीतल माली व उसके लड़कों ने मेरे पति व देवर की हत्या की है। लाश वहीं मौके पर पड़ी है मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करें लेखक छोटे लाल पुत्र मुन्नी लाल निवासिनी थाना मऊ साहूजी नगर प्रार्थिनी मुन्नी देवी पति सन्तोष कुमार हरिजन इटवा रैपुरा साहूजी नगर। 30-4-98

लेखक –एफ० आई० आर०
का मु०–रन्जीत सिंह
30-4-98

नोट –नकल मुताबिक असल है।

नत्थी (ख)

(देखिये अता०प्र०सं० 119 का उत्तर पीछे 68 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित डा० मुस्लिम द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर का संलग्नक

नवम्बर–दिसम्बर, 1997 में प्राप्त शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्र०सं०	आवेदनकर्ता का नाम	जांच आख्या प्राप्त होने की स्थिति	
		तहसील	पुलिस
	(थाना सण्डीला)		
1	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री मन्नू लाल पाण्डेय	अप्राप्त	अप्राप्त
2	श्री गोकरन लाल पुत्र श्री नरायन	अप्राप्त	अप्राप्त
3	श्री गोकरन लाल पुत्र श्री नरायन	अप्राप्त	अप्राप्त
4	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री राम प्रसाद	अप्राप्त	प्राप्त
5	श्री महेश चन्द्र पुत्र मूलचन्द्र	प्राप्त (स्वीकृत)	प्राप्त
6	श्री नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह	अप्राप्त	अप्राप्त
7	श्री नवी अहमद पुत्र शकील अहमद	अप्राप्त	अप्राप्त
	(थाना काठौना)		
8	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री राम रतन	अप्राप्त	प्राप्त
9	श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम बिहारी गुप्ता	अप्राप्त	अप्राप्त
10	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राम रतन	अप्राप्त	प्राप्त
11	श्री श्याम मोहन गुप्ता पुत्र श्री गरीब गुप्ता	अप्राप्त	अप्राप्त
12	श्री सिद्दीक अली पुत्र श्री छेदा	अप्राप्त	प्राप्त
13	श्री राम औतार पुत्र श्री निरंजन	अप्राप्त	अप्राप्त
14	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोकरन प्रसाद	अप्राप्त	अप्राप्त
15	श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री सत्यपाल सिंह	अप्राप्त	अप्राप्त
16	श्री रावेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह	अप्राप्त	अप्राप्त
17	श्री अजय कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रकाश नरायन	अप्राप्त	अप्राप्त

टिप्पणी:– यद्यपि क्रमांक 4, 8 एवं 10 पर अंकित व्यक्तियों की तहसील आख्यायें प्राप्त हुई थीं परन्तु अपूर्ण होने के कारण पुनः जांच हेतु वापस कर दी गई हैं।

पी० एस० यू० पी०–एल० 178 विधान सभा (518) 1999 8L5 (डी० टी० पी०)।